राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 11 वां दिवस [संख्या 9

गुरुवार

दिनांक 8 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा।

मुख्य अभियन्ता, राजस्थान-नहर परियोजना

194. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनी-पार्क, जयपुर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर के मुख्य अभियन्ता का तबादला हुआ था ? यदि हां, तो वर्तमान में इस पद पर कौन अधिकारी कब से कार्य कर रहे हैं ? इस पद का कार्य भार संभालने से पूर्व उक्त अधिकारी किस पद पर कार्य कर रहे थे ?

(2) मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्य करते हुए इस अधिकारी द्वारा अपने कार्य-काल में कुल कितने तबादले किन-किन कारणों से कब कब किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी हां, यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर के मुख्य अभियन्ता का तबादला हुआ था। वर्तमान में इस पद पर श्री बी. के. गुप्ता दिनांक 4-11-78 से कार्यरत हैं। इससे पूर्व श्री गुप्ता अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर के पद पर कार्य कर रहे थे।

(2) मुख्य अभियन्ता ने अपने कार्यकाल में कुल 32 अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण राज्य हित में किये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री श्योपतसिह मकासर (हनुमानगढ़): यह कब किये गये तबादले ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं कुछ स्पेसिफिक प्रश्न पूछना

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

चाहता हूं। क्या यह सही है कि तबादले इसलिये किये गये क्योंकि उन्होंने सरकार के सामने डेपुटेशन लाकर अपनी ग्रिवान्सेज प्रस्तुत की थीं?

श्री केदारनाथ : ये तबादले ए ई.एन.-स्टाफ-फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स, एल. डी. सीज और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के हुए हैं जो कमिश्नर इरिगेशन ने नहीं किये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सी. ई. का तबादला किया गया वह इस आधार पर किया गया कि उन्होंने सरकार को अपनी बात कही। ईरिगेशन कमिश्नर ने तबादला किया जो बहुत हेय है। आप लेबर मिनिस्टर हैं और लेबर लीडर हैं। इरिगेशन कमिश्नर ने तबादले किये, क्या वे वाजिब थे? यह भी प्रश्न उठा था कि इस व्यक्ति को चेयरमेन बनाने के लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने रजामन्दी जाहिर नहीं की और यह कहा कि किसी तकनीकी व्यक्ति को ही चेयरमैन बनाया जाय, फिर भी आपने सैंट्रल गवर्नमेंट की ओपीनियन के खिलाफ वर्षों से इनको चेयरमैन बना कर इस पद पर घसीट रहे हैं, इसका क्या कारण है? इस पद पर इनको अप्रूव नहीं किया गया है?

श्री केदारनाथ : सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्रथम के बारे में निवेदन है कि एक्स. ईएन. और सी. ई. के तबादले इरिगेशन कमिश्नर करते हैं और चीफ इंजीनियर राजस्थान केनाल को केवल ए. ईएन. और जे. ईएन. के तबादले की पावर्स हैं। दूसरे जो तबादले किये गये और जो यहां पर मिलने आये मैंने उनका स्टे अलग से दे दिया तीसरा, अध्यक्ष जी, राजस्थान केनाल बोर्ड के चैयरमैन की पोस्ट पर टेक्निकल आदमी का अपाइन्टमेंट किया जाय, इस बात को मैं मानता हूं। इसलिये राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि अप्रेल माह में राजस्थान कैनाल बोर्ड का अलग से चैयरमैन नियुक्त कर दिया जायगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इरिगेशन कमिश्नर ने तबादले इस आधार पर कर दिये कि वे डेपुटेशन बनाकर उनसे मिलने आये और अपनी ग्रिवान्सेज रखीं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय, इरिगेशन कमिश्नर ने तबादले कर्मचारियों को विक्टीमाइज करने की भावना से किये। इसके बावजूद भी सरकार ने इरिगेशन कमिश्नर के खिलाफ इस तरह की हेय हरकत करने के लिये कोई कार्यवाही करने की चेष्टा नहीं की। दूसरे, अप्रैल तक नया चैयरमैन बनाने की संभावना है तो यह भी क्या कोई आई. ए. एस. बनेगा जैसा कि अब तक राजस्थान सरकार की परिपाटी रही है सब जगह नौकरशाही हावी है तो क्या इस पर भी किसी आई. ए. एस. को अपाइन्ट कर देंगे?

श्री केदारनाथ : जनरली ट्रांसफर इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है। मेरे पावर्स से बाहर है। केवल राजस्थान केनाल में जिन लोगों के ट्रांसफर किये थे उनका मैंने स्टे कर दिया। दूसरा आपने प्रश्न उठाया कि क्या सी. ई. चैयरमैन बनेगा या कोई आई. ए. एस. बनेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि यह सी. ई. में से बनेगा और मेरिट से बनाया जायगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कमिश्नर राजस्थान केनाल ने उच्च अधिकारियों का तबादला किया तो क्या उन्होंने कर्टसी के

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

तौर पर ही इतना उचित नहीं समझा कि आपसे पूछ कर तबादले करें ?

श्री केदारनाथ : ये पावर्स इरिगेशन मिनिस्टर को हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट को हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कंसट्रक्शन का काम आपके जिम्मे है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसको टाल रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आदेश कौन मानेगा राजस्थान केनाल मिनिस्टर के ?

श्री बजरंग लालशर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। क्या सरकारी कर्मचारियों के तबादले इस आधार पर किये जा सकते हैं कि उनको विक्टिमाइज किया जाय ? माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को खूबसूरती के साथ टालने की कोशिश की है। आपने उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? कृपा करके जवाब दें ? यहां रोज कर्मचारी जुलूस बना कर आते हैं। इस तरह विक्टिमाइजेशन की कार्यवाही हो तो क्या अन्तर रह जायगा आप में और अधिकारियों में ?

श्री केदारनाथ : मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं........

श्री शंकरलाल (नैतारण) : यह एक परम्परा होती जा रही है........

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्री महोदय, यह गलत है। मैं आपसे निवेदन करता हूं सी. ई. ने इस मामले में कहा है........

(व्यवधान)

यदि मेलाफाइड इंटेन्शन से विक्टिमाइज किया जाय कर्मचारियों को और जो अपनी ग्रिवान्सेज सरकार के सामने रखें उनके मामले में आप सिर्फ स्टे दे दें तो सिर्फ स्टे देना ही पर्याप्त नहीं है। अधिकारी को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री केदारनाथ : अपाइंटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन के पावर्स इरिगेशन डिपार्टमेंट को हैं। जब मामला मेरे सामने आया तो जो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात थी, मैंने स्टे दे दिया, मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर दिया। जो बात मेरी पावर्स में नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान में कुछ शेर हैं जो सिंह बने हुए हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आपमें हिम्मत नहीं है, क्यों किसी सिंह के खिलाफ कुछ कार्यवाही करने में आप अपने आपको असमर्थ पाते हैं ?

क्या आपने, मंत्री महोदय, किसी आफिसर के खिलाफ कार्यवाही की जो आपकी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय मन्त्री जी जो अपनी जैसी पिटीएबल

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कन्डीशन बता रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं है इससे ज्यादा तो आप कमिश्नर्स की पावर्स को विथ ड्रा कर लें। क्या आप उनको अंकुश में नहीं ला सकते हैं? क्या यह आप के नोटिस में नहीं है कि वह सारे सचिवालय में आग लगाकर तोड़फोड़ करवाना चाहते हैं? जो पीसफुल एजीटेशन हो रहा था, उसमें आप सिचुएशन को बिगाड़ते हैं और बिगाड़ने के बाद यह करते हैं। आपने चीफ इन्जीनियर और कमिश्नर्स को पावर दे दी उससे क्या समस्या हल हुई है? आप धांधलीबाजी की बात कहते हैं और अपने आपको हैल्पलेस बतलाते हैं। यह क्या सरकार है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी हैरानी का विषय है कि राजस्थान केनाल का मिनिस्टर के अन्डर में कन्सट्रेक्शन का काम है और अधिकारियों के ऊपर उसका कोई कन्ट्रोल नहीं है। यह अजीब महकमा है कि एक मिनिस्टर को अपने महकमे के अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार नहीं है। मिनिस्टर द्वारा दिये गये आदेशों को सचिवालय का अधिकारी रद्द कर देता है। राजस्थान केनाल जैसी महत्वपूर्ण योजना का भट्टा यों ही तो बैठ रहा है। कोई काम वहां पर नहीं हो और पैसा पूरी तरह से युटिलाइज नहीं किया जाय तो फिर मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है?

(व्यवधान)

आज राजस्थान कैनाल के मिनिस्टर के अन्डर में कमिश्नर और सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्री महोदय के प्रति सहानुभूति तो व्यक्त करते नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारी सहानुभूति उनके साथ में है।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : माननीय मन्त्री जी यह बताने की चेष्टा करेंगे·······

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यदि सक्षम मन्त्री है तो मन्त्री महोदय को तय करना चाहिए कि राजस्थान केनाल का निर्माण जल्दी हो इसलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट से राजस्थान केनाल को अलग करना होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कमिश्नर जैसा चाहे करे आप बैठे-बैठे देखते रहें यह आपकी पिटीएबल कन्डीशन है। इसके लिए हमारी आपके साथ सहानुभूति है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि गलत आदेश था इसलिए मैंने स्टे दे दिया, लेकिन गलत आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह बताने की कृपा करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यहां पर जो स्टेच्यू लगाने का काम हो रहा है, पूरे परिश्रम से हो रहा है·······

श्री केदारनाथ : इसमें पर्सनल प्रिजुडिसेज का सवाल नहीं है। यह प्रिन्सीपल ग्राफ पावर का सवाल है। ग्रध्यक्ष जी, जो पिछले साल फण्ड एलोकेट किये गये वह सारे यूटिलाइज हुए हैं, ग्रौर इस साल भी फण्ड्स को पूरा यूटिलाइज किया जायगा। यह हमारी जिम्मेदारी है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मन्त्री महोदय, श्रीमान जी, ग्रापका बयान गलत है कि पिछली बार फण्ड्स जो एलाट किये गये हैं वह यूटिलाइज किये गये हैं। ग्रापने यूटिलाइज नहीं किये हैं। ग्रापका बजट ग्रधिक नहीं है। विद्युत ग्रौर सिंचाई का बजट प्रति वर्ष करीब-करीब बराबर रहता है, लेकिन इस वर्ष वह इसलिए यूटिलाइज नहीं हुग्रा है कि केनाल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वह धांधली कर रहे हैं। इसकी जांच कराई जाय तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं इसमें लाखों का घोटाला मिलेगा। मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी। ग्रापको जानकरी इसलिए नहीं है कि फण्ड का यूटिलाइजेशन नहीं होता है बल्कि दुरुपयोग होता है ग्रौर घोटाला होता है हजारों का नहीं लाखों का होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पिछली सरकार ने कई इन्जीनियरों को सस्पेण्ड कर रखा था भ्रष्टाचार के मामले में, इस सरकार ने वापस उनको रिइन्स्टेट करके लगा दिया।

श्री केदारनाथ : किसको ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इरिगेशन के ग्राफिसर्स को।

श्री केदारनाथ : किसी भी ग्राफिसर को लिया गया हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ग्रापने 128 इन्जीनियरों को लगाने की घोषणा की है तो बजट भाषण पर बोलते हुए इस बात का स्पष्ट उत्तर दें कि ग्रापके विभाग यानि सिंचाई विभाग का पैसा सारा भ्रष्टाचार में ही जाता है। इसके ग्रलावा उसका कोई उपयोग नहीं है।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल में जो स्थानान्तरण किये गये उन स्थानान्तरण को भी इसी प्रकार स्टे किया गया है जैसे कि ग्रापने कमिश्नर द्वारा किये गये स्थानान्तरणों को स्टे किया है ? क्या ग्रापके ग्रौर कमिश्नर के बीच शीत-युद्ध चल रहा है ? तो यदि है, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या किया गया ?

श्री केदारनाथ : युद्ध का सवाल नहीं है। कमिश्नर के ग्रार्डर्स को रद्द करने की पावर्स मेरे पास नहीं है। ग्रध्यक्ष जी, पैसा पूरा यूटिलाइज हुग्रा है ग्रौर फाइनल टार्गेट्स ग्रचीव कर लिये हैं। इस साल फाइनल टार्गेट पूरे किये जाएंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री ग्रब्दुल ग्रजीज।

मकराना क्षेत्र में सड़क-निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

195. **श्री ग्रब्दुल ग्रजीज** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने 1978-79 में कितनी राशि मकराना क्षेत्र में सड़क निर्माण

(श्री अब्दुल अजीज)

हेतु स्वीकृत की थी और इस राशि में से कितनी लम्बी सड़क का निर्माण किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भविष्य में इस क्षेत्र की सड़कों के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) वर्ष 1978-79 में मकराना क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु विभिन्न मदों में रिवाइज्ड बजट डिमाण्ड में 7,27,000 रु. का प्रावधान है। लगभग 7 किलोमीटर सड़क का सुधार एवं निर्माण हो चुका है। निम्न सड़कों पर कार्य करवाया जा रहा है :—

1. रेवत डूंगरी से मालावार माइन मकराना : यह सड़क माइनिंग सड़क है और 3 कि. मी. लम्बी है। इस पर 2 किलो मीटर कार्य पिछले वर्षों में हो चुका है और इस वर्ष आधा किलोमीटर कार्य हो चुका है। बाकी लम्बाई में भूमि अवाप्ति अवरोध के कारण अभी आगे कार्य नहीं हो पाया है।

2. बोरावड़ से बोरावड़ माइनिंग एरिया सड़क : यह सड़क 3 किलोमीटर लम्बी माइनिंग सड़क है। इस वर्ष आधा किलोमीटर का अर्थ वर्क हुआ है। बाकी भाग में भूमि अवाप्ति के कारण व जमीन नहीं मिलने कारण प्रगति नहीं हो पायी है।

3. पिकरेन व चकडूंगरी के बीच बोरावड़ तक सड़क कार्य : इस सड़क की लम्बाई 3 किलोमीटर है और माइनिंग सड़क है। जिस पर कार्य चालू कर दिया गया है व मिट्टी एकत्रित करने का कार्य चालू है।

4. मकराना से गुणवती सड़क का कार्य और 5. मकराना से विवियाद सड़क की मरम्मत का कार्य : आइटम नं. 4 व 5 सड़कों की मरम्मत का कार्य चालू है व शीघ्र पूरे होने की आशा है।

6. मकराना में बुडस सड़क : केवल ग्रेवल सड़क के किनारे पर डालने का कार्य प्रगति पर है। भूमि अवाप्ति एवं एलाइनमेंट के विवाद इसकी प्रगति में बाधा बने हुए हैं।

7. मकराना-मंगलाना सड़क : इस सड़क पर इस वर्ष साढ़े छः किलोमीटर डामर का सुधार कार्य हो चुका है। बाकी काम चालू है।

(2) जिन सड़कों के निर्माण कार्य चालू हैं और अधूरी रहेंगी उनको अगले वर्षों में पूरा कराया जाना प्रस्तावित है। छठी पंचवर्षीय योजना में निम्न सड़कें प्रस्तावित हैं :—

1) खाटू से बारावड़।

2) मकराना से धाकली।

श्री अब्दुल अजीज : मैं मन्त्री महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि कृपया इनको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करायें।

श्री जयनारायण पूनिया : मैं पूरी कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री कल्याणसिंह सांखला।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर

196. **श्री कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर, पूर्व) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में 1 जनवरी, 1978 से 15 अक्टूबर, 1978 तक किन-किन वार्डों में किन-किन बीमारियों से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? माहवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय चिकित्सालय में स्थानीय ग्लूकोज तैयार किया जाता है ?

(3) क्या स्थानीय तैयार किया गया ग्लूकोज मरीजों के लगाने से 80 प्रतिशत मरीजों को रीगर हो जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि कानपुर ग्लूकोज काण्ड के बाद केन्द्रीय सर्वे दल ने स्थानीय ग्लूकोज बनाने पर तत्काल रोक लगाई ? यदि हां, तो क्या उन आदेशों की वर्तमान में पालना की जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में ग्लूकोज बनाने की नई लेबोरेट्री बनाई गई है ? यदि हां, तो कब से ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचनाएं पूर्ण संग्रह नहीं हो पायी हैं, इसलिए उत्तर पूरा तैयार नहीं है। अतः स्थगित करने के लिए निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 197

श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जयनारायण सालोदिया।

क्रय-विक्रय सहकारी संघ, टौंक में कार्यरत व्यवस्थापक

198. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है क्रय-विक्रय सहकारी समिति, टौंक में दिनांक 27 मई, 1977 से दिनांक 30 अक्टूबर, 1977 तक एक स्थान पर दो व्यवस्थापक रहे ? यदि हां, तो किस के आदेश से और उनका वेतन कहां से दिया गया ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : टौंक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० में दिनांक 27-5-77 से केवल 30-6-77 तक 2 व्यवस्थापक रहे हैं। दिनांक 27-5-77 से 30-6-77 तक दो व्यवस्थापक रहने का मुख्य कारण समिति के भू० पू० अध्यक्ष द्वारा विभाग के आदेश दिनांक 23-5-77 के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये व्यवस्थापक को चार्ज न दिलवाना है। विभाग द्वारा प्रयत्न करने के बाद दिनांक 1-7-77 को नव नियोजित व्यवस्थापक को चार्ज दिलाया गया। इस प्रकार दिनांक 27-5-77 से 30-6-77 तक दोनों व्यवस्थापकों का वेतन समिति द्वारा दिया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने दो व्यवस्थापकों के रहने का कारण बताया है, यह किसकी गलती से हुआ है ? क्या यह सरकार की गलती थी अथवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों की गलती थी ? इस प्रकार से दो दो व्यवस्थापक रखे गये हैं । क्या सरकार निर्णय नहीं कर सकी ? यह किसकी भूल थी ? किसकी गलती थी ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के मूल में जवाब दे दिया है। जो नव नियुक्त व्यवस्थापक गये थे उनको वहां के अध्यक्ष ने पुराने व्यवस्थापक से चार्ज नहीं लेने दिया । सहायक रजिस्ट्रार की जानकारी में आने पर सहायक रजिस्ट्रार ने तुरन्त चार्ज दिलाया है । इस बारे में राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । सहकारी समिति को हानि पहुंचाये तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस

199. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वर्तमान सरकार भी भूतपूर्व सरकार द्वार कई स्थानों पर डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाये गये प्रतिबन्ध को उपयुक्त समझती है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई नीति सम्बन्धी परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाये गये प्रतिबन्ध की उपयोगिता की जांच हेतु एक कमेटी का गठन कर दिया गया है ।

(2) कमेटी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जावेगा ।

श्री शंकरलाल : इस समिति का गठन कब किया गया ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : समिति का गठन 12 मई, 1978 को किया गया । जून के अन्त तक इसकी रिपोर्ट आने की सम्भावना है ।

श्री शंकरलाल : इसके कौन कौन सदस्य हैं ? दूसरी बात यह है कि क्या मन्त्री महोदय को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने से जनता को परेशानी पैदा हुई है ? इमर्जेंसी में लोगों को डाक्टर के घर जाना पड़ता है । कैसा भी मरीज हो प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होने से वह मरीज को देखने से मना कर देते हैं । वैसे प्राइवेट प्रैक्टिस तो उनकी चलती ही रहती है । जनता की इस परेशानी की क्या मन्त्री को जानकारी है ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, कि प्राइवेट प्रैक्टिस राजस्थान में कानून के अनुसार बन्द हो चुकी है फिर भी लोग करते हैं, यह उनकी जानकारी में है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया जाता है जिसकी पालना नहीं हो सके ?

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई

(श्री हजारीमल सारण)

गई है उसकी अनुपालना क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मेडिकल कालेज से जुड़े हुए अस्पतालों में प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द है वहां पर ये क्लिनिक की प्रथा प्रचलित है। इस नीति के कारण जनता को जो असुविधाएं हुई और उसकी जो शिकायत आई है, उन पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : आपकी क्या राय है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मेरी राय का कोई सवाल नहीं है। रिपोर्ट आयेगी, उस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब आने दीजिए। जवाब दे रहे हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, समिति के सदस्य इस प्रकार हैं :-

(1) कमिश्नर, मेडिकल एण्ड हेल्थ।

(2) श्री गिरधारी लालजी भार्गव, विधायक।

(3) श्री देवराज खुराना, मेम्बर, म्यूनिसिपल कौंसिल।

(4) डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज।

(5) डायरेक्टर आफ आयुर्वेद।

(6) प्रिंसपल, मेडिकल कालेज, उदयपुर।

(7) डा० वी० एन० भण्डारी।

(8) डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेण्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : (सांचौर) इसमें उज़ला अरोड़ा का नाम नहीं रखा है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जून, 79 के अन्त तक।

श्री हरचन्द सिंह : (पीलीबंगा) यह सवाल बड़े दिनों बाद आया है। गायब हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

खानों के आवण्टन की नीति

200. **श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार ने खान अलाटमेण्ट की क्या मूलभूत नीति अपना रखी है ?

(2) गत 2 वर्षों में राज्य में कितने खनन पट्टे लीज पर दिये गये तथा किन किन शर्तों के साथ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार खान के पट्टे में एस. सी., एस. टी. की तरह मीसा बन्दी

(श्री कौशलकिशोर जैन)
एवं डी. ग्राई. ग्रार. बन्दी को ग्रारक्षण प्रदान करेगी ?

खनिज मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) खनिज सम्पदा को प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। जो खनिज इण्डस्ट्रीज में काम ग्राता है उनके खनन पट्टे केन्द्रीय सरकार के बनाये हुये खनिज रियायत नियमों के ग्रन्तर्गत दिये जाते हैं। दूसरे प्रकार के खनिजों में इमारती पत्थर व कुछ प्रकार की मिट्टियां इत्यादि ग्राते हैं। इनके पट्टे देने के लिए रियायती नियम ग्रप्रधान खनिज रियायती नियम कहलाते हैं ग्रौर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हैं। ग्रप्रधान खनिज नियम के ग्रनुसार खनन पट्टे नीलामी से व प्रार्थना पत्र से दिये जाते हैं। भाटक माध्यम से ग्रधिशुल्क पट्टे (ग्रार. सी. ग्रार. एल.)देने के लिए भी प्रावधान ग्रप्रधान खनिज रियायती नियम के ग्रन्तर्गत हैं, उनके ग्रनुसार भाटक एवं ग्रधिशुल्क पट्टे ग्रधिकतर कमजोर श्रेणी के व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं।

(2) पिछले दो वर्षों में निम्न प्रकार से खनन पट्टे स्वीकृत किये गये।

वर्ष	ग्रप्रधान खनिज खनन पट्टे	प्रधान खनिज खनन पट्टे	ग्रार. सी. ग्रार. एल. पट्टे	वार्षिक प्रशा० प्रगति विवरण ग्रनुसार
76-77	268	115	1762	
77-78	424	31	3935	

विशेष शर्तें प्रधान खनिज पट्टों की संलग्न हैं।

(3) यह बिन्दु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(शर्तों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूची मुझे उपलब्ध कराई है, वह केवल 14 खनन पट्टों की है। ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। ग्रापने मूलभूत नीति में बताया है कि नीलामी के जरिये से पट्टे दिये जाते हैं। राजस्थान सरकार ने यह नीति निर्धारित की थी कि इसके लिए लाटरी सिस्टम होगा। ग्रापने ग्रब तक प्रैक्टिकल क्या किया है ? ऐसा सुनने में ग्राया है कि ग्रापने जो किया है, वह वापस लेने जा रहे हैं। दूसरा खण्ड (3) में बताया है, शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स को पट्टे प्रदान किये है तो क्या जो डी० ग्राई० ग्रार० ग्रौर मीसा के ग्रन्तर्गत बन्दी रहे हैं ग्रौर जिनकी ग्रार्थिक स्थिति खराब है, उनके बारे में भी कोई नीति है ?

एक माननीय सदस्य : उनमें इनको भी दे दें।

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : ग्रध्यक्ष महोदय, नीति के सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न है। खनिज मन्त्री ने फर्माया है कि पट्टे दो तरीके से दिये जाते हैं। एक मिनरल इण्डस्ट्रीज का ग्रौर दूसरा बिल्डिंग खनिज का। मेरे पास यह किताब है। इसके रूल 29 में यह लिखा हुग्रा है :—

"preferntial right of certain persons :- (1) The rent-cum-royalty leases for all minerals, excluding

(श्री अब्दुल अजीज)
marble, shall be granted to persons belonging to the following categories in the descending order of priority :-

(i) manual workers in the mines,

(ii) presons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes,

(iii) village artisans,

(vi) landless labourers,

(v) ex-soldiers............"

मकराना में जो नीलामी की घोषणा की गई इस नीलामी में जो प्रणाली अपनायी गई है क्या वह मिनरल कन्सेशन्स रूल्स में आती है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने जो पूरक प्रश्न किये हैं, उनके पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि 14 पट्टों की सूची दी गई है, वैसे तो सारे नियम, उपनियम और संविदा की शर्तें और नियम सब एक हैं। लेकिन जो विशेष शर्तों के अधीन दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

दूसरा प्रश्न जो माननीय विधायक का है, रेन्ट कम रॉयल्टी देने के हिसाब से पट्टे दिये जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लॉटरी से देने की व्यवस्था पर राज्य सरकार कायम है और रहेगी और इससे पीछे नहीं हटेगी। इससे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। यह व्यवस्था बहुत सफल हुई है और जोधपुर और बिजौलिया आदि स्थानों पर लागू भी की गई है, वहां पर इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। दूसरी जगह भी खानों के नाप वगैरह करवाये जा रहे हैं, आगे भी यही व्यवस्था चालू रहेगी। आपातकालीन स्थिति के दौरान तानाशाही हुकूमत की खिलाफत करने के लिए जिन लोगों को डी. आई. आर. और मीसा में रखा गया था.......

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : पॉकिट से हाथ बाहर निकालो।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या ?

श्री मदनसिंह दांता : हाथ बाहर निकाल लो।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा।

राज्य सरकार के पास उनको प्राथमिकता के आधार पर सहयोग देने का प्रश्न विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न पूछना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक करके पूछिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्मरण दिलाना चाहता हूं, श्रीमान् को भी स्मरण होगा, पिछली बार भी यह चर्चा उठाई गई थी। मकराना में संगमरमर की जो खानें हैं जो कई सालों से

(श्री कैलाश मेघवाल)

चल रही हैं उन खानों को ऑपरेट करने के लिए, आप पिछली बार का रिकार्ड भी दिखवा सकते हैं, उनका तकनीकी सर्वे करवाया गया था। यह नतीजा सामने आया था कि इनके चलाने के लिए 50 हजार या अधिक की पूंजी चाहिए। इनका वैज्ञानिक खनन नहीं होने के कारण अधिकतर गड़बड़ियां होती हैं। जो नीलामी का निर्णय लिया गया है वह इसी बात को ध्यान में रखकर लिया गया है। जहां पर बड़ी पूंजी की आवश्यकता है वहां पर सेठ और साहूकारों को गरीबों के नाम से बेनामी पट्टे दिये जाकर जो शोषण होता है इसकी इजाजत नहीं दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का पूरा उत्तर सुनने के बाद दूसरा प्रश्न पूछें कृपया।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी विस्तार से इस प्रश्न पर इस सदन में चर्चा हुई थी। उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि गरीबों के माध्यम से सेठों को शोषण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आपको मालूम है, माननीय सदस्य, इस विषय में रिवीजन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। जो मकराना के असंतुष्ट लोग हैं उन्होंने केन्द्रीय सरकार को रिवीजन अपील कर रखी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां से जो भी निर्णय होगा उसकी पालना की जायगी।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है, मुझे एक एक सप्लीमेन्ट्री और पूछना है।

श्री अब्दुल अजीज : रूल्स की अवहेलना करके आपने किस प्रकार नीलामी की है? प्रश्न मेरा यह है। किस कानून के अन्तर्गत खानों की नीलामी की गई? अगर आपको नीलामी करनी थी तो आप कानून बताते।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता। पहले श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि इन खानों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कब तक हो जायगा? इसका सर्वेक्षण हो जाता है तो शराबबन्दी के लिए पैसा मिल सकता है। कब तक आप कर देंगे, यह बता दीजिये?

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेण्ट्री और पूछना चाहता हूं —

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता, फिर माननीय मनोहरसिंहजी और फिर माननीय रामनारायणजी, यदि इच्छा हो तो।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 9-5-78 को राजस्थान में जनता पार्टी बनने के बाद जे. के. सिन्थेटिक को खानों के पट्टे दिये गये, चूने के पट्टे

(श्री कौशल किशोर जैन)

दिये गये और उनको बीस साल की लीज दी गई, जबकि नियमों में केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही यह सुविधा है। यह आपने किस आधार पर दिये, राज्य सरकार को इससे क्या लाभ मिला ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग डी. आई. आर. और मीसा में गये हैं उन्होंने किसी के ऊपर कोई अहसान नहीं किया है। उनको किस बात का मुआवजा दिया जाय ? जो पांच सौ रुपया यहां मिलता है वह ले लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह उनका अपमान करना है। कोई अहसान थोड़े ही किया, किसी प्रकार की मेहरबानी थोड़े ही की है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अगर यह किया गया तो मनोहरसिंह यहां पर बैठकर हड़ताल करेगा।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। आपातकालीन मीसा बन्दियों व डी. आई. आर. बन्दियों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मन्त्री जी, आप आग से मत खेलियेगा। बिजोलिया खानों की ओर कई लोगों की निगाह है। अगर आपने डी. आई. आर. और मीसा वालों को देने की कोशिश की तो मैं यहीं पर धरना दूंगा और हड़ताल करूंगा, इस तरह से पट्टे नहीं देने दूंगा। मैं इनका चौकीदार हूं। लोगों की आंखें हैं। यहीं पर बैठूंगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : मुआवजा किसी ने नहीं मांगा। यह गलत है। इस प्रकार से एक्स्प्लाइट करते हैं तो शर्म आने की बात है।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, यह अपमान है कि ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाय।

(व्यवधान)

बड़ा गंभीर प्रश्न है, इस पर विचार करना होगा। हम पर हुक्म चलाते हैं। कोई बात कहने पर खड़े हो जाते हैं,

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : एक और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मीसा बंदियों को 500) रु० प्रति माह सुविधा दी जाएगी। यह उनका अपमान है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल कोट किया है और सप्लीमेंट्री पूछी है कि इस नियम का वायोलेशन आपने किया है तो उस रूल को ही खतम किया जाए। सरकार को अधिकार है कि रूल को चेंज कर दे। बाकी रूल के रहते हुए इसकी अवहेलना कैसे करा रहे हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : इसमें करोड़ों रुपये का कमिटमेंट है घपला है। इस इश्यू पर आधे घंटे की चर्चा करने के लिए इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय अब्दुल अजीज ने जो नियमों का हवाला देते हुए सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा है, क्या सही है कि नियमों की अवहेलना हुई है ? मंत्री महोदय ।

श्री कैलाश मेघवाल : जयपुर, ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है....

श्री रघुनाथ विश्नाई : जो प्रश्न अध्यक्ष महोदय ने पूछा है, उसका जवाब आप दें ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आपने लाखों रुपये खाए हैं, आपकी बदनीयती है, आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं । यदि यही हालत रही तो आपकी जिंदगी खतरे में रहेगी । I challenge this House.

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या इनको गोली मारी जाएगी ? इनकी जिन्दगी खतरे में कैसे है ?

श्री अब्दुल अजीज : अगर आप लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं तो लोग आपके जीवन को खतरे में डालेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । मंत्री महोदय की बात सुनिए । फिर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं । क्या मंत्री महोदय मेन क्वेश्चन को साइड ट्रैक कर रहे हैं ? यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको पाइंटेड रिप्लाई मिल जाएगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : जिस क्रम में प्रश्न पूछे गए उसी क्रम में मैं जवाब देना चाहता हूं । मैं यहां से प्रारंभ करता हूं ।

जो नियमों का हवाला दिया, उसके साथ आपने यह बात और सुनी होगी कि आपकी जिन्दगी खतरे में डाली जाएगी । माननीय सदस्य को यह धमकी देनी तो नहीं चाहिए थी ।

श्री अब्दुल अजीज : आप लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं तो आपको भी कोई नहीं बख्शेगा ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : सदन का कोई सदस्य इस तरह की धमकी दे ।

श्री टीकमचन्द कांत : यह खुली धमकी है । धमकी देकर लाभ लेने की बात है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक कर के पूछें । श्री कटारिया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : वास्तव में हमारा यह पवित्र सदन है । इसमें इस प्रकार हमारे सम्मानीय सदस्य यह बात कहें कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जायगी........

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैं फिर कहता हूं । यह कोई गुनाह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग्स देखूंगा । यदि कोई आपत्तिजनक बात कही गई है तो एक्सपंज करूंगा ।

श्री टीकमचन्द कांत : एक्सपंज का सवाल नहीं है। जो इस प्रकार सीधी धमकी देते हैं वे इस पद के योग्य हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी माननीय सदस्य को इस सदन के अन्दर किसी की जिंदगी खतरे में डालने की बात करने का अधिकार नहीं है। ऐसी बात जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के प्रतिकूल है। मैं प्रोसीडिंग्स देखकर उचित व्यवस्था इस सम्बन्ध में दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। पहले मन्त्री महोदय का उत्तर तो आने दीजिये। उत्तर सुनिए, इतनी जल्दी क्या है ? मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : जिन नियमों का हवाला दिया गया है, मैंने जैसा मूल प्रश्न के जवाब में निवेदन किया था, दो परिपाटियां प्रचलित हैं, माइनिंग लीज देने की। एलाटमेंट भी किया जा सकता है और नीलामी भी की जा सकती है, यह राज्य सरकार के विवेक पर है। ऐसी हालत में राज्य सरकार ने मकराना की जो 27 खालसा खानें थीं उनकी नीलामी का निर्णय लिया है। राज्य सरकार अपने विवेक से लिए गए निर्णय को उचित मानती है। उस बिन्दु पर वहां के असंतुष्ट खननकर्ता केन्द्रीय सरकार के सामने रिवीजन लेकर गए हैं, उसमें जो भी निर्णय होगा, वह राज्य सरकार मानने को वाध्य होगी।

जयपुर ग्रामीण से आने वाली विधायिका ने जो प्रश्न उठाया, वह शत-प्रतिशत सही है। खनिज सम्पदा की बहुत विपुल धनराशि है। जनता सरकार बनने के बाद पहली बार सारे राजस्थान में वैज्ञानिक आधार पर रिनाइसेन्स सर्वे कराने का निर्णय किया गया है। वह जल्दी से जल्दी करने के बावजूद वैज्ञानिकों ने 1988 तक पूरा करने का निर्णय लिया है। सारे राजस्थान का सर्वे 1988 तक पूरा होगा। यह निर्णय राजस्थान में पहली बार लिया गया है।

मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न उठाया, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मांडलगढ़ की खानों के बारे में वहां की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन हित में जो निर्णय होगा, वही लिया जाएगा। विधायक को कभी भी इस तरह की कार्यवाही करने का मौका राज्य सरकार नहीं देगी।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, मैं निवेदन करूं कि तानाशाही के खिलाफ लड़ने में मीसा व डी. आई. आर. के अन्तर्गत जेलों में गए, मैं उनको पुरस्कार के रूप में देने या कोई अहसान करने या उनका बलिदान तोलने की राज्य सरकार की इच्छा नहीं है। लेकिन यदि व्यवहारिक जीवन में उनको कष्ट है तो उनको सहयोग दिया जा सके, राज्य सरकार इसको अपना पुनीत कर्त्तव्य मानते हुए इस पर निर्णय लेगी। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो जोर जबरदस्ती की धमकियां दी जाती हैं वर्तमान राज्य सरकार ऐसी किसी जोर जबरदस्ती की धमकी के अन्तर्गत कोई अपना निर्णय और विवेक नहीं बदलेगी। जोर जबरदस्ती के शासन का परिणाम आप देख चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मां और बहन की गालियां आपने निकाली हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मां बहन की गालियां निकाली। जनता पार्टी का डेलीगेशन, जो कि मकराना से आया था, को कहा था "ऐसी की तैसी"। यह शब्द इन्होंने बद्रीप्रसाद जी स्वामी को कहे, जनता पार्टी के अध्यक्ष को कहे। आपका व्यवहार और आपका चरित्र यह है, अध्यक्ष महोदय, और आप कहते हैं कि मैंने यह कहा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने यह कहा, आपने लोगों के जीवन को खतरे में डाला तो आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : क्या खनन का कानून है उसको मानेंगे? कोई भी चर्चा जो कि हाई कोर्ट के निर्णय के लिए है उस पर नहीं कर सकते। खनिज के ऊपर हाई कोर्ट में रिट हो रही है इसलिए इस पर मत बोलें।

श्री अब्दुल अजीज : इन्होंने कहा कि 27 खानें हैं और हैं 31....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अब एक सप्लीमेंट्री इस पर होगा।

श्री गुल मोहम्मद।

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री महोदय ने नहीं बताया कि नियमों की अवहेलना हो रही है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इसका उत्तर दिलवाने की चेष्टा करता हूं।

श्री गुल मोहम्मद : फिर श्री अब्दुल अजीज के प्रश्न का उत्तर दिलवाने की चेष्टा करता हूं। आप क्यों इतनी, जल्द-बाजी करते हैं?

श्री नूरा : मंत्री महोदय चैलेन्जबाजी करते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। हम मंत्री महोदय के उत्तर का इन्तजार करेंगे।

श्री गुलमोहम्मद : मेरा यही प्रश्न है कि क्या राजस्थान के अन्दर मकराना के अलावा और कई जगह इस प्रकार की खानें हैं जो नीलाम की गयी हैं? इन्होंने कानूनी आपत्ति उठाई, क्या वह सही है या गलत? इन दो बातों का जवाब दें।

श्री मदनसिंह दांता : यह मामला सब-जुडिस है। हाईकोर्ट में रिट हो रही है, इसका जवाब न दें। यह जजेज को इनफ्लूएन्स करेगा।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गुल मोहम्मद ने जो प्रश्न उठाया और मकराना से आने वाले माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)
विधायक ने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब देने के पहले एक बात और कहूंगा । जे. के. का जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि चूना पत्थर को लाइम स्टोन कहते हैं । यह सीमेन्ट बनाने के काम में आता है । वहां पर जो सीमेन्ट फैक्ट्री बनी है उसके लिए लीज लम्बी अवधि के लिए दी गई है । इस चूना पत्थर याने लाइमस्टोन का उपयोग सीमेन्ट फैक्ट्री में होता है ।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों का किसी तरह का कोई उल्लंघन मकराना की खानों को नीलाम करने में नहीं किया गया है । यह राज्य सरकार का विवेक है । इसके साथ ही....

श्री नूरा : यह सवाल मकराना का नहीं है, यह राजस्थान की खनिज का है ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने दस साल के अन्दर सर्वे की रिपोर्ट आने की बात कही है यह कहां तक उचित है ? इतना लम्बा समय, दस साल का कहां तक हम बर्दाश्त कर सकेंगे ? दस साल बाद आप क्या कर सकेंगे, यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रतन लाल वर्मा का प्रश्न है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं । यह नान टैक्स रेवेन्यू इन्क्रीज करने को प्राथमिकता देने का प्रश्न है । नान टेक्स रेवेन्यू टेप करने का सरकार का पुनीत कर्त्तव्य है । उसको हाइएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए । सन् 88 तक आप रहेंगे या नहीं रहेंगे ? इसकी क्या व्यवस्था होगी ? यह लांग पीरियड प्लानिंग सन्तोषजनक नहीं है, मन्त्री महोदय । इस पर गम्भीरतापूर्वक सरकार विचार करे, मेरा यह अनुरोध है ।

(व्यवधान)

माननीय श्री रतनलाल वर्मा और लक्ष्मण सिंह का प्रश्न ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस बजट को देखते हुए ऐसा लगता है कि पहली बार नान टैक्स रेवेन्यू पिछले बजटों से कम है ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए प्रश्न पूछा है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह जो कमी आई है, इसको लेकर सबसे उत्साही मंत्री के ऊपर ही वार किया जा रहा है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भिनाय से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न पूछा और जिसके साथ आपने भी अपनी भावना मिलाई, आपने दिलचस्पी दिखाई, उसके सम्बन्ध में बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं । यह रिनाइसेन्स पद्धति से सर्वे कराने की प्रणाली है और जो कि ज्योलोजी में फुट वर्क है, इसके लिये जैसा मूल प्रश्न में निवेदन किया था कि कम से कम कितना समय लग सकता है । क्योंकि सारे राजस्थान में हमारे वर्तमान स्टाफ से जियोलोजिस्ट फुटवर्क के आधार पर एक-एक कदम चल कर

(18)

(श्री कैलाश मेघवाल)
वहां मिलने वाली सम्पदा को पकड़ना पड़ता है इसलिए इसमें लम्बा समय लगता है। यह हमारी जनता सरकार ने पहली बार निर्णय लिया है। यह हमारे अधिकारियों के परिश्रम का परिणाम है....

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने पहली बार सारे राजस्थान का रिनाइ-सेन्स सर्वे करने का निर्णय किया। मैं निवेदन कर दूं कि सरकार कोई भी रहे लेकिन राजस्थान रहेगा, देश रहेगा और हमारी यह रिपोर्ट आयेगी और नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अगर चाहे तो टुकड़ों में बांटकर सर्वे करवा सकती है, लेकिन टुकड़ों में बांटकर सरकार सर्वे नहीं करा रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि टुकड़ों में बांट कर सर्वे कीजिए। सरकार का जो बजट है वह शराब बन्दी के कदमों को रोके हुए है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं केवल एक प्रश्न और करना चाहूंगा....

श्रीमती उमला अरोड़ा : मुझे एक मिनट दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या को भी समय दूंगा।

श्री कौशलकिशोर जैन : एक प्रश्न और करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है 500 रुपये प्रति मास का, वह निर्णय गलत है। साधारण कार्यकर्ता 19 महीने जेल में रहा है। 19 महीने हम जेलों में रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : कोई भूखे नहीं हैं। भिखारी मत बनिये।

श्री कौशलकिशोर जैन : जो लोग 6 महीने जेलों में रहे, एम.एल.ए. बन गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं नियम 272 (1) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं "किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।" माननीय मन्त्री जी के खिलाफ मकराना माइन्स के मामले में जो प्रश्न उठाया गया है, वह मामला रिट के जरिये स्टे किया जा चुका है। उसके बावजूद यहां हाउस में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कोई वायोलेशन नहीं किया है।

श्री गुल मोहम्मद।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हुआ है।

श्री एच. एच. शर्मा : आप क्यों वकालत कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया, सरकार का एटीट्यूड यह है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री जी ने यह कहा है कि जो अदालत का फैसला होगा, वे मानेंगे। सरकार उसको मानेगी। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने किया था, उसका उत्तर देकर माननीय मंत्री महोदय ने संतुष्ट नहीं किया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है।

श्री गुल मोहम्मद : एक प्रश्न किया था, क्या मकराना के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री गुल मोहम्मद ने एक माननीय सदस्य के ऊपर यह आरोप लगाया है कि मंत्री जी को पोल्सन लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 'पोल्सन लगाना' शब्द क्या संसदीय है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कह सकती हूं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय को, जिन्होंने सर्वेक्षण का काम शुरू तो करवाया। राक फास्फेट हमारे यहां है फिर भी बाहर से मंगवाते हैं। संयंत्र आ जाने से शत प्रतिशत खनिज काम में आ सकता है। विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : भाषण नहीं....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस सारे काम को अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और इसका पैसा राजस्थान के कामों में लगाया जा सकता है...

श्री अब्दुल अजीज : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय मंत्री जी ने 27 खानों की नीलामी की बात कही। यह नोटिफिकेशन है इसमें 28 खानें हैं। एक खान और खा गये....

एक माननीय सदस्य : कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री अब्दुल अजीज : कैसे फर्क नहीं पड़ता ? इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय का बयान है।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय मंत्री जी ने हिण्डौन के अन्दर नीलामी को रोका है। मैं पूछना चाहता हूं कि दबाव के कारण रोका है ?

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कांत ।

श्री अयूब खां : हो सकता है दो खानों के बीच की दीवार खतम होने से 28 की 27 खानें हो गई हों । मंत्री जी, श्री अजीज साहब दोनों अपने बीच की दीवार खतम कर लें, ताकि सारा झगड़ा समाप्त हो जाय ।

श्री टीकमचन्द कांत : कुछ देर बाद इस संबंध में आप व्यवस्था देने वाले हैं कि मकराना से आने वाले माननीय विधायक ने क्या शब्द कहे हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि वे शब्द एक्सपंज न किये जायें ताकि बाहर की जनता को मालूम पड़े कि कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए किस सीमा तक जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय श्री गुल मोहम्मद ने जो प्रश्न पूछा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में नये इन्जीनियर्स को पट्टे दिये गये हैं । उस सूचना के बारे में अलग से सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा ।

बयाना से आने वाले माननीय विधायक ने पूछा है उसकी पृष्ठभूमि उनको मालूम है । हिण्डौन क्षेत्र में नीलामी करने जा रहे थे, वहां आन्दोलन हुआ, नीलामी करने वालों को रोका गया, उस सारी स्थिति में....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : किसने रोका ?

श्री अब्दुल अजीज : आपने रोका ।

(व्यवधान)

हजम करने के लिये........

(व्यवधान)

कोई और कारण नहीं है । वहां के मजदूर नहीं चाहते, शिड्यूल्ड कास्ट्स नहीं चाहती........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण न करें । मंत्री महोदय पैरों पर है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 28 खानों की 27 खानें हो गई । जो विज्ञप्ति में प्रकाशित हुआ है, वह सही है । इनकी झूठा आरोप लगाने की आदत है........

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैं साबित करूंगा कि कैसे खाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है ।

श्री नूरा : नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : नहीं आया तो सरकार से उत्तर दिलाने का मेरा काम नहीं है ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा स्थित सकतपुरा क्षेत्र में सिंचाई विभाग का बेकार पड़ा सामान

197. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा स्थित सकतपुरा क्षेत्र में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित क्या क्या मशीनरी कब से व कितने मूल्य की पड़ी हुई है ? क्या यह सही है कि उनमें कई मशीनरी व व्हीकल्स (ट्रक) आदि थोड़े खर्चे में काम में लिए जा सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार उन्हें बेचने (डिस्पोजल) का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

इस खण्ड में निम्न वाहनें बेकार हालत में पड़ी हैं :—

(1) पिकअप 6 नं०
(2) जीपें 12 नं०
(3) एक 9 नं०

} सन् 1966 से बेकार हालत में पड़ी हैं।

(4) डकलाध (नाव) (नं०) 1968 से बेकार पड़ी हैं।

(5) टी० डी० 24 ट्रेक्टर 5 नं० 1975 से बेकार पड़ी हैं।

उपरोक्त वाहनों का पुस्तक मूल्य रु० 6 लाख है। यह मशीनें अपनी कार्य-क्षमता से अधिक कार्य कर चुकी हैं। इनमें से एक भी वाहन मरम्मत योग्य नहीं है। डिस्पोजल की कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जय समन्द झील में मछली पकड़ने वाले मजदूरों की मजदूरी

115. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या जन-जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उदयपुर जिले की जय समंद झील में इस वर्ष दिनांक 15-2-79 तक कितनी मछली पकड़ी गई तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह अनुपात कितना है ?

(2) आखेट हेतु बनी हुई सहकारी समितियों के प्रत्येक सदस्य को औसतन दैनिक मजदूरी कितनी मिलती है ?

(3) बिहारियों की बनी हुई समिति के प्रत्येक सदस्य की औसत दैनिक आमदनी कितनी रही ? इसकी मजदूरी के अनुपात में हमारे मजदूर की आमदनी कितनी है ? यदि कम है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की जयसमन्द झील में इस वर्ष दिनांक 18-10-78 से 15-2-79 तक 2,83,000 कि.ग्रा. मछली पकड़ी गई, जब कि गत वर्ष पूरे सीजन में कुल 2,63,000 कि.ग्रा. मछली पकड़ी गई थी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 15-2-79 तक पकड़ी गई मछली का अनुपात 1 : 1·07 का है।

(जनजाति क्षेत्रीय मंत्री)

(2) आखेट हेतु गठित सहकारी समितियों के कार्यरत सदस्यों को प्रति कार्य दिन की औसत मजदूरी 4·68 प्रति सदस्य प्रतिदिन मिली है।

(3) बिहारियों की अलग से कोई समिति बनी हुई नहीं है, करीब 90 मछुए बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से आये हैं, जिनकी औसत आमदनी 16·30 पैसा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रही है। सहकारी समिति के सदस्यों की आमदनी के अनुपात में इनकी मजदूरी का अनुपात 1 : 3·5 रहा। इस कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

1. इस वर्ष 31-1-79 तक की अवधि तक कुल जन दिवस (Man days) 41031 हैं। जिसके मुकाबले में इन सहकारी समितियों के सदस्यों के जन दिवस (Man days) 25293 रहे। इस प्रकार समिति के सदस्यों के कार्य नहीं करने के कारण 15728 जन दिवस (Man days) की हानि हुई है।

2. बिहारियों का मछली पकड़ने का तरीका ऐसा है कि वह उतने ही समय में अधिक मात्रा में मछली पकड़ पाते हैं। क्योंकि मजदूरी का भुगतान पकड़ी हुई मछली की मात्रा पर निर्भर करता है अतः उन्हें ज्यादा मजदूरी प्राप्त होती है।

3. बिहार अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आये हुये व्यक्ति विशेष प्रकार के जालों से मत्स्य आखेट करते हैं।

सहकारी समतियों के सदस्य अधिक आखेट कर सकें इसके प्रयास जारी हैं।

झालरापाटन क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई फसलों को क्षति

116. श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में 1979 में ओलावृष्टि से किन किन गांवों में फसल का नुकसान हुआ ?

(2) ओलावृष्टि से पीड़ित काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा क्या तात्कालिक सहायता दी गई है ?

(3) क्या राजस्व विभाग, सहकारी समिति व भूमि विकास बैंक की वसूलियां प्रभावित क्षेत्रों में रोक दी गई हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार ओलावृष्टि से पीड़ित प्रत्येक परिवार को दो क्विन्टल गेहूं एवं 300/- रु. नगद दे सकती है ?

उत्तर

(1) ओलावृष्टि से झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र की तहसील झालरापाटन में 32 गांवों की फसलों में हानि हुई है। जिन गांवों में नुकसान हुआ है उनका नाम (हानि की मात्रा को आने में दर्शाते हुए) इस प्रकार है :—

6 आने से 8 आने तक

(1) गुवाड़ी कलां, (2) सेंखला, (3) खजूरी, (4) टूंगनी, (5) लाकसल।

8 आने से 12 आने तक

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(1) कंवरपुरा (2) बाचोली (3) रायपुर (4) मुंडेरी (5) धोंगलिया खेड़ो।

12 आने से 16 आने तक

(1) ईसरपुरा (2) डावरिया (3) बड वेली (4) हरीपुरा (5) सलोलिया (6) रंगपाटन (7) गडगच (8) खजूरी-कलां (9) नौथिया खेड़ी (10) मानकुण्ड (11) रूपपुरा (12) मेंहदी (13) बड-बेला (14) पनवासा (15) मोखमपुरा (16) केंववी (17) जिरनिया (18) वृन्दावन (19) गोपालपुरा (20) बालगढ़ (21) किशनपुरा आंतरी (22) गोकुल-पुरा।

(2) ओलावृष्टि से पीड़ित काश्तकारों को सहायता के रूप में जिनका नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हुआ है उनके लगान को स्थगित करने तथा जिन काश्तकारों का नुकसान फसल में 75 प्रतिशत से अधिक हुआ है उन्हें 1 क्विन्टल गेहूं प्रति परिवार दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

(3) जी हां, विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

तहसील सांचोर के अकालग्रस्त ग्राम

117. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर के कुछ गांव पिछले दो सालों से लगातार अकालग्रसित हैं? अगर हां, तो उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में दो सालों से लगातार अकाल ग्रसित होते हुए भी पिछले दो सालों में कोई अकाल राहत कार्य समय पर मंजूर कर शुरू नहीं करवाए गए? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं तो, कौन कौन से गांव में कौन कौन से काम कब कब मंजूर कर कब कब शुरू करवाए गए? ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इस वर्ष तहसील सांचोर में कुल कितने गांव अकाल ग्रसित हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिला जालोर में अकाल ग्रसित गांवों में अकाल राहत कार्यों के लिए दिनांक 29-11-78 की जिला अकाल राहत सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्ताव मंजूर कर मंजूरी हेतु सरकार के पास भेजे गए थे? उन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। ये प्रस्ताव सरकार को कब प्राप्त हुए एवं उन पर सरकार की मंजूरी कब दी गई? उक्त मन्जूरी शुदा कार्यों में अभी तक कितने कार्य कब कब शुरू करवाए गए हैं एवं बाकी मन्जूर शुदा कार्य कब तक शुरू करवा दिए जावेंगे? इतने अर्से तक अकाल राहत कार्य शुरू नहीं करवाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि जिला जालोर के अकाल ग्रसित गांवों की राजस्व एवं सहकारी ऋणों की वसूलियां अभी तक स्थगित नहीं की गई हैं? अगर हां, तो क्यों? अब उक्त वसूलियां कब तक स्थगित की

(अकाल सहायता मंत्री)

जावेंगी ? क्या यह भी सही है कि उक्त अकाल ग्रसित गांवों में दीवानी दावे एवं दीवानी डिक्रियों की वसूलियां भी चालू हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अब वे वसूलियां एवं दावे कब तक स्थगित करवा दिए जावेंगे ?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसील सांचोर के अकाल ग्रसित गांवों में एवं अन्य कुछ गांव में पीने के पानी का बड़ा भारी संकट है ? अगर हां, तो उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त पीने के पानी के संकट वाले गांवों में टैन्करों द्वारा पीने के पानी का बन्दोबस्त कब तक करवा दिया जावेगा ? बाकी गांवों में पीने के पानी का कब तक क्या बन्दोबस्त किया जावेगा ?

(6) तहसील सांचोर के एवं जिले के अन्य अकाल ग्रसित गांवों में सस्ते अनाज के लिए अब तक क्या बन्दोबस्त किया गया है एवं भविष्य में कब तक क्या क्या बन्दोबस्त किया जावेगा ?

(7) क्या यह भी सही है कि तहसील सांचोर के नेय्यड क्षेत्र में पिछले अकाल वर्षों के लघु सिंचाई क्रास बांध लूनी नदी क्षेत्र में अधूरे एवं टूटे फूटे पड़े है ? अगर हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उनमें ठीकरिया उठवा प्रथम बांध भी क्या अभी तक टूटा हुआ पड़ा है ? अगर हां, उन टूटे हुए एवं अधूरे बांधों को इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के रूप में प्राथमिकता के तौर पर क्या सरकार पूर्ण करवाना उचित समझेगी ? अगर हाँ, तो वे कार्य कब तक मन्जूर कर शुरू करवा दिए जावेंगे ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) नहीं यह सही नहीं हैं। सम्वत् 2034 की खरीफ फसल के खराबे के कारण सन् 1977-78 में तहसील सांचोर में कोई गाँव अभावग्रस्त घोषित नहीं था परन्तु 35 ग्राम जिनकी सूची संलग्न है, में आवश्यकता को महसूस करते हुये निर्देश दिये गये थे कि उनमें विशेषतौर पर राहत कार्य खोले जाने की आवश्यकता महसूस की गई थी और कार्य करवाने के आदेश दिये गये थे। इस वर्ष साँचोर तहसील के 55 ग्रामों 50 प्रतिशत तथा उससे अधिक सावणी फसल में खराबे की रिपोर्ट जिलाधीश से प्राप्त हुई है जिनकी सूची संलग्न है।

(2) यह सही है कि इस वर्ष राहत का कोई कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। क्योंकि पूरे राज्य में कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर कार्य शुरू किये गये हैं तथा प्रत्येक पंचायत को पूर्ण अधिकार दिये गये हैं कि इस योजना में चाहे जितने कार्य छोटे बड़े शुरू कराये जा सकते हैं इस कारण प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्य मिल सकें उसी के अनुसार ग्रामों में कार्य किये जा रहे हैं।

(3) जिला अकाल राहत समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची संलग्न है। जिन पर अभी तक राहत के लिये कोई कार्य शुरू नहीं करवाया गया अब तक राहत के कार्य शुरू नहीं कराये जाने का कारण ऊपर दिया जा चुका है।

(अकाल सहायता मन्त्री)

(4) हाँ, यह सही है लेकिन अब वसूलियां आदि को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया है।

(5) जी नहीं। सांचौर तहसील के सिर्फ 4 गाँवों में पेयजल की कमी की रिपोर्ट जिलाधीश ने दी है जिनकी सूची संलग्न है। उपरोक्त गाँवों को पेयजल वास्ते दो टैंकर आवंटित कर दिये हैं, बाकी गाँवों में आवश्यकतानुसार वक्त पर व्यवस्था कर दी जावेगी।

(6) अभी तक सस्ते अनाज की दुकान खोलने व सस्ते अनाज के लिये बन्दोबस्त करने के लिये आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। इस प्रकार की कोई माँग नहीं आई है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो जिलाधीश की रिपोर्ट आने पर व्यवस्था कर दी जावेगी।

(7) नेय्यड़ क्षेत्र में कुल 26 क्रास बाँध बने हैं जिसमें से 6 क्रास बाँध अधिक वर्षा से टूट गये थे। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। जिसमें से एक कार्य गोपी क्रास बाँध के, मरम्मत का कार्य चल रहा है और चार बाँधों की मरम्मत करने की योजना बनाई जा रही है। हठवा प्रथम (ठीकरिया) क्रास बाँध मरम्मत कराने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है। अकाल राहत कार्य शुरू करवाते समय इन टूटे तथा अधूरे बाँधों को प्राथमिकता दी जावेगी।

राशमी क्षेत्र की सड़कें

118. श्री मांगी लाल (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार का अनुसूचित जाति क्षेत्र के राशमी से कारोई, राशमी से गंगरार, राशमी से अमेरगढ़, राशमी से गंगापुर, गंगरार से बरसी सड़कें तैयार कराने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और अगर नहीं तो, क्यों? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना में निम्न सड़कें प्रस्तावित है :—

(1) राशमी से कारोई

(2) राशमी से गंगरार

(3) मरमी एप्रोच रोड

(4) राशमी आरनी सड़क

इस वर्ष राशमी से कारोइ सड़क स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका कार्य प्रगति पर है। राशमी से गंगरार सड़क पर कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष रुद ग्राम तक बन जाने की सम्भावना है। हमीरगढ़ राशमी सड़क हमीरगढ़ की तरफ से बनाने के आदेश दिए हुए हैं जिसका कार्य प्रगति पर है। राशमी से गंगापुर तथा गंगरार से बस्सी तक सड़क बनाना विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटन योग्य भूमि

119. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर में भूमि आवन्टन के लिए कुल कितनी भूमि उपलब्ध थी और

(श्री मूलचन्द डागा)
है और उनमें से कितनी भूमि आज तक आवन्टन कर दी है और इस भूमि आवन्टन के लिये क्या राज्य सरकार ने कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त भूमि के आवन्टन में उन लोगों को भी भूमि मिलेगी जिनके पास पहले ही काफी जमीन है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के प्रथम चरण में प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्ष 1970–71 के अनुसार 13·40 लाख एकड़ भूमि सिंचित कृषि योग्य (सी० सी० ए०) उपलब्ध थी। इसमें से सिंचाई विभाग से प्राप्त चकप्ताल के अनुसार चकों में आने वाली कमाण्ड कृषियोग्य 12·29 लाख एकड़ भूमि थी। पूर्व के खातेदार स्थाई भू धारकों के अधीन 1·94 लाख एकड़ भूमि थी, शेष कृषि योग्य कमाण्ड भूमि में से 9·37 लाख एक भूमि का स्थाई आवंटन किया जा चुका है। तथा अकृषि कार्य (आबादी) आरक्षण एवं भूदान बोर्ड आदि की 0·22 लाख एकड़ भूमि के संबंध में स्थगनादेश आदि है। बची हुई भूमि में से 0·55 लाख एकड़ भूमि छोटे टुकड़ों में से है। बची हुई भूमि का आवंटन अन्त्योदय परिवारों को किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने भूमिहीन व्यक्तियों के आवंटन हेतु राजस्थान पब्लिकेशन (रा० न० परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) निगम, 1975 बनाये हैं, जिन के अधीन आवंटन कार्यवाही चालू है। इन के अलावा निम्न निगम शर्तें हैं, जिनके अधीन भी ऊपर वर्णित भूमि का आवंटन हुआ है।

1. राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालिस) के गैर अधिकारी को पूर्ण आवंटन शर्तें, 1970

2. राजस्थान उपनिवेशन (पोंगबांध विस्थापितों को) रा० न० यो० क्षे० में राजकीय भूमि आवंटन) नियम, 1972

3. राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण राजस्थान नहर क्षेत्र में कुछ रियायतें नियम, 1965

4. राजस्थान शौर्यपदक (नकद पुरस्कार और भूमि आवंटन) नियम, 1966

5. राजस्थान (मृत प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को विशेष सहायता) नियम, 1963

संबंधित नियमों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर पूर्व में ही समय समय पर रख दी गयी हैं।

(2) जी नहीं, भूमि आवंटन हेतु सीमा निर्धारित है। भूमिहीन व्यक्ति के पास अगर पूर्व में भूमि है तो उसकी गणना करते हुए निर्धारिक सीमा 25) बीघा कमाण्ड तक पूर्ति करते हुए आवंटन किया जाता है। गैरदाखिलकारी शर्तों के अधीन पूर्व के अस्थाईधारण की भूमि का सीलिंग सीमा तक आवंटन किया गया था इसलिये पहले की जमीन को सीलिंग निर्धारण के लिये सम्मिलित किया गया था। अन्य नियमों में भी पहले की जमीन की आवंटन के समय गणना की जाती है। 1975 के नियमों के

(उपनिवेशन मंत्री)
अधीन उन व्यक्तियों को कोई आवंटन नहीं किया गया जिनके पास पहले से ही काफी जमीन है।

राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण हेतु स्वीकृत राशि

120. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण के कार्य हेतु वर्ष 77–78 में कुल कितना बजट स्वीकार किया गया ?

(2) उक्त बजट की राशि अप्रैल, 77 से फरवरी, 78 तक कुल कितनी किस मद में खर्च की गई ?

(3) मार्च, 78 में कुल कितना रुपया किस मद में खर्च किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण के कार्य हेतु वर्ष 1977–78 में प्रारम्भ में स्वीकृत बजट 1400 लाख रुपये था। पुनः नियोजन के बाद कुल स्वीकृत बजट राशि 1330.24 लाख रुपये रह गयी थी।

(2) उक्त बजट की राशि में से माह अप्रैल, 77 से फरवरी, 78 तक निम्न–लिखित मदों में खर्च की गई थी:–

	(लाख रुपयों में)
1. संस्थापन	1,32.92
2. कार्य	2,07.28
3. मशीनरी तथा उपकरण/औजार	1,52.55
4. निलम्बन(शुद्ध) (ससपेंस)	1,05.92
5. पूंजी लेखे में प्राप्तियां और वसूलियां (–)	3.56
योग:	5,95.11

(3) मार्च, 78 में निम्नलिखित मदों में राशि खर्च की गई:–

	(लाख रुपयों में)
1. संस्थापन	40.80
2. कार्य	5,04.75
3. मशीनरी तथा (–) उपकरण/औजार	30.65
4. निलम्बन(शुद्ध)	2,10.42
5. पूंजी लेखे में प्राप्तियां और वसूलियां(–)	2.38
कुल योग	7,22·94

उपरोक्त राशि में 92·96 लाख रु. भी शामिल है जो मार्च (फाइनल) व मार्च (पूरक) में समायोजित किये गये थे।

गंगानगर जिले के ईंट के भट्टे

121. **श्री गुरशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्री गंगानगर जिले में कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में प्रत्येक में कितने ईंट भट्टे संचालित हैं ? तथा कितने कितने उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत हैं ?

(श्री गुरशरण छाबड़ा)

(2) क्या कृषि भूमि में संचालित ईंट भट्टे का पंजीयन विभाग ने भू-स्वामियों के नाम पर किया है या अन्य फर्मों के नामों पर किया है ?

(3) प्रत्येक ईंट भट्टे को पिछले 2 वर्षों से अब तक कितना कितना कोयला दिया गया है ? कोयले की मात्रा अलग-अलग दिये जाने का क्या कारण है ?

(4) राजस्थान लघु उद्योग निगम ने गत 2 वर्षों से अब तक किन-किन रेल मार्गो से कोयला मंगाया है ? किसी मार्ग से कम मंगाया है, तो कारण क्या है ?

(5) क्या राजस्थान लघु उद्योग निगम ने इस कोयले के वितरण के लिए एजेन्ट नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो उसका कमीशन क्या है ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में 85 भट्टे अकृषि भूमि पर और 116 भट्टे कृषि भूमि पर हैं। इन कुल 201 भट्टों में से 168 भट्टे उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत हैं।

(2) ईंट भट्टा का पंजीयन भू स्वामियों के नाम किया गया है अथवा भू स्वामी द्वारा बनाई गई भागीदार फर्म के नाम है। फर्म में भू स्वामी का भागीदार होना अनिवार्य है।

(3) वित्तीय वर्ष 1977 में कुल 52,179.93 मैट्रिक टन कोयला दिया गया है एवं वित्तीय वर्ष, 1978 में कुल 8504.540 मैट्रिक टन कोयला वितरण किया गया है, जिसकी विस्तृत सूचना संलग्न तालिका-अ-पर अंकित है। निगम, निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा स्पोंसर्ड मात्रा निर्धारित करने के उपरान्त ही आवंटन करता है, जो भिन्न-भिन्न होती है।

(4) जिले में रेल मार्ग द्वारा देहली सराय (डी. एस. एस.) श्री गंगानगर(एच. एम.के.) एवं मीटिंग (पी. टी. वाई.) से कोयला उपलब्ध हुआ है।

जिस मार्ग से कोयला भेजा जाता है वह मार्ग निदेशक, रेल परिवहन द्वारा निर्धारित किया जाता है। निगम उपरोक्त तीनों मार्गों से ही कोयले की मांग करता है।

(5) कोयले के वितरण के लिए निगम का कोई अधिकृत एजेन्ट नहीं है। कलकत्ता में मैसर्स नरेश कुमार कोल सेल्स प्रा० लि० कोल सप्लायर निगम का अधिकृत एजेंट है, जो कि सर्विसिंग एजेन्ट के रूप में कार्य करता है, जिसे निगम द्वारा 49 पैसा प्रति मै० टन कमीशन दिया जाता है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व अभियान में निपटाये गये मामले

123. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्ष के 2 राजस्व अभियानों में राज्य के अन्दर भूमि सम्बन्धी कितने मामलों का निबटारा किया गया ?

(श्री कौशलकिशोर जैन)

(2) राज्य में उक्त अभियानों के अंतर्गत कितनी जमीन गरीब तथा भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित की गई ?

(3) कितने नाजायज कब्जे तथा छोटी पट्टी के मामले नियमित किये गये तथा उसके अन्तर्गत कितनी कृषि योग्य भूमि आई ?

(4) राज्य में सीलिंग में प्राप्त कुल कितनी जमीन है तथा दोनों अभियानों में उसमें से कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(5) भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत अव्यवस्था के कितने मामले इन केम्पों में ठीक किये गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्व अभियान वर्ष 1977 के दौरान 1,32,831 मामले, राजस्व अभियान, 1978 के दौरान 10,70,227 मामले, इस प्रकार कुल 2398608 मामले निपटाये गये। सूची संलग्न है।

(2) राज्य उक्त राजस्व अभियानों के अन्तर्गत नौन कमाण्ड क्षेत्र में 98,367, भूमिहीन काश्तकारों को 2,45,906 एकड़ भूमिहीन एवं कमाण्ड क्षेत्र में 1,854 भूमिहीन काश्तकारों को 35,653 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। विवरण संलग्न है।

(3) गत दो राजस्व अभियानों में अतिक्रमण के 552459 मामले निपटाये गये इनमें से 478254 मामलों में वेदखली के आदेश हुए जिनमें 712097 एकड़ भूमि थी। छोटी पट्टी के निपटाये गये नाजायज कब्जों की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

(4) राजस्व अभियान वर्ष 1977 के प्रारम्भ ही के पूर्व सितम्बर, 1977 के सीलिंग कानून के अन्तर्गत कब्जे में लिये गये क्षेत्रफल में से 208780 एकड़ भूमि आवंटन से शेष थी। इसमें से राजस्व अभियान वर्ष 1977 में तीन कमान्ड क्षेत्रों में 1823 भूमिहीन व्यक्तियों को 1360 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। इसी प्रकार कमाण्ड क्षेत्र में 544 भूमिहीन व्यक्तियों को 2027 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। राजस्व अभियान 1978 के प्रारम्भ होने से पूर्व सीलिंग कानून के अन्तर्गत कब्जे में दये गये क्षेत्र में से 187396 एकड़ भूमि आवंटन से शेष थी जिसमें से राजस्व अभियान 78 के दौरान नौन कमाण्ड क्षेत्र में 1016 भूमिहीन व्यक्तियों को 24559 एकड़ कमाण्ड क्षेत्र में 257 भूमिहीन व्यक्तियों को 636 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया।

(5) भू प्रवन्ध से सम्वन्ध रखने वाले मामले अभियान के दायरे में नहीं थे।

सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।

मंदिर श्री एकादश विद्यालय श्री भूथामल जी संघी लाल बाजार आमेर के एक भाग पर अनधिकृत कब्जा

124. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री एकादश विद्यालय श्री भूथामल जी संघी लाल बाजार आमेर (जयपुर) की पश्चिम दीवाल से आमेर निवासी एक श्री हुनुमान सहाय ताम्बी **आत्मज श्री बद्रीनारायण ताम्बी द्वारा** एक मकान का निर्माण अवैध

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
रूप से कब्जा करके कराया गया है और बीच में कोई गली या स्थान भी नहीं छोड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि मन्दिर के पुजारी श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा इसकी शिकायत मुख्य मन्त्री राज. को रजिस्ट्री संख्या 1792 दिनांक 26-7-77 से तथा स्वायत्त शासन मंत्री को रजिस्ट्री संख्या 1793 दिनांक 26-7-77 के द्वारा की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत संचालक, पुरातत्व विभाग, राजस्थान को रजिस्टर्ड पत्र संख्या 1385 दिनांक 14-4-77 तथा 1668 दिनांक 21-6-77 के द्वारा की गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत कमिश्नर, देवस्थान, उदयपुर को रजिस्टर्ड पत्र संख्या 1892 दिनांक 22-5-77 तथा सहायक कमिश्नर, देवस्थान, जयपुर को रजि. पत्र सं. 1861 दिनांक 22-6-77 के द्वारा की गई थी ?

(5) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस पश्चिमी द्वार की ओर कथित निर्माण कराये गये मकान के बीच एक गली का प्रावधान रखा गया है, लेकिन उस गली के आगे की ओर से खाली पत्थर चुने जाकर बन्द कर दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जिलाधीश जयपुर को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने को लिखा गया। यह मन्दिर देवस्थान विभाग के अधीनस्थ नहीं है।

(6) यह मामला नगरपालिका से संबन्धित है। कार्य क्षेत्र देवस्थान विभाग का नहीं है। फिर भी आयुक्त देवस्थान विभाग ने प्रशासक नगरपालिका से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा है।

जिला जयपुर में कार्यरत तहसीलदार

129. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में कितने तहसीलदार हैं जिनका गृह जिला भी यहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) सरकारी कर्मचारियों को गृह जिला में रखने का क्या उद्देश्य है ? क्या इसका पालन किया गया है ?

(4) किस किस तहसीलदार का कब कब स्थानान्तरण कहां के लिए हुआ ?

(5) जयपुर जिले के तहसीलदारों के तबादले किस मापदण्ड से किये और बाद में किस मापदण्ड से रद्द किये ?

(श्री रामकरण सिंह)

उत्तर

(1) जिला जयपुर की समस्त तहसीलों में ऐसा कोई व्यक्ति तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं कर रहा है, जिसका ग्रह जिला जयपुर ही हो। लेकिन अन्य विभागों में 4 व्यक्ति ऐसे पदस्थापित हैं जिनका ग्रह जिला भी जयपुर है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) गृह जिले में तहसीलदार को न लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह स्वतन्त्र रूप से बिना प्रभावित कार्य कर सके। इसका यथा सम्भव पालन किया जा रहा है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) सूची संलग्न है।

(5) तहसीलदारों के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखकर ही किये जाते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज के कार्य

130. **श्री श्योपत सिंह मकासर** (हनुमानगढ़)––क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज में अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ तथा आज तक कितना लाभ या हानि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस इण्डस्ट्री के सेन्टर कहां कहां हैं तथा वहां कितने लोगों को रोजगार दे रखा है ?

(3) इसमें कितनी मशीनरी चालू हालत में है तथा कितनी खराब हैं और कितनी बेकार हो चुकी है ?

(4) इस इण्डस्ट्री ने मशीनरी के अलावा और कौन कौन से कार्य अपने हाथ में लिये हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर को 31-3-78 तक समाप्त हुए वर्षों में कुल 37,47,102 रुपये की हानि हुई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन ने मशीन हायरिंग के अलावा इम्पलीमेंट्स का बनाना व बेचना, ट्रैक्टर के पुर्जे बनाना व बेचना, कम्पोस्ट खाद बनाना व बेचना, ट्रैक्टर, रासायनिक खाद, पौध संरक्षण यंत्र, कीटनाशक दवाइयां, ट्रैक्टर के पुर्जों का बेचना, हवाई छिड़काव करवाना तथा पम्प सैट बेचना व लगाने का कार्य हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमाधारी, तकनिशयनों, को प्रशिक्षण देने के बाद उनके कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करना।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कृषि उपज मण्डियों की आय

131. **श्री अजीत सिंह** (टौंक):–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य की कृषि उपज मण्डियों की समस्त रकम एक स्थान पर इकट्ठी होती है ? यदि हां, तो कितनी राशि अब तक इकट्ठी हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त राशि का उपयोग किस प्रकार करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(3) राज्य की संबन्धित मण्डियों के क्षेत्रों के विकास में उक्त राशि का उपयोग क्यों नहीं किया जाता ?

(4) क्या राज्य सरकार ने सड़क निर्माण पर 60% खर्च करने का विचार त्याग दिया है ?

(5) टौंक कृषि उपज मंडी में कितना रुपया जमा है और उस का क्या उपयोग विभाग करना चाहता है ? सूची एवं वर्ष-वार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जो भी राशि मण्डी समिति के पास एकत्रित होती है, उसका अधिनियम की धारा 19 के अनुसार मण्डी समिति अपने प्रशासनिक व्यय, मण्डी के विकास एवं मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के विकास हेतु खर्च करती है।

(3) मण्डी समिति की बचत की राशि सम्बन्धित मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्र के विकास में ही खर्च की जाती है।

(4) जी नहीं। प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा अपने प्रशासनिक व्यय के उपरान्त बची हुई राशि का 60% मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जाता है।

(5) कृषि उपज मण्डी समिति, टौंक के पास दिनाङ्क 28–2–79 को 5·97 लाख रुपये जमा थे। उक्त राशि को मण्डी समिति की आवश्यकतानुसार नये मण्डी यार्ड के निर्माण तथा क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों पर व्यय किया जायेगा। मण्डी समिति के पास गत वर्ष में जमा राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

लघु सिंचाई योजना में एनिकटों का महत्व

132. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल): –क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लघु सिंचाई योजना में एनिकटों का भारी महत्व है ?

(2) क्या हर खेत को पानी लघु सिंचाई योजना से दे सकते हैं ? क्या लघु सिंचाई योजना हर खेत के पास कुआ हो तभी अधिक सफल हो सकती है ?

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

(3) क्या यह सही है कि कुओं के स्रोतों के लिए एनिकटों का ही एक मात्र उपयोग है ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति में इसके लिये बजट में फण्ड न होने के कारण वन सरकार के पास इसकी कोई व्यवस्था होने के कारण पुराने बने एनिकटों की व्यवस्था बिगड़ रही है जिनका भारी उपयोग है ? अगर हां, तो सरकार इसके लिये क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) एनिकटों की महत्वता तब होती है जब नदी या नालों में जल प्रवाह रहे।

(2) जी नहीं।

सिर्फ योजना के सिंचित क्षेत्र में ही पानी उपलब्ध कराया जा सकता है

(3) जी नहीं।

एनिकटों द्वारा फ्लो सिंचाई भी हो सकती है। कुओं के स्रोत के लिये एनिकट एक माध्यम हो सकता है।

(4) यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं।

काछोला क्षेत्र की कुन्डया खाल पर बांध

133. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़):–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में काछोला प्रमुख कस्बों में से एक है ? यहां की जमीन बड़ी उपजाऊ है पर कुओं में पानी नहीं है और कुऐ बहुत गहरे तथा सिंचाई का और साधन नहीं है ?

(2) क्या पूरे काछोला क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिये कुन्डया खाल को बंधवाना अत्यन्त जरूरी है ?

(3) क्या यही सही है कि कुन्डया खाल बन्ध से कुओं में काफी जल हो जायगा तथा पड़ी हुई जमीन में सिंचाई होने लगेगी ?

(4) टेक्नीकल दृष्टि से यदि योजना पर कुछ अधिक भी खर्च आता हो तो क्या हजारों आदमियों के लाभ के लिये और किसानों की सेवा के लिये प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार को इस योजना को हाथ में लेना आवश्यक नहीं है ?

(5) वर्षों से भारी मांग होते हुए भी अब तक राज्य सरकार ने इस योजना को हाथ में क्यों नहीं लिया है तथा अब कब तक हाथ में लेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि एवं कुओं की गहराई तथा जल स्तर का विवरण सिचाई विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) कुण्डया खाल पर बांध बनवाने से काछोला क्षेत्र के आंशिक भाग की स्थिति सुधरेगी।

(3) जी हां।

(4) इस बांध की उपयोगिता सर्वे व प्राक्कलन के बाद ही मालूम होगी।

(सिंचाई मन्त्री)

(5) इस योजना को सर्वे हेतु हाथ में लिया जा रहा है।

जमवा रामगढ़ क्षेत्र के स्वीकृत बांध व एनिकट

134. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़):–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे::–

(1) क्षेत्र जमवा रामगढ़ में इस वर्ष कौन कौन से बांध व एनिकट स्वीकृत किये गये हैं?

(2) पण्डों? बांध का कार्य क्यों नहीं चलाया गया?

(3) ग्राम घीरास व माथा सूला तह. जमवा रामगढ़ का पानी क्यों नहीं निकाला गया?

(4) तहसील जमवा रामगढ़ में सिरोही बांध के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) क्षेत्र जमवा रामगढ़ में इस वर्ष पण्डों के कार्य के लिए प्रावधान रखा गया है।

(2) कार्य चालू करने से पहले प्रशासनिक एवं तकनीकी प्राक्कलन स्वीकृत होने आवश्यक है। इन प्राक्कलनों पर कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) इन देहों (डिप्रेशन) से पानी निकालने हेतु सर्वे की जा रही है।

(4) सिरोही बांध सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

दांता रामगढ़ पंचायत समिति को ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

136. **श्री रामदेव सिंह** (घोद):–क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दांतारामगढ़ पंचायत समिति जिला सीकर में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्कीम कब लागू हुई थी? क्या यह सही है कि इस पंचायत समिति के कुछ ग्रामों को इस स्कीम में सम्मिलित नहीं किया गया था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार शेष ग्रामों को इस स्कीम में सम्मिलित करके विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1974-75 में। जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। शेष ग्रामों में से 22 मण्डल के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम में ले लिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें!

बामनवास क्षेत्र की विद्युतीकरण की योजना

137. **श्री कुंजीलाल** (बामनवासी)–क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कुन्जीलाल सारस्वत)

क्या बामनवास विधान सभा क्षेत्र (जो अनु. जन. जाति के लिये आरक्षित क्षेत्र है) की पूर्ण विद्युतीकरण योजना के लिये राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो अब तक किन किन ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है एवं कौन कौन से ग्रामों की स्वीकृति के लिये आवश्यक प्रक्रिया चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक चालू होगी ? विवरण सदन की मेज रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं। बामनवास विधान सभा क्षेत्र में लगभग 241 ग्राम हैं जिनमें से 25 ग्राम पहले से विद्युतीकृत हैं, 9 ग्राम मण्डल के सामान्य कार्यक्रम तथा 118 ग्राम नादोती एवं बोंली पंचायत समितियों के आर० ई० सी० योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हो चुके हैं। अन्य कोई स्वीकृत कार्यक्रम नहीं होने के कारण कुछ भी कहना संभव नहीं है।

भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

138. **श्री सुरेश कुमार** (भरतपुर) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र की घुस्यारी, चिकसाना और एक्टा ग्राम पंचायत क्षेत्र के गावों का कब तक विद्युतीकरण पूरा कर दिया जायगा ?

उत्तर

कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है। अतः कुछ कहना संभव नहीं है।

सवाई माधोपुर जिले के विधानसभाई क्षेत्रों के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

140. **श्री उमराव सिंह गूजर** (महुआ) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले के किन-किन विधानसभाई क्षेत्रों में कितने कितने सब-सेन्टर्स खोले गये हैं ? उनका स्टाफ अभी तक सी. एम. ओ. के आफिस में ही क्यों काम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है ?

(2) महुआ क्षेत्र के अनेक गांवों में भवन बनने तक गांव वाले पक्का मकान देने को तैयार हैं फिर भी स्टाफ नहीं पहुंचा है। क्या अब सावधानी बरती जाकर ये शिकायतें कब तक दूर की जावेंगी ?

उत्तर

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार प्रति 10 हजार जनसंख्या पर एक उप केन्द्र खोलने की नीति है, जिसके अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 7 उप केन्द्रों के अलावा निम्न उप केन्द्र और स्वीकृत किए गए थे :—

विधान सभाई क्षेत्र	**स्वीकृत उप केन्द्र**
1–करौली	4
2–सपोटरा	4
3–खण्डार	1
4–बामनवास	7
5–सवाईमाधोपुर	4
6–गंगापुर	2

(श्री (चिकित्सा मंत्री

7–हिन्डौन	4
8–महुग्रा	3
9–टोडाभीम	3
10–बोंली	3
योग	35

प्रत्येक उप केन्द्र पर एक ए० एन० एम० व एक सायंकालीन कर्मचारी का पद स्वीकृत है। प्रशिक्षित ए० एन० एम० की है अतः अभी स्वीकृत स्थानों पर भवन निर्माण के कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं व ए०एन०एम० उपक्रम करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। जैसे जैसे प्रशिक्षित ए०एन०एम० उपलब्ध होती जावेगी, नव निर्मित भवनों में पद स्थापित किया जायगा। यह सही नहीं है कि उपकेन्द्रों का स्टाक सी० एम० ग्रो० के ग्राफिस में कार्यरत है।

महुग्रा क्षेत्र के ग्रामों में भवन के पक्के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रशिक्षित ए०एन० एम० उपलब्ध होते ही उप केन्द्र चालू कर दिये जावेंगे।

जिला जयपुर में नर्सों के स्वीकृत पद

144. **श्री रामेश्वर प्रसाद गूजर** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर में कितने पद नर्सों के स्वीकृत हैं ?

(2) जयपुर शहर में कुल कितने पद नर्सों के स्वीकृत हैं ?

(3) इस समय कितनी नर्सेज अकेले जयपुर शहर में कार्यरत हैं तथा ये कहां कब से कार्य कर रही हैं ?

(4) कितनी ऐसी नर्सें व कम्पाउन्डर हैं जिनका वेतन जयपुर ग्रामीण से उठता है और वे जयपुर शहर के अन्दर अस्पतालों में ही कार्यरत है ?

(5) इस अनियमितता के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में विभिन्न चिकित्सालयों के अन्तर्गत नर्सों के 894 पद स्वीकृत हैं।

(3) वर्तमान में जयपुर शहर में पुरुष व महिला नर्सेज जो कार्यरत हैं, उनकी संख्या 719 है।

(4) वर्तमान में केवल एक कम्पाउन्डर व एक प्रसाविका का वेतन जयपुर ग्रामीण से उठाया जाता है। जिसका कारण वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में भवन के अभाव का होना है। इन दोनों कर्मचारियों का पदस्थापना एडपोस्ट सुमेल है जहां पर भवन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है

(5) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं है।

राज्य में खनिज निगम

149. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बन्शी लाल सारस्वत)

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में अलग से स्वतन्त्र राजस्थान खनिज निगम बनाने का सोच रही है ?

(2) क्या भारत के अन्य राज्यों में निगम बने हुये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे निगम का सवसर्वा किसी प्रशासनिक अधिकारी को अथवा किसी तकनीकी विशेषज्ञ को विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अलग से स्वतंत्र खनिज निगम बनाने का निर्णय लिया जा चुका है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) मामला विचाधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

खनिज पट्टा क्षेत्र में बनाये जाने वाले मकान

150. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अप्रधान खनिज रियायती नियमों के अनुसार खनिज पट्टाधारी द्वारा निर्मित मकान जो कि खनिज पट्टा क्षेत्र में बनाया जाता है, वह खनिज पट्टा की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सम्पत्ति होती है ?

(2) यदि हां, तो सोजत तहसील में 1955 से दिसम्बर, 1978 तक चूने व पत्थर की खानों के पट्टा क्षेत्र में कौन से मकान पट्टाधारियों ने बनाये, जो खनिज पट्ट की समाप्ति पर सरकार ने अपने कब्जे लिये ?

(3) सोजत तहसील में 1955 से 1978 तक कहां कहां किस किस के नाम के किस समय के लिये चूने के पत्थर की लीज थी ? उनके नक्शे सीमा सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) प्रश्न के भाग 2 में अगर कोई भवन सरकारी कब्जे में नहीं लिया गया है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सोजत तहसील में 1955 से ग्राम अटबड़ा एवं मंडला में 10 वर्ग मील के दो खनन पट्टे क्रमशः श्री गुलाब सिंह के पक्ष में स्वीकृत थे-ये खनन पट्टे क्रमशः 6-6-61 व 1-6-68 को समाप्त हुये। ग्राम अटवडा क्षेत्र के स्वीकृति पट्टे के रेकार्ड के अनुसार क्षेत्र में कोई मकान इत्यादि पट्टाधारी का होना नहीं पाया जाता है। ग्राम मंडाला क्षेत्र जो सर्व श्री केशवसिह शिवजीसिह के नाम स्वीकृतया सउ पट्टे की अवधि (क्षेत्र के पार्टी द्वारा अध्यर्पण करने पर) दिनांक 1-6-68 से राज्य सरकार की मंजूरी पर समाप्त हो गई, तदनुसार दिनांक 4-6-68 को क्षेत्र का कब्जा ले लिया गया। कब्जा रिपोर्ट के अनुसार कोई मकान कब्जे में नहीं लिया गया।

(3) सूची एवं नक्शे संलग्न हैं।

(खनिज मन्त्री)

(4) क्योंकि खनन पट्टे को संविदा में शर्त संख्या 5 (4) के अनुसार बरबक्त लेने कब्जों क्षेत्र जायजात को तत्काल कब्जे में लेने का प्रावधान नहीं था। इसलिये उस समय नहीं लिया गया।

(सूची एवं नक्शा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ओपन कास्ट माइन्स

151. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि अप्रधान खनिजों का खनन ओपन कास्ट माइन्स से दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ओपन कास्ट माइन्स योजनाबद्ध तरीके से खोदी जाना राष्ट्र हित में जरूरी है, ताकि जमीन की गहराई का खनिज भी आसानी से खनन किया जा सके ?

(3) क्या यह भी सही है कि मौजूदा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार व विभाग खनन पट्टाधारियों को योजनाबद्ध तरीके से खनन कार्य करने को बाध्य कर सके, जो किया जाना राष्ट्र हित में जरूरी है ?

(4) क्या सरकार राष्ट्रीय खनिज सम्पदा को विनाश से बचाने हेतु व खनन पट्टाधारियों के खनिज प्राप्ति के तात्कालिक ध्येय को सामने रख कर अव्यवस्थित व अवैज्ञानिक रीति से खनन को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) खानों से निकाला हुआ वेस्ट मेटेरियल ऐसी जगह डलवाया जाय ताकि नये लीज देने में सरकार को कठिनाई न हो इस बाबत सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां।

(2) हां।

(3) अप्रधान खनिज खनन पट्ट की संविदा में ऐसा प्रावधान है।

(4) इस बारे में यथासम्भव कार्यवाही की जाती है।

(5) निरीक्षण के दौरान यथासम्भव इस बात का ध्यान रखा जाता है।

जिला अलवर में खनिजों के ठेके

152. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

जिला अलवर में कौन कौन से खनिज कहां कहां पर निकाले जाते हैं तथा किन किन ठेकेदारों को लीज पर कब से कितनी कितनी अवधि के लिऐ खानें दी गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जिला अलवर में प्रधान खनिजों में तांबा अयस्क वैराइटीज फैल्सपार, सोपस्टोन,

(खनिज मन्त्री)
चायनाप्ले खनिज मुख्य रूप से निकाले जाते हैं। अन्य प्रधान खनिज जिनका खनन थोड़ी मात्रा में होता है वे हैं–कैलसाइट, डोमोमाइट, पायरक्ले, क्वार्टर और स्लेटस्टोन। अप्रधान खनिजों की स्थिति, ठेकेदारों का नाम जिनको लीज पर दी गई है। लीज की अवधि सूची इसके साथ संलग्न है। (सूची) (अ)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

मकराना क्षेत्र की संगमरमर की खानें

153. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना, बोरावड़, गुणावती व अन्यत्र कितनी खानें मकराना क्षेत्र में संगमरमर की कार्यरत हैं? इन खानों में से कितनी खानें बापी यहां की हैं? तथा राज्य सरकार ने इन बापीदारों को क्या अधिकार दिये हैं व उनसे क्या कर, लगान आदि वसूल करती है। कृपया पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इन बापीदारों ने बापी क्षेत्र में अधिक कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है?

(3) शेष खानें किस आधार पर दी गई हैं?

(4) अब योजना बनाकर कितनी नवीन खानें लीज अथवा अन्य प्रणाली से दी जाने को हैं?

(उत्तर)

(1) मकराना, बोरावड, गुणावती के कुल क्षेत्र में 599 मार्बल की खानें कार्यरत हैं। जिनमें से 487 खानें रेन्ट कम रायल्टी लीजेज पर हैं तथा 112 खानें बापी हैं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 व 1977 के नियमों के अन्तर्गत बापी अधिकारों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। राज्य सरकार द्वारा कर लगान के रूप में रेन्ट व रायल्टी वसूल की जाती है। बापी खान मालिकों द्वारा विभाग को किसी प्रकार का रेन्ट या रायल्टी नहीं दी जाती है। किन्तु विभाग का एक विभागीय अधिशुल्क संग्रह नाका लगा हुआ है जिस पर मकराना से बाहर जाने वाले मार्बल पर रायल्टी वसूल की जाती है। यह रायल्टी मुख्यतः मार्बल का खरीददार ही चुकाता है। इस प्रकार बापी खान मालिकों से तो नहीं लेकिन उनके द्वारा बेचे गये मार्बल की रायल्टी वसूल हो जाती है।

(2) मकराना क्षेत्र में बापीदारों के पास 112 बापी खानें हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 8,54,392 वर्ग फीट है क्योंकि बापी अधिकार राज्य सरकार द्वारा मान्य नहीं है। अतः उक्त समस्त क्षेत्र अतिक्रमण बापीदारों द्वारा किया हुआ है।

(3) शेष (बापी खानों के अलावा) 87 खानें आवण्टन पद्धति से रेन्ट कम रायल्टी लीज पर आवंटित की हुई है।

(4) फिलहाल राज्य सरकार द्वारा कुछ पुरानी खानें रेन्ट कम रायल्टी लीज पर रेन्ट तय करने के लिये नीलाम की गई हैं।

केशोरायपाटन क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियां

155. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त सहकारी समितियों में कौन कौन अध्यक्ष व मंत्री हैं ? यदि इन अध्यक्ष एवं मन्त्रियों में से किसी के नाम समिति का ऋण बकाया है तो सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें कि इस प्रकार के कौन से अध्यक्ष एवं मन्त्री हैं तथा वे कौन कौन सी समितियों के हैं एवं कितना ऋण कब से बकाया है ?

(उत्तर)

(1) केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र में 33 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) उक्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं मन्त्रियों के नाम, उनकी ओर बकाया ऋण राशि, कब से बकाया है का पूर्ण विवरण प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में आगामी 1 अप्रेल से शराबबन्दी लागू न करने के फलस्वरूप की जा रही भूख हड़ताल, प्रदर्शन व सत्याग्रह के विषय में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के प्रबन्धकों द्वारा उनके साथ मजदूर यूनियनों के बीच हुए समझौते का पालन नहीं किये जाने के विषय में।

(3) सर्व श्री अब्दुल अजीज, नूरा, अब्दुल हादी, अयूब खां, जेठमल बरड़, गंगाराम चौधरी, रामेश्वर लाल चौधरी, हंसराज, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान वक्फ बोर्ड के राजस्थान सरकार में 5 करोड़ रुपयों की बकाया राशि का भुगतान न करने के विषय में।

(4) श्री समर्थ लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले में सम्पूर्ण मार्गों का राष्ट्रीयकरण गत जनवरी माह से कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास जानकारी के लिये भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली तहसील में डाकुओं के आतंक के कारण गत कुछ महीनों से काफी खान मजदूरों के बेकार हो जाने के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव जिन पर मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं :—

(1) **श्री नूरा**—रूरल इन्स्टीट्यूट उदयपुर के कर्मचारियों की गत 50 दिन से हो रही हड़ताल।

(2) **श्री श्योपत सिंह मकासर**–राजस्थान खादी संघ के कर्मचारियों द्वारा आगामी 19 मार्च से की जाने वाली हड़ताल।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका कोई पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि बजट पर जो वाद विवाद होता है, उसी के अन्दर सारे माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है। इस वक्त वे अपने क्षेत्र की कुछ बातें भी कह सकते हैं।

श्रीमती नारंगी देवी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। पहले माननीय सदस्य टीकम चन्द कान्त का व्यवस्था का प्रश्न है। पहले उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लें, उसके बाद आपका व्यवस्था का प्रश्न आयगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : अतः बजट पर बहस प्रारम्भ हो। यही ऐसा समय है जिसमें राजस्थान के 100 विधायक थोड़े बहुत अंशों में अपनी बात कह सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं है। जो पुराने विधायक हैं, जो ज्यादा तेज हैं, जो ज्यादा होशियार हैं वे स्थगन प्रस्ताव के जरिये से, किसी भी प्रकार से अपनी बात कह सकते हैं इसलिये मैं कहूंगा कि जो दो बजे से आगे जीरो आवर बढ़ता रहता है वह नहीं बढ़ाना चाहिये क्योंकि फिर माननीन सदस्यों को कुछ कहने का समय नहीं मिल पाता है। राजस्थान का प्रत्येक विधायक अपनी बात कह सके इसलिये दो बजे के बाद जीरो आवर नहीं बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उत्पन्न किया वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण विषय अवश्य है जिसके सम्बन्ध में मेरी पूर्ण सहानुभूति है। माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, उसका मैं यथा सम्भव प्रयास कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त क्या कहूं, मेरी विवशता भी आप ही समझ सकते हैं। कल क्या नहीं हुआ था ?

श्रीमती नारंगी देवी।

श्रीमती नारंगी देवी : अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न पूछा जाय उस पर जो व्यवस्था दी जाय वह सम्बन्धित मंत्री महोदय को भी दी जाय ताकि मंत्री महोदय तैयार होकर आये और अपने प्रश्नों का सही सही जबाब दें। जब इधर के माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और हमारे मंत्री महोदय जवाब नहीं दे सकते हैं तो अव्यवस्था फैलती है। इसलिये मैं निवेदन करूं....

(श्रीमती नारंगी देवी)

(व्यवधान)

सम्बन्धित मंत्री महोदय को भी इस बात के लिये आग्रह किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वित्त, कर एवं आबकारी मंत्री जी का ध्यान उनके स्टेटमेंट व सार्वजनिक रूप में जनता के सामने सम्मेलनों में भिन्न भिन्न स्थानों पर जो घोषणाएँ की हैं........

श्री शंकर लाल : घोषणाओं के बारे में भी व्यवस्था दे दें ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : उन्होंने तो कह दिया कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपस में बात न करें और करें तो ऐसे करें जिससे व्यवधान नहीं हो।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय यह कह रहे हैं भूख हड़ताल करूंगा। इनको तो अध्यक्ष महोदय, समझाइये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं तो समझ गया। इन्होंने सन्तोषप्रद उत्तर दे दिया है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने धमकी दी तो मैं भूख हड़ताल करूंगा।

श्री अध्यक्ष : इतने माननीय सदस्यों को मैं क्या कह सकता हूँ ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भिन्न भिन्न स्थानों पर जनता के सम्मेलनों में इन्होंने घोषणायें की थी कि एक अप्रैल, 79 से शराबबन्दी कर दूंगा। यह बजट भाषण में आप देख लेना। यह भी कहा था कि या तो मैं मंत्री पद पर रहूँगा नहीं वरना 1 अप्रैल, 79 से पूरी शराब बन्दी लागू कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमें दुख है मास्टर आदित्येन्द्र जी, जो स्वतन्त्रता सैनानी हैं, जो सर्वोदयी हैं, जिनके वचनों को हम समझते थे कि पक्के हैं, इस तरह का स्टेटमेंट आने पर सारी जनता में खुशी हुई और आशा थी कि जब माननीय वित्त मन्त्री जी अपना बजट भाषण पढ़ेंगे तो इस प्रकार की घोषणा कर देंगे। इनके पूरे भाषण को हम शान्ति से सुनते रहे। मैं समझता था कि शायद अन्तिम लाइनों में घोषणा कर देंगे। किन्तु आखिर में वह सवाल आया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, इनकी घोषणा शराब बन्दी की न सुनकर जनता में बड़ा भारी असन्तोष हुआ, मुझे ही नहीं हुआ उधर बैठने वाले माननीय सदस्य मनोहर सिंह जी मेहता को भी बहुत दुख हुआ है। अब बहुत से माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये आपका ध्यान आकर्षित किया है और इसलिये किया है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं करनी चाहिये थी। वे वित्त मंत्री के पद पर थे, उनको घोषणा करने से पूर्व सोचना चाहिये था कि बाद में इसकी क्या स्थिति होगी, लॉ एन्ड आर्डर बिगड़ेगा। केवल उन्होंने गोकुल भाई को खुश करने के लिये घोषणा कर दी, क्योंकि वे आमरण अनशन पर बैठ रहे थे। मेरा निवेदन है कि आप भी बैठ जाइये।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उनके साथ बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग आज दिन तक संघर्ष करते आ रहे हैं। उन्होंने तो भूख हड़ताल शुरू कर दी और यह सुनकर हमें बड़ा दुख है कि आपने शराबबन्दी की घोषणा नहीं की।

आप और आपकी सरकार कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करते रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार यह नहीं कर सकी और हमने यह कर दिया, वह कर दिया और हमने यह चमत्कार कर दिया। अयूब खां जी कह रहे थे मुझ को अखबार बता कर कि हमारी सरकार ने यह चमत्कार कर दिया, इस तरह से बहुत ही भारी कारीगरी दिखाई है और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है........

श्री मदनसिंह दांता : They were making us first April fools.

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आपके समक्ष एक अप्रैल की बात कही गई है। एक अप्रैल को फूल बनाने की परम्परा है तो आपने तो पहले ही फूल बना डाला। इतने दिन पहले ही फूल बना दिया जनता को और हमें बहुत खेद का विषय है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : जनता पार्टी को भी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये जनता पार्टी को भले ही फूल बनाये लेकिन हमको फूल बनाने की कोशिश नहीं करें। हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य है कि आपके साथी गोकुल भाई जो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं उनकी जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं पहुंचे, इसलिए आप शराबबन्दी की 1 अप्रैल से घोषणा कर दें।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में मोरारजी भाई ने गुजरात में इलेक्शन कराने के लिए आमरण अनशन किया था। उस आमरण अनशन को तुड़वाने के लिए इन्दिरा गांधी ने इलेक्शन करवाया। इलेक्शन में हमारी हार हुई, लेकिन उन्होंने मोरारजी भाई की जान बचाई थी, इस बात की तो आप दाद देते हो या नहीं ? इस बात को तो मंजूर करोगे या नहीं ? सब कुछ खतरा उठा कर अपनी पार्टी को नाराज कर उन्होंने उनकी जान बचाई थी। तो अध्यक्ष महोदय अगर गोकुल भाई का आमरण अनशन हुआ और उसमें उनको कुछ हो गया तो उसका सारा दोष आपके सिर पर मांडा जाएगा और आपका काला मुंह हो जायगा।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब आपने भट्ट जी को जेल में डाला था तो उस समय कहां गए थे........

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय चौधरी साहब, आप इन्दिरा गांधी की बात करते हैं........

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : इन्दिरा-गांधी के राज में गोकुल भाई भट्ट को जेल में रहना पड़ा था। उनको ही नहीं लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, उस वक्त आपकी जुबान क्यों बन्द थी ....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने तो सेक्रेटेरियट में धारा 144 लगा कर सैकडों लोगों को जेल में डाल दिया है। यह आपके सामने क्या हो रहा है ....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : गोकुल भाई को जेल में डाला था इसको मंजूर करते हो या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इन्दिराजी की क्या बात कहते हो ? आपने जनता पार्टी के बहुमत के बल पर इन्दिराजी को गिरफ्तार किया और उनको जेल में डाल कर लाखों लोगों की जन भावनाओं को ठेस पहुंचायी । उसके लिये क्या कह रहे हो ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : गोकुल भाई भट्ट को बैड एलीमेंट कह कर जेल में डाला था....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं जब भी बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो ये बार बार खड़ी हो जाती हैं....

श्री अयूब खां : शराबबंदी हो या नहीं हो, या फटाफट हो, क्या चाहते हैं ? इनमें से आप कौन सी बात चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपकी बराबर घण्टी बज रही है और ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये भी बोलना चाहते हैं तो इनको भी समय दीजिए लेकिन मेरा समय क्यों खराब किया जा रहा है। इन्होंने काल अटेंशन मोशन दिया हो तो इन सब को समय दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को टटोलें, आत्मा क्या बोलती है आपकी....

श्री सूरजपालसिंह चौधरी : आत्मा भटक गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप याद करें, एक अप्रैल के दिन को जिस दिन मेरा नान आफिशियल संकल्प था, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। वह संकल्प दो सत्र से पेंडिंग है। आपका जवाब अभी तक नहीं हुआ है। पहले तो आपने टाक आउट कर दिया और मुझ को कह दिया कि कर देंगे। अगर आप शराबबन्दी नहीं कर सकते तो छोड़ कर चले जाइये जनता में। मोरारजी भाई का जब कि आप पर हाथ है, मोरारजी भाई आपके ऊपर हैं और उन्होंने कह दिया की मैं, मास्टरजी, पूरी क्षतिपूर्ति कर दूंगा तो फिर मुख्य मंत्री की दखलन्दाजी क्यों है ? हमको तो ऐसा लगता है कि ये आपको जस लेने देना नहीं चाहते। मुख्य मंत्री जी स्वयं जस लेंगे और आपको बाई पास कर देंगे, मुझे तो यही खतरा नजर आता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि अगर 1 अप्रैल को गोकुल भाई की भूख हड़ताल शुरू हो गई तो क्या होगा ? भूख हड़ताल तो अभी से शुरू हो गई है, जगह जगह पर राजस्थान

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के अन्दर आन्दोलन हो रहे हैं। आप इन्दिरा गांधी की इमर्जेंसी की बात करते हो लेकिन आपने भी सैंकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया है, आप गोली काण्ड कर रहे हो, छात्रों को मारा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सेक्रेटेरियट में 144 धारा लगा दी है और कर्मचारियों का दमन करना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : आपने कितनी बार गोली चलाई ? अपने पीछे बैठे मंत्री से पूछो....

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : वह तो जो होना था हो गया। कहवत है कि 'बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि ले।'

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये क्या बात कह रहे हैं, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तीस साल तक लोगों को गोलियों से भूनते रहे हैं। यह बहुत गलत बात है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने बहुत गलत बात कही है। आपने जनता के साथ क्या नहीं किया था....

श्री रघुनाथ विश्नोई : तभी तो आप यहां आ गए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर हमारी सरकार गलती करेगी तो हम समझा देंगे....

श्री रघुनाथ विश्नोई : समझाओ।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : आपकी सरकार आपसे समझने वाली ही नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपराध करता है वह भी पापी है जो बर्दाश्त करता है वह भी पापी है। दोनों ही पापी है। जिन्होंने अपराध किया था वे अपराध करते रहे, आप बर्दाश्त क्यों करते रहे....

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम कभी इस तरह से बोलते नहीं थे। हमने कभी प्रदर्शन उनके साथ नहीं किया। आप रोज प्रदर्शन करते थे, जैसा आप विरोधी पक्ष में बोलते थे आप भूल गये क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रदर्शन करते हैं तो वाजिब मांगों के लिए करते हैं। जो आपने किया उसको कभी भूल नहीं सकते। आप कई बार गलत काम करते हो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बहुत हो गया, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तोड़ फोड़ भी आप ही करवाते हो। पहले भी आप ही करवाते थे। हमने देश की रक्षा की है। अब भी तोड़ फोड़ आप ही करवाते हो....

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा तरस आता है, जब कुम्हार से कुम्हारी कब्जे में नहीं आती है तो गधे के कान पकड़ता है। जब कुम्हार के कब्जे में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कुम्हारी नहीं आती तो वह जाकर गधे के कान ऐंठता है। यही काम ये उजला जी कर रही हैं। इनकी सरकार में तो चलती नहीं, उसका गुस्सा हमारे पर उतारती हैं। इसके लिए तो आपके मंत्री ही बहुत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि उजला जी बीच में दखलन्दाजी नहीं करें तो एक मिनट में बहस खतम हो सकती है और आगे की कार्यवाही पर आ सकते हैं।....

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अपने आप पर आपने यह कहावत अच्छी उतार ली ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौन सी ?

श्री गुल मोहम्मद : मैं तो अपने मुंह से नहीं कह सकता लेकिन जो आपने कही वही अपने आप पर उतार ली।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आप पर उतरती है या हम पर उतरती है, यह तो आप ही सोच लें।

मैं कह रहा था कि यह मामला बहुत डेलीकेट है। आपकी घोषणा है उस घोषणा के खिलाफ आप कभी काम मत करिये। आपने खुद ने कहा था कि मैं शराब की इनकम से विकास करना पसन्द नहीं करता। मोरारजी ने भी यही कहा था तो मोरारजी से पैसा लाकर इसको लागू कर दो। पहले बजट में आपने शराब वाली बात कही थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने दूसरी बात कही थी कि इतने करोड़ वह दे देंगे तो इसको लागू कर देंगे। अब प्रधान मंत्री साहब ने भी कह दिया कि पैसे दे देंगे फिर शराबबन्दी लागू क्यों नहीं करते हो ? अभी से भूख हड़ताल पर लोग बैठ गए हैं, 1 अप्रैल से गोकल भाई बैठेंगे तो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब होगी। फिर आप सुसाइड के नाम पर लोगों को उठा उठा कर भागोगे और जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाकर जूस पिलाओगे। इससे अच्छा है आप शराबबन्दी की आज ही घोषणा कर दें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो इसका फैसला करवा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां : नशाबन्दी के पीछे आपका राजनैतिक मकसद लगता है, समाज सुधार नहीं !

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : आप और माथुर साहब भी इसमें शामिल हो जाइये। भूख हड़ताल पर बैठिये तब शराबबंदी होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनकी क्या चलती है सरकार में ? सरकार तो आपकी है।

श्री मदनसिंह दांता : अगर आपकी सरकार यह चाहती है कि हम भूख हड़ताल करेंगे तो वह शराबबंदी कर देगी तो हम निश्चित रूप से भूख हड़ताल करेंगे। पहले आप यह सरकार से कहलवा दीजिए कि हम भूख हड़ताल करेंगे तो वह शराबबंदी की घोषणा कर देगी।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें, सब ठीक होगा। आप निराश नहीं होंगे।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : प्राण जाए पर वचन न जाए। वित्त मंत्री जी आप तो गांधीवादी हैं।

श्री मदनसिंह दांता : रघुवंशी तो भैरोसिंह हैं। उनकी क्या घोषणा है? वे तो ना कर रहे हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : पहले जो महापुरुष होते थे वे अपने वचनों का पालन करते थे। उसी तरह से आप भी अपने वचनों का पालन करिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए। पराकाष्ठा होने दीजिए।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने बड़े जोर शोर से कहा है धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, बंटाधार हो जायगा। क्या आप गोकुल भाई को सात दिन भूखे रख कर फिर घोषणा करना चाहते हैं? क्या यह आपकी इच्छा है? करनी है तो पहले ही कर दीजिए। गोकुल भाई को क्यों भूखा रखना चाहते हो?

श्री रतनाराम चौधरी : उनकी बहुत वृद्धावस्था है, इसका भी ख्याल रखिए।

श्री मदनसिंह दांता : आप कह रहे हैं, धैर्य रखिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। फिर क्या भय है आपको? What is your policy? Please, come out....

श्री अध्यक्ष : जो मास्टर साहब को कहना था, वह कह दिया। बड़े शान से कहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन में बहुत शान के साथ कहा है, माननीय सदस्य धैर्य रखें, सब ठीक होगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि शराबबंदी होगी और निश्चित रूप से होगी। इसका मतलब निश्चित तौर से यह भी होता है कि शराबबंदी होने पर मुख्य मंत्री इस्तीफा देंगे। यह कन्ट्रावर्सी चल रही है। गोकुलभाई शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैं इतनी रेवेन्यू नहीं कमा सकता दूसरे सोर्स से इसलिए उन्होंने यह ऐलान किया है कि शराबबंदी पर हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हालात क्या है? शराबबंदी निश्चित रूप से मास्टर जी की राय में होने वाली है। इसकी घोषणा बहुत जल्दी ही होने वाली है। मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या होगा, यह तो हम को बता दो। मुख्य मंत्री भी पुराने सूर्यवंशी हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय खेतसिंह जी पहले यह बताइये कि आप पीना बंद कर रहे हैं या नहीं?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा

(श्री रामनारायण चौधरी)

का मैनेजमेन्ट 19-2-79 को सब यूनियनों के साथ किये गये समझौते को भंग कर रहा है, उस सम्बन्ध में मैंने ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित किया था ग्रौर ग्रापसे यह निवेदन किया था कि श्रम मंत्री से इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करवाई जाये। मैंने यह भी निवेदन किया था कि श्रम मंत्री कानून की धारा 10 ए के तहत एक राजकीय ग्रादेश प्रसारित करें।

मान्यवर, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स में....

श्री ईश्वर चन्द्र : ग्रध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इस सम्बन्ध में एक क्वेश्चन रेज किया था कि जो विषय, चीजें सदन में ग्राने वाली हैं, जिन पर बहस होने की प्रत्याशा है, जो बजट की मांग पर होने वाले वाद-विवाद में उठाई जा सकती हैं, उन विषयों को यहां पर उठाकर सदन का, हमारा बहुमूल्य समय क्यों बरबाद करने का माननीय सदस्य को मौका दे रहे हैं ? इस पर ग्राप व्यवस्था दें।

श्री मदनसिंह दांता : इसकी इजाजत दे दी गई है।

श्री नूरा : नियमों के ग्रन्तर्गत ही यह विषय उठाया जा रहा है।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : व्यवस्था हो चुकी है। क्या बार बार व्यवस्था दी जाय ?

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स के मैनेजमेन्ट ने वहां के मजदूरों, जिनकी संख्या ढाई-तीन हजार है, के साथ किये गये करार को नहीं मान कर के उनके ग्रन्दर ग्रसन्तोष पैदा कर दिया है। मैनेजमेन्ट, मान्यवर, यह कह रहा है कि इस समझौते से बाध्य नहीं है। वह एसोसिएशन का मेम्बर नहीं है, इस कारण से वह इस समझौते का पक्षधर नहीं है। इससे वहां के मजदूरों में बहुत भारी ग्रसन्तोष है। हो सकता है कि मजदूर सत्याग्रह करें, हड़ताल करें। इससे, मान्यवर, देश का प्रोडक्शन रुकेगा। मान्यवर, मैनेजमेन्ट जो दलीलें पेश कर रहा है वे थोथी दलीलें हैं। उनका यह कहना है कि उनकी मिल घाटे में चल रही है। मान्यवर, मिल घाटे में नहीं चल रही है। मिल सन् 1960 से लेकर 1970 तक जब राजस्थान सरकार की देख-रेख में चलाई गई थी, उस दरम्यान में इस मिल ने मुनाफा कमाया था, वह मुनाफा करीब डेढ़ करोड़ रुपये का कमाया था। वापिस जब यह मिल मैनेजमेन्ट को दी गई तो उसको 50 लाख का मुनाफा था। ग्राज भी यह मिल मुनाफे में चल रही है। इससे पहले गत वर्ष माननीय श्रम मंत्री जी ने एक समझौता करवाया था ग्रौर सरकार की ग्रोर से एक ग्रादेश निकाला गया था 10 ए के तहत कि यह मिल, सभी मिलें राजस्थान की टैक्सटाइल्स मिल्स 28·50 रुपये का बोनस ग्रनिवार्य रूप से ग्रपने मजदूरों को देंगी। वह बोनस भी यह मिल नहीं दे रही है। इस ग्रादेश को नहीं मान कर के सिर्फ 13·50 रुपये महीने का बोनस मजदूरों को दे रही है। मान्यवर, श्रम मंत्री द्वारा दिये गये ग्रादेश का पालन करने के लिए ये मिल बाध्य है, उनका पालन यह मिल नहीं कर

(श्री रामनारायण चौधरी)

रही है। अब 50 रुपये प्रति मजदूर को बोनस देने का निर्णय समझौते के अन्दर हुआ है। टैक्सटाइल्स एसोसिएशन के साथ मजदूरों की सभी यूनियनें, सी. पी. आई., सीटू, एटक, बी. एम. एस. इन्टक हैं। इस गवर्नमेन्ट समझौते की पार्टी लेबर कमिश्नर भी हैं। इस समझौते में इस मिल के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उसके बाद वह मिल उस समझौते को, जो मजदूरों के साथ हुआ है, जो मजदूरों के साथ करार हुआ है, उसको नहीं मान रही है, बोनस को खाती चली जा रही है. बहाना कर रही है कि घाटा है। माल-मलीदा सेठ खा रहे हैं और मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं, श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 10 ए के तहत जो आपको अधिकार है कि आप हस्तक्षेप करें और मजदूरों का जो हिस्सा है वह दिलायें। आपके श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में, उनकी मध्यस्थता में जो समझौता हुआ था उसका पालन करवाना न केवल आपका कर्त्तव्य है बल्कि कानूनी दायित्व भी है ताकि हमारे यहाँ प्रदेश में लेबर अनरेस्ट नहीं बढ़े। भीलवाड़ा के २।।–३ हजार लेबरर्स को बोनस नहीं मिले, उन्हें सत्याग्रह करना पड़े, स्ट्राइक करनी पड़ी, इन बातों से बचने के लिये मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्थिति को स्पष्ट करें। राज्य सरकार के अधिकारों के तहत मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को पावन्द करें कि समझौते की पालना करे और 50 रुपये प्रति मजदूर के हिसाब से बोनस देने के लिये जैसा कि तय किया गया है और जो कि टैक्सटाइल मिल ने मान लिया है उसे अदा करे।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के मार्फत जो चिन्ता व्यक्त की है मजदूरों के प्रति, वह सही है और सम्यक् है उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। सरकार के पास जो कायदे कानून के तहत, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो भी पावर्स हैं वह इस्तेमाल की जायेंगी। पिछले दो साल से टैक्सटाइल्स मिल में 50–50 रुपये की बढ़ोतरी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, देश के दूसरे राज्य, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में इन दो सालों में कहीं भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका श्रेय टैक्सटाइल की लेबर, यूनियन्स को भी जाता है और अधिकारियों को भी जाता है....

श्री मूलचन्द डागा : और आपको भी जाता है।

श्री केदारनाथ : पिछले साल आदेश दिया गया मगर टैक्सटाइल मिल के मालिक ने हाई कोर्ट से स्टे लिया। उन्होने 13) रु. का पेमेन्ट किया 15) रु. नहीं किये। इसके बाद दो बार मैंने कोशिश की मगर मिल मालिक नहीं माने। उनका कहना है कि वर्क लोड बढ़ाया जाय फिर बढ़ोतरी करेंगे। मैंने अपनी ओर से कह दिया कि आप 10 तारीख को पेमेन्ट कर दीजिये। अगर वर्क लोड कम है तो उसको पूरा किया जायगा मगर पहले आपको पेमेन्ट करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज दो बजे मीटिंग बुलाई है ताकि सरकार एक्शन लेने के पहले प्रोसीडिंग में ले ले। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जायगा। ट्रेड यूनियन्स जो काम कर रही हैं वह मान्यता प्राप्त हैं और दूसरी भी हैं वे हड़ताल का रास्ता न लें। सरकार आपके साथ है, हम

(श्री केदार नाथ)
आपके साथ हैं। हम रास्ता निकालेंगे, यह मेरा निवेदन है आपसे।

श्री माधोसिंह कछवाह : यह तो कोई जवाब दिया मंत्री महोदय ने। कितना साइलेंट है सदन।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वक्त वक्फ बोर्ड काफी घाटे में चल रहा है और उसकी हालत बहुत खराब रही है। ऐसी स्थिति है कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है और वक्फ बोर्ड के बहुत सारे केसेज अदालतों में चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपने वकीलों को उनकी फीस भी नहीं दे पा रहा है। वकील ऐसी अव्यवस्था में काम कर रहे हैं इसलिए दूसरी पार्टियों से समझौता कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड बराबर हार रहा है जिससे वक्फ बोर्ड को काफी हानि हो रही है। सरकार का यह फर्ज है कि किसी का भी पैसा चाहे किसी के ऊपर निकलता है उसे सरकार अदालत से दिलावे या किसी और तरीके से दिलावे। सरकार का यह दायित्व होता है कि वह बकाया पैसों को दिलावे लेकिन यहां उल्टे सरकार के ऊपर वक्फ बोर्ड के 5 करोड़ रुपये निकलते हैं और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि सरकार को यह पैसा वक्फ बोर्ड को देना चाहिये, ताकि वक्फ बोर्ड अपनी व्यवस्था को सुधार सके। बस इतना ही मेरा अर्ज करना है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड के तहत माइनोरिटीज के मसाइल वक्फ की जायदादों की रक्षा, जो हमारे पुराने धार्मिक स्थान हैं उनकी रक्षा की वक्फ बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड उसी तरह है जैसे और दूसरे बोर्ड सरकार बनाती है। वे अपनी जिम्मेदारी भलीभांति निभाते हैं। उनके कानून भी बनाये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस वक्फ बोर्ड का भी कानून है। जब से वक्फ बोर्ड बना है राजस्थान में 1962 से मैं आपको अर्ज करूं अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 1962 कर्मचारी वक्फ बोर्ड में काम कर रहे थे आज केवल) कर्मचारी उसमें घट कर रह गये हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन राजस्थान की जनता सरकार की ओर से मनोनीत किये गये हैं, जिन्हें राज्य की मान्यता है और माइनोरिटीज के मसाइल के लिये कानून की हैसियत रखते हैं। वह इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार उनको संरक्षण देगी। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त 375) रुपये वक्फ बोर्ड के पोते में है। जो प्रेस कांफ्रेंस उन्होंने बुलाई उसमें चर्चा की। दिल्ली के अखबार 'दावत' में बोर्ड की बड़ी मजाकपूर्ण स्थिति का जायजा छपा है, राजस्थान पत्रिका आदि राजस्थान के तमाम अखबारात ने भी सारी स्थिति पर अपनी रोशनी डाली है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि करीब 3 करोड़ की राशि, जो कि राज्य सरकार में किराये के माध्यम से हमारी बकाया है, तत्काल दिलाई जाय। अध्यक्ष महोदय, यदि और किसी आदमी के खिलाफ कोई बात होती तो कानून का पक्ष लेते लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड राज्य सरकार की ओर से मनोनीत है और राज्य सरकार

(श्री अब्दुल अजीज)

उसकी देख-रेख के लिये कानून के अन्तर्गत काम करती है इसलिये सरकार का दायित्व है कि तमाम की तमाम राशि बोर्ड को दिलावे । अध्यक्ष महोदय, यह तमाम मुस्लिम वर्ग के मसाइल की बात है । चाहे दरगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो किसी तरह से राज्य सरकार ने उन पर कब्जा किया है तो उसका किराया जो बकाया है वह देने की भी कृपा करें । करीब 89 ऐसी जायदादें हैं जिन पर राज्य सरकार ने कब्जा कर लिया है, कहीं पर अपनी इमारत बना ली है, न कोई डीड है और न रेन्ट डीड लिखा गया है । चेयरमैन साहब ने ये ख्यालात प्रेस के सामने जाहिर किये कि मैं इस्तीफा दूं या क्या करूं ? माइनोरिटीज यह समझती है कि बोर्ड उनके हित में काम करेगा उसको चलाने के लिये केवल 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड ने जो पुराने वजीफे बकाया हैं, जो स्कूल बोर्ड के वजीफे से चलते हैं, उन को भी बोर्ड आज वजीफा देने की हालत में नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बेबसी की हालत वक्फ बोर्ड की बन गई है । वह अपने आपको इतना कमजोर पा रहा है । 375) रुपये उसके पास रह गये हैं । उस पर कर्जा है वह लाखों की तादाद में बताया गया है इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे बहुत अफसोस है कि आज सदन में वक्फ मंत्री जी नहीं है । उचित तो यह था कि आपस में बैठ कर वोर्ड को संरक्षण दिया जाता, बोर्ड के चेयरमैन को बुला कर बात करते । उसकी तमाम बातों को समझने के लिये बड़े दिमाग की जरुरत है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, अगर इसको गौण रखा तो इसके चेयरमैन इस्तीफा दे देंगे । जैसा कि दिल्ली में मुल्ला साहब की हालत हुई वह की वह हालत यहां होगी ।

तो मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विषय पर गौर करे । जो रकम बाकी है वह तत्काल उसको दिलाई जाय ताकि वक्फ बोर्ड को खर्चे की तकलीफ न हो ।

दूसरा मेरा विशेष अनुरोध यह है कि एविक्शन रूल्स बनाये जाय । जिस तरह गवर्नमेंट प्रिमिसेज एविक्शन एक्ट बना हुआ है उसी तरह से वक्फ बोर्ड के भी एविक्शन रूल्स बनाये जाय ताकि उसकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जे करने वालों की हिम्मत न पड़े । अदालतों में जो मुकदमें चल रहे हैं उनमें हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं । ऐसी दयनीय स्थिति है इसलिये उसके लिए कानून बनाना चाहिए । अगर आपका वह ऐलान सही है जो आपने चुनाव के वक्त में किया कि माइनोरिटीज को संरक्षण देंगे, उनकी तमाम बातों की हिफाजत करेंगे तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि अपने वायदों को ध्यान में रखते हुए अपने ही मनोनीत चेयरमैन को ध्यान में रखते हुए कुछ करें ।

श्री ईश्वरचन्द्र : जो मौजूदा वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है····

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप कुछ करते नहीं हैं । सत्ता में बैठे हुए हैं । केवल मौखिक सहानुभूति

(श्री नूरा)
दिखाने के लिए बोलते हैं। हम बोलना चाहते हैं तो हमको बोलने नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

आप सरकार में बैठे हैं इसको ठीक करवाइये। ख्वामख्वाह बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। बड़े-बड़े जलसे अटेन्ड करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह कोई म्युनिसिपेलिटी का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रही थी कि जिस प्रकार से देवस्थान में सुविधाएं दी हुई हैं उसी तरह से वक्फ बोर्ड को भी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या आप नियमों के विरुद्ध बोल रही हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक मिनट…

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे ही उजला जी श्रेय लेने को उद्यत हैं बाकी वह खुद सत्ता में बैठी हैं। इस बात को कहें और अपनी सरकार से कहें। आपकी सरकार को समस्या का हल करने के लिए कहें और रास्ता निकालने के लिए कहें। दिखावे मात्र के लिए भार्गव साहब और उजलाजी नेता बने हुए हैं। समस्याओं को हल नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किये हुए बैठे हैं हम इनके भाषण को नहीं सुनना चाहते हैं और न जानना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आप कुछ नहीं करना चाहती हैं तो आप कुछ करके दिखा दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार ने कब्जा कर रखा है और 5 करोड़ का बकाया इसमें बताया गया है। यह 14 तारीख के राष्ट्रदूत में निकला है और सारे अखबारों में छपा है। यह माइनोरिटीज का बोर्ड है। यह आपने जनता को दिखाने के लिए और कहने के लिए बना रखा है। सरकार पर इसका पैसा बकाया है और इसका काम नहीं चल रहा है, इस बात की आम जानकारी के लिए प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर जनता को जानकारी दी है, बोर्ड सरकार में इतना पैसा मांगती है, बोर्ड के पास पैसा नहीं है, और सरकार खुद उसकी जमीनों पर कब्जा किये हुए बैठी है तो अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की बात है वह इन बातों से टूट जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वक्फ बोर्ड का पैसा, जो सरकार में निकलता है, अविलम्ब पेमेन्ट किया जाना चाहिए और ऐसी जमीनें जिन पर सरकार जबर्दस्ती कब्जा किये हुए बैठी है, या तो वक्फ बोर्ड से सम्पर्क करके विधिवत् तरीके से ले ले, उसकी कीमत दे दे या वापस जमीन को उसको लौटा दे। ऐसी जमीनों के लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। सरकार जयपुर में व अन्य जगहों पर वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बैठी है। यह अल्पसंख्यकों

(श्री नूरा)
की जमीन है, बोर्ड के अधिकार की जमीन है और अल्पसंख्यकों के हित के लिए है, उसको वापस लेने के लिए और सरकार से पैसा लेने के लिए आन्दोलन करने को तैयार होंगे। मैं यह कहना चाहूंगा विधान सभा से कि उसका जो पैसा निकलता है उसको अविलम्ब सरकार को दे देना चाहिए, नहीं तो इस कारण से अल्पसंख्यकों में फैलने वाला असन्तोष और ज्यादा बढ़ेगा और सरकार से लड़ने के लिए उनको बाहर आना पड़ेगा। तब सरकार यह कहेगी कि अल्पसंख्यक लोग कानून और व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। क्या सरकार नहीं जानती है कि 5 करोड़ रुपया उसको देना है? उन्होंने प्रेस कान्फ्रेन्स की राज्य सरकार और जनता को जानकारी देने के लिए अखबारों के द्वारा जानकारी दी तो उसके बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बुलाकर मंत्री महोदय यह नहीं कह सके कि इस मामले में यह कदम उठा रहे हैं।

दूसरी बात, जिसके बारे में कल भी मैंने आपका ध्यान दिलाया था कि मेरा प्रस्ताव रह गया है, उदयपुर रूरल इन्स्टीट्यूट के बारे में, जिसको आज आपने दोहराया है। उसको आज आपने किया है। इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, अनेक धन्यवाद। 50 दिन से वहां पर 200 शिक्षक हड़ताल पर हैं। शिक्षक, विद्यार्थी और मैनेजमेंट में झगड़ा चल रहा है, वहां से दो शिक्षकों को निकालने के बारे में राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है कि उन सबको लिया जाना चाहिए। उसके लिए मैनेजमेंट हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया उसके बावजूद उसको रोकने के लिये वह लोग हड़ताल पर हैं। मैनेजमेंट इस समस्या को हल करने में असमर्थ है। ऐसी हालत में मैं यह कहूंगा कि 39 प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। 50 दिन से हड़ताल चल रही है। आप कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई ज्यादा अच्छी चलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं उनमें लोगों का शोषण होता है। इस कारण से प्राइवेट संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों में असन्तोष है। मेरा निवेदन करना यह है कि 50 दिन से हड़ताल होने के बाद भी सरकार के बीच में आने की बात नहीं और न मैनेजमेंट के द्वारा उसको हल करने की बात है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उस रूरल इन्स्टीट्यूट को अपने कब्जे में ले ले और वहां पर बढ़ते हुए असन्तोष को रोके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड का मामला इसलिए उलझ रहा है कि जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है, वह अल्पसंख्यकों के साथ एक क्रूर मजाक है। इस सरकार से मेरा अनुरोध है कि उसको ठीक करे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ है उसमें सब पुराने कांग्रेसी हैं। जो कुख्यात कांग्रेसी थे, जिन्होंने लोगों को जेल में भेजा वह वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के मन्त्री यहां पर नहीं हैं....

श्री नूरा : अगर वक्फ बोर्ड के मंत्री नहीं हैं तो दूसरे मंत्री तो हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं ।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : मैं इसी बात को सपोर्ट कर रहा हूं ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि वक्फ बोर्ड का सदस्य राजनैतिक दल से सम्बन्धित हो या न हो, ऐसा नियमों में है या नहीं । कोई आदमी कांग्रेसी नहीं हो, वह वक्फ बोर्ड का सदस्य होगा या जनता पार्टी का नहीं हो वही हो, ऐसी नियमों में व्यवस्था नहीं है । यह शिकायत माननीय सदस्य ने की है, यह प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है । वह कांग्रेसी है या वह नहीं है यह बात करके आप सदन का समय बिगाड़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : वक्फ बोर्ड में सही आदमी नहीं हैं । रियल रिप्रेजेन्टेशन नहीं है ।

श्री अयूब खां : वक्फ बोर्ड में यह परंपरा रही है कि जिस जिले में अधिक से अधिक वक्फ की प्रापर्टी हो, उस जिले को भी रिप्रेजेन्टेशन मिलता है, लेकिन हमारे जो वक्फ बोर्ड के मन्त्री हैं उनकी यह सलाह नहीं होने की वजह से अलवर जिले के अन्दर से कोई नहीं लिया गया है ।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था····

श्री अध्यक्ष : आपका क्या प्रस्ताव है ।

श्री गुल मोहम्मद : मेरा वक्फ बोर्ड पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था ।

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी हेतु भेज दिया है । आप इस सम्बन्ध में 5 मिनट के लिए बोल दें ।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष, मुझे भी टाइम दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका कोई प्रश्न नहीं है । मैं आपको संकेत कर चुका हूं । अगर आपका प्रश्न हो या आपको प्रश्न उठाने की इच्छा है तो आप मुझ से मेरे कक्ष में मिल लें । क्या व्यवस्था दूं, हाइपोथेटिकल प्रश्न पर । मेरी आपके साथ पूर्ण सहानुभूति है । आपकी वाजिब बात होगी तो तुरन्त मानूंगा ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : यह सुन्नी बोर्ड है या शिया बोर्ड है ?

श्री गुल मोहम्मद : यह सुन्नी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत नेता महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रदूत या कुछ अन्य समाचार पत्रों में वक्फ बोर्ड की स्थिति के बारे पढ़ने को मिला है । वक्फ बोर्ड की जमीन राज्य सरकार ने किराये पर ले रखी है । जो माईनोरिटी को रिप्रेजेण्ट करता है, अल्प संख्यकों का काम करता है, अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वह संस्था किस प्रकार से काम कर सकती है ? गरीबों और यतीमों

(श्री गुल मोहम्मद)

की सहायता किस प्रकार से कर सकती है ? मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार में 5 करोड़ रुपया बकाया है तो उसकी जल्दी से जल्दी जांच करा कर वह वक्फ बोर्ड को दिलाया जाय।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था, हाल ही में एक पत्र मेरे पास जोधपुर से आया है, जिसमें लिखा है कि "नगर सुधार न्यास द्वारा मुसलमानों की जमीन हड़पने के नापाक इरादे के खिलाफ जयपुर में विधान सभा के सामने 19 मार्च से मुस्लिम यूथ कार्नर की ओर से भूख हड़ताल।" माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिट्ठी आई है। किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की साजिश चल रही है ? यह एक जोधपुर का ही सवाल नहीं है। उदयपुर में यही हाल है। भरतपुर में भी यही हाल है। कई जगह पर यह हाल है। जोधपुर सोजती गेट के पास बादशाह का तकिया है। उस जमीन की 1 हजार रुपया वर्ग गज के हिसाब से आज कीमत है। कुल जायदाद करीब 10 करोड़ रुपये की होती है। उसको नाजायज तरीके से हड़पना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों की जायदाद की रक्षा की जाय। इस प्रकार का कानून बनायें जिससे कि उनकी जमीनों के संरक्षण मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में अलका होटल के सामने वक्फ बोर्ड की जमीन है। जिसमें एक मन्त्री महोदय ने भी प्लाट लिया है एग्रीमेंट करके। वह अच्छी जमीन है। क्या इस प्रकार से वक्फ बोर्ड की जमीन को बिगाड़ना चाहते हैं ? मैं मानता हूं कि यह माइनोरिटीज की जमीन है। इसके लिए राज्य सरकार कोई समुचित व्यवस्था कराये।

श्री रघुनन्दन व्यास : कौन से मन्त्री महोदय का नाम लिया है, वह तो बता दें ?

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : वह जमीन शिया लोगों की है या सुन्नी लोगों की है ?

श्री समरथ लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर जिले में सभी मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

श्री अयूब खां : नेता महोदय जवाब दे रहे हैं, वह पहले सुन लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने वक्फ प्रापर्टी के लिए अपनी चिन्ता व्यक्त की है। उसकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वक्फ प्रापर्टी हड़पने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी सरकार को मिलेगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। बाकी बात यह है कि वक्फ प्रापर्टी कई जगह पर ऐसी है कि जो विवादास्पद है। कई मामले न्यायालयों में चल रहे हैं। ऐसे मामलों का जब तक न्यायालयों से निपटारा नहीं होता तब तक उनके बारे में कहा नहीं जा सकता है।

एन्क्रोचमेंट के मामलों में भी यह निवेदन है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर, वक्फ प्रापर्टी पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, कुछ दूसरे लोगों ने आवास के लिए आवंटित करा ली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों पर बैठकर बात कर लें। वक्फ की प्रापर्टी पर सरकार किसी का भी एन्क्रोचमेण्ट नहीं होने देगी।

जहां तक वक्फ बोर्ड के गठन का सवाल है, बोर्ड का गठन हुआ है। उसके लिए अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। वह अध्यक्ष ही बाकी के लोगों का बोर्ड बनाया करता है। इसमें कई कांग्रेसी लोग भी आ गये हैं। कई बाहर के लोग आ गये हैं। वह लोगों का किसी प्रकार का हित नहीं कर सकते हैं। यदि इसमें कोई अवांछित लोग शामिल हो गये हैं तो यह देखेंगे कि कोई प्रक्रिया इस प्रकार की हो जिससे कि बोर्ड को ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाई जाय। माननीय सदस्य इस बारे में जैसा बतायेंगे, वह किया जायगा।

श्री अयूब खां : यह गलत आरोप है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : जो 5 करोड़ की बकाया है, उसके बारे में·········

श्री अब्दुल अजीज : उसके बारे में जवाब दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री महबूब अली (राज्य मन्त्री, वक्फ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक वक्फ बोर्ड का प्रश्न है, बहुत सी ऐसी प्रापर्टी है जिन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उनसे प्रापर्टी वापस लेने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है। ऐसे मामलों पर कार्यवाही की जा रही है। अन्य लोगों ने जो कब्जे कर रखे हैं, उनके बारे में भी राज्य सरकार की ओर से कार्यवाही की जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है। फिर आप क्या कह रहे हैं?

श्री अब्दुल अजीज : यह 5 करोड़ रुपये की राशि किराये के आधार पर है। इसका मुख्य मन्त्री जी उत्तर दें। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आपके मनोनीत हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ रुपये की जो बकाया सरकार में बताई जाती है और अखबारों में जो प्रकाशित हुआ है वह पिछले डेढ़ वर्ष का तो नहीं है, आप लोग जब शासन में विराजमान थे उस समय सरकार ने किस प्रकार से इनको किराये पर लिया, किस प्रकार से नाजायज कब्जे किये और यह सब कुछ हुआ? हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बकाया है उसकी जांच की जाकर जो वाजिब है वह दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : पहले बोर्ड में 62 कर्मचारी थे और अब पांच ही कैसे रह गये हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे क्या हो गया?

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके मार्फत माननीय नेता महोदय से ग्रनुरोध करता हूं, मुझे याद है ग्रापने बार-बार यह कहा था कि पूर्ण संरक्षण दिया जाय। ग्रापने जो चेयरमैन मनोनीत किया उसको भी ग्रसन्तोष है। बयाना के कब्रिस्तान की जो जमीन है उसका फैसला पांच पैसे प्रति गज के हिसाब से किया है जिसकी रकम 8 लाख रुपया होती है। मैं ग्रनुरोध करूंगा नेता महोदय से कि उसकी माली हालत बहुत खस्ता है। ग्रापने जो वायदे किये थे वे सब धूमिल होते जा रहे हैं। लोगों के वजीफे बन्द हो गए हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रयास करेंगे।

श्री शिवचरणसिंह : बयाना के बारे में माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि कलेक्टर लेवल से डिपार्टमेंट को चिट्ठी पहुंच गई है ग्रौर फैसले के ग्रनुसार किराया लिया जायगा।

श्री ग्रयूब खां : जो सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की बकाया है उसको दिलाने में वक्फ मन्त्री सक्षम हैं या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय भी कानून के ग्राधार पर जितना कुछ कर सकते हैं उसके लिए सक्षम हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : मेरे ख्याल से ग्रब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री समरथलाल : मैं निवेदन कर रहा था, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रलवर जिले में समस्त मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, यह सब दिसम्बर ग्रौर जनवरी के ग्रासपास किया गया है। लगभग तीन सौ बसों को लाइसेंस दिये गये ग्रौर, ग्रध्यक्ष महोदय, पूरे मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ग्रध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण करना ग्रच्छी बात है लेकिन ग्रलवर के ग्रलावा राजस्थान के दूसरे जिलों के ग्रन्दर कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया ? ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रलवर जिले के ग्रन्दर सेन्ट पर्सेंट राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ग्रौर सरकार ने बिना नोटिस के कर दिया, काण्ट्रेक्टरों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, जो ड्राइवर ग्रौर कण्डक्टर्स वगैरह थे उनको कोई सूचना नहीं दी गई। इस प्रकार से जो ग्रचानक राष्ट्रीयकरण किया गया, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से तीन सौ बसों पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे, जो कण्डक्टर ग्रौर ड्राइवर लोग थे, 900 परिवार के लोग बेरोजगार हो गये। दूसरी ग्रोर राष्ट्रीकरण तो किया तीन सौ बसों का लेकिन उनके स्थान पर केवल 70–80 नई बसें ही चलाई गई हैं। जो 70–80 बसें चलाई गई हैं उनकी सेवाएं भी सन्तोषप्रद नहीं हैं। जिन मार्गों से होकर ये बसें जाती हैं बीच में जो स्टेण्ड बने हुये हैं वहां ये रुकती नहीं। चार सौ किलोमीटर का फासला इन बसों को तय करना पड़ता है। कई यात्रियों को स्टेण्ड पर छोड़ दिया जाता है ग्रौर उनको उठाया नहीं जाता, बसें उनका वेट नहीं करती, कई बार तो ऐसा होता है कि ग्राधा परिवार रह जाता है ग्रौर ग्राधा बस में चला जाता है। ऐसा कई बार हुग्रा है। इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है।

(श्री समरथलाल)
रोडवेज की बसें कभी कभी तो एक ही मार्ग पर थोड़ी देर में तीन-तीन चल जाती हैं और कभी-कभी चार-चार घण्टे के बाद एक भी नहीं आती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो राष्ट्रीयकरण की नीति है, राज्य सरकार को अधिक बसें चलानी चाहिये। एक-एक बस तीन सौ यात्रियों को उठाती है यह उचित नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उससे लोगों को यह आशा थी कि लाभ मिलेगा लेकिन हकीकत यह है कि जो बसें चलती हैं उनमें जहां 70 सवारियां बैठनी चाहिये वहां पर 120 सवारियां बिठाई जाती हैं। कण्डक्टर टिकिट नहीं काटता, इससे सरकार की आमदनी तो कम होती ही है यात्रियों को भी असुविधा होती है और भ्रष्टाचार होता है। ड्राइवर और कण्डक्टरों की इनकम पांच-पांच हजार होती है एक महीने में। आपने एम० एल० ए० को आथोरिटी दी है, लेकिन हमारे पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है। वे लोग तीन चार आदमी ऐसे रखते हैं जो धक्का मुक्की करके बाहर निकाल देते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी इनकम कम हो रही है, ड्राईवर और कण्डक्टर्स मालामाल हो हो रहे हैं। आपने कहा है कि रिपोर्ट मंगा कर जांच से मालूम हुआ कि इनकम कम होती है इसलिये बसें कम हो गई। मैंने इस बारे में भी लैटर लिखा है और यह निवेदन भी किया कि आप स्वयं उड़न दस्ते की मार्फत इसकी जांच करें। हमारे क्षेत्र में शेरगढ़ और चावो के बीच में कण्डक्टर टिकिट नहीं काटता। पूछते हैं तो कहता है कि आपको क्या मतलब है। वह पैसा खा जाता है। ऐसी गड़बड़ियां रोजाना होती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई सुव्यवस्था कीजिये। आपको बसों का नम्बर बढ़ाना चाहिये, उनकी प्रापरली चैकिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले।

श्री हरिसिंह (पथ परिवहन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री समरथलाल जी ने जो मोशन मूव किया है, इस मामले में मैं दो तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। इस मोशन में दो बातें कही गई हैं, एक तो नेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में और दूसरी यह कि प्राइवेट बसें क्यों चलने दी गई ?

यह जो नेशनलाइजेशन और प्राइवेट बसेज का मसला है, मैं मानता हूं कि फिलहाल राजस्थान में चाहे रोड़वेज हो, चाहे प्राइवेट बसेज हों, व्यवस्था माकूल नहीं है। व्यवस्था को माकूल करने के लिए जितनी परेशानियां हैं उनका सामना हमको करना पड़ रहा है। उन परेशानियों से निपटने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। इस अलवर वाले मसले में जहां तक शिकायत है कि इनको टाइम नहीं दिया गया, मेरा निवेदन है कि पहले कैसे जोइंट एल. ओ. से क्लीयर होता है। कानूनी दृष्टि से क्लीयर होने के बाद भी 6 महीने तक नेशनलाइज नहीं किया गया। थोड़ा टाइम इधर-उधर हो सकता है। उसके बावजूद भी कम से कम तीन महीने लगे, सही वक्त कितना है मैं आफ दी रिकार्ड नहीं बता सकता। यह सही नहीं है कि उनको प्रापर टाइम नहीं दिया गया।

(श्री हरिसिंह)

जहां नेशनलाइजेशन होता है, रोडवेज की बसें चलती हैं, हमारी डवलपिंग इकानामी है, नए रूट्स खुलते हैं, ट्रैफिक का ट्रांशिपमेंट होता है, यह सरकार की जानकारी में है ओवरलेपिंग रूट्स हैं, ट्रैफिक में जहां जहां कट एण्ड पाइंटस् बनते हैं उसमें ट्रांशिपमेंट की प्राब्लम स्वाभाविक है। हर आदमी हिन्दुस्तान की हर एक जगह सीधा जाना चाहता है लेकिन ट्रांशिपमेंट को अवाइड करना इम्पासिबल है। रेलवे व हवाई जहाज में भी इम्पासिबल है। आप यूरोप जायेंगे तो लंदन में चेंज करने की जरूरत होगी। तो यह जो ट्रैफिक का मामला है इतना काम्पली-केटेड है, खास तौर से डवलपिंग कन्ट्रीज में जहां नई रोडस बन रही हैं, नए रास्ते निकल रहे हैं। सरकार की यह इच्छा है कि हर पंचायत हैडक्वाटर को हम सबसे जोड़ें। उसके लिए जितने नए रूटस् हो सकते हैं, क्रिएट करें, और नए रूट्स का स्कोप बढ़ायें।

रोडवेज में ओवरलोडिंग की प्राब्लम नेशनल प्राब्लम है। हरियाणा व यू. पी. में भी रोडवेज के अलावा प्राइवेट बसें चलती हैं। प्राइवेट बस वालों को 10 परमिट देते हैं और वे 4 में ही ट्रैफिक उठाते हैं, सेबोटेज करते हैं। हम पब्लिक को एफिसियेंट ट्रांस-पोर्टेशन सर्विस देने के लिए कमिटेड हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि एफिसियेंट सर्विस दी जाए।

किसको नेशनलाइज किया जाए, किसको नहीं, इसमें तीन मुद्दे खड़े होते हैं, लीगल, फाइनेन्सियल एण्ड कन्वीनियेंस टु दी पीपुल। तीनो चीजों को ध्यान में रख कर सरकार फैसला करती है। अलवर के मामले में सरकार ने माकूल फैसला लिया है, कोई गलती नहीं की है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे सवाल का जवाब दें।

श्री शिवचरण सिंह : 300 की जगह 80 गाड़ियां लगाई जाएं, यह माकूल व्यवस्था है ?

श्री हरिसिंह : 300 गाड़ियां हों या 500 गाड़ियां हों, प्रश्न यह है, किलोमीटर्स कितना कवर करती हैं। उनकी गाड़ियां एक दिन में 50 किलोमीटर्स कवर करती हैं और हमारी रोडवेज की बसें 250 किलोमीटर्स कवर करती हैं। जहां तक ट्रिप्स और शिड्यूलिंग का सवाल है, उनकी गाड़ियों से हमारा ज्यादा है। ट्रैफिक पाइंट्स पर जाकर देखें, टाइम स्टडी करें कब ज्यादा ट्रैफिक होता है, कब कम होता है, यह स्टेबिलाइज करने में टाइम लगता है। प्राइवेट बस वालों के टाइम का सवाल नहीं है। जब सवारियां भर जाती हैं, तब उनकी बसें चलती हैं। एक तरफ हम टाइम की पाबंदी चाहते हैं। दूसरी तरफ थोड़ी देर होती है तो शिकायत होती है। यह हमारी परेशानियां हैं।

माननीय खेत सिंह जी जो कह रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि रोडवेज के ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स हम कोई चीन से नहीं ला रहे हैं, वे इसी देश के हैं, आपके ही बच्चे और रिश्तेदार हैं। कौन आदमी बेईमान है, चाहे सरकारी नौकर हो, चाहे प्राइवेट आदमी हो It is a national condition. In transport industry.

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन आप इस तरह की खुली छूट क्यों दे रहे हैं ? आप कृपया खुद कष्ट करके जांच करायें। यह कोई जवाब है कि नेशनल प्राब्लम है, अपने ही बच्चे हैं, इसलिए छूट दी जाय।

श्री हरिसिंह : इस प्राब्लम को मानते हुए मैंने अंगीकार किया।

श्री शंकर लाल : यह क्या जवाब हुआ कि रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : यह जवाब नहीं तो और क्या चाहते हो ? सदन के सदस्यों को पावर्स दी हैं, नोट करो, रिपोर्ट करो, You have got a right to challan them. You have got a right to stop them.

व्यवधान

श्री शंकर लाल : हरियाणा और यू. पी. की जो बसें चलती हैं मैंने उनमें ट्रैवल किया है। उनके अन्दर ज्यादा भीड़ नहीं होती। वहां जिस प्रकार की व्यवस्था है वह राजस्थान में नहीं है। आपकी बसों की दुर्व्यवस्था है, जगह जगह ब्रेकडाउन होता है, कई बार तो एक्सीडेंट होते होते हम बचे हैं चाहे दिल्ली जायं जयपुर से, चाहे पाली, जालौर जायं। आप कहते हैं कि ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स हमारे रिश्तेदार हैं। यह कहने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते विभाग पर। यह आम जनता की तकलीफ का प्रश्न है। आपके पास गाड़ियां नहीं हैं तो नेशनलाइज मत कीजिए। हम राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं लेकिन इसके पक्ष में नहीं है कि आप जनता को तकलीफ में डालकर राष्ट्रीयकरण कर दें। आपने 300 बसों की जगह 80 बसें लगाई। आप कहते हैं कि हमारी बसें तेज दौड़ती हैं, ज्यादा माइलेज कवर करती हैं और इसलिए हर एक स्टेशन पर नहीं ठहरती। तो गांव का आदमी कहां बैठेगा ? आप किसान का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, हर एक गांव को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की बात कहते हैं और इधर 300 की जगह अलवर में 80 बसें चलाते हैं, यह कान्ट्रेडिक्ट्री है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : कन्डक्टरों को जूता देते हैं। आप पब्लिक के एटीट्यूड को चेन्ज करें। ड्राइवर्स को जूता देते हैं, कन्डक्टर्स को ठोकते हैं।

श्री जगतार सिंह (करणपुर) : कहीं कहीं बस 5–5 मिनट में मिल जाती है और कहीं एक एक घंटा बस नहीं मिलती। कई जगह बसें 1959–60 मोडल की हैं। सारी खराब पड़ी हैं। कहीं भी कोई बसों की ठीक व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय बतायें कि अलवर व गंगानगर में कितनी गाड़ियों की कमी है ? कई यात्री समय पर नहीं पहुंचते।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, कन्डक्टर्स का जो रवैया है वह इसलिए बिगड़ा हुआ है कि जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेज थे, जिनके खिलाफ कम्पलेन्ट्स थीं, 40 से लेकर 50 तक कम टिकट काटने की कम्पलेन्ट्स थीं, उन सभी कन्डक्टर्स को सर्विस में ले लिया। आज बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में यही पोजीशन है कि सौ सौ सवारियां चलती हैं और मुश्किल से 20 टिकट काटते हैं....

श्री टीकमचन्द कांत : एक भी नहीं काटते हैं।

श्री वृद्धिचंद जैन : लो कह रहे हैं कि एक भी नहीं काटते हैं। इसका कारण यह है कि रोडवेज के अधिकारी और मंत्री महोदय सभी विजिलेन्ट नहीं हैं। बस को ओवरलोड चलाते हैं और सिर्फ 10 टिकट देते हैं, इसकी तरफ कोई भी डिपार्टमेन्ट या मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं और मंत्री महोदय आलस्य की नीति अपना रहे हैं। तो इस मामले में सख्त एटीट्यूड लें। आप कहते हैं कि हिमालय से नहीं आये हैं और हमारे ही बच्चे और रिश्तेदार हैं तो आप करप्ट आदमियों को सख्ती से डील करें। जिन करप्ट आदमियों को हमने इमरर्जेन्सी में निकाला उनको आपने रख लिया।

श्री मूलचंद डागा : आज भ्रष्टाचार का विभाग खतम कर देना चाहिए। सरकार ने कह दिया है कि हमारा चरित्र विगड़ा हुआ है इसलिए काम वैसे ही चलता है। अगर सरकार की तरफ से केबिनेट रेंक के मंत्री इस प्रकार से कहते हैं और मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं तो आज से सरकार को चाहिए कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट का जो बजट है वह वापस ले लें और उनको छुट्टी दे दें ताकि हम कह दें कि हमारा चरित्र बिगड़ा हुआ है। सभी जगह ऐसा ही है इसलिए जरूरत नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : नेहरू जी ने भी कहा था कि जब भ्रष्टाचारी मेरी पॉकेट में है तो मैं क्या करूं। तो इन्होंने क्या अन्याय कर दिया ?

श्री हरिसिंह : भ्रष्टाचार की बला आप लोगों ने इतनी भर दी है कि भ्रष्टाचार की बला का नाम मिटाने में टाइम लगेगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : आज की राजनीति केवल कुर्सी और सत्ता की रक्षा करने वाली है। अगर इनकी इच्छा हो तो इसको आज मिटा सकते हैं। आप भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। क्योंकि सत्ता आपके हाथ में आ गयी है इसलिये सत्ता को बनाये रखने के लिए आप नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते।

श्री शंकरलाल : यह कहते हैं कि टाइम लगेगा तो तब तक भ्रष्टाचार खतम नहीं करेंगे जब तक आपका टाइम खतम नहीं हो जाय। आपके स्टेटमेन्ट से क्या मुख्य मंत्री जी सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत चर्चा हो गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार से कमाये पैसे को नाक से निकलवा कर रहूंगा। अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तो मैं मिट जाऊंगा। और हरिसिंह जी कह रहे हैं कि टाइम लगेगा।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह इस तरह से सात सात और आठ आठ आदमी खड़े होकर बोलते हैं। जिम्मेदार सदस्य हो कर आठ दस एक साथ खड़े हो जाते हैं........

श्री सूरजपाल सिंह : 10 क्या 20 खड़े होंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : यह क्या कि चार चार बजे तक जीरो आवर करवा लेते हैं। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको अभी नहीं बनायेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : तीस वर्ष तक जिन्होंने भ्रष्टाचार अपनाया है वह एकदम से साफ नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, 2 बजे के बाद जीरो आवर नहीं चलाना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप अध्यक्ष महोदय को डाटी दे रहे हो।

(व्यवधान)

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में दो मुद्दे उठे हैं। एक तो 300 की की जगह 80 बसें चल रही हैं तो क्या मंत्री महोदय वहां पर ज्यादा बसेज बढ़ायेंगे और यातायात की व्यवस्था को सुधारेंगे? दूसरे अनाप शनाप किराया लेते हैं। अलवर से राजगढ़ 36 कि०मी० है उसका 2.70 किराया लगता है। बल्कि अलवर और राजगढ़ के बीच में मालाखेड़ा आता है उसकी 2.20 लेते हैं। तो ज्यों ज्यों लम्बी यात्रा होती है उसमें किराया घटता है या बढ़ता है? तो जो धांधली चल रही है इसको मिटाने के लिए क्या मंत्री महोदय कदम उठायेंगे?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी बसों की अव्यवस्था के बारे में एक निवेदन है। हमारा जो सिरोही जिला पश्चिमी इलाके में है इसमें दस साल से कोई नयी बस नहीं लगा रहे हैं। यहां से आबू रोड़ 441 किलो मीटर पड़ता है। वहां से राजधानी के लिए बसें ऐसी दौड़ती हैं जो कि आज से 15 साल पहले डिपो में आई हुई हैं। क्या यातायात मंत्री यह ठीक समझते हैं कि इतनी दूर से पैसेंजर आपकी पुरानी बसों से जयपुर आते हैं जिनका बीमा भी नहीं होता है और एक्सीडेन्ट का हर वक्त खतरा रहता है। राजस्थान का पहला डिपो था आबू रोड़ का और सिरोही में दूसरे नम्बर का डिपो था। जब राजस्थान बना उस समय उन डिपोज के अन्दर जो गाड़ियां आई वह गाड़ियां ही अभी तक चल रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनकी हालत सुधारी जाय व उनका नम्बर बढ़ाया जाये जिससे पैसेन्जर्स को सुविधा हो। समरथलाल जी ने कहा था कि जगह जगह पुरानी बसों का ब्रेक डाउन होता है वह उन्होंने बिलकुल सही कहा है। सिरोही से 5 गाड़ियां जोधपुर के लिए आती हैं और 5 जाती हैं उनमें से एक दो बसें बीच रास्ते ही ड्राप हो जाती हैं। ऐसी हालत है। आप यातायात विभाग के लिए योग्य मंत्री आये हैं इसलिए आप यातायात सुविधा के लिए बसों की व्यवस्था को सुधारें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : काहे के योग्य हैं। जिन्दगी भर तो आपरेशन किये हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, छतों के ऊपर लोग यात्रा करते हैं। मंत्री महोदय अव्यवस्था को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हैं तो मंत्री महोदय को इस पद पर बने रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

(श्री सूरजपाल सिंह)

जोधपुर के अन्दर सोजती गेट से होते हुए बसों के ऊपर बैठे हुए लोग सफर करते हैं। ट्रान्सपोर्ट मंत्री महोदय, आप सत्ता के ऊपर चिपके रहना चाहते हैं। आपके पास बसें नहीं हैं, और रूट्स को नेशनलाइज करते जा रहे हैं। नेशनलाइज रूट पर बसों की संख्या पूरी नहीं है। अलवर जिले के अन्दर आपने नेशनलाइज कर दिया है। जब आपके पास बसें नहीं हैं तो नेशनलाइज क्यों कर रहे हैं रूट्स को ?

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि अलवर के अन्दर अनाप शनाप किराया लिया जा रहा है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। हमारे कन्डक्टर्स सही किराया लें इसकी व्यवस्था कर दी जायगी। किराया निर्धारित ही लिया जायगा। यात्रियों से ज्यादा किराया नहीं लिया जायगा।

श्री सूरजपाल सिंह : बसों के ऊपर चढ़ कर सफर करते हैं, इसका क्या होगा ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन है करौली के ऊपर।

श्री समरथलाल : 300 की जगह 80 चल रही हैं तो और बसें चलाने का इरादा है या नहीं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या यह राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध है ? जो एडजोर्नमेन्ट मोशन रोडवेज पर आया है क्या माननीय सदस्य राष्ट्रीयकरण की जो राज्य की नीति है उसके विरुद्ध हैं........

श्री वृद्धिचन्द जैन : पक्ष में हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : प्राइवेट आपरेटर्स को समर्थन देना चाहते हैं और उनको फायदा देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री समरथलाल : राष्ट्रीयकरण की नीति अच्छी है लेकिन अच्छी तब है जब अच्छी व्यवस्था हो। जब अव्यवस्था ही है तो ऐसा राष्ट्रीयकरण बेकार है।

श्री अध्यक्ष : कम से कम मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय जो वर्तमान बसों की व्यवस्था है उसमें सुधार लाने की चेष्टा करें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था बनाये रखना सरकार का कर्त्तव्य है। आज करौली क्षेत्र के अन्दर डाकुओं की कार्यवाही से आतंक और भय का वातावरण बना हुआ है। हर रोज कोई न कोई घटना अखबारों में निकलती है, रोज डाके पड़ते हैं। वहां के डाकुओं चन्दन, स्वर्णसिंह आदि ने करीब करीब चार लाख रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। जो वहां ठेकेदार हैं, उनमें से चन्द्रप्रकाश, प्रभुलाल अग्रवाल आदि ऐसे ठेकेदार हैं जिनके पास धमकी भरे पत्र आते हैं। उन्हें रुपया देना पड़ता है। बन्दूक की नोंक पर डाकू रुपया वसूल करते हैं। ऐसी घटनाएं करौली में रोजमर्रा अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। परसों के रोज हमारे विधान सभा के माननीय सदस्य श्री हंसराम के सुपुत्र भक्त राम अपनी धर्म पत्नी के साथ आ रहे थे। डाकुओं ने घेर लिया। उनकी पुत्र वधू के गहने थे

(श्री मूलचन्द डागा)

वह ले लिये, रकम ले ली। जब वे दोनों करौली पहुंचे तो थाने में टेलीफोन किया। थानेदार नींद से नहीं उठा। उस वक्त 11-30 का समय था। डी० एस० पी० को फोन किया। मालूम हुआ उनके पेट में दर्द था। इससे पहले भी उनके घर पर डकैती हो चुकी है। वह रिपोर्ट भी थाने में मौजूद है। डाकू डाका डाल कर जब चले जाते हैं तब पुलिस वाले अपनी वर्दी पहनते हैं और निकलते हैं। इसलिए देर से निकलते हैं कि डाकुओं के सामने न पड़ जाएं। यह अच्छा तरीका है। भारत के प्रधान मन्त्री, मोरारजी देसाई ने एक पुलिस आफिसर, को निलम्बित कर दिया था। जिसकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण छोटे बच्चों की हत्या हुई थी। मैं समझता हूं राजस्थान में पुलिस में निष्क्रियता है। करौली में आज डाकू रोज डाका डालने का काम कर रहे हैं, डाकुओं के भय का वातावरण बना हुआ है। मजदूर लोग खानों पर नहीं जाते। करीब 50 हजार मजदूर बेकार हैं। डाकू धमकी देते हैं इसलिए काम पर कोई नहीं आता है। एक बात जरूर देखी है, करौली क्षेत्र में एक डाकू मार देते हैं तो पुलिस को पदक मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस आपने लगा रखी है, एडीशनल एस० पी० आपने लगा रखा है, पुलिस फोर्स आपने लगा रखी है फिर भी आये दिन वहां डाके क्यों पड़ते हैं, कत्ल क्यों होते हैं। पुलिस का बजट बढ़ा दिया है। एक करोड़ रुपया और बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आये हैं। हम बजट पर मोहर लगा देंगे। मैं पूछता हूं, क्या कारण है कि रोज डाके पड़ते हैं? डाकुओं को कौन पनाह देते हैं? डाकू क्यों पनप रहे हैं? हमारे विधायक लोग कानून और व्यवस्था की बातें कहें तो उनकी सुनने वाला नहीं है। पुलिस विभाग में एक प्रकार की निष्क्रियता आ गई है। जैसा हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा, मैं समझता हूं हमारी पुलिस बहुत डी-मोरलाइज हो चुकी है, सरकार निष्क्रिय हो ही चुकी है। हमारे मुख्य मन्त्री कल के सिवाय बजट पर विचार के समय बहुत कम उपस्थित रहे। चाहे बजट पर विचार हो, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर डिस्कशन हो, चाहे और किसी विषय पर डिस्कशन हो, मुख्य मन्त्री जी ने सोच लिया है कि कोई बात नहीं, मेरा सदन में रहना जरूरी नहीं है। मैं दिल्ली में 101 दिन रह कर, राज कर सकता हूं। यह उनकी खूबी है। उसमें काबलियत है। सवाल यह है कि करौली में डाके पड़ते रहें और डाकुओं को कोई गिरफ्तार न करे, अशांति और अव्यवस्था बनी रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं चाहता हूं इस बारे में कोई न कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा साहब ने अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये करौली में डाकों की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की है। यह तो डागा साहब भी जानते हैं, हमारे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर यह इलाके मध्य प्रदेश इलाके से मिले हुये हैं। वह इलाके जिस प्रकार हैं, वह आपको मालूम है, उनमें रिवाइन्स हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं हमने डाकुओं को निकालने की बहुत कोशिश की। जितना हम कर सकते थे डाकुओं की

(श्री सम्पतराम)

संरक्षणता को कम करने की कोशिश की है। खानों की चर्चा मेरे सामने भी आई है। शिवचरण जी एक से अधिक बार चर्चा कर चुके हैं। वहां पर कई आदमी थे उनकी राइफलें छीन कर ले गये थे। उनको पकड़ा था। छोटी मोटी समस्या थी। छोटे मोटे डाकू और पैदा होते रहते हैं। खान वालों में भी आपस में स्पर्धा होती रहती है। वह दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं। खान का मालिक पेशगी रुपया देता है, मजदूर भागते हैं, खान वाले परेशान होते हैं। कहीं पुलिस को सूचना देते हैं। कहीं नहीं देते हैं। आपके पास यदि सूचना हो मैं आपसे सूचना लेने को तैयार हूं। शिवचरण सिंह जी से लेने को तैयार हूं। आप अपने सुझाव दें और उन ठेकेदारों से कोई सही जानकारी मिली हो तो वह जानकारी दें। ठेकेदार सही इतला नहीं देते हैं। जो आपने बयान दिया है उस पर गौर करेंगे। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन के बाहर भी आप से और अन्य माननीय सदस्यों जिनको जानकारी हो, से चर्चा कर लेंगे, जो आपके सुझाव हो........

श्री मूलचन्द डागा : 24-2 को वाकया हुआ है........

श्री सम्पतराम : मेरे पास फैक्ट्स नहीं हैं। सदन के सामने दुबारा फैक्ट्स रखूंगा। इस समस्या पर विचार करने के और भी मौके आएंगे। आपको मालूम होगा, इस एक साल के दौरान में करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, में डाकू न्यूसेंस को किस हद तक पुलिस ने मीट आउट किया है। हाई वे राबरी केस में राजस्थान की पुलिस ने सबसे ज्यादा बरामदगी की है। कार चोरी केस था, तहसीलदार को पकड़ा। कुछ कोशिश की है। आप सहयोग दीजिये, आप सुझाव दीजिये, आप सलाह दीजिये, उसके मुताबिक काम करेंगे।

मैं आपको इन्वाइट करता हूं। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करता हूं कि चौकीदार लगाना होगा, वह भी अब लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब चर्चा नहीं होगी।

श्री रामकरण सिंह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य के पुत्र और पुत्रवधू के जेवर उतार कर ले गये। उसके बाद पुलिस स्टेशन गये। पेट में दर्द है, यह कह कर डी० एस० पी० ने दर गुजर कर दिया और अब तक कार्यवाही नहीं की, इसके बारे में क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही हो जायगी, माननीय सदस्य।

व्यवस्था का प्रश्न

(1) प्रस्तावना की पुनरुक्ति

(2) न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं, श्रीमान्, एक पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं। तारीख 24 फरवरी को........

श्री सूर्यनारायण चौधरी : There is no point of order. You are prolonging the discussion unnecessary when the chair has ruled out already.

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, रूल 259 और रूल 53 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठा रहा हूं, उस पर तारीख 28 के दिन बड़ी चर्चा हुई हाउस के अन्दर और लम्बे समय तक चर्चा हुई। हमारे योजना मन्त्री ने वक्तव्य दिया, वह मैं लेकर आया हूं। तीन घंटे तक इस विषय पर बहुत लम्बी चर्चा हुई। यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में सरकार निकट से निकट चार दिन के भीतर पूरी जाँच करवायेगी और जाँच करवाकर उसका नतीजा इस सदन में पेश करेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन पर तारीख 28 के रोज विस्तृत रूप से चर्चा हुई........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपका जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, वह पाइन्ट आफ आर्डर से भिन्न है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 25 में कोट कर रहा हूं। रूल 25 इसी बात को कहता है।

दूसरी बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्पीकर साहब का रूलिंग है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाऊं। चार घंटे तक चर्चा हुई, उसके बाद माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था इनक्वायरी बैठ रही है। जो रूल 259 है वह, श्रीमान्, यह है कि........

That motion cannot be revived. That matter cannot be discussed again. Revive no discussion on a matter which has been discussed in the same session.

श्री अध्यक्ष : The House has not given the decision.

श्री मूलचन्द डागा : Sir, it has been taken into consideration. It was discussed and there was a decision that the matter may be enquired into.

रूल 59 यह कहता है........

श्री अध्यक्ष : It is not a decision.

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने कहा था। हाउस ने डिस्कस किया, उस पर उन्होंने निर्णय लिया और कहा कि इसकी इनक्वायरी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : I rule it out. It was not a decision.

Matter under enquiry, matter under investigation.

श्री मूलचन्द डागा : That is not, Sir. Rule 53 says: No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi judi-

(श्री मूलचन्द डागा)

cial functions or any commission or court of enquiry appoinated to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved :"

श्री मूलचन्द डागा : एक बड़ा आफिसर जो पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठा है, जांच करता है। रूल 53 में यह है....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : डागा साहब आप पी० एस० सी० के मेम्बर की पैरवी मत करिये।

श्री मूलचन्द डागा : I am not doing.

श्री रघुनन्दन व्यास : पी० एस० सी० को भ्रष्टाचार का समर्थन देने के लिए 259 का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देकर उसको रोकना चाहते हैं। शुद्ध मायने में भ्रष्टाचार का समर्थन करना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कोई माननीय सदस्य यह कहता है, मैं रोकना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

28 तारीख को सभी माननीय सदस्यों ने डिस्कशन में पार्टीसिपेट किया, चार घण्टे तक डिस्कशन हुआ। योजना मंत्री जी ने कहा जांच हो रही है और चार दिन में मैं अपनी रिपोर्ट सदन में रखूंगा। यह बयान है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निकट से निकट........

(व्यवधान)

ज्यादा से ज्यादा चार दिन में जाँच करवा कर... पूरी कार्यवाही है मेरे पास।

एक माननीय सदस्य : आप पूरा तो पढ़ें।

श्री रतन लाल वर्मा : अगर वह रिपोर्ट आ जाती तो हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देते ही नहीं....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसलिए दिया कि चार दिन में जांच करके इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाएगी। यह निर्णय है, मैं आपको ओरीजिनल दिखा सकता हूं। निर्णय इनक्वायरी कराने का है। अगर आप ठीक समझते हैं तो इनक्वायरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखवायें। इनक्वायरी हो गई होगी। अब वे रिपोर्ट सदन की मेज पर क्यों नहीं रखते हैं ? योजना मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह बात कही है कि चार दिन में रिपोर्ट मंगवा कर सदन में रखूंगा अगर सदन में पेश होती है तो ठीक है।

श्री रतन लाल वर्मा : उस समय सदन के नेता महोदय मौजूद नहीं थे, आज मौजूद हैं। वे मेहरबानी करके सदन में घोषणा करने की कृपा करें।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है मैं उससे सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय नेता महोदय ने यही संकेत दिया था, इस पर विशेष चर्चा नहीं होगी। यह मामला सदन के विचाराधीन है या नहीं किन्तु मेरा डिसिजन है और मेरी अकलतमीजी है कि यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के योग्य है अतएव मैंने व्यवस्था दी है।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : अगर आज सरकार ने यह मन्तव्य बनाया है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव वास्तविक नहीं........It is very relevant issue, it is very live issue, it is very important issue.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रश्न- पत्र

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में आज से कुछ समय पहले........

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी पहले मूव कर दें तो ठीक होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सदन में जिस प्रकार चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी की कि पी० एस० सी० के कुछ मैम्बर्स इस मामले की जांच कर रहे है। प्रश्न-पत्र किस प्रकार आउट हुये, वे जांच कर रहे हैं ? उसके बाद मैंने चेयरमैन से बात की। चेयरमैन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इस मामले की जांच इन्टेलिजेन्स से नहीं करवा रहे हैं तीन तारीख को डी० आई० जी०, सी० आई० डी० श्री मिश्रा को नियुक्त किया है। मैं समझता हूं शीघ्र ही रिपोर्ट मिल जायगी। अगर रिपोर्ट मिलने के बाद चर्चा हो तो ज्यादा ठीक होगा। जिन्होंने काल अटेन्शन मोशन दिया है, उनसे भी चर्चा की है। वे इस बात के लिए सहमत भी हैं कि तब तक के लिए इसको पोस्टपोन्ड कर दिया जाय और जिस समय रिपोर्ट आ जाय, उस समय चर्चा की जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, उसको करीब एक सप्ताह हो गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल जी, आपका भाषण समाप्त नहीं हुआ था। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, थोड़ा समय कम दें। समय निर्धारित कर दें, काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय निर्धारित किया हुआ है। मैं निर्णय भी दे चुका हूं। 24 घण्टे मिलेंगे। हर एक दल के लिए निर्णय मैं दे चुका हूं।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित किया था कि वे लघु कृषकों,

(श्री भंवरलाल ऐरन)

सीमान्त कृषकों एवं छोटी जोत वाले किसानों पर बजट का भार लादने का प्रयास न करें और अपने कर प्रस्ताव वापस लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह कर भार भूमिपतियों, समृद्ध किसानों पर डाला जाय, और उनसे वसूल किया जावे तो हमें आपत्ति नहीं होगी। मैंने इसी सिलसिले में निवेदन किया था कि विद्युत शुल्क की दरों में वृद्धि, लगान की दरों में बढ़ोतरी, सिंचाई दरों की वृद्धि आदि आदि जिस प्रकार से कर प्रस्ताव किये हैं, उनको छोटे-छोटे किसानों के हित में वापस लेने की कृपा करें। इसी संदर्भ में यह भी निवेवन करना चाहता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चरल डेटर्स रिलीफ एक्ट के द्वारा, इस कानून के अन्तर्गत इन सीमान्त किसानों को, लघु कृषकों को जब कर्जो से मुक्ति दिलाने का प्रावधान किया गया है तो फिर क्यों इन कर प्रस्तावों से इनके ऊपर भार लादा जावे ?

अब मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस शिक्षा की नीति को अंग्रेजों के जमाने में चलाया गया, जैसे मैकाले ने कहा था कि, "Education is imported in India to create clerks for offices in India." इस नीति में अब आमूल रूप से परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। छात्रों में असंतोष जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उच्छृंखलता बढ़ रही है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है, यदि उसको यह सरकार समाप्त करना चाहती है तो नीति में अविलम्ब परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन किया जावे, इसको रोजगारोन्मुखी किया जावे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे शिक्षा की नीति में जल्दी से जल्दी परिवर्तन करें।

प्रश्न उठता है कि कर समाप्त कर दिया जावे तो आखिर यह घाटा कैसे पूरा हो ? मैं इस संदर्भ में माननीय खनिज मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू में जिस प्रकार का लीकेज आज विद्यमान है, यदि उस लीकेज को समाप्त कर दिया जावे, यदि वे केवल रुटिन काम करने के अतिरिक्त थोड़ा सा इस रेवेन्यू की तरफ ध्यान दें, माइन्स से होने वाले लीकेज को समाप्त करने का प्रयास कर लें तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के राजस्थान में नये कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इसी प्रकार मैं उद्योग मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितने भी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, सभी में घोटाले व्याप्त हैं। इन पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में यदि घोटाले समाप्त कर दिये जावें, यदि इनसे होने वाली आमदनी की कोई समुचित व्यवस्था कर दी जावे, यदि वे सजग होकर ध्यान दें तो फिर राजस्थान में नए करों की जो आवश्यकता है वह समाप्त हो जावेगी और माननीय वित्त मंत्री महोदय को निश्चित रूप से किसी प्रकार का कर लगाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाना पड़ेगा।

अन्त में, चूंकि मेरे पर सचेतक महोदय का अंकुश है कि मैं ज्यादा समय न लूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा दिये गये आज के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन

(श्री भंवरलाल ऐरन)

करना चाहूंगा कि वे अपनी घोषणा पर अडिग रहें और सख्ती के साथ मद्य निषेध लागू करने का प्रयास करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(2.05 म० प०)

(श्री रामचंद्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : मेजर श्री फतहसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : श्रीमान्, सर्वप्रथम राजस्थान की अत्यन्त ज्वलन्त समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, राजस्थान में पहली अप्रैल सन्, 1979 से पूर्ण नशाबन्दी की समस्या गंभीर एवं उग्र रूप धारण कर रही है। देश के वयोवृद्ध, सामाजिक और राजनैतिक नेता तथा स्वतन्त्रता सैनानी श्री गोकुलभाई भट्ट ने पूर्ण नशाबन्दी नहीं होने की स्थिति में पहली अप्रैल, 1979 से आमरण अनशन करने की घोषणा की है। श्रीमान्, हमने अखबारों में पढ़ा था कि वित्त मंत्री महोदय ने भी यह वक्तव्य दिया था कि वह पहली अप्रैल, सन् 1979 से पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में है। इसलिए राजस्थान की जनता की दृष्टि 5 मार्च, 1979 को वित्त मंत्री महोदय का जो बजट भाषण होने वाला था उसकी तरफ लगी हुई थी। जनता यह सोच रही थी कि वित्त मंत्री महोदय अपने बजट भाषण में पहली अप्रैल, 1979 से पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा करेंगे। लेकिन ऐसी घोषणा नहीं हुई। इससे राजस्थान की जनता को निराशा हुई है।

मान्यवर, यह घोषणा क्यों नहीं हुई? हमने अखबारों में पढ़ा था कि वित्त मन्त्री महोदय का संकल्प है कि पहली अप्रैल, 1979 से पूर्ण नशाबन्दी हो लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि अगर वित्त मन्त्री महोदय इस बात का दबाव डालेंगे तो मुख्य मन्त्री पद से त्याग दे दूंगा। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री का सम्मान करता हूं, उनसे स्नेह करता हूं। सम्मान तो इसलिए कि वे मेरे नेता हैं, दल के नेता हैं और स्नेह इसलिए कि मेरे से आयु में छोटे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर वित्त मंत्री महोदय पहली अप्रैल, 1979 से पूर्ण नशाबंदी का दबाव डालते हैं तो वे मुख्य मंत्री पद से त्याग पत्र दे देंगे ऐसा कह करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को गिराया है, इस मन्त्री परिषद की प्रतिष्ठा को गिराया है, इस जनता दल की प्रतिष्ठा को गिराया है, यह अशोभनीय है। श्रीमान्, हम चाहते हैं कि भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मन्त्री रहें, मास्टर आदित्येन्द्र जी वित्त मंत्री रहें। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि राजस्थान में पहली अप्रैल, 1979 से पूर्ण नशाबन्दी हो। जब मुख्य मन्त्री जी की वह बात मुझे याद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वे त्याग पत्र दे देंगे तो मुझे एक बहुत पुरानी घटना की याद आ गई। सीता का जब स्वयंवर हुआ और कोई उस धनुष को नहीं उठा सका तो जनक ने कहा–"वीर विहीन महि मैं जानी।" इसलिए हम चाहते हैं कि भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री रहें लेकिन साथ में यह नशाबन्दी होना भी आवश्यक है।

(मेजर श्री फतहसिंह)

मैं संक्षेप में सरकार से एक बात कहना चाहता हूं। घाटे की बात कह कर इस समस्या को नहीं टाला जा सकता। राजस्थान की जनता भूखी, नंगी रहने को तैयार है लेकिन इस सामाजिक कुरीति का निवारण करने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार उस महिला के समान व्यवहार करे जो फटे कपड़े पहन कर, आधी भूखी रह कर अपने सतीत्व की रक्षा करती है। सरकार उस महिला की तरह व्यवहार नहीं करे, जो सुन्दर कपड़े और गहने पहिन कर सुखमय जीवन व्यतीत करती है परन्तु सुखमय जीवन के लिए वह अपना सतीत्व और शरीर को बेचती है। मैं वित्त मन्त्री महोदय को यहां पर अत्यन्त सम्मान के साथ दो शब्द कहना चाहता हूं। मास्टर साहब, किसी पुरुष के जीवन में निर्णायक अवसर कभी-कभी ही आते हैं। अवसर जाने के बाद नहीं आता है। आप द्वारा बजट भाषण में पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा की जानी चाहिए थी। यह आपके जीवन में पहला निर्णायक अवसर था, वह आपने खो दिया है। अब भी अवसर है कि सामान्य वाद विवाद का जब आप उत्तर दें तब आप पूर्ण नशाबंदी की घोषणा करें। मुझे अपने कर्तव्य पालन में कुछ ऐसी बात भी कहनी पड़ती है जो कि शायद मास्टर साहब को बुरी लगे। मैं क्षमा चाहता हूं, अगर ऐसा नहीं होता है तो मानना पड़ेगा कि सारा खेल किस्सा कुर्सी का है न कि मान्यताओं और सिद्धान्तों का। वित्त मन्त्री जी, आपने पूर्ण नशाबंदी करने का संकल्प लिया है। नशाबंदी करना आपके लिए धर्म युद्ध है। अगर आप इस धर्म युद्ध से पीछे हटते हैं तो आपको अपयश मिलेगा, आपकी बदनामी होगी। अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था। युद्ध नहीं करना चाहता था। ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मारना पड़ेगा। ऐसा सोचकर युद्ध से विमुख हो रहा था। आप भी शायद यह सोचते हैं कि भैरोंसिंह जी त्याग पत्र दे देंगे। यह मोह नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने कहा था—

तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी,
निजधर्म खो अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी।

अपकीर्ति गायेंगे सभी फिर
इस अमिट अपमान से,
अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को
अधिक प्राण पयान से ॥

अपकीर्ति, अपयश मिलता है तो वह सम्मानित पुरुष के लिए मृत्यु तुल्य होता है। इसलिए इस विषय पर अधिक न कह कर मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप पूर्ण नशाबंदी की घोषणा करें और राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में अमर हो जाएं।

श्रीमान्, अगर वित्त मन्त्री जी अपने बजट भाषण में, बीच में पानी पी सकते हैं तो क्या मुझे भी पानी पीने की अनुमति मिल सकती है?

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में प्रावधान है उसके अनुसार सदन में कोई चीज, कोई पेय नहीं पी सकते।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, यह जनता का शासन है, कई मान्यताएं बदली हैं, कई नये कन्वेन्शन बने हैं, अगर आपकी यह अनुमति नहीं होती है तो मैं अधिक समय

(72)

(मेजर श्री फतेहसिंह)
नहीं बोल सकता। मेरा गला ऐसे ही रुक जाता है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ऐज ए स्पेशल केस माननीय सदस्य को पानी पीने की अनुमति दी जा सकती है। सब पानी का उपयोग करने की आदत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहते हैं तो अनुमति दी जाती है।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, इस वर्ष ग्रामीण विकास पर समग्र व्यय का 64 प्रतिशत खर्च होगा और अगले वर्ष जो एक अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसमें ग्रामीण विकास पर व्यय कुल व्यय का 70 प्रतिशत होगा। सरकार की इस भावना की मैं कद्र करता हूं, सराहना करता हूं, लेकिन एक बात है। राजस्थान में ग्रामों की जो आबादी है, वह सारे राजस्थान की आबादी का 80 प्रतिशत है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास पर 70 प्रतिशत ही नहीं बल्कि सारे विकास व्यय का 80 प्रतिशत व्यय किया जाए और यह जो 70 प्रतिशत या 64 प्रतिशत व्यय हो रहा है, या नहीं हो रहा है, या यह कोरा आकड़ों का जाल है ? इसकी सत्यता जांचने के लिए आवश्यक है आप एक मूल्यांकन समिति का गठन करें जो इस बात की नजर रखे कि सरकार अपनी घोषणा के अनुसार खर्च कर रही है या नहीं।

मान्यवर, अन्त्योदय योजना लागू करके राजस्थान ने सारे देश को रास्ता दिखाया है। योजना अपने आप में ऐसी है कि कई परिवारों को इस वर्ष ऋण दिया गया, उनको व्यवसाय में लगाने के लिए भेड़, बकरी, गाय, भैंस दी गई या बैलगाड़ी दी गई और अगले वर्ष भी गरीब परिवारों को सहायता, कर्जा दिया जाएगा। याने इनको 22 करोड़ का ऋण दिया जा रहा है। लेकिन इस ऋण का सदुपयोग हो जो बैल, बकरी, गाय इत्यादि उनको दी गई है, वह उनके पास में रहती है या पुराने साहूकार, महाजन उसे लेकर चले जाते हैं, उनको देखने के लिए मशीनरी होनी चाहिए। कल यह बात यहां पर उठी थी कि कोई बैल मर जाएगा तो उनका क्या होगा ? लेकिन भैंस मर गई है या नहीं, इसकी भी देखभाल करने वाला होना चाहिए। सरकारी मशीनरी होनी चाहिए। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जैसगढ़ गांव गया था। वहां पर मैंने एक भील, जो अन्त्योदय परिवार का है, से सम्पर्क किया। उनको जो भेड़ें दी गई थीं, मुझे मालूम हुआ है कि 50 प्रतिशत भेड़ें मर चुकी हैं और उसकी इस सरकार को, विकास अधिकारी को कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे यह सब जो उन्होंने खरीदें हैं, वे जिन्दा हैं, या उन्होंने ट्रान्सफर कर दिये हैं, इस बात की सरकार को जानकारी मिलती रहनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात और है। अन्त्योदय के मामले के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अन्त्योदय परिवारों को भूमि आवंटित की गई है। मेरे क्षेत्र में भी की गई है। लेकिन यों तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आवंटन के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। दो वर्ष हो गये। फिर भी अन्त्योदय योजना में जो जमीन आवंटित की गई है, वह पथरीली जमीन है। इन गरीब परिवारों को ऐसी पथरीली जमीन नहीं दी जानी

(मेजर श्री फतहसिंह)

चाहिए ।

श्रीमान्, यह काम के बदले अनाज योजना जो सरकार ने लागू की है, वह बहुत अच्छी योजना है । इसके अन्तर्गत कई सड़कें बनी हैं, कई स्कूल बने हैं, कई तालाब बने हैं, कई पंचायत घर बने हैं और कई चिकित्सालय भवन बने हैं । लेकिन यह सारा भार विकास अधिकारी को सौंप दिया गया है कि इसको क्रियान्वित वह कराये और विकास अधिकारी ने यह भार सरपंच को सौंप दिया है । सरपंच कोई टेक्नीकल आदमी नहीं होता है । सरपंच गांव के तालाब का निर्माण, स्कूल का निर्माण, सड़क का निर्माण कराने के लिए वह कोई एक्सपर्ट नहीं है । पंचायत समिति के अन्दर एक ओवरसीयर होता है, मिस्त्री कोई नहीं होता । इसलिए एक ओवरसीयर, एक मिस्त्री जो हमारे पंचायत क्षेत्र में, पंचायत समिति के क्षेत्र में मेरी राय में लगाया गया है, वह पर्याप्त नहीं है । इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसके अन्तर्गत ये जो काम हुए हैं या होने वाले हैं उनके लिए कोई एक्सपर्ट अपनी ओपीनियन इन सरपंचों को दे सके । इनमें भ्रष्टाचार भी श्रीमान् काम के बदले अनाज योजना में फैला है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, मैं खास मुद्दे पर तो आया ही नहीं —

I request you to please give me ten minutes more. (Please) If you want to hear me I will speak.

मैं अवहेलना नहीं करूंगा ।

एक माननीय सदस्य : हम सुनना चाहते हैं आपको ।

मेजर श्री फतहसिंह : यह भ्रष्टाचार के संबंध में श्रीमान् हमारी पंचायतों में जो काम के बदले अनाज योजना में काम हो रहा है वहां पर एक वार्ड पंच जो खुद सड़क का निर्माण करवा रहा था और अपने लड़के अमरसिंह का जो दिल्ली पुलिस में काम करता है उसकी हाजरी भरी जा रही थी । जब मुझे मालूम हुआ तो हमने इस मामले को पुलिस में दर्ज करवाया । इसलिये आप अपने बी. डी. ओज को निर्देश दें कि जो कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही करें । इतना ही नहीं, मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा जिसकी जानकारी मैंने हमारे पंचायत मन्त्री जी को भी दी है । काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में एक नाड़ी का निर्माण हुआ और वह नाड़ी निजी जमीन पर बन रही थी । तीन हजार रुपये की मंजूरी दी गई लेकिन मालूम हुआ कि नाड़ी निजी जमीन पर बन रही है तो जनता ने शिकायत की । एक अधिकारी को नियुक्त किया गया कि पता लगाया जावे कि वास्तविकता क्या है ? उन्होंने बताया कि प्राइवेट जमीन पर नाड़ी बन रही है तो उसको उन्होंने बन्द करवाया और आदेश दिया कि उस सरपंच से तीन हजार रुपये जो व्यय हो चुके थे वसूल किये जाएं । लेकिन जब ऐसी बात हुई तो वहां के राजनेता को यह बात पसन्द नहीं आई तो बी० डी० ओ० द्वारा मुकर्रर जिस एस० डी० आई० ने जांच के बाद आदेश दिया था कि इस काम को बन्द

(मेजर श्री फतहसिंह)

कर दिया जाए और पंचायत के सरपंच से तीन हजार रुपये वसूल किये जाय, उस अधिकारी का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे लोग करप्शन बढ़ाते हैं। उस अधिकारी को ईनाम दिया जाना चाहिये या ट्रांसफर किया जाना चाहिये। इसी तरह से टाटगढ़ में 800 मजदूरों को 14 दिन का अनाज बांटा गया उसमें 20 बोरियों का अनाज वार्ड पंच खा गये। जब मालूम पड़ा और शिकायत हुई तो अन्य शिकायत कर्ता पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस बात की माननीय मन्त्री महोदय को भी शिकायत की गई और निवेदन किया कि इसकी जांच करवावें। 31 जनवरी की मेरी शिकायत थी लेकिन अभी तक तो इसकी जांच नहीं हुई।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं यह कहूं कि शिक्षा का प्रचार हुआ है, जैसा कि माननीय दांता साहब ने कहा था लेकिन इस पर नियन्त्रण नहीं है कि अध्यापक स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते हैं। नये विद्यालय खोले जा रहे हैं उनमें जो मापदण्ड निर्धारित किया गया है वह मापदण्ड अन्यायपूर्ण है, न्यायोचित नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार नये विद्यालय खोलते वक्त सिर्फ आबादी को ही नहीं जनता की आवश्यकता को भी ध्यान में रखकर विद्यालय खोले। और इसके अलावा जहां तक शिक्षा का सवाल है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, इस वर्ष यानि अगले वर्ष 125.54 करोड़ शिक्षा पर खर्च होगा, लेकिन इसका सदुपयोग हो इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षा संस्थाओं में जो अनुशासन हीनता और हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं उसका दृढ़ता से सरकार मुकाबला करे। शिक्षा संस्थानों में मोरल बढ़ाने और चरित्र निर्माण को भी पाठ्यक्रमों में महत्व दिया जाय।

अब इस वर्ष घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मन्त्री जी ने 56·44 करोड़ का घाटा बताया है और इस विषम स्थिति का कारण उन्होंने बताया है कि सातवें वित्त आयोग से जो केन्द्रीय सहायता हमें मिलने वाली थी उसका विभेदकारी निर्धारण बताया। कुछ भी कारण हो लेकिन यह सही है कि वित्त आयोग के सामने अथवा केन्द्रीय सरकार के सामने राजस्थान की वकालत ठीक नहीं की गई। कल एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि मुख्य मन्त्री 110 दिन तक दिल्ली में रहे, फिर भी वित्त आयोग के सामने हमारी वकालत ठीक न हो, केन्द्र के सामने हमारी वकालत ठीक न हो और हमारे साथ अन्याय हो, पर्याप्त धन न मिले यह हमारी सरकार और मुख्य मन्त्री की अयोग्यता है।

इस घाटे की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रस्ताव किये गये हैं। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जिन क्षेत्रों में बन्दोबस्त हुए 20 वर्ष हो गये और उसके बाद तीन वर्ष निकल गये हैं या उससे अधिक समय हो गया है वहां की भूमि पर राजस्व बढ़ाया जाय, राजस्व में 25 प्र. श. वृद्धि कर दी जाय। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इसी तरह से यह भी घोषणा की गई है कि जितने क्षेत्रों में कुओं का निर्माण हुआ है उन कुओं पर सिंचाई दरों से लगान की वसूली की जाय। मैं इसका भी सख्त विरोध करता हूं। इन कुओं के निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं है। किसानों ने अपनी संपत्ति लगा कर, अपने पैसे लगा

(मेजर श्री फतहसिंह)

कर इन कुओं का निर्माण कराया है और फिर सरकार इन पर राजस्व वसूल करें। मैं इसे न्यायोचित नहीं समझता। चाहिये तो यह था कि कुओं से सिंचित भूमि पर कर सर्वथा माफ किया जाय ताकि लोगों को कुवे खोदने का इंसेंटिव मिले। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि नहर से सिंचाई की दरों में 50 प्र.श की वृद्धि कर दी जावे। इसका भी मैं विरोध करता हूं और मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा।

No Budget Proposals in the living memory of this Vidhan Sabha have so adversely affected the interest of the kisans in particular and the rural masses and the poor in general, as the tax proposals put forward by the Finance Minister at this time have done.

इसलिये मैं इन प्रपोजल्स का, इन कर प्रस्तावों का सख्त विरोध करता हूं। श्रीमान्, किसानों ने, ग्रामीण गरीबों ने इस जनता पार्टी को शासन सौंपा था और इस वक्त इन कर प्रस्तावों को लेकर किसानों में, गरीबों में बड़ा असंतोष है। अगर इस असंतोष को दूर नहीं किया गया और यह असंतोष बढ़ता रहा तो फिर जिन्होंने इस सरकार को जनता दल को शासन सौंपा उसको यह अधिकार है कि वह उसको वापस अपदस्थ कर दें।

क्योंकि कवि तुलसीदास ने कहा—जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यानी जिस शासन में प्रजा दुखी होती है, उस शासन को नरक मिलता है। अर्थात् उसका विनाश होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ अकाल के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि अभी तक अकाल–राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है कि काम के बदले अनाज योजनाएं चल रही है और सरकार की तरफ से जो पैम्फलेट निकाले हैं उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भयंकर सूखे और फसल के मारे जाने पर शुरू किये जाने वाले सहायता कार्यों से पूरी तरह अलग है। दी गवर्नमेंट शुड नो इट। फेमिन मिनिस्टर को यह मालूम होना चाहिए कि जो अकाल सहायता कार्य और 'काम के बदले अनाज' योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्य भिन्न हैं और यह कहा है कि पर्याप्त मात्रा में काम चल रहे हैं। कल कहा गया था तो मैंने, श्रीमान्, चुनौती दी थी। मैं दो चार उदाहरण देकर समाप्त करना चाहता हूं कि किस तरह से काम चल रहा है—काछवली में 1986 की आबादी है, जनसंख्या है उसमें 49 आदमी काम कर रहे हैं। मण्डावर में 1968 की आबादी है उसमें जीरो आदमी काम कर रहे हैं। कूकड़ा में 5290 की आबादी है उसमें 62 आदमी काम कर रहे हैं। मागा जो मेरा स्वयं का गांव है, जहां मैं पैदा हुआ हूं जहां मैं खेला हुआ हूं उसकी 825 की आबादी है उसमें जीरो मजदूर काम कर रहे हैं। बरार में 5804 की आबादी है इसमें 13 मजदूर काम कर रहे हैं। पीपली में 2503 की आबादी है उसमें जीरो व्यक्ति काम कर रहे हैं। इस बात को आप मुख्यमन्त्रीजी को मेरी तरफ से निवेदन करें,

(मेजर श्री फतहसिंह)

वित्त मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं और पंचायत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो आज 'काम के बदले अनाज योजना में गांव शामिल हुए हैं उनमें या तो तत्काल अकाल-राहत कार्य खोले जायं या तत्काल उन गांवों में जिनमें भीषण अकाल की स्थिति है काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अधिक काम शुरू किये जायं। यह बात है। थैंक यू।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

मैं माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसको देखते हुए कम से कम समय लेंगी तो आपके दल के अन्य माननीय सदस्य भी बोल सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : प्रगतिशील दल का कोई नहीं बोला है।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के 1979-80 के बजट प्रस्तावों एवं वित्त मन्त्री जी के बजट भाषण में ऐसा प्रतीत हुआ कि राजस्थान की केन्द्र में कोई लॉबी नहीं है। विगत दिनों जब केन्द्र में राज्य की गतिविधियां बड़ी तेज गति से चल रही थी। राज्य के मुख्य मन्त्री की बार बार दिल्ली की यात्रा, प्रधान मन्त्री जी एवं जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के उन्हें बुलावे, गम्भीर विषयों पर उनसे मन्त्रणा, इन सब से जन साधारण की ऐसी धारणाएं बनी थी कि राजस्थान का केन्द्र में बड़ा प्रभाव है। लेकिन, यह सारी धारणाएं, आशाएं और आकांक्षाएं निर्मूल साबित हो गई हैं। सातवें वित्त आयोग के सामने और राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने यह राज्य सरकार अपना पक्ष ठोस आधार पर, तर्क संगत तरीके से, प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रही। और, मान्यवर, दुख तो इस बात का है कि केन्द्र द्वारा कम धन का आवंटन केवल इस साल ही नहीं इसके आने वाले पांच वर्षों तक इसी आधार पर राज्य को आवंटित होता रहेगा और यह हमारे प्रदेश के विकास की मन्दगति के रूप में कई वर्षों तक खटकता रहेगा।

उपाध्यक्ष जी, जिस प्रदेश में विस्तृत क्षेत्रफल, दो तिहाई से अधिक भाग मरुस्थल हो और जहां सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन हो, इस सब के अतिरिक्त हमारा लम्बा क्षेत्र पाकिस्तान से लगा हुआ है, सीमान्त प्रदेश है, उसकी निश्चित रूप से विकास की और दूसरी समस्यायें हैं। इन सारे तथ्यों को केन्द्र नजरन्दाज करके पंजाब, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक जैसे प्रान्तों के समतुल्य माने और हमारी सरकार ने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। उपाध्यक्ष जी, इससे बड़ा इस राज्य सरकार की अयोग्यता का और क्या प्रमाण हो सकता है। हमारे वित्त मन्त्री जी पूर्णतया निराश हो चुके हैं। उनका न तो पूर्ण नशाबन्दी का मिशन पूरा हुआ और न ही केन्द्र से उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त हुआ। इस सबका कोप वित्त मन्त्री जी ने इस प्रदेश की कमजोर जनता और किसान वर्ग पर 7 करोड़ के नये टैक्स लगाकर, और इसके

(श्रीमती मदन कौर)

बावजूद भी बजट को सन्तुलित नहीं रख सके। आपको घाटे का बजट प्रस्तुत करना पड़ा। अब उनकी दृष्टि उन 600 करोड़ रुपयों पर टिकी हुइ हैं जो भारत सरकार ने विशेष समस्याओं वाले राज्यों पर खर्च करने के लिए सुरक्षित रखी हुई हैं। उसमें से यह राज्य सरकार कितना धन केन्द्र से ला सकेगी, इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपनी योजनाओं को ग्रामोन्मुखी और अपने आप को ग्रामोत्थान का मसीहा बताती है लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रामीण जीवन के इतिहास में ये दो वर्ष आर्थिक दृष्टि से काले अक्षरों में लिखने योग्य हैं। कृषि उपज की कीमतें निरन्तर घटती जा रही हैं। गन्ना 5 रुपये बिक रहा है और रुई खलिहानों में सड़ रही है। उसका कोई खरीददार नहीं। मान्यवर, किसान को खुद की आवश्यकताओं के लिए, खासतौर से सीमेण्ट, डीजल और विद्युत के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज किसानों के पास क्रय शक्ति नहीं है। उसकी आवश्यकताओं की चीजें स्थिर मूल्य पर उपलब्ध नहीं हैं। तिस पर इस वर्ष के बजट प्रस्ताव द्वारा किसान के जले पर नमक छिड़का गया है। किसानों में इस सरकार की रही सही साख भी समाप्त हो चुकी है। सही चित्र आ गया है। मान्यवर, राज्य के अधिकांश भूभाग में

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों में जो बैन्चेज पर बैठे हुए हैं, निवेदन करूंगा कि वे प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं बातें करके आपस में।

श्रीमती मदन कौर : राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बिना भू-बन्दोबस्त कराये भू राजस्व में 25 परसेंट एडहाक बढ़ोतरी का क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? जिन किसानों ने अपनी सामान्य आवश्यकताओं का गला घोंट कर मितव्ययता बरत कर अपने स्वयं के परिश्रम और साधनों से कुओं का निर्माण किया उसे चाही में परिवर्तित करने का कौन सा न्याय संगत दृष्टिकोण है? मैं इन दोनों प्रस्तावों का घोर विरोध करती हूँ और सरकार से मांग करती हूं कि इन दोनों प्रस्तावों को वापिस लें।

मान्यवर, केन्द्रीय बजट से जो मामूली सी राहत किसानों को मिली, उसका मूल ही नहीं उसे चक्रवर्ती ब्याज लगाकर राज्य सरकार ने वसूल कर लिया है।

उपाध्यक्षजी, किसानों को भुलावे में डालने का प्रयत्न किया गया है। ट्रैक्टर और ट्राली पर से टैक्स हटाकर जैसे सरकार ने बड़ा अहसान किया है। एक तरफ ट्रैक्टर ट्राली को यात्री व माल कर अधिनियम से मुक्त किया। ट्रैक्टर और ट्राली में अभी तक 100/– रु. और 20/– रु. क्रमशः मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम के तहत देने होते वहां अब नये बजट में 150/– रु. और 50/– रु. लिये जायेंगें।

उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह को केन्द्र में और दोनों हरीसिंह को राज्य मन्त्रिमण्डल में शिखण्डी के रूप में बैठाकर यह सरकार किसानों की वेदना और कोप का भाजन बनने से बच नहीं सकेगी।

(श्रीमती मदन कौर)

किसान तो उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती थी कि इस सदन में काम के बदले अनाज योजना की बहुत चर्चा हुई है। कहा गया है कि गांवों की काया पलट हो गयी। मेरा इससे विरोध नहीं हैं। सच यह है कि राज्य सरकार को यह अनाज का भण्डार कांग्रेस सरकार से धरोहर के रूप में मिला है और उसका श्रेय भूतपूर्व सरकार को भी है। इस योजना को और अधिक व्यापक बनाया जाय। हमारे राज्य में इस प्रकार की बहुत सी भूमि पड़ी हुई है जो बंजर है और अनुपयोगी पड़ी है। ऐसी बंजर भूमि एवं चम्बल की कन्दराओं जैसे क्षेत्र को सुधारने का काम "काम के बदले अनाज" योजनाओं के तहत किया जाय। बिखरे हुए क्षेत्रों में काम करने को इतना इफैक्ट नहीं पड़ता लार्ज स्केल पर एक कम्पैक्ट एरिया में यह काम हाथ में लिया जाये तो उसका बड़ा इफैक्ट पड़ेगा। इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार के लिए भूमिसेना का गठन किया जाय। इस सेना में राज्य के पिछड़े वर्ग को लिया जाय। इस तरह अन्त्योदय योजना को सफल बनाने में भी सहायता मिलेगी इतनी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में मरुस्थलीय क्षेत्रों के समन्वित विकास की चर्चा की है। लेकिन जिस गति से विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों को राज्य के दूसरे क्षेत्रों के समकक्ष आने में 100 वर्ष से भी अधिक समय लगेगा। उस क्षेत्र के लोग समृद्धि और सम्पन्नता की तो आशा अब त्याग चुके हैं। वे तो केवल मात्र पीने का पानी पाने को व्याकुल हैं। मैं सरकार पर यह आरोप लगाती हूं कि इस मानवीय समस्या के प्रति सरकार उदासीन है और ये सरकार की पश्चिमी इलाकों के प्रति उपेक्षा का प्रतीक है। पचपदरा तहसील में 43 हजार लोग पीने के पानी के संकट से अभी प्रभावित रह रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, आज कृषि व्यवसाय घाटे का व्यवसाय हो गया है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए मैं चेतावनी देती हूं कि यह स्थिति बड़ी घातक सिद्ध होगी। कृषि व्यवसाय को वैज्ञानिक आधार पर विकसित करें। देश और प्रदेश में कृषि विशेषज्ञों की कमी नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय और अनुसन्धान संस्थान कार्यरत हैं। नये नये प्रयोग किये जा रहे हैं। इन प्रयोगों के परिणामों से आज किसान अनभिज्ञ हैं। किसान ही क्यों आज नागरिक भी अनभिज्ञ है। यह सरकार का दायित्व है कि इन प्रयोगों की जानकारी को प्रसार प्रचार के माध्यम से, प्रशिक्षण से लोकप्रिय बनाये। यहां का किसान अशिक्षित और साधनहीन तो हैं परन्तु उसमें सूझबूझ की कहीं कमी नहीं है। मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहती हूं कि किसानों को परम्परागत फसलों के अलावा विविध फसलों की जानकारी दें। ऐसी फसलों की जिनका कि औद्योगिक महत्व हो। जिनके निर्यात की सम्भावना हो। आज कमी किस बात की है? सरकार के पास साधन और तकनीकी क्षमता है, जानकारी है। आवश्यकता है साहस की, व्यवस्था देने की। यह सरकार का कर्तव्य है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी कृषि नीति तय करें जिससे कि व्यवसाय को वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके।

(श्रीमती मदन कौर)

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मान्यवर, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि कर्त्तव्य है, उसके नागरिकों की जान माल की हिफाजत करना। लेकिन आज कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है, यह सभी जानते हैं ? चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्या तो मामूली बात हो गई है। गत वर्ष और इस साल भी पुलिस के अमले और व्यय में बढ़ोतरी की गई। लेकिन उसमें केवल बढ़ोतरी से ही सुधार नहीं किया जा सकता। आवश्यकता है, वातावरण बनाने की। लोगों में विश्वास पैदा करने की।

उपाध्यक्ष जी, किसी भी योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या नियोजन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे आर्थिक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर वित्तमन्त्री का मौन दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मौन, सरकार का यह परिवर्तित दृष्टिकोण, सातवें वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा राज्य का धन का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सरकार का इतने महत्व के प्रश्न पर मौन और उदासीनता का परिणाम इस प्रदेश में गरीबी को बढ़ाने में सहायक होगा। कितने ही विकास के कीर्तिमान क्यों न प्राप्त कर लें, जनसंख्या के नियन्त्रण पर प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो यह प्रदेश पिछड़ा ही रहेगा। गरीबी और अधिक बढ़ेगी और यह सरकार इसकी दोषी होगी।

....उपाध्यक्ष जी, अन्त में मैं इस बजट को किसान विरोधी की संज्ञा देती हूं। किसानों के हितों पर घोर कुठाराघात करने वाला और इसके साथ ही व्यापारियों, पूंजीपतियों और सामन्तों का पोषक बताती हूं और इसीलिए बजट का घोर विरोध करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जनता सरकार ने जो कार्यक्रम दिया है, चाहे घोषणा पत्र में अंकित हो, चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिग्दर्शित किया गया हो चाहे हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट अनुमानों में उल्लेख किया हो, हमारा कार्यक्रम है ग्रामोन्मुखी। हमारा मूल उद्देश्य है ग्रामों का विकास करना। पिछले तीन वर्षों में जो योजना व्यय में पैसा लगाया गया उसके अनुपात में 77 से 80 तक जो 292 करोड़ रुपयों की वृद्धि की है वह इस बात की ओर इशारा करती है कि हम कृत संकल्प हैं गांवों का विकास करने के लिए यह हमारे कार्यक्रमों में भी दिखाया गया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस वास्तविकता को नकारने में दुस्साहस का परिचय दिया है—

श्री मदनसिंह दांता : एक को तो छोड़ो।

श्री भंवरलाल ऐरन : एक को माइनस कर दो।

श्री शिवनारायण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामों का विकास करना कोई भाषण की वस्तु नहीं है, विकास एक मानसिक स्थिति है, एक व्यावहारिक

(श्री शिवनारायण)

अनुभूति है, मानव जीवन की एक प्रक्रिया है और सामाजिक जीवन का एक मूल्य है। जिसको मात्र भाषण से नकारा नहीं जा सकता। हमारे ग्रामों की संख्या लगभग 33 हजार है, वहां का प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक कृषक इस बात को भलीभांति जानता है कि पिछली तीन दशाब्दियों में जो ग्रामों का विकास नहीं हुआ वह इस अल्पावधि में इस जनता सरकार ने किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिये, शिक्षा के क्षेत्र में देखिये, सड़कों के क्षेत्र में देखिये, हर क्षेत्र में ग्रामों का विकास जनता सरकार ने किया है। ना पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बात पर भी प्रहार किया और कर प्रस्तावों को किसान-विरोधी की संज्ञा दी। इस तरह से भ्रामक प्रचार करने की कुचेष्टा की है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों ने लगान के बारे में जो विरोध प्रदर्शित किया है, उसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह तो जनता पार्टी मैम्बर्स ने भी किया है।

श्री शिवनारायण : अपने-अपने विचार हैं।

श्रीमान्, बन्दोबस्त होने वाली 96 तहसीलें हैं हमारे राजस्थान में। इनका बन्दोबस्त करने का दायित्व पूर्ववर्ती सरकार का था। यह बन्दोबस्त संवत् 2000 से 2032 तक नहीं हुआ, यह अकर्मण्यता पूर्ववर्ती सरकार की थी।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से तेईस वर्ष पहले माननीय सदस्य जो वेतन और भत्ता लेते थे, क्या वे आज भी उन्हीं सुविधाओं पर आश्रित रह सकते हैं? आज उनको क्या मिल रहा है। 23 वर्ष पूर्व जो सामाजिक जीवन स्तर था, क्या वही आज है? क्या वही जीवन स्तर चाहे शहर का हो या ग्रामीण हो, उस व्यक्ति का है? लगान में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है यह किसानों के लिए बड़ी बात नहीं है....

श्री रामकरण सिंह : क्योंकि वे बोलते नहीं हैं, और यूनियन के माध्यम सामने नहीं आते।

श्री शिवनारायण : किसान वर्ग को रिप्रेजेन्ट मैं करता हूं, मैं भी खेती करता हूं। किसानों के हामी लेवी को भूल गए, जब किसान के यहां दो मन गेहूं पैदा नहीं हुआ और उसको बाजार से डेढ़ सौ रुपया क्विंटल के भाव से खरीदकर लेवी देनी पड़ी। क्या जनता सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों का अनुदान 25 से 33 प्रतिशत नहीं कर दिया? क्या जनता सरकार ने कार्मशियल क्राप्स पर लगान माफ नहीं किया? इसका उत्तर ना पक्ष के माननीय सदस्यों के पास नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत उत्तर है।

श्री शिवनारायण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में जो विरोध किया है वह मात्र विरोध करने की भावना से किया गया है। तीस रुपया लागत आती है और 20, 25 रुपये पम्प के देने पड़ते हैं। गवर्नमेन्ट अपने खर्चे से नहरें लाकर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करती हैं तो क्या इसके लिए डेढ़ रुपया लेना भी अपेक्षित नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे किसानों को कोई असन्तोष नहीं है। मात्र इस सदन

(श्री शिवनारायण)
में भाषण करने से उन किसानों को आवाज तक नहीं पहुंचाई जा सकती। किसान अपेक्षा करता है बिजली की, उन्नत खाद और बीजों की, अच्छे-अच्छे उपक्रमों की जिससे खेती में उन्नति हो। आज वह इस बात का गौरव समझता है कि सरकार को लगान नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा और किसानों को ज्यादा सुविधायें कहां से मिलेगी। इसलिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो कर प्रस्ताव दिये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। ये अपेक्षित ही हैं।

एक बात में शराबबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, परिवार कल्याण एक राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि यह नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही शराबबन्दी भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार कल्याण का था उसको धक्का पहुंचाया गया। उसकी क्रियान्विति का फल माननीय ना पक्ष के सदस्यों को भुगतना पड़ा, उससे जनता पार्टी को सबक लेना है, उसके उपर चिन्तन करना है। 13 जिलों में जहाँ पर प्रोहिबिशन लागू किया है उसकी समीक्षा कर ली जाय। वास्तव में अगर यह क्रियान्विति सफल सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से दूसरे जिलों में भी लागू करनी चाहिए। अगर 13 जिलों में इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा है, शिक्षाप्रद नहीं रहा है, अगर जनता की इच्छा के प्रतिकूल है तो इसको देखते हुए भी विचार करना है कि हमारे लिए क्या अपेक्षित है?

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सातवें वित्त आयोग ने जो हमारे साथ विभेदकारी नीति अपनाई है, हमारी सरकार के 600 करोड़ के रिजर्व हैं, उसके लिए हमको और भी प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा अधिक विकास हो सके।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका और सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां पर शराबन्दी के सिलसिले में बहुत कुछ बातें हुई हैं और होने जा रही हैं। सबके अपने अपने विचार हो सकते है लेकिन महात्मा गांधी ने शराबबन्दी के लिए जो कुछ सोचा और जिस कारण वह शराब बंद करना चाहते थे क्या वह कारण आज है, क्या वह लक्ष्य आज भी प्राप्त करने जा रहे हैं? उनके दिमाग में एक ही बात थी कि शराब बुरी चीज है और नहीं पीनी चाहिये। राज्य सरकार ने जिन-जिन जिलों में शराबबन्दी की है, वहां पर क्या शराब वास्तव में बंद भी हो गई है या लोग नया धन्धा अपनाकर तमाम बुराइयों से भरी हुई इस चीज को लोगों तक पहुंचाकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप विचार करें। आपको अपनी दृष्टि से राजस्थान को चलाना पड़ेगा। मास्टर साहब, जो वित्त मंत्री हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय इस विधान सभा में कुछ लोग आपको प्रोवोक करके ऐसा काम करा देना चाहते हैं जिससे राजस्थान प्रदेश, जो देश में सभी राज्यों से ऊपर आया हुआ है, भी दल-दल में फंस जाए। जैसा यू. पी. और बिहार और दूसरे राज्यों में हो रहा है, वे लोग राजस्थान में भी वैसी हालत देखना चाहते हैं। असली मामला यह है। आपको जो

(८२)

(श्री नारायणसिंह)

निर्णय लेना है लीजिए। लोग कहते हैं आपको इस्तीफा देना चाहिए, लोग कहते हैं एक अप्रैल से आपको अनशन पर बैठना चाहिए जैसे गोकुल भाई बैठ रहे हैं लेकिन आप एक मन्त्री हैं, आपका सामूहिक दायित्व है, उसको सोचकर फिर फैसला करें।

(व्यवधान)

जब आपका टर्न आए तो आप बोलियेगा, मेरा अधिकार है बोलने का, मुझे बोलने दीजिए।

मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि शराबबंदी नहीं हो, मैं चाहता हूं कि जो कदम उठाए जायं, यहां की स्थिति को देखकर उठाए जायं और जल्दी इस बुराई को खतम किया जाए। आप दुकानें बंद कर देंगे, शराबबंदी करेंगे लेकिन नाजायज शराब न बिके और लोग पीकर मरें नहीं, इस बात पर ध्यान देंगे तब आपकी शराबबंदी सही मायने में आएगी। तो इसकी अच्छाई और बुराई और प्रदेश की दूसरी बातों को देखकर निर्णय लें, अपनी केबिनेट के साथियों को साथ में लेकर जो भी नीति तय हो, चाहे आप उत्तर में कहें या बाद में कहें, यह मैं आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं।

मैं इसी पाइन्ट पर आपका ध्यान फिर दिलाना चाहता हूं। कुछ अखबारों में इधर उधर की खबरें छप गई हैं कि प्रधान मन्त्री ने आपका ध्यान दिलाया था कि राजस्थान में शांति है, अच्छे काम हो रहे हैं, उन बातों को देखकर जो कदम उठाए जायं वे उठायें। तमाम प्रदेशों में धांधलेबाजी हो रही है और अविश्वास प्रस्ताव आ रहे हैं, एक सरकार गिर रही है और दूसरी आ रही है, इन तमाम बातों से राजस्थान को दूर रखें तो इसी में हमारे राज्य का भला होगा। तमाम बातों की ओर गौर कर के फिर कदम उठायें।

अब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश को चारों ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। हर प्रकार की उन्नति हो रही है, लोगों को महसूस होने लगा है कि वास्तव में जनता सरकार में कुछ तरक्की हुई है। आश्चर्य और खुशी की बात है कि इन 18 महीनों में किसी भी मंत्री या मुख्य मंत्री के विरुद्ध करप्शन के चार्जेज नहीं लगाए गए। यह अच्छी बात है।

मुझे खुशी है मुख्य मंत्री इस समय यहां बिराजे रहे हैं। मैं उनका ध्यान आज उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूं। उद्योगों में आप इकाइयां बढ़ाते जा रहे हैं, करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने यह देखा कि उद्योगपतियों को रा-मेटेरियल सप्लाई किया जा रहा है या नहीं? समय पर सप्लाई नहीं किया जा रहा है तो उसका परिणाम यह होगा कि जो ऋण आपके द्वारा दिया जाएगा वह समाप्त हो जाएगा, इकाइयां बंद हो जाएंगी और सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रा-मेटेरियल में लोहा और कोयला भी दिया जा रहा है। लेकिन मुख्य मंत्री जी, ऐसे आदमियों को कोल अलाट किया जा रहा है जो धांधलेबाजी कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि लाखों रुपये का घपला हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लघु उद्योग निगम कच्चा माल बनाए और उद्योगों को दे और दूसरी ओर उन लोगों को स्पान्सर करते हैं जो ब्लेक मार्केटिंग करते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : सही बात है ।

श्री नारायणसिंह : मैं आपको नाम बताना चाहता हूं । एक है अनुराग कोल सप्लायर्स, जयपुर, (2) अनुपम इण्डस्ट्रीज, जयपुर, (3) जे. के. कोल कम्पनी, जयपुर और (4) जयपुर कोल उद्योग, जयपुर । सब मिडिल मेन हैं । 600 वैगन्स कोल के स्पांसर किए गए जब कि लघु उद्योग निगम का काम था कि किसी प्राइवेट पार्टी को कोल न देकर छोटी छोटी इकाइयों में बांटती । इस समय कोयले में एक टन पर करीब 200–300 रुपये का ब्लेक चल रहा है । एक वैगन के अन्दर करीब 25 टन माल आता है, । अगर हम हिसाब लगायें तो 600 वैगन में करीब 45 लाख रुपये का गबन हुआ है । मैं निवेदन करूंगा, मुख्य मन्त्री जी, आप एक हाई पावर कमेटी वैठा कर इसकी जांच करायें और जांच के बाद सारे फैक्ट्स सदन के सामने रखें ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सन् 1973 और 1974 में 10 हजार से 15 हजार टन लोहा लघु उद्योग को आवंटित किया गया । मैं मानता हूं उस समय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, उस समय कांग्रेस सरकार का राज्य था । उस समय वह सारा माल सिर्फ दो आदमियों ने ले लिया और सारे के सारे माल में बहुत गड़बड़ियां हुई । हम चाहते हैं कि आप इसकी भी जांच करायें । जांच से मालूम हो जायगा कि कौन-कौन आदमी इसमें शरीक हैं । मैं मांग करता हूं कि आप इसकी जांच करवायें और जांच के बाद फैक्ट्स सदन के सामने लायें ।

इतना ही नहीं, मुख्य मंत्री जी से मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो कोयले के रैक आते हैं वह जरूरतमन्द आदमियों को न देकर ऐसे आदमियों को अलाट कर दिए जाते हैं जिनको कि उसकी जरूरत नहीं है और जिनको जरूरत है वह ब्लेक में लेते हैं । यह मैं सही कह रहा हूं । आपको मालूम होना चाहिए कि आप इन्डस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन आपके पास न कोयला है, न लोहा है और न दूसरा सामान है । आप, मंत्री महोदय, इसके ऊपर विचार करें । मुझे बड़ी खुशी है कि उद्योग मन्त्री जी यहां पर हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी भी यहां बैठे हैं । मैं समझता हूं कि मेरी बातों को उन्होंने नोट कर लिया होगा । मेरा निवेदन है कि एक हाई पावर कमेटी बैठाकर जो कोल में गड़बड़ियां हुई हैं और लोहे के आवंटन में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच करायें और जांच के बाद सारे फैक्ट्स सदन के सामने प्रस्तुत करें ।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य, मुझे माफ करेंगे । मेरी इनफार्मेशन है कि ऐसे आफिसर्स को निकाला है जिन्होंने शिकायतें की हैं । ऐसे दो आफिसर हैं । उम्मेदसिंह का ट्रान्सफर इसलिए किया है कि उसने शिकायत की । एक अच्छे आफिसर का ट्रांसफर किया है, मुझे मालूम है ।

श्री नारायणसिंह : मुझे मालूम नहीं है । आप जानें ।

मेरा जो पाइन्ट था वह यही था कि लघु उद्योग की इकाइयां हैं राजस्थान में उनको रा-मेटेरियल नहीं मिल रहा है । रा-मेटेरियल लैप्स हो रहा है । कोयले के रैक उनको दिये जाते हैं जिनको जरूरत नहीं होती है । वह दूसरों को देते हैं दुगनी और तिगुनी कीमत पर । मेरा कहना है कि अगर

(श्री नारायणसिंह)
आप स्टेट को उद्योग की दृष्टि से बढ़ाना चाहते हैं तो रा-मेटेरियल उनको दिलायें जो कि सही आदमी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपका ध्यान कुछ और बातों की ओर भी दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नारायणसिंह जी, आप 15 मिनट ले चुके हैं। केवल 5 मिनट और ले लें।

श्री नारायणसिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कुछ और मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। देहातों में जितना भी ऋण देते हैं वह बड़े-बड़े लोगों के पास चला जाता है। उसका फायदा गरीब आदमी को नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव वालों को पानी नहीं मिलता है। आज पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे पूरी सहानुभूति है पश्चिमी राजस्थान के साथ लेकिन जिन गांवों में पानी नहीं है उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

डेयरी का डवलपमेंट हो रहा है और दूध सहकारी समीतियो के द्वारा पहुंच रहा है। मैं एक खास बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्राइवेट वान में दूध लाते हैं वह रास्ते में बहुत गड़बड़ियां करते हैं। रास्ते में गन्दा पानी मिला लाते हैं। आज डेयरी डवलपमेंट पर करोड़ों रुपया खर्च करने जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो लोगों को दूध नहीं बल्कि पानी मिलेगा। इसीलिए जो वान के मालिक हैं वह तरीके से दूध लायें। दूध सील होकर आये और गवर्नमेंट आफिसर के सामने वह सील खुले।

इसके अलावा आपने गांव गांव में स्कूल खोले हैं। जो सरकार का है वह हम सब का है। सरकार के खजाने के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हम यह चाहते हैं कि जो पैसा खर्च करें उसका उपयोग हो। आप अपने कागजों के अन्दर बता देते है कि इतने स्कूल खुल गये और वहां मास्टर भेज दिये। लेकिन वास्तव में स्कूलों में मास्टर नहीं जाते। जिस गांव का रहने वाला मास्टर होता है वह उस गांव को छोड़ना नहीं चाहता। अगर उसका अपाइन्टमेन्ट उसके गांव से दूर कर देते हैं तो वह वहां नहीं जाता और कागजों में हाजिरी होती रहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, कृपा है आपकी····।

श्री उपाध्यक्ष : मै विवश हूं। ज्यादा समय नहीं दे सकूंगा। आपके दल के दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

श्री नारायणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी तो बारी आती है। अगर समय दें तो आपकी मेहरबानी है वरना बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बोलने वाले हैं।

श्री नारायणसिंह : अच्छी बात है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : 1979-80 का जो बजट वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। जितने भी बजट 1967 से लेकर आज तक प्रस्तुत हुए हैं, उन सबका भी मैंने

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अध्ययन किया है और पहले के बजटों की भी मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की है। मैंने यह पाया है कि राजस्थान विधान सभा के इतिहास में ऐसा किसान विरोधी, जन विरोधी, प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी बजट पहले कभी प्रस्तुत नहीं हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है, यह उन वित्त मन्त्री ने बजट प्रस्तुत किया है जो गांधीवादी है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन पर कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसा दबाव डाला गया है जिसके कारण उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है इस बजट पर मुझ से पहले विचार व्यक्त किये गये हैं, मैं उन विचारों से सहमत हूं, इस बजट पर जनसंघ का अधिक प्रभाव पड़ा है, व्यापारियों की सुविधाओं का अधिक ध्यान रखा गया है, किसानों के ऊपर जितना प्रहार किया जा सकता था उतना प्रहार किया गया है। केन्द्र में जो वित्त मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया उसमें जरूर कुछ किसानों को सुविधायें दी गईं परन्तु वह बजट भी जनता के विरोध में जाता है और जो कमजोर लोग हैं, जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन पर वह बजट प्रतिकूल प्रभाव डालता है। केरोसीन पर टैक्स लगाया, माचिस पर, टैक्स लगाया, छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स लगाया गया। उसके बाद में यह बजट प्रस्तुत हुआ है। दोनों ही बजट जो प्रस्तुत हुए हैं इनमें जो टैक्स लगाये गये हैं, केन्द्रीय सरकार और राजस्थान गवर्नमेन्ट ने टैक्स लगाये हैं, मैं समझता हूं कि उनसे 20 प्रतिशत महंगाई बढ़ेगी। केन्द्र के बजट के ऊपर केन्द्र के अधिकारी ने यह विचार प्रकट किया है कि उससे एक प्रतिशत महंगाई बढ़ेगी। इस सम्बन्ध में केन्द्र के मंत्री धारिया का मत भिन्न है, उससे सहमति प्रकट नहीं करता।

श्री ईश्वरचन्द : कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपकी समझ में नहीं आयगा। जब आम लोग गांवों में जायेंगे, तब मालूम होगा कि टैक्स का भार क्या पड़ा है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : आप वकील हैं, इसलिये समझ में नहीं आ रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : भू-राजस्व में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। पहले सैटलमेंट कर लेना चाहिए। सैटलमेंट आपने किया नहीं और उससे पहले जितना सख्त तरीका आप अपना सकते हैं वह सख्त तरीका अपना कर भू-राजस्व में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। भू-राजस्व की बढ़ोतरी के बाद में जिस किसान ने अपनी मेहनत से कुंए का निर्माण किया है, उससे चाही रेट लेने का निर्णय किया है। सिंचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिये। सिंचित क्षेत्र में प्रोडक्शन अधिक होता है। उस क्षेत्र में प्रोडक्शन अधिक होने पर भी इरिगेशन के साधनों पर मेंनटिनेंस का जो खर्चा हो उसकी पूर्ति न हो तो वह उचित नहीं। इसलिए सिंचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है वह बढ़ोतरी होनी चाहिए मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं तो यह भी चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की दृष्टि से जो धनी लोग हैं जिनकी 20 हजार से अधिक इनकम है उन पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना चाहिए। जब कांग्रेस का शासन था तब भी मैंने यह विचार रखे थे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
और अभी भी इस विचार पर दृढ़ हूं कि शहरों में 10 हजार की इनकम पर टैक्स लगता है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 20 हजार की इनकम पर लगना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : बिहार से हटा दिया।

श्री वृद्धिचन्द जैन : हटा दिया, तो गलत किया।

20 हजार की इनकम पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। जिनकी केपेसिटी है उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए।

टैक्स के बारे में यह विचार प्रकट किये गये कि डायरेक्ट टैक्सेज हों, तो अच्छा रहेगा। हम एक तरफ तो यह कहें टैक्सेज गरीब आदमी पर नहीं लगने चाहिए, अल्प आय वाले पर नहीं लगने चाहिये और दूसरी तरफ यह कहें कि विकास होना चाहिए। तो बिना टैक्स के कोई भी विकास नहीं हो सकता। कोई स्टेट प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी राज्य का संचालन करने के लिये और विकास के कार्यों का संचालन करने के लिये टैक्स, लगाना बहुत आवश्यक है। नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। जो फिगर्स आये हैं उनको मैंने देखा है।

1977-78 में 75·31 प्रति व्यक्ति नान टैक्स रेवेन्यू थी, 1978–79 में 90·86 हुई और 79–80 में 76·94 रह गई। तो नान टैक्स रेवेन्यू के अन्दर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, वह नान टैक्स रेवेन्यू के अन्दर बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बारे में पूरी कोशिश करनी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। एक माननीय सदस्य डण्डा लेकर घूम रहे हैं। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि डण्डा सदन में नहीं ला सकते। हाउस में डण्डा लाना खतरनाक है। पिछले साल रतनलाल वर्मा डण्डा लेकर घूम रहे थे। हाउस में डण्डा लायें तो एक जगह बैठे रहें, घूमें नहीं। मेरे ख्याल में यह सदन की परम्परा के विपरीत है।

श्री टीकमचन्द कांत : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय से विशेष स्वीकृति ली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ है कि डण्डे का सहारा लेने के लिये उपयोग होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह सर्कुलेट करना संभव नहीं। अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी है, यही काफी है। आपको माननीय सदस्य के कथन पर विश्वास करना चाहिये।

श्री ईश्वरचन्द : माननीय सदस्य को चोट लगी है। आप विरोध कर रहे है, आपको शर्म आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति दे दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे पैर में भी चोट आई है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराज जाय।

(87)

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है यह डण्डा क्यों लाना चाहते हैं ? इसका इस्तेमाल हो सकता है । वे स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते हैं । किसी के यह डण्डा कोई और लगा देगा इसलिये इसको उचित स्थान पर रखिये । यह डण्डा तो क्या तोप भी ले आयें तो हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी के साथ भेद-भाव नहीं होना चाहिये । आपको कभी आवश्यकता होगी तो आपको भी इजाजत दे देंगे ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, उपभोक्ताओं की जो आवश्यक चीजें थीं, उन पर बजट सेशन शुरू हुआ, उसके तीन सप्ताह पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत सैल्स टैक्स बढ़ा दिया । वह भी लोकतन्त्र के विरोध में काम किया था । जब कि यह पता था कि बजट अधिवेशन शुरू हो रहा है तो एक नोटिफिकेशन के जरिये नहीं बढ़ाना चाहिये था । नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार था, यह मैं मानता हूं परन्तु लोकतान्त्रिक तरीके से यदि किया जाता, विधान सभा में कानून में संशोधन प्रस्तुत किया जाता तो उसकी खूबसूरती और होती । 7 प्रतिशत से लेकर 8 प्रतिशत की वृद्धि की है उससे भी कीमतें बढ़ी हैं, मंहगाई को प्रोत्साहन मिला है और आम आदमी पर प्रभाव पड़ा है । इसी प्रकार जो यात्री और माल कर में वृद्धि हुई उससे भी किराया बढ़ेगा, बसेज का किराया बढ़ेगा, भाड़ा अधिक लगेगा और वह भी कीमतों को बढ़ायेगा । इसलिये जो भी बजट प्रस्तुत हुआ है और जो टैक्सेज लगाये गये हैं उनसे मंहगाई बढ़ेगी ।

दूसरी बात मैं सदन के समक्ष यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार से जो शेयर प्राप्त करना चाहिये वह भी प्राप्त करने में असफल रही है । वह यह भी साबित करने में असफल रही है कि राजस्थान प्रान्त पिछड़ा हुआ प्रान्त है । अगर सरकार यह साबित कर देती कि राजस्थान में 56 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे है तो राजस्थान को अधिक सहायता मिल सकती थी परन्तु सरकार यह भी साबित नहीं कर पाई । प्रोफेसर डाण्डेकर और रथ द्वारा जो फार्मूला अपनाया गया उस फार्मूले के अनुसार अपने प्रदेश में 56 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे नहीं हैं तो प्रश्न यह उठता है कि जो मुख्य मंत्री जी कहा करते थे कि यह प्रदेश भूखा नंगा है, यहां के लोग गरीब हैं, यहां के लोग पिछड़े हुए हैं क्या यह बात सही है ? क्या केन्द्र इसको मान्यता देता है ? केन्द्र इसको मान्यता नहीं देता तो इस सम्बन्ध में जो एक्सपर्ट्स की राय है वह लें और इस केस की अच्छी तरह पैरवी करने की कोशिश करें ।

वित्त मंत्री जी ने यह तो हिम्मत दिखाई कि वित्त आयोग का खुल्लमखुल्ला विरोध किया । नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल ने जो निर्णय लिया है, उसका भी आपने विरोध किया है । जब इसका विरोध किया है तो प्रधान मंत्री का भी विरोध किया है परन्तु जो पैरवी की है वह बहुत कमजोरी के साथ की और इससे स्टेट को बहुत नुकसान पहुंचा है । यह नुकसान इस वर्ष ही नहीं, बल्कि आने वाले सालों में चलता रहेगा । इस सम्बन्ध में पूरी तरह अध्ययन करके इस केस को अन्डरस्टेण्ड करिये और फिर पैरवी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
करिये। हमें जो शेयर वास्तव में मिलना चाहिये, उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी है।

अब मैं तीसरा प्रश्न...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और वह है शराब बन्दी। वित्त मंत्री जी दिल से चाहते हैं कि शराब बन्दी की जाय। उन्होंने अपने भाषण, जो 6 सितम्बर, 1977 को दिया, में कांग्रेस सरकार का बहुत ही विरोध किया था और पूरा विश्वास दिलाया था कि हम नशाबन्दी दूसरी स्टेट्स से पहले करेंगे परन्तु इस कार्यक्रम के अन्दर सफल नहीं हो रहे हैं। इस बजट में एक भी शब्द नशाबन्दी के बारे में नहीं कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा नशाबन्दी के बारे में मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मोरारजी भाई का दृष्टिकोण क्या है क्योंकि राजस्व का प्रश्न उठता है। मैं मोरारजी भाई के विचार राजस्व के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। अगर यह मान भी लें कि राजस्व का नुकसान होता है...

एक माननीय सदस्य : कौन सा ?

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : फिर भी, जिस काम से इन्सान को नुकसान पहुंचता है वह काम हमें छोड़ना ही चाहिये। उसमें पैसा छोड़ना पड़े तो छोड़ना ही चाहिये, नहीं तो इन्सान का ठीक विकास कभी नहीं होने पायेगा। जहां इन्सानियत का सवाल और जहां मनुष्य के स्वास्थ्य और सुख की बात है, वहां पैसे का हिसाब लगाने से इन्सान खतम हो जायगा। इसलिये जो पैसे की दलील देते हैं वे सिर्फ लालची लोगों को लुभाने की दृष्टि से ही देते हैं। अगर पैसों की दृष्टि से कोई राय देते हैं, मुख्य मंत्री जी राय देते हैं या कोई भी हमें राय देते हैं तो इस राय में आपको आना नहीं चाहिये। इस सम्बन्ध में अगर आप दृढ़ विचारों के हैं जो मुख्य मंत्री आपकी बात न माने तो मैं कहता हूं आपको केबिनेट से यदि ठीक लगे तो स्तीफा दे देना चाहिये। मुख्य मंत्री जी कभी भी स्तीफा नहीं देंगे, वे तो केवल धमकी देते हैं कि अगर गोकुल भाई आमरण अनशन करते हैं तो मैं स्तीफा दे दूंगा। परन्तु आप तो सर्वोदयी हैं और इसी विचारधारा के हैं, यदि आपकी बात नहीं माने तो जो पहले भाषण दिया था, उस भाषण के...

(व्यवधान)

उस भाषण के शब्दों को मैं दोहराना चाहता हूं। जो भाषण 6 सितम्बर, 1977 को दिया उसके शब्द...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन्हें उनका भाषण खुद को ही याद है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय मंत्री महोदय इसी विचारधारा के व्यक्ति हैं।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब मैं परिवार नियोजन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। नसबन्दी और नशाबन्दी दोनों ही कार्यक्रम कामयाब नहीं हुए तो विकास के जितने कार्य हैं वे सब अवरुद्ध हो जायेंगे। अन्त्योदय की योजना में भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। नसबन्दी और नशाबन्दी दोनों ही आव-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
श्यक कार्य हैं। नसबन्दी के लिये कांग्रेस सरकार को दोष देते हैं, श्रीमती इन्दिरा गान्धी को दोष देते हैं, मैं मानता हूं इमर्जेन्सी में जबरदस्ती नसबन्दी हुई....

(व्यवधान)

परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमने जो गलती की उससे भी ज्यादा गलती ..

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इन्ट्रप्ट मत करिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : हमने गलती की ..

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये हमारी जो सही बात है अन्तर्रात्मा की बात है, उसे अवश्य कहेंगे।

हमने गलती की, हमने जबर्दस्ती की परन्तु इसके बारे में आपने चुनावों में यह प्रचार किया, इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि इससे नपुंसक हो जाते हैं और अभी भी आप यह प्रचार कर रहे हैं। इस प्रचार के कारण अभी भी आप अपने क्षेत्र में जाकर नसबन्दी प्रचार नहीं कर सकते हैं। आपकी नैतिक शक्ति बिलकुल कमजोर हो गई है क्योंकि आपने यह कु-प्रचार किया है। नसबन्दी के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो हैं, इन मुख्य मंत्री जी ने बाड़मेर शहर की पब्लिक मीटिंग में यह कहा है, बाड़मेर की पब्लिक मीटिंग में ये शब्द कहे हैं कि इससे नपुंसक हो जाते हैं। आपने यह कहा है कि अगर आप नसबन्दी कराओगे तो महिलाओं की गोद में आगे से बच्चे नहीं देखोगे। ये शब्द कहे हैं। यह प्रचार आपके मुख्य मंत्री जी ने किया है और यही प्रचार आपके कार्यकर्त्ताओं ने किया है, इससे आप लोगों ने बड़ी कु-सेवा की है। इसका आप लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए ...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप इनको व्यवधान करने से रोकिये साहब।

श्री ईश्वरचन्द : यह तो केवल बाड़मेर के लिए कहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं शपथ खा कर कह सकता हूं कि ये शब्द कहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वृद्धिचन्द जी, अब समाप्त करें, काफी समय ले लिया है।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या यह बात सही है कि नपुंसक हो जाते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह बात तो मुख्य मंत्री जी ने कही है।

श्री रतनलाल वर्मा : आप क्या कहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं कहता हूं कि इससे कोई नपुंसक नहीं होता।

श्री रतनलाल वर्मा : आपका प्रैक्टिकल अनुभव है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, अनावश्यक चर्चा नहीं करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, इनको पांच बजे तक का समय दे दिया जाय।

श्री माणकलाल ठाकोर : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है इसके द्वारा आर० एस० एस० को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा कर उसका प्रभाव जरूर डाल देंगे। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम सफल करना बहुत कठिन कार्य है। चाहे आप करोड़ों रुपया खर्च करें परन्तु यह प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम आप सफल नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, हम भी प्रमुख जिला परिषद थे तो हमने पंचायत समितियों से प्रयास किया था, कोशिश की थी। जो ईमानदार, योग्य थे और कमिटेड थे, अपने सिद्धान्त के प्रति कमिटेड टीचर थे, उन्होंने जरूर कुछ न कुछ सफलता प्राप्त की परन्तु 95 प्रतिशत टीचर्स सफलता प्राप्त नहीं कर सके, कामयाबी हासिल नहीं कर सके। मैं कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर आप करोड़ों रुपये खर्च मत करिये। आप इस प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को वापस ले लीजिये और प्राइमरी एज्यूकेशन पर खर्च करिये। जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ कांस्टीट्यूशन है, कांस्टीट्यूशन का जो प्रोवीजन है उसके अनुसार प्राइमरी शिक्षा पर आप खर्च करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं पांच मिनिट में समाप्त करता हूं। बीच में इंट्रप्शन बहुत हो गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये बैठ जायेंगे तो वन्स मोर कहना पड़ेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मेरा दृढ़ मत है कि आप करोड़ों रुपया खर्च करके आर. एस. एस की शक्ति बढ़ायेंगे। यू. पी. के चीफ मिनिस्टर बनारसीदास गुप्ता का दृष्टिकोण देख लीजिए, राजनारायण का दृष्टिकोण देख लीजिए, मधुलिमये का दृष्टिकोण देख लीजिए, बीजू पटनायक का दृष्टिकोण देख लीजिए, और दलों का दृष्टिकोण देख लीजिए, आर. एस. एस. जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है यह देश के अन्दर साम्प्रदायिकता फैलाने वाली संस्था है। यह जहरीला प्रचार करने वाली संस्था है। जनता पार्टी के सदस्यों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इससे आपकी पार्टी को भी बड़ा भारी नुकसान होगा। आर. एस. एस. की शक्ति जरूर बढ़ेगी, और किसी पार्टी की शक्ति नहीं बढ़ेगी, यही कहना चाहूंगा।

अब मैं चिकित्सा के बारे में कहना चाहूंगा। ग्रामीण चिकित्सा के लिये जो आपने जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए हैं, वे जन-स्वास्थ्य रक्षक हमारे यहां भोपे जो काम करते थे वही काम कर रहे हैं। इन भोपों ने हमारे यहां अव्यवस्था फैला रखी है और वातावरण गन्दा कर रखा है। ये कोई इलाज नहीं कर सकते और ये इलाज करेंगे तो लोग मरेंगे ...

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : ये भोंपू क्या चीज है। भोंपू आपके क्षेत्र में ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ईश्वरचन्द्र जी, कृपया इनकी बात को गंभीरता से सुनिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सूखा सम्भावित कार्यक्रम के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सूखा सम्भावित कार्यक्रम राजस्थान की सरकार ने बिल्कुल असफल कर दिया है। सूखा सम्भावित क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले यह फैसला किया कि हम कोई जमीन अलाट नहीं करेंगे, कोई भी जमीन अलाट किसी किसान को नहीं की जाएगी और डेजर्ट डवलपमेंट के लिए, गोचर भूमि के सुधार के लिए वनों की हालत सुधारने के लिए जमीन रिजर्व की जाएगी। परन्तु मैं आपको कहता हूं कि गोचर भूमि के सुधार के लिए, वनों के सुधार के लिए कोई जमीन रिजर्व नहीं रखी गई, सारी जमीन विस्थापितों को दे दी गई है। जो जमीन विस्थापितों को दी गई वह भी अन-इकोनोमिक होल्डिंग है जिससे उनकी भी स्थिति नहीं सुधरेगी और हमारा भी सर्वनाश हो जाएगा। हमारी प्रगति रुक जाएगी। हमारा डेजर्ट डवलपमेंट है वह हो नहीं सकेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जिन विस्थापितों को वहां बसाया गया है उनके सम्बन्ध में सोचना चाहिए। बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में जो उनको जमीनें दी गई हैं उससे इस क्षेत्र के पशुओं के लिए जमीन नहीं रहेगी, गोचर के लिए जमीन नहीं रहेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फारेस्ट डवलपमेंट के लिए जमीन नहीं रहेगी इससे तो सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाएगा और रेगिस्तान दूसरे क्षेत्र में भी फैलेगा।

एक समस्या और है। पीने के पानी की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं आपको....

श्री उपाध्यक्ष : आपके पांच मिनट पूरे हो गए, माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं एक बहुत अहम समस्या पर कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप रामनारायणजी को नाराज कर रहे हैं। उनकी पार्टी का क्यों समय ले रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : पीने के पानी की समस्या के बारे में कह कर समाप्त करता हूं। आपने इसके लिए 20·61 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। 20·61 करोड़ रुपया खर्च करके आप पीने के पानी की समस्या को हल करना चाहते हैं वह चार सौ करोड़ रुपयों में भी हल नहीं कर सकेंगे। चार सौ करोड़ की जगह पर आप केवल 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। ज्यों-ज्यों समय निकलता जाता है, मंहगाई बढ़ती जाती है। फिर आपको पांच सौ करोड़ खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से तो आप 25 साल तक भी इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। पीने के पानी की समस्या को हल करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अधिक राशि रखनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रगतिशील दल का एक भी व्यक्ति नहीं बोला है। कम-से-कम एक को तो मौका देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : रामकरणसिंह जी, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के साथ एक एक विरोधी पक्ष का ले रहा हूं। अभी आपके दल का नम्बर नहीं आया।

श्री रामकरणसिंह : विरोधी पक्ष में भी तीन चार दल हैं, इनको भी समय दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका दल तीसरे नम्बर पर है। उसी क्रम से ले रहा हूं।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 79-80 का जो बजट पेश किया गया है, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने वह घाटे का बजट पेश किया है। जिसमें घाटा 56·40 लाख का बताया है। कुल मिला करके जो कर प्रस्ताव और कर भिन्न आय बताई है, उससे कटौती करते हुए 17·80 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि घाटे का बजट हमेशा प्रगतिशील बजट होता है। घाटे का ऐसा बजट रहता है कि जो विकास के कार्यक्रमों को गति देता है।

मैं दो रोज से माननीय सदस्यों के विचार सुनता चला आ रहा हूं। अधिकतम माननीय सदस्यों ने यह कहा है, इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि यह बजट किसान विरोधी है, यह बजट किसानों के हक में नहीं है। यह जो घाटे का बजट माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है आया यह बजट विकास की गति को तेज करता है या नहीं? बजठ डेमोक्रेटिक वे में है या नहीं? मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम बजट के आंकड़े और बजट को बहुत गौर से देखें तो यह सही है कि बजट में ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, अन्त्योदय और ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनसे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बजट का अधिक भाग, अधिक रुपया, लगभग 70 प्रतिशत रुपया ग्रामीण विकास के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 70 प्रतिशत रुपया ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज आप मूल्यांकन करें तो बजट आर्थिक विकास की ओर ले जाने वाला है और अधिकाधिक ग्रामोन्मुखी प्रतीत होता है। सरल ओरियेंटेड प्रतीत होता है। अगर पिछले तीस वर्षों के पूर्व के सारे बजटों को आप देखें और उसका अध्ययन करें तो मैं समझता हूं कि अधिक रुपया, अधिक धन राशि हमेशा अरबन सेक्टर पर, शहरों के विकास पर खर्च की गई है। यही बजट ऐसा है जिसमें 64 प्रतिशत से बढ़ा कर 70 प्रतिशत तक ग्रामीण विकास पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।....

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में इस बात का ध्यान रखा है ..

श्री रामनारायण चौधरी : सिंचाई और नहर पर ज्यादा खर्च होगा। तो क्या जयपुर और कोटा में नहर बनाई जा सकती है?

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष

(श्री ओंकारलाल चौहान)

महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सब से पहला मुद्दा जो इस बजट का है, वह आर्थिक विकास का है, ग्रामों के विकास का है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह रूरल ओरियेन्टेड है और प्रगतिशील है। प्रगतिशील बजट वह होता है जो गांवों के विकास की ओर ध्यान दे। सवाल यह पैदा होता है कि हम प्रगतिशील और विकासशील बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने आय स्त्रोतों को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो कर लगाये हैं उनमें विद्युत, जलप्रदाय भू-राजस्व, सिंचाई दर, बिक्री कर है, जिन चीजों पर, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने कर लगाये हैं मैं सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय का और इस सदन के सदस्यों का भू-राजस्व की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। भू-राजस्व की 25 प्रतिशत दर बढ़ाई गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि बन्दोबस्त पहले हो जाता तो भू-राजस्व की जो दर बढ़ाई गई 25 प्रतिशत तो वह बहुत पहले ही बढ़ जाती। इसका एक और पहलू यह है कि राज्य का डवलपमेंट करने के लिए राजकीय कोष से धन खर्च किया जाता है। यह जरूरी है कि जिस योजना पर, जिस मद पर, जिस खाते में रुपया खर्च किया जाता है, उन से भी विकास के लिए कर रूप में कुछ धन लिया जाना नितान्त आवश्यक है। इसलिए यह बजट इस मायने में प्रगतिशील है। भू-राजस्व में जो 25 प्रतिशत वृद्धि की गई है, वह कोई ज्यादा नहीं है। गावों का विकास करना है, राजस्थान को आगे ले जाना है, जो कि हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, उसको गति देना है, राष्ट्रीय स्तर पर रास्थान को पहुंचाना है तो इनको गति देनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम दर में वृद्धि करें। इसलिए जो 25 प्रतिशत वृद्धि की गई है, वह जस्टिफाइड है। अगर सैटलमेंट हो जाता तो मैं समझता हूं कि यह बात आज बजट में नहीं आती इससे भी ज्यादा दरों में वृद्धि होती, कर लगता यह स्थिति पैदा नही होती। इसलिए मेरी विचारधारा में यह वृद्धि प्रगतिशील है।

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह सिंचाई की दरों के बारे में है। सिंचाई की दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इसमें छूट भी है। 15 पर्सेन्ट की उसके बाद साढे सत्ताईस प्रतिशत वृद्धि की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न किया गया है। वित्त मंत्री महोदय ने सोच समझ कर इस बात को देखा है कि जहां पर अधिक से अधिक राजकीय कोष से धन लगाया गया है, जहां पर अधिक खर्च किया गया है वहां सिंचाई की रेट बढ़ाई जाये। इसलिए यह जस्टिफाइड है। इस सम्बन्ध में मेरी यह मान्यता है कि जो कर क्राप वाइज लगता है, वह न लगाया जाकर इसकी फ्लेट रेट होनी चाहिए। इस आधार पर आप यह कर लगायेंगे तो ज्यादा भार किसी पर नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्री महोदय ने जल प्रदाय की जो दरें बढ़ाई हैं, जो शुल्क लगाया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह मुझे

(श्री ओंकारलाल चौहान)

ज्यादा प्रतीत होता है । इस पर ध्यान दिया जाए तो लगेगा कि यह ठीक नहीं है । बिक्री कर भी बढ़ाया गया है । इसकी कोई सीमा नहीं है । यह बढ़ता ही जा रहा है । इसको आप कहां तक बढ़ायेंगे ? मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस में सोच समझ कर वृद्धि करनी चाहिए थी । आय वृद्धि के लिए राज्य सरकार को ऐसे सोर्स टेप करने चाहिए थे जिससे कोई बोझा किसानों पर नहीं पड़ता, आम आदमी पर नहीं पड़ता, भू-राजस्व में 25 प्रतिशत वृद्धि नहीं करनी पड़ती ।

मैं वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राक फास्फेट पर यदि कर बढ़ाया जाता तो इससे एक करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाती । पहले के बजट भाषण में नान टैक्स रेवेन्यू की बात कही गई है । ये पेज 9 पर है कि उद्योग और खनिज से जो नान टैक्स रेवेन्यू थी वह 1978-79 में 2632.32 करोड़ थी उसके मुकाबले 1979-80 में यह 2599.08 करोड़ ही होगी । उपाध्यक्ष महोदय, हम यह देखते हैं कि यह रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले गिरी है । यदि राक फास्फेट का ज्यादा एक्सप्लाइटेशन किया जाता तो उसके अन्दर लाभ होता । हमें यह भी कर प्रस्ताव करते समय देखना चाहिए था । राक फास्फेट ऐसी चीज है जिस पर कर ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो सोर्सेज थे उनको टेप नहीं किया गया है । राक फास्फेट और माइन्स को लिया जाता तो मैं समझता हूं कि यह टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के सोर्सेज कृषि क्षेत्र में भी हैं । अगर आप बड़ी जोतों, बड़े जमीन्दारों, जिनके पास जमीन अधिक है, पर टैक्स का भार डालते तो वाजिब होता और ज्यादा न्यायसंगत भी होता । लेकिन वित्त मंत्री महोदय आपने इस ओर ध्यान न देकर भू-पतियों को एक तरह से रियायत दी है । इसी प्रकार से आपको अरबन प्रापर्टी पर भी टैक्स लगाना चाहिए था । अगर इन चीजों पर आप टैक्स लगा देते तो मैं समझता हूं कि यह बात पैदा नहीं होती और न इन छोटी छोटी चीजों पर टैक्स आपको लगाना पड़ता ।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, कई चीजों में लूप होल्स हैं । इस बजट से कहीं ऐसा नजर नहीं आता है जिससे यह लगता हो कि गवर्नमेंट ने उनकी ओर ध्यान दिया है गवर्नमेंट का एक्सपेन्डीचर ज्यादा बढ़ता जा रहा है । कहां पर लीकेज है उसको बन्द करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री का ध्यान उनकी बजट स्पीच के पेज 33 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम के अधीन वित्त मन्त्री महोदय ने ट्रैक्टर पर प्रतिवर्ष कर की दर बढ़ा कर 20 से 50 कर दी है । ट्रैक्टर ट्राली पर भी यह 100 से 150 रुपया कर दी है । मुझे यह न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । इसलिए वित्त मंत्री महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर वे दुबारा विचार करें और इस प्रकार कर लगायें जिससे सन्तुलन बने और राज्य के नीचे के लोगों पर भार न पड़े ।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री ने अपने

(श्री ओंकारलाल चौहान)

बजट भाषण के अन्त में एक पेरा में यह कहा है कि इस घाटे की पूर्ति राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि खंडों को बेच कर करने की आशा है। यह सुझाव अच्छा है। मैं समझता हूं कि इस केनाल प्रोजेक्ट के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए जो जमीन रिजर्व की गई है, उसको छोड़ कर बाकी सब भू-खंडों को नीलाम किया जाना चाहिए जिससे इस घाटे की पूर्ति की जा सके और करारोपण का भार भी हम पर न पड़े।

दूसरा, मैं यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग के पास जो सोना है उसकी नीलामी की जानी चाहिये। यह एक रिसोर्स होगा राज्य सरकार के पास इससे आमदनी बढ़ेगी। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगर बजट को प्रगतिशील बनाना है तो कहीं न कहीं तो टैक्स लगाने होंगे। हम चाहते हैं कि बजट प्रगतिशील बनना चाहिये, सिंचाई के साधनों का विकास होना चाहिये, सारी गतिविधियां तेजी से विकास की ओर उन्मुख होनी चाहिये और राजस्थान की इमेज अच्छी रहनी चाहिये तो यह नहीं हो सकता कि हम किसी प्रकार का टैक्स न लगावें।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि स्कूटर, मोटर साईकिल पर टैक्स विथड्रा होना चाहिये। इससे कोई अधिक लाभ नहीं है। इससे बहुत कम रेवेन्यू होगी और मैं समझता हूं उस रेवेन्यू से कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं।

कई सदस्यों ने कहा कि यह बजट किसान विरोधी है। मैं समझता हूं कि यह किसान विरोधी नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट को अपने एंगल से देख रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बजट पेश करने से पहले आपसे पूछा गया था क्या ? यह बजट आपका नहीं भैरोंसिंह का बजट है। आप तो हां कर दें।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। आज दूसरी स्थिति है। मैं उनको संतोष करा नहीं सकता। यह मेरे बस के बाहर की बात है।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को वित्त मन्त्री जी देखें। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मेरी नजर में यह एक अच्छा बजट है और कम से कम यथा-स्थिति को मेनटेन करने वाला तो है ही। इसे किसी प्रकार से किसान विरोधी नहीं कहा जा सकता। अगर यह कहा जाए कि टैक्स भी न लगे और विकास भी हो जाए तो यह तो कैसे सम्भव हो सकता है ?

बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल खर्रा।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)
मैं इस बजट के बारे में....

श्री औंकार लाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर कहना चाहता हूं....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बोल चुके हैं।

श्री औंकारलाल चौहान : बस एक, शेर कहना चाहता हूं।

गुफ से क्या हासिल है,
मेरी हसरतों का पूछना
तुम वही आखिर करोगे,
जो तुम्हारे दिल में है ।।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने से पता चलता है कि हमारी गतिविधियां ग्रामीण विकास की ओर बढ़ी है।

(व्यवधान)

डेढ़ साल में जितना खर्चा जनता सरकार ने गांवों के विकास के लिए किया है उसमे और अन्त्योदय योजना, राजस्व-अभियान आदि से गांव-गांव में आज विकास की गंगा बहती हुई मिलेगी। आज गांव का हर गांव वासी यह सोचने लग गया है कि सरकार हमारे पर ध्यान दे रही है। जनता सरकार ने इन डेढ़ साल में जो कार्य किये, गांवों के विकास के लिये उन्हें देखकर आज गांव वालों को पता लग गया है कि सरकार हमारे लिये क्या कर रही है और भूतपूर्व सरकार क्या करती थी? अब मैं अलग–मुद्दों को लूं तो मैं समझता हूं यह सीमित समय में बड़ा कठिन है। आज शिक्षा को लें। डेढ़ साल में जितने स्कूल जनता सरकार ने खोले उतने दस साल में भी कांग्रेस सरकार नहीं खोल सकी। चिकित्सा के क्षेत्रों में भी बहुत ही अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि और सिंचाई हो मैं तो सब क्षेत्रों में पिछली सरकार के मुकाबले जनता सरकार की ऐतिहासिक प्रगति मानता हूं। इसके साथ ही मैं मेरे क्षेत्र के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में सरकार ने डिस्पेंसरी वगैरह चिकित्सा सुविधाओं के लिये खोली हैं लेकिन ये संख्या में उतनी नहीं है जितना सरकार ने क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है। एक पंचायत समिति में दो डिस्पेंसरी और एक एड पोस्ट इनको खोलना है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले जितनी डिस्पेंसरियां राज–नैतिक कारणों से खोल दी थीं उनका संतुलन नहीं था। कम से कम सरकार को आबादी के अनुसार, खोलनी चाहिए। मैं मेरे क्षेत्र का निवेदन करना चाहता हूं, 7 हजार से लेकर 5 हजार तक की आबादी के गांव हैं जिनके लिये मैं निवेदन करूंगा। एक गांव की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 7 हजार है उस गांव में चिकित्सा साधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं इस कारण वहां के लोगों को दूर-दूर चिकित्सा के लिये जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में भारली, महरोली, नाथूसर, जैतूसर चार गांव हैं जिनकी आबादी 5 हजार से 7 हजार तक है, उनमें चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इन ग्रामों में आबादी के हिसाब से चिकित्सा की व्यवस्था करवा दी जाय।

एक माननीय सदस्य : बजट पर तो बोल नहीं रहे हैं आप।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : इस बजट में जो खर्चा गावों पर किया जा रहा है, सड़कों पर, चिकित्सा पर जो खर्चा किया जा रहा है और जो टैक्स लगाये जा रहे हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

विरोधी पार्टी वाले यह आरोप लगा रहे हैं कि यह किसान-विरोधी बजट है, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। जो देश विकास के पथ पर अग्रसर होता है उसमें टैक्स लगाने पड़ते हैं। इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जो किसानों पर टैक्स लगाया है, जो राजस्व में वृद्धि की है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का जीवन ऐसा है, काश्तकारी का धन्धा ऐसा है कि चाहे वह कुंए से पानी दे या नहर से पानी दे, उसकी इनकम ज्यादा नहीं होती है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि काश्तकार पैसा खर्च करके कुंए बनाता है और खेत पर जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत किसी अन्य धन्धे में नहीं होती है। इसलिये राजस्व में जो वृद्धि की है, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि उसको वापिस लें। किसान के छोटे छोटे बच्चे, किसान की औरत सर्दी और गर्मी में मेहनत करते हैं उससे जो फायदा हो वह किसान के पास न रहे किसान की पैदावार बाजार में लावारिश की तरह नीलाम हो तो मैं यह मानकर चलता हूं कि खेती की मेहनत को देखते हुए टैक्स बढ़ाना गलत बात होगी। विकासशील देश में टैक्स लगाना वाजिब होता है लेकिन जब फसल में रोग लग जाता है ओला पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है उसका मुआवजा किसान को दिया जाता या किसान की फसल का बीमा होता और मुआवजे के बारे में बजट होता तो बात समझ में आती है। इतने दिनों से यह ठंडी हवाएं चल रही हैं तो जो खेती पर निर्वाह करने वाले लोग हैं उनके कलेजे कांप रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है उन पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। बहुत से ऐसे धन्धे हैं जिन पर टैक्स लगाकर सरकार अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से बड़े-बड़े उद्योगों, बहुत से बड़े-बड़े व्यापारियों के ऊपर करोड़ों का टैक्स बाकी पड़ा हुआ है आप उनसे वसूल करें। इसके अलावा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मन्दिरों के अन्दर करोड़ों का सोना बेकार पड़ा हुआ है उस सोने को बेचकर काम में लें। और भी बहुत से लोग हैं जिन पर टैक्स लगा कर आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह एक ही आवाज सीखे हुए हैं और एक ही आवाज में बोलते हैं केवल सोना बेचने की बात करते हैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : योजनाएं जो बनाई जाती हैं वह पंचायतों के दफ्तर से बनें। वह बनाकर राज्य सरकार को दें जिससे गांवों का विकास हो। ऊपर से योजना थोपने का मतलब अलाभकारी होगा क्योंकि मन्त्रियों को समय नहीं मिलता है और वह उसको अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। इसके बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में मण्डी कमेटी ने एक लाख रुपया सड़क बनाने के लिए खर्च किया। मैं समझता हूं कि वह एक लाख ही बेकार गया क्योंकि उस सड़क

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि उस एक लाख रुपये की अन्य योजना बनाते और किसी गांव को सड़क से जोड़ते तो गांव वालों को सुविधा होती। इसी प्रकार मे विकास मंत्री जी का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी कुछ पैसा जिलों में पेयजल के लिए भेजा गया है जो वहां से पंचायत समितियों को भेजेंगे। उसको यह कहा गया है कि यह पैसा नये कुंए, टैंक व पम्पिंग सैट के लिए ही खर्च होगा। मैं विकास मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नये कुंए बनाकर पेय जल की समस्या को हल करना चाहते तो ठीक है परन्तु जिस ग्राम में कुआं मौजूद है अच्छी हालत में है वहां नये कुओं की क्या आवश्यकता है? 2-3 गांवों के पैसे को मिलाकर 4--5 गांवों को पानी पिलाया जा सकता है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाय जो वहां की योजनाएं बनायें। उन योजनाओं के आधार पर अपना निर्णय लें व कार्य रूप से परिणित हो। आज हम प्रस्ताव पास करके भेजते हैं लेकिन आगे जाकर उन पर कुछ नहीं होता है और मनमाने तरीके से जैसा अधिकारी चाहते हैं वैसा ही होता है। हमारी जो योजनायें भेजी जाती हैं उन पर अमल नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि "काम के बदले अनाज" योजना चालू की गई है वह बहुत अच्छी है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि यदि ये ही कार्य पी० डबल्यू० डी० के जरिये होता तो उसमें से कम से कम 30 पर्सेन्ट तो भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज इस योजना के अन्दर पंचायतों की मार्फत खर्च हो रहा है, उसमें मान लें कि भ्रष्टाचार होता है तो वह बहुत ही कम मात्रा में होता है। अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए थे उसमें गांवों में पार्टीबन्दियां हुई हैं, फिर भी मेरा सुझाव है कि राजस्व अभियान, अन्त्योदय योजना और काम के बदले अनाज योजनाओं के लिए जिला लेवल पर प्रभावकारी समितियां जन प्रतिनिधियों की बनाई जाय ताकि वहां जो भी शिकायत हो उसको तुरन्त दूर किया जा सके।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्व पर आपने टैक्स बढ़ाया है और किसानों के ऊपर जो सिंचाई का टैक्स बढ़ाया है 50 पर्सेन्ट वह वापस ले लें। यदि टैक्स ही बढ़ाना चाहते हैं तो जिनकी ज्यादा इनकम है, जो बड़े आदमी हैं उन पर बढ़ायें।

इसके अलावा भूमि सीलिंग वाला मामला चल रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि खेती का जो धन्धा है वह बड़ी मेहनत का धन्धा है, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़ा आदमी तक अपना पसीना बहाते हैं फिर भी उनका पेट नहीं भर सकता है। इस सीलिंग से अलाभकारी खेती होती जावेगी सीलिंग ही करते हैं तो शहरों में लागू कीजिये, जहां बड़े-बड़े भवन खड़े हैं उन लोगों पर टैक्स लगायें। एक आदमी के पास चाहे कहीं भी एक पर्याप्त मकान बहुत है। शहरों में एक व्यक्ति के पास बहुत से मकान हैं और एक शहर में ही नहीं, कई शहरों में उन पर टैक्स लगायें समता लायें

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)
इस प्रकार टैक्स लगायेंगे तो उससे गांवों पर फर्क पड़ने वाला नहीं व ग्राम को सन्तोष होगा।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बजट ग्रामोन्मुखी तो है ही किसानों की ओर व ग्रामों की ओर तीस वर्ष तक भूतपूर्व सरकारों ने देखा तक नहीं था, उनके लिए इसमें हितकारी कदम उठाएं हैं जिससे गांवों में रहने वाले जनता पार्टी की वाहवाही करेंगे ही और निश्चित रूप से सरकार को इसमें सफलता होगी। इस प्रकार मैं बजट का समर्थन करता हुआ स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री समरथ लाल।

(व्यवधान)

अभी आपका नम्बर नहीं आया है।

श्री मूलचन्द डागा : तीन दिन हो गये हैं। बोला ही नहीं हूं। थोड़ा सा समय दें।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह तो पूरी पार्टी है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : दिन भर तो बोलते हो।

श्री मूलचन्द डागा : कहां बोलता हूं।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमन्त्री जी ने 1979–80 का बजट प्रस्तुत किया है। उसके सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा.......

श्री टीकमचन्द कान्त : धन्यवाद नहीं दोगे।

श्री समरथलाल : मैंने कई बार शुरू से आखिर तक उस भाषण को पढ़ा। मैंने सोचा शायद यह माननीय वित्त मन्त्री जी का स्वयं का ही बजट होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर पेज 2 के अन्दर लिखा गया है :—

"पहले गरीब कृषकों, भूमिहीन मजदूरों तथा बेरोजगार ग्रामीण कारीगरों को ढूंढने पर भी वह योजना या वह सरकारी अधिकारी नहीं मिल पाता था जो उनके विकास के लाभ उपलब्ध करा सके। अब स्थिति बिल्कुल उलट गई है तथा सरकार की लगभग सारी योजनाएं तथा समस्त अधिकारी वर्ग स्वयं गांव,-गांव में जाकर इन लोगों को ढूंढ ढूंढकर विकास की धाराओं से जोड़ रहे हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह भाषा लिखी गई है, अजीब तरीके से लिखी गई है। भाषा पर पूरा ध्यान दिया गया है। पिछले वर्ष जो आंकड़े दिये गये हैं, उनका पूरा ध्यान रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर, जैसा कि सरकार मानती है, जो लोग गरीबी की सीमा से नीचे हैं और जो लोग राजस्थान के किसान हैं, उनके बारे में विशेष ध्यान दिया गया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

यह भी कहा गया है, जहां पहले विकास कार्यों पर 371 करोड़ रुपये का विनियोजन होता

(श्री समरथ लाल)
था वहां अब 770 करोड़ रुपये का विकास कार्यों में विनियोजन होता है। यह आंकड़ों वाली बात शायद सही होगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, गांवों का अध्ययन करें तो ऐसा कोई व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से 247 रुपये प्रति व्यक्ति विकास विनियोजन का जो अनुमान है, ऐसा राजस्थान के गरीबों के विकास में आया है ऐसा महसूस नहीं किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में यह भी कहा गया है कि पिछले वर्ष ग्रामीण विकास पर समग्र विकास व्यय का 64% खर्च होता था। अब वह बढ़ाकर 70% हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि ये आंकड़े यदि सही हैं तो यह रुपया खर्च होगा। लेकिन जो धन खर्च हो रहा है, राजस्थान के जिन लोगों के हित के लिए धन खर्च हो रहा है, क्या वास्तव में उन लोगों के काम में वह आता है? इस बात का सर्वेक्षण इस सरकार ने नहीं कराया है। पिछली सरकार ने भी ऐसा नहीं कराया था। लेकिन कोई फर्क आया है, ऐसा नहीं लगता है।

इसमें यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति और आदिवासी जो लोग हैं, उनका शत प्रतिशत ध्यान रखा गया है। उनके विकास के लिये आने वाले वर्ष में करीब 38 करोड़ रुपया खर्च होगा। यह सरकार दो चार करोड़ और आगे बढ़कर खर्च करना चाहती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बजट के आंकड़ों के आधार पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं। पिछले सत्र में भी यह कहा गया था कि राजस्थान में जहां घनी आबादी होगी, वहां 37 लघु खण्ड बनाये गये हैं। यह पिछले बजट भाषण में भी आया है लेकिन आज तक एक नया पैसा भी इसमें खर्च नहीं किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन वनों के बारे में है। राजस्थान में जहां जहां वन हैं, जंगल हैं वहां वहां गरीब ट्राइब्स रहते हैं। भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, वह वहां इसलिए बसते हैं कि वह जानवर और भेड़ बकरियां रखते हैं। जंगल से लकड़ी लाकर अपना गुजारा करते हैं। हमारे यहां सरिस्का कैचमेंट एरिया है। वहां पहले से ही लोग बसे हुए हैं। थानागाजी वगैरह गांव इसी में आते हैं। काफी बड़ा एरिया है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य वन मन्त्री बने हैं। वह जानते हैं कि सरिस्का के चारों तरफ रहने वाले लोग ट्राइबल्स हैं। सरिस्का अभी तक गेम्स सेंचुअरी था। अब वह टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जैसे इस राज में आदमी नहीं रहते हैं।

श्री समरथ लाल : उपाध्यक्ष महोदय, टाइगर प्रोजेक्ट बन जाने से वहां जो आदमी रहते हैं, वह अपना पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दो टाइगर प्रोजेक्ट हैं। एक सवाई माधोपुर में है और दूसरा अलवर के पास सरिस्का में आ गया है। इसके कारण लगभग 100 गांव प्रभावित होंगे। उनको कहां बसाया जाएगा? अलवर जिले में बसाने के लिए कोई जगह नहीं है। जो चरागाह थे, उनका अलाटमेंट हो गया है। इस प्रकार से यह टाइगर प्रोजेक्ट 100 गांवों को परेशान करेगा। इसके

(श्री समरथलाल)

विकास के लिए करीब 35 लाख रुपया खर्च होगा। इससे जो फायदा होगा, जो मनोरंजन होगा, वह बड़े लोगों को होगा। टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जायेगा तो आस-पास के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। उनको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त्योदय पर आता हूं। प्रथम वर्ष में 1 लाख 40 हजार परिवारों का चयन किया गया। उसके बाद में 1 लाख 15 हजार परिवारों का चयन किया गया है। अगर इस प्रकार से 5 साल तक यह योजना चलती रही तो करीब 5 लाख 80 हजार लोगों का चयन हो जाएगा। चयन तो हो जाएगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उनका विकास क्या होगा? कुछ लोगों को ऋण दिलाया गया है और कुछ फैसेलिटीज दी गई हैं वह फसिलिटीज तो और भी तरीके से दी जा सकती थीं, इसमें सरकार ने क्या किया?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना का जिक्र भी इस बजट में आया है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह योजना अच्छी है। गांवों के अन्दर इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है यह बात भी अच्छी है। लेकिन वास्तव में जितना अनाज आपने भेजा है पंचायतों में वह बहुत कम है। इसके अलावा जो काम किये जा रहे हैं वे कच्चे काम हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। बरसात में वे सब खतम हो जायेंगे, इसलिए यह योजना सफल नहीं होगी।

खनिज और उद्योग के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सुबह ही माननीय खनिज मंत्री महोदय ने बताया था कि खानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है यह सर्वेक्षण 1988 तक पूरा हो जायगा। सर्वेक्षण की इतनी लम्बी योजना है जो 1988 में पूरी होगी, उसके बाद में खानों के विकास की बात की जायगी, मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी योजनाओं के जरिये खानों का विकास नहीं किया जा सकता। उद्योगों के बारे में भी हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में चर्चा की है। मिनी सीमेन्ट प्लाण्ट राजस्थान में दस लगाने थे, पिछले साल के भाषण में भी इसका जिक्र था और अब की बार के भाषण में भी मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की बात कही गई है, लेकिन ये प्लाण्ट कब लगेंगे? इसी प्रकार से बजट बनते रहेंगे और भाषण चलते रहेंगे लेकिन लगेंगे कब? फिर कहां कहां इनको लगाया जायगा, रॉ-मैटीरियल कहां से उपलब्ध होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इसके अलावा यह कहा गया है कि 1980 तक दो हजार गांवों को बिजली उपलब्ध करा दी जायगी। मैं समझता हूं कि गांवों में बिजली की बहुत ज्यादा डिमाण्ड है, उसको देखते हुए यह बहुत कम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा सड़कों के विकास के बारे में कहा गया है कि 1976-77 में 265 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई और अब 1979-80 में 820 किलोमीटर नई सडकें बनाने का लक्ष्य है। उपाध्यक्ष महोदय, यह किलोमीटर वाली जो बात है यह बजट भाषण के अन्दर तो है लेकिन वस्तु स्थिति

(श्री समरथलाल)

इसके विपरीत है। उपाध्यक्ष महृदय, मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो काम के बदले अनाज की योजना है इसमें आप 32 करोड़ रूपये खर्च करने जा रहे हैं और काफी पैसा खर्च भी हो चुका है। अगर इस योजना को सड़कों के निर्माण में लागू कर देते तो हमारे अधिक से अधिक गांव सड़कों से जुड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में स्कूल खोलने की बात भी कही गई है सैकण्डरी और माध्यमिक स्कूलों की। यह ठीक है कि पिछले सत्र में भी काफी स्कूल खोले गए और इस सत्र में भी कई स्कूल सरकार खोलने जा रही है लेकिन जो छात्र पढ़ कर बाहर निकलते हैं उनको रोजगार दिलाने के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है।

इसके अलावा माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण के आखिरी पैराग्राफ में कर प्रस्तावों के बारे में उल्लेख किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार के कर इस बजट के द्वारा लगाने जा रहे हैं उनका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा, शहर वालों पर, व्यापारियों पर और दूसरे वर्ग, जो राजस्थान के अन्दर काम कर रहे हैं, और सम्पन्न हो रहे हैं, इन टैक्सों का ज्यादा असर नहीं होगा। सिंचाई की दर में बढ़ोतरी की है, वनों में जहां पहले चराई होती थी उसकी जो दर थी, उसमें वृद्धि करने की बात भी कही है, जल प्रदाय योजना में टैक्स की बात कही है, इसी प्रकार से इन्होंने भेड़ और बकरी को भी नहीं छोड़ा उस पर भी टैक्स लगाया है।

(समय–समप्ति–सूचक घण्टी)

मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो बजट पेश किया गया है यह माननीय वित्त मन्त्री जी का स्वयं का बजट नहीं है। इसकी भाषा बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि हिन्दी के किसी एक्सपर्ट से यह लिखवाया गया है और माननीय मन्त्रीजी को संभला दिया और उन्होंने पढ़ दिया। अगर यह भाषण माननीय वित्त मन्त्री का होता तो इसमें शराबबन्दी का जिक्र जरूर होता। शराब का जिक्र तो क्या उसकी एक बूंद का भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है। मैंने कई बार इस भाषण को देखा

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार का बजट हो, जो किसानों पर असर डालने वाला हो, गरीबों पर जिसका असर पड़ता हो....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री समरथलाल : जिस बजट को 18 महीनों वाली सरकार ने बनाया, जो बुद्धि 18 महीने के एक बालक के अन्दर होती है॰

श्री टीकमचन्द कान्त : 18 महीने में ही पूरी जवानी का जोश बता दिया, यह मालूम नहीं हो रहा है।

श्री सूरजपाल सिंह : तीस साल तक विरोध में बैठे हो।

श्री समरथलाल : अगर आपको अच्छी प्रकार से ज्ञान होता तो मैं इसका समर्थन करता लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विवशता है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल।

(अनुपस्थित)

श्री आलम अली।

(अनुपस्थित)

श्री हरचन्दसिंह।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर तुम प्रोफार्मर हो then you come here.

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है, उस बजट की तारीफ या आलोचना करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जनता पार्टी सत्ता में आई, उस समय जनता के सामने हमने अपनी पार्टी का प्रोग्राम रखा था, चुनाव के वक्त घोषणा पत्र पेश किया था, उसमें हमने यह वायदा किया था जनता से कि हम समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज के अन्दर जो आर्थिक विषमताएं हैं उनको दूर करेंगे, और आमदनी में एक और दस का अन्तर समाज में रहे, ऐसी व्यवस्था करेंगे।

एक यह बात देखनी है कि क्या इस बजट को पेश करते वक्त हमारे घोषणा पत्र को हमारी सरकार ने ध्यान में रखा है या नहीं रखा है? बजट के आउट ले बहुत अच्छे हैं। यह बात भी हमारे सामने है कि बजट को अगर हम सरसरी नजर से देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार एकदम गांवों की तरफ झुक गयी है और गांवों का सर्वांगीण विकास करना चाहती है। सरकार के मन्त्रिमण्डल की मंशा के ऊपर सन्देह करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं निःसंकोच यह कह देना चाहता हूं कि इसके दो पक्ष हैं। एक तो नौकरशाही और दूसरा जन प्रतिनिधि। जन प्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं कि गांवों का विकास हो, लेकिन जन प्रतिनिधि पक्ष सरकार की नौकरशाही में इतना जकड़ा हुआ है कि उसकी एक भी नहीं चलती। बजट को पेश करते समय ऐसा एक मायाजाल रचा गया है जिससे साबित किया गया है कि हमारा धन गांवों की तरफ कर दिया गया है लेकिन आंकड़ों को देखें तो यह बिलकुल स्पष्ट हो जायेगा कि जो 70 प्रतिशत आंकड़े गांवों के बताये गये हैं वह सही नहीं हैं।

सिंचाई मद के ऊपर जो प्लान हमने बनाया है, मैं बराबर इस बात का सरकार को अहसास कराता रहा हूं कि वास्तव में सिंचाई मद के अन्दर और बिजली शक्ति का स्रोत है इस मद में बहुत ज्यादा खर्च होना चाहिए। किसी प्रदेश या देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के यह दोनों आधार हैं लेकिन जो बजट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए दिया गया उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? हम एक योजना बना कर पेश कर दें कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के अन्दर इतना पैसा लगा देंगे। प्लान बहुत बढ़िया है। इरादे आपके नेक हैं लेकिन उससे इस प्रदेश को कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या राजस्थान केनाल का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है? वास्तव में उस पैसे का एक चौथाई अंश भी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट निर्माण के अन्दर नहीं लग रहा है बल्कि वह सारा का सारा पैसा

(श्री हरचन्दसिंह)

सीपेज होकर बह रहा है, जो सरकार की मशीनरी है उसके उद्धार में लग गया है ।

मैं कई बार यह निवेदन कर चुका हूं कि बीकानेर में एक सादुलपुर कालोनी देखी जिसमें 235 मकान बने हुए हैं। हर मकान की कीमत कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपये तक की होगी। उसमें और किन्हीं आदमियों के मकान नहीं उस कालोनी में खास तौर से राजस्थान केनाल के इन्जीनियर्स के मकान हैं। सीमेंट, ईंट, लोहा यह सारा का सारा सरकारी उन में लगा है। बजट के अन्दर गांवों के मद में जो मद रहे हैं वह गांवों में नहीं लगा, उसकी सरकारी मशीनरी ने चोरी करके अपने मकान बनाये। इस तरीके से आंकड़ों का जाल बिछा कर गांवों को भ्रमित किया जाये, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो मैं कहता हूं कि आप चाहे 70 प्रतिशत क्या 100 प्रतिशत गांवों के लिए बजट बना दें गांवों को उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लान आपका कैसा भी हो लेकिन प्लान का जो पैसा है वह सही मायने में सरकार की जो नीयत है जिस मद के लिए आप नीयत करते हैं उस मद के अन्दर उतना का उतना पैसा ला रहे है या नहीं ला रहे हैं–इसकी व्यवस्था जरूर करवा दें। आपके नेक इरादों में किसी को कोई शक नहीं है। सरकार के इरादे नेक हैं। सरकार गांवों का विकास करना चाहती है यह बात बिलकुल सही है लेकिन आपके नेक इरादे नौकरशाही को कन्ट्रोल करने के लिए हों तो आपकी और ज्यादा तारीफ करेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : नौकरशाही ही शासन कर रही है।

श्री हरचन्द सिंह : बिलकुल सही बात है।

श्रीमान, इस बजट को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जो भी विनियोजन का मद रखा गया है और उसके साथ ही साथ जो करों का प्रस्ताव है उससे सामान्य लोगों का जीवन गरीबी की रेखा से ऊपर आयेगा या क्या होगा, यह बजट की सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। गांवों के लिये आप यह कहते हैं कि हमने शक्ति का स्रोत, बिजली का बहुत बड़ा मद गांवों के लिये रखा है और उसका लाभ गांव वालों को मिलेगा, यह गलत है। बिजली की खपत के जो आंकड़े दिये हैं, उसमें 60 प्रतिशत कन्जम्पशन इन्डस्ट्रियल और शहरी क्षेत्रों में होता है, और केवल 40 प्रतिशत खपत गांवों में होती है। दुर्भाग्य का विषय है कि बिजली के लिये दो प्रकार की दरें रखी गई हैं। गांव वालों से तो 35 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है कृषि कार्यो के लिये और करोड़पति बिड़ला, डालमिया सेठों की इन्डस्ट्रीज से केवल 6 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है। साथ में आप यह कहते हैं कि हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और आमदनी का एक से दस का अनुपात हम करने जा रहे हैं।

मान्यवर, पैसे वाले इन्डस्ट्रियलिस्ट से आप 6 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज करें और गरीब काश्तकार, जिसकी आर्थिक

(श्री हरचन्द सिंह)

स्थिति, पहले ही कमजोर है, जो अपने बच्चों के लिये पूरी शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं कर सकता और कर्ज से दबा हुआ है, को आप 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली दें, ऐसे बजट को हम समाजवादी बजट नहीं कह सकते। अच्छा तो यह होता कि पूंजीपति से आप 50 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज करते और कृषि उत्पादन में जो बिजली काम में आती है उसके लिये आप 6 पैसे या 10 पैसे यूनिट चार्ज करें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है और आपका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। लेकिन आपने इसके विपरीत कृषि के उपयोग में आने वाली बिजली की दर बढ़ा कर काश्तकार पर करारी चोट की है।

श्रीमान, आपने कुछ टैक्सेज लगा और आंकड़ों का जाल बिछा कर यह कहा कि इसका बेनिफिट गांवों को मिलेगा और बजट गांवों की ओर जा रहा है, इसलिये गांवों से अन्शदान भी आना चाहिये। आज गांवों की हालत सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी यह है कि 56 प्रतिशत लोगों के पास केवल 8 बीघा होल्डिंग है और केवल 11 प्रतिशत के पास ऐसी होल्डिंग हैं जो 50 बीघा से ज्यादा हैं। जिन लोगों के पास इतनी थोड़ी जमीन है, उनके ऊपर आप लैंड रेवेन्यू बढ़ा कर उन्हें और कमजोर कर रहे हैं। ऊपर से यह कह रहे हैं कि बजट ग्रामीण क्षेत्रों के लिये है, इसको मानने के लिये मेरा दिल और दिमाग कतई तैयार नहीं है।

आपने सिंचाई के मद में जो रकम अलाट की है और कहा है कि काश्तकार के लिये सिंचाई पर आबियाना बढ़ाया है, यह किसान पर आपकी दूसरी चोट है।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंशी लाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय साढ़े छः बजे तक के लिये बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय साढ़े छः बजे तक बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

समय साढ़े छः बजे तक बढ़ाया गया।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी के मेम्बर्स के दुःख दर्द सुनने हैं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हरचन्द सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि सिंचाई की दर 50 प्रतिशत बढ़ाई गई। यह एक तरह से भ्रम है जिसको शायद मुख्य मंत्री महोदय नहीं समझते होंगे और सरकारी मशीनरी उनको भ्रम में डालती है। जमीन के ऊपर या पानी के ऊपर टैक्स बढ़ाये तो एतराज नहीं लेकिन आबियाना फसलों पर वसूल किया जाता है यह फसल पर टैक्स है, कपास पर 32 रु. बीघा के हिसाब से टैक्स लिया जाता है, वह बढ़ कर 48 रु. बीघा हो जायगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे, कपास का मूल्य 300 रु. रुपया प्रति क्विंटल है और कपास से तैयार किए कपड़े का दाम 6000रु. रुपया क्विन्टल है। इस बीच में केवल तीन एजेंसियां हैं।

(श्री हरचन्द सिंह)
फिर भी हम बार-बार यह कहें कि हम गरीब को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस बजट से आम आदमी को लाभ नहीं होने वाला है। इससे पूंजीपति को लाभ होगा।

आपने हीरे जवाहरात के व्यापारी पर कोई टैक्स नहीं लगाया। उन पर हेवी टैक्सेशन लगाना चाहिए था।

देवस्थान में बहुत सोना पड़ा है, वह अनप्राडक्टिव है। आप उसको सेल करें, आमदनी बढ़ायें।

शहरों के अन्दर प्लाट्स पड़े हैं, एक तरफ शहरों में गरीब जनता रोज आंदोलन करती है, विधान सभा में प्रदर्शन करने आते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाये और दूसरी तरफ सैकड़ों भूखंड शहरों में पड़े हैं उनकी नीलामी करने की सरकार की हिम्मत नहीं। बार-बार सरकार कहती है कि राजस्थान नहर में जो भूखंड पड़े हैं उनको हम नीलाम करके अपने बजट का घाटा पूरा करेंगे। इस देश में सारे कृषकों के पास जमीन नहीं है। मैं कहता हूं कि जो भूमिहीन काश्तकार हैं आप उनको जमीन दें और जो भूखंड पड़े हैं उनको नीलाम करें।

राजस्थान सरकार की अनप्राडक्टिव प्रापर्टी काफी पड़ी है दिल्ली में बिल्डिंग्स हैं, उनको बेच दीजिए। आप अपनी नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइए जिससे आपका प्लान बहुत ही बढ़िया बन सके और इस राज्य का विकास हो सके। माइन्स व मिनरल्स, यह नान-टैक्स रेवेन्यू आइटम है। सरकार की जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उनको टैक्स किया जाता, आप पूंजीपतियों पर टैक्स लगाते तो हम आपकी तारीफ करते और मानते कि यह प्रगतिशील बजट है। लैंड व बिल्डिंग्स को टैक्स करते तो वह काबिले तारीफ होता।

शहरों के अंदर एक ऐसी चार सौ बीसी और चालबाजी की जाती है कि एक पूंजीपति के पास 50 मकान हैं जिनकी कीमत एक लाख से कम है उन पर कोई टैक्स नहीं। क्या हम समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं? आपने जैसे कृषि जोतों पर सीलिंग लगाई है वैसे शहरों की संपत्ति पर भी सीमा बांधें। उससे ज्यादा अगर किसी पूंजीपति के पास है तो उसको जब्त करके नीलाम करना चाहिए। इस तरह आप रेवेन्यू रिसोर्सेज को बढ़ाइए। शहरों के अंदर एक मालिक के पास 10-10, 20-20 मकान हैं, सबकी आमदनी क्लब करके टैक्स लिया जाए। एक आदमी के पास एक लाख से कम जायदाद है प्लाट या भवन है तो वह आसानी से रख सकता है। जो पूंजीपति साम दाम दंड भेद से पूंजी इकट्ठी करने का तरीका अपनाता है उस पर भारी चार्ज लगे। इसलिए मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो शहरों में प्रापर्टीज हैं, उन प्रापर्टीज को हेविली टैक्स करें, और अपनी रेवेन्यू बढ़ायें।

आपने बार-बार ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जो इस देश, इस प्रदेश के उत्पादन का अंग है। ट्रैक्टर जितनी दूर चलता है, वह इस देश के उत्पादन में सहयोग देता है। उधर नौकरशाही का जो साधन है कार, उसको टच करने की हिम्मत सरकार की नहीं है। जो लक्जुरियस आइटम्स हैं उनको

(श्री हरचन्द सिंह)
हेविली टैक्स करना चाहिए था। यह आपका कदम प्रगतिशील कदम होगा। और आपने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था उसकी ओर कदम होगा और सच्चे मन से उसका पालन होगा। आप नौकरशाही के चंगुल से निकल कर सही मायने में जो प्रजातांत्रिक सरकार होनी चाहिए उसके अनुसार काम करें। मैंने जो सजेशन दिया है उसके अनुसार आप इस बजट को रूप देंगे, ऐसी मेरी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इस बजट के विषय में अपने कुछ विचार रखूंगा। जहां तक इस बजट का सवाल है, यह कुछ ऐसा लचीला मालूम होता है कि इस बजट में प्रत्यक्ष रूप से किसानों पर भारी टैक्स लगाया है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस समय आप अलवर गए थे मैं भी आपके साथ था, उस समय आपने क्या वायदा किया था? आप काश्तकारों के रिप्रेजेन्टेटिव बन कर यहां आए हैं। आप भूल गए सारी बातों को। क्या आप अपने हल्के में जाकर पूरी तरह सीना चौड़ा करके कहेंगे? आपको शर्म आएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 20 सालों में, सवाया राजस्व लगाया है, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि बंदोवस्त में यह जरूरी नहीं है कि टैक्स बढ़ाया जाए। पिछले इतिहास को देखिए। पंजाब के सर छोटूराम ने, जब अंग्रेजों का राज था, जागीरदारों का राज था, उस समय के टाइम रेवेन्यू आधा किया किसानों के हक में। तो क्या आपको शर्म आती है? जनता पार्टी को डुबोना चाहते हैं? आपको काश्तकार के हक में बजट बनाना होगा। आपको इस तरीके का टैक्स नहीं लगाना चाहिए और बंदोबस्त के बाद भी नहीं लगाना चाहिए।

इसके साथ जहां पर बंदोबस्त नहीं हुआ है वहां कुओं पर भी चाही लगाई है। क्या कुआं बनाने के लिए आपने उनको रुपया दिया है? जब कुछ नहीं दिया तो क्यों टैक्स लेना चाहते हैं? आप पुरानी परम्परा को फिर से दोहरा रहे हैं। जागीरदार गांवों में कुआं बनाकर देते थे और कुआं बनवाने के बाद चाही लेते थे। आपको वही परम्परा कायम करनी चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरीके के टैक्सों को जब आपका भाषण हो उस वक्त विथड्रा करें।

इसके साथ-साथ सिंचाई टैक्स लगाया गया। सिंचाई टैक्स 1।। गुणा किया गया। आपको मालूम है, यह फसल के ऊपर टैक्स है। शायद आपको मालूम होगा सिंचाई कहां होती है? जैसे कपास की आपके राजस्थान में 25 प्रति बीघा है उसका ड्योढा किया जाये तो कितनी होती है। आपकी नहरों की किस तरह की दुर्दशा है? आपके रास्ते में रूपारेल में नहर जाती है। आप जा कर देखें, सारा पानी बरबाद होता है। सारी जमीन का 50 पर्सेंट खराब हो चुका है। उधर टैक्स का भार, इधर जमीन बरबाद····

(5·00 म. प.)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, सभापति पदासीन)

आपकी मार्फत, माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इस तरह के टैक्स

(श्री नत्थी सिंह)
वापस लें, नहीं तो जनता पार्टी फिर नहीं आयेगी....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आवाज आ रही है।

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदया, शिक्षा के बारे में निवेदन करूं, जहां दो हजार की संख्या है वहां मिडिल स्कूल खुले हैं। पांचवीं से छठी क्लास में दो लड़के पढ़ने को नहीं हैं, वहां पर मिडिल स्कूल खोला गया है जहां 50 लड़के हैं वहां क्रमोन्नत नहीं किया गया। जहां आठवीं से नवीं क्लास चढ़ने के लिये एक लड़का नहीं है, बिल्डिंग नहीं, पब्लिक नहीं चाहती, नुमायन्दा नहीं चाहता, वहां सैकंडरी स्कूल खोल दिया है और जहां 50 लड़के 8वीं से 9वीं क्लास में चढ़ने को तैयार हैं, बिल्डिंग भी है, वहां स्कूल नहीं खोला है। सभापति महोदया, आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा, जहां लड़के नहीं है वहां किसको पढ़ायेंगे ? जहां लड़के हैं वहां स्कूल होना चाहिये लेकिन जहां लड़के नहीं हैं वहां स्कूल हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे यहां तो बहुत स्कूल खुले हैं, कोई गड़बड़ी नहीं।

श्री नत्थी सिंह : अन्त्योदय योजना के बारे में निवेदन करूं कि इसको आप व्यवहारिक रूप से देखें। काफी लोगों को लाभान्वित किया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति कितने पर्सेंट ठीक हुई है ? मैं समझता हूं 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने भैंस ले ली, भैंस मर गई। मामला साफ। बकरी ले ली, बकरी साफ। हस्त कला के जो ट्रेण्ड लोग थे उनको जरूर फायदा हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। सभापति महोदया, मैं मुख्य मन्त्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये आयोग गठित किया जाये और आयोग की मार्फत इस बात की जांच की जाये कि कितने प्रतिशत लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। नहीं तो पांच साल बाद इसका नतीजा सामने आयेगा और इसके बुरे परिणाम होंगे।

इसके साथ साथ काम के बदले अनाज के बारे में अर्ज करूंगा। इससे काफी विकास हो रहा है लेकिन कच्चे काम हो रहे हैं, जैसे कच्ची सड़कें बन रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं पंचायत मन्त्री महोदय से यह सड़कें जो बनाई जा रही है, क्या बरसात के बाद इसी हालत में रहेंगी ? अगर नहीं रहेंगी तो जो पैसा लगा रहे हैं वह पैसा पानी के साथ बह जायेगा। सड़कों को पक्का किया जाये। जहां चिकनी जमीन है, बरसात के बाद उस पर आदमी भी नहीं चल सकता, इसलिये इस योजना को....

श्री सभापति : आपने 12 मिनट ले लिये हैं। आप अपना भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, करोड़ों रुपये के काम हो रहे हैं। जितने काम हो रहे हैं उनमें आफिसर खा रहे हैं। बजट तो काफी लम्बा बनता है, लेकिन बीच वाले खा लें तो क्या मिलेगा ? माननीय वित्त मन्त्री जी, आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपने जो किसानों

(श्री नत्थी सिंह)

पर टैक्स रखा है, उसको पार्टी के सम्मान के लिये आप वापस लें वरना हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा ।

इसके साथ साथ मैं इतना धन्यवाद देता हूं कि पहले से ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं । अगले बजट में 70 प्रतिशत बजट विकास के लिये रखा है लेकिन इसकी देखरेख नहीं की गई और आफिसर के भरोसे छोड़ दिया गया तो इसमें 50 प्रतिशत भी पैसा काम नहीं आयेगा और वैसा ही होगा जैसा सरदार जी ने अभी कहा कि इन्जीनियरों की कालोनी बनी हुई है ।

इतना ही कह कर मैं बजट का समर्थन करता हूं और किसानों के विरुद्ध जो बजट है उसका विरोध करता हूं ।

श्री सभापति : श्री डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महो या, अगर किसी ने संविधान के साथ बलात्कार किया है तो इस जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने । प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवाद, लोकतन्त्र लाना चाहते हैं । संविधान की सारी बातों को अलग रख कर राजनैतिक आधार पर अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिये सदन के जो नेता हैं, भारत रत्न बनना चाहते हैं । उन्होने नहीं सोचा, समाजवाद कैसे आये । उन्होने कहा, मेरी कुर्सी कायम रहनी चाहिये, सारी सत्ता को केन्द्रित कर देना चाहिये । इसके कारण यह हुआ कि जनता पार्टी के विधायक ने हिम्मत करके इस बात को कहा । यह समाजवादी ढंग का समाज लाना चाहते हैं ? यह कौन सा अन्त्योदय है ? मेरी पार्टी वाले भी तारीफ करते हैं । मैं नहीं समझ पाया, यह कौन सा अन्त्योदय है ? इस अन्त्योदय की आड़ में समाजवाद को दफनाने के दोषी ठहरते हो ।

मैंने कभी नहीं पढ़ा मेरे अधिकार क्षेत्र में कि शोषण के आधार पर जिन्होंने जमीनें लीं, जिन शक्तियों ने, जिन ताकतों ने गरीबों का शोषण कर जमीनें ले लीं उन पर उनके मकान और महल खड़े हो गये । आपकी नीति उनसे जमीन छीनने की नहीं होकर वर्ग भेद की विषमता को खत्म नहीं करने की है । यह आपका किस प्रकार का अन्त्योदय है ? यह कौन सा आपका तरीका है कि जो मेरे अधिकार हैं उनसे वंचित कर दें । खोसो, उनसे जमीन जो नहीं जोतते हैं । माननीय पुरुषोत्तम जी राजस्व मन्त्री जी ने बड़ी बात कही, जोते जिसकी जमीन और बोये जिसका खेत । मैंने कहा, अभी लोहिया की आत्मा कुछ लोगों में बोलती है । लेकिन 1960 का कानून बनने के बाद कोई भी व्यक्ति चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों और चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, हिम्मत के साथ कहें किसने क्या-क्या किया है । आज मेरा सौभाग्य है कि नेता महोदय बैठे हुए हैं । 1973 से 1976 में अमेंडमेंट करने के बाद आंकड़े आये हैं, दो हजार 733 मुकदमात खुले हुए हैं टीनेन्सी एक्ट के नीचे–सीलिंग लॉ में और जो 1973 के अन्दर 1097 मुकदमे खुले हुए हैं, उसमें दो साल का समय कम कर दिया । मैं बराबर इस प्रश्न को उठा रहा हूं । मुझे मालूम नहीं कि बड़े-बड़े लोगों से क्यों नहीं जमीनें खोसी जा रही है ? कलेक्टर कहता है दे नहीं रहे हैं । जमीन उन लोगों के खोसो, लेकिन राजस्थान में तो जो सामन्त-

(श्री मूलचन्द डागा)

वादी संस्कृति है, वह वापस उभर कर आना चाहती है इसलिये खोसें भी तो कैसे ? अब शक्ति का प्रतीक कौन हो सकता है–यह क्यों नहीं आपने कहने की कोशिश की ? कौन अन्त्योदय है ? मेरा अधिकार है मैं जमीन लूंगा। समाजवाद और लोकतन्त्र इसे ही कहते हैं कि जितने राज्य में आदमी हैं वे सब भागीदार बनें। समाज में जितने भौतिक और आर्थिक साधन हैं उनका समान वितरण करने का तरीका होना चाहिये लेकिन यह आपका विज्ञानहीन लोकतन्त्र है। यह निर्जीव लोकतन्त्र है। तुमको पैसे दिये जायेंगे, तुमको पैसे दिये जायेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पैसे दिये जायेंगे और फिर कहते हैं हो गया लोकतन्त्र। कौन आपका अन्त्योदयी है, मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने बार-बार कहा है यह अन्त्योदय क्या है और 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था। जिस राज्य में सामन्तवाद पनपता है, जिस राज्य में स्वार्थवाद पनपता है, जिस राज्य में सुविधा भोगी कर्मचारी पनपता है उस राज्य को समाजवादी न कहें। क्या यही है जे. पी. की सम्पूर्ण क्रान्ति और क्या इसे ही आप समाजवाद कहेंगे ? हम तो समझते थे सम्पूर्ण क्रान्ति से भारत का भाग्य बदलने वाला है। कहां का बजट, किस तरह का बजट ? गृहस्थी को बजट दिखा दें तो उसके जी में आयेगा कि जिसने यह बजट पेश किया है, वह उसके जी में झांक कर देखे।

मास्टर आदित्येन्द्र का फोटो आया था और लिखा था कि बजट का अध्ययन कर रहे हैं। मास्टर साहब, सरकारी कर्मचारियों ने बजट बना दिया और आपने कृपा करके यहां पढ़ दिया। मुझे दुःख है जनता पार्टी के उस दिन का जिस दिन यह बजट पेश हुआ। श्रीमान, यह आपका बजट क्या है ? टैक्स कितना बढ़ रहा है, यह भी आपने कभी देखने की कोशिश की ? मुझे इसमें एक्सपैन्डिचर मालूम हुआ, समय कम है और समय से डरता हूं, क्योंकि बहुत से पाइन्ट मुझे कवर करने हैं, 140·30 करोड़ से कहां पहुंच गये, श्रीमान्, आप पहुंच गये 185·85 करोड़ पर। दो साल की सरकार और 45 करोड़ अधिक नान टैक्स एक्सपैन्डिचर में खर्च करते हैं। श्रीमान् एक साल में 45 हजार रुपये बढ़ गये और इस प्रकार बढ़ गये कि सारे कमिश्नर कर दिये, तुम भी कमिश्नर, तुम भी कमिश्नर। सूची मेरे पास है। यह सारा गरीब लोगों का पैसा सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं। Government servants should not get more than the Minister. But the Govt. servants are getting more than the Minister. सर्वेन्ट्स को ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं। नौकरशाही का क्रूर पंजा हावी हो गया है और इतना हावी हो गया है कि मंत्रियों की भी नहीं सुनता है। इस बजट का एक-एक आंकड़ा पढ़ें तो आपको मालूम हो जायगा कि क्या बजट है ? मैंने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहाँ पहुंच गई हैं ? 14·15 से 16·19 करोड़। श्रीमान्, मेरी गर्दन नीचे होती है। जिन विरोधी दल के नेता से भाषण सुन कर प्रभावित होते थे, लेकिन अब सत्ता में बैठने वाले·······

श्री खेतसिंह राठौड़ : अक्ल फिर जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : अपनी कुर्सी को कायम रखना चाहते हैं। जो आंकड़े दिये गये हैं मैं कहता हूं सब झूठे आंकड़े हैं। मैं दो उदाहरण इसके लिये दूंगा और फिर बता दूंगा। श्रीमान्, 1977–78 में आवाज दी थी कि एक श्वेत क्रान्ति आयेगी। क्या साढ़े चार लाख लीटर दूध कर दिया? पहले बजट में, परिवर्तित बजट में आपने वित्त मंत्री जी, इन खुरदरे हाथों का कमाल है इस प्रकार की भाषा कही थी फिर जब आपका भाषण आया 1978–79 में तो कह दिया तीन लाख औसत होने की सम्भावना है। फिर भाषण आया और हो गया ढाई लाख लीटर और अब फिर कह रहे हैं साढ़े तीन लाख होने की सम्भावना है।

अब जल प्रदाय विभाग किस प्रकार अपना बजट देता है? कौन पढ़ना मांगता है? जल प्रदाय विभाग लिखता है....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : डॉ० हरि सिंह।

श्री मूलचन्द डागा : हां, ये डॉ० हरि सिंह जी कहते हैं मैं 450 गांवों को पानी दे दूंगा। फिर कहते हैं इस साल 350 गांवों को पानी दे दूंगा। 350 ही रह गये। फिर आकर यहां कहते हैं केवल 600 कुएं हैं। जोड़ करता हूं तो होते हैं 500 कुएं। फिर कहते हैं 600 कुएं हुये हैं। मैंने फिर पढ़ा, बिजली के बारे में पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि यह सरकार इस बजट को देखती भी है या नहीं या सरकारी कर्मचारी कहते हैं उस पर दस्तखत करते हैं। फिर उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा कहा, भूमि और भवन कर। मैं कहता हूं, मेरा दिल कहता है कि जनता पार्टी के लोग सजग हैं, उसमें नौजवान आए हैं, वे समूचे देश में समाज बदलना चाहते हैं। सरकार बदलने से वे संतोष नहीं लेंगे। वे सामाजिक क्रांति चाहते हैं, वे आर्थिक क्रांति चाहते हैं। कुर्सी बदलना उनके लिए अच्छी बात नहीं है। वे दिशाहीन नहीं हैं, वे नीतिहीन नहीं है। यह आपके मधु लिमये चाहते हैं। लेकिन भूमि और भवन कर, यह लगा करके क्या तारीफ की और क्या किया? मैं कहता हूं, आप कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एवेल्यूएशन करते हैं और तीन घण्टे में ढाई लाइन लिखने वाले लोग क्या करते हैं? आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। आज कितने केसेज पैंडिग हैं? 11245 पैंडिग केसेज और एक महीने में कितने हुए? जनवरी में हुए 290। और कितने होने चाहिए? इलेवन हण्डरेड। आपने 11 आफिसर्स मुकर्रर किये हैं। टोटल टार्गेट था 2·50 करोड़ का। बजट प्रावधान था कि 2·50 करोड़ रुपया मिलेगा और मिला कितना? मिला आपको 95 लाख रुपया। तो क्या हुआ? रेवेन्यू कलेक्शन हुआ 22 पर्सेंट और एक्सपेंडीचर हुआ है 34 पर्सेंट। आपकी रेवेन्यू हुई 22 पर्सेंट और एक्सपेंडीचर हो गया 34 पर्सेंट.... ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री को समय कहां है, दिल्ली रहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, जब मैंने यह टीनेंसी एक्ट देखा। टीनेंसी एक्ट में क्या हो जायेगा तो मुझे मालूम हुआ कि यह सरकार किस प्रकार से, अपने तरीके से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहती है? फिर मैंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने सरकार के अन्दर आफिसर्स की और वृद्धि कर

(श्री मूलचन्द डागा)
दी । मैं नाम लूंगा तो कहेंगे कि नाम लेते हैं। मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने एक साल के अन्दर बीस कमिश्नर किए, वह अलग बात है लेकिन उनकी सुविधाओं की तरफ जो आपने खर्चा किया, मंत्रियों के लिए जो खर्चा किया है, वह शपथ याद रखिये, वह विस्मृत हो गई। 24 मार्च, 1977 को गाँधी की समाधि पर शपथ लेने वालों में····

श्री रघुनन्दन व्यास : उनमें ये नहीं थे।

श्री मूलचन्द डागा : 22 जून को आपने यहाँ भाषण दिया कि सादगी हमारा जीवन होगा लेकिन विलासितापूर्ण आपके भवन हैं। हम पहरे-वहरे नहीं रखेंगे, हम खर्चा कम करेंगे। हम जनता से उसी प्रकार अलग-थलग क्यों रहेंगे ? राष्ट्रपति महोदय ने भी राज्यपालों को यह उपदेश दिया है लेकिन आपका खर्चा क्या हुआ ? आज खर्चा क्या होता है ? पहले 77 थाउजेण्ड और वह हो गया तीन लाख। मंत्रियों का खर्चा 2 लाख 64 हजार और अब हो गया 3 लाख 75 हजार।····

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सादगी का रूप है।

श्री मूलचन्द डागा : फिर 12 लाख अन्य में है। बारह लाख और अब हुआ है 18 लाख····

श्री नवरंगसिंह : आपने जो परम्परा डाली है उसी का पालन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमान्, यह खर्चा बढ़ा है। कहने भर के लिए सादगी और चलते कैसे हैं। मंत्री कहते क्या हैं ? मंत्री कहते हैं कि करे कैसे ? पुरुषोत्तम मंत्री ने भीलवाड़ा में भाषण दिया कि यह सीलिंग कानून भुलावा मात्र रहा। किसने कहा ? समाजवादी मंत्री ने। और कहते हैं कि भाई कानून लावें कैसे ? उस लॉबी को खुश रखना है। सारे सामन्तवादी लोगों को ये पनपा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो यह कौनसा है, कौनसा अन्त्योदय है ? यह अन्त्योदय की बकवास बन्द करो।

(व्यवधान)

हमारा वेल्यूएशन हो रहा है, कौन पूछ रहा है ? जयप्रकाश जिसके लिए सर्टीफिकेट देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आपका मिनिस्टर, वित्त मिनिस्टर लालचन्द ने कहा है :

"It was not proper for him to remain in the ministry as he wanted to fight against the capatalists and vested interest."

मंत्री को आपने जोरदार भाषण तो नहीं देने दिया लेकिन उसने कहा। यह किस बात का अन्त्योदय है ? बीस सूत्री कार्यक्रम में क्या हानि थी ? सारे बनियों को कह दिया था कि तुमको कर्जा नहीं चुकाया जाएगा, सारा कर्जा खतम हो गया····

श्री भवंरलाल ऐरन : अपने दिल से पूछो।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा दिल कहता है कि बीस सूत्री प्रोग्राम में कोई तकलीफ

(श्री मूलचन्द डागा)
नहीं थी। केवल परिवार नियोजन का हमारा तरीका ठीक नहीं था····

श्री रघुनन्दन व्यास : डागाजी को इस बात की तकलीफ हो रही है, रोहित गांव में जब जाते हैं तो अन्त्योदय के कारण उनको बोलने नहीं दिया जाता।

श्री सूरजपालसिंह : यह आर. एस. एस. वालों का तूफान था।

श्री मूलचन्द डागा : मैं फिर कहता हूं, बेरी साहब कहते हैं कि मैं सीलिंग के केसेज तय नहीं कर सकता····

श्री सभापति : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

Chair is on legs. Chair is on legs. Chair is on legs. माननीय सदस्य, बैठ जाइये। माननीय सदस्य, पहले बैठ जाइये। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आसन कोई पार्टी नहीं है। डागाजी भाषण प्रारम्भ करें।

(व्यवधान)

डागाजी, कृपया आप तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप इतनी इंडिपेन्डेन्ट हैं तो यह टाइम रघुनाथजी को मिलना चाहिए, डागाजी को नहीं।

श्री सभापति : आसन पर आप किसी तरह का आक्षेप नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इनको कितनी ही ताड़ना दें, कोई असर नहीं होने वाला है।

श्री सभापति : नेता महोदय ही अगर इस तरह से प्रोटेक्शन देने लगेंगे तो यह नहीं हो सकेगा।

श्री मूलचन्द डागा : भ्रष्टाचार का क्या हुआ ? मुख्य मंत्री जी ने जब शपथ ली तो कहा कि राजस्थान से भ्रष्टाचार विदा हो चुका। अच्छी बात कही। मुझे आप फर्मायें, वी केम्वो हैं जिनके खिलाफ आरोपों की उनके अधिकारियों ने और सारे कर्मचारियों ने एक किताब दी बना कर और एम०एल०एज० और विधायकों ने लिख कर दिया। एम. एल. एज. थे श्री समरथलाल, माणकलाल ठाकौर, विधायक ओमप्रकाश और सात आठ जनता पार्टी के विधायक हैं। वी. कैम्वो के खिलाफ आपने आठ महीने के बाद क्या किया ? मैं इस किताब को सदन की मेज पर रखता हूं। क्या कार्यवाही हुई ? भ्रष्टाचार के इस महकमे में क्या हुआ। धमका रहे थे कि नाक से निकालूंगा, मुंह से निकालूंगा। मैं नाक और मुंह से निकालने की बात नहीं करता, तिजोरी से निकालता हूं। मुझे बताइये कौन से भ्रष्टाचारियों को सजा मिल गई ? मेरे पास सबूत हैं, जितने चाहें सबूत देने को तैयार हूं। मैं इसका मोशन, सेंसर मोशन लाऊंगा टाइम मिलेगा तो। मुझे इस समय समय नहीं है, मैं इन कागजों को सदन की मेज पर रखूंगा कि किस प्रकार से यह भ्रष्टा-

(श्री मूलचन्द डागा)

चार है और किस को कहते हैं भ्रष्टाचार। प्रजातन्त्र का पूर्ण तरीका है कि प्रशासन को विकेन्द्रित किया जाय। सामान्य जन आज की राजनीति में स्थापित किसी तरह से नहीं हो सकता। लेकिन आपने क्या किया?

गवर्नर साहब से भाषण दिला दिया–नगरपालिकाओं के चुनाव अप्रेल में होंगे। फिर कहलवा दिया नगरपालिकाओं के चुनाव तीन महीने में होंगे। इसके बाद आपने पंचायत चुनाव का बहाना ले लिया। ये चुनाव आज तक नहीं हुए। इसी प्रकार से सहकारिता के चुनाव नहीं हुए। वहां पर अनेक लोगों को लगा दिया। अब कह रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं। यह प्रौढ़ शिक्षा है या? और यह जन स्वास्थ्य रक्षक क्या हैं? आपने कह दिया 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, यह प्रौढ़ शिक्षा क्या है? यह कुछ पार्टियों को पनपाने का तरीका है। आज हमारी शिक्षा की क्वालिटी गिर रही है। अध्ययन, अध्यापन के सिवाय सब कुछ होता है। यह शिक्षा और ले डूबेगी। जो शिक्षा संदर्भहीन है, निष्प्रयोजन है, निरर्थक है, जिस शिक्षा में परिवर्तन नहीं होता है उस शिक्षा से कुछ उन्नति नहीं होगी। यह शिक्षा सिवाय पढ़े-लिखों की संख्या बढ़ाने के कुछ भी नहीं कर रही है। मेरा लड़का तो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। हमारे मन्त्री महोदय के बच्चे सेन्ट जेवियर में पढ़ रहे हैं। दूसरे सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है। यह क्या लोकतन्त्र है? आपका यह कैसा लोकतन्त्र है? जो कुतुबमीनार पर बैठा है उसको आप नीचे नहीं ला रहे हैं और जो नीचे है उसको ऊपर नहीं ला रहे हैं। उसको ऊंचा उठाने की बात की जाती है। यहां पर राजनैतिक भाषण होता है। यहां पर झूठी बात को सच्चाई का जामा पहिनाया जाता है। खाली हवा को ठोस पदार्थ बता दिया जाता है। यह दोष है। आप मुझसे बहस करें मैं आपको समझा सकता हूं। यह बजट बजट नहीं है। यह जनता के साथ धोखा है।

आपने अपने घोषणा पत्र में कह दिया आक्ट्राय माफ कर देंगे। सीकर में भाषण दे दिया। दिल्ली में जाते ही इसकी विकिरण समाप्त हो गई। क्या भाषण दिया था, यह भी भूल गये। वहां कह दिया नपुंसक हो गये। आप बड़े प्रगतिशील हैं। आपकी प्रगतिशीलता का अन्दाज इस अन्त्योदय योजना से लग जाता है। अन्त्योदय योजना के लिए आपने, भैरोंसिंह जी, इंडियन एक्सप्रेस को 21 हजार का विज्ञापन दे दिया, हिन्दू को 35 हजार का विज्ञापन दिया। क्यों दिया? इसलिए कि तुम प्रचार करो कि राजस्थान में अन्त्योदय के अन्दर यह हो रहा है। यह अन्त्योदय है या समाजवाद के साथ छल कपट। इससे हमारे नागरिक का स्वाभिमान नहीं जगेगा। इसके लिए वर्ग संघर्ष होगा। देश में जो विषमता है, वह पाप है। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ लोग समाजवाद पर भाषण दे दें। इससे क्या यह लोकतन्त्र हो गया। लोकतन्त्र में शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तो लोकतन्त्र मजबूत नहीं होगा।

(श्री मूलचन्द डागा)

आज इस लोकतन्त्र में सारी सत्ता के मालिक हमारे मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह जो हैं। वाह क्या तरीका निकाला है अन्त्योदय में बेटे को गोद लो। क्या तरीका है ? इससे उस लड़के का स्वाभिमान मर जायेगा। उसकी आत्मा मर जायेगी। देश को भुलावा देने का यह रास्ता है। इसलिए स्वाभिमान को जगाने के लिए इस अन्त्योदय को पटक दो और समाजवाद को लाओ, यही मेरा कहना है।

श्रीमती सभापति : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, मैंने वित्त मन्त्री महोदय का भाषण पढ़ा। इस किताब के हरे कवर को देखने से यह मालूम होता है कि यह राजस्थान सरकार हरित क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रही है। परन्तु साथ ही इस बजट भाषण को पढ़ने से कुछ निराशा भी हुई है क्योंकि सात करोड़ के नये टैक्सेज लगाये गये हैं। ये टैक्सेज किसानों पर लगे हैं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि जब बजट पेश करना होता है, खर्च को चलाना होता है तो कुछ टैक्सेज लगाने पड़ते हैं।

राजस्थान सरकार, जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, उसमें चालू वर्ष में यह सरकार गांव के विकास कार्यों पर बजट का 64 प्रतिशत खर्च कर रही है और अगले वर्ष इस बजट में भी गांवों के विकास के लिए 70 प्रतिशत खर्च करने का प्रोग्राम रखा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि गांवों के विकास की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

इस बजट भाषण में, जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था कि जनता पार्टी के शासन में आने के बाद बिक्री कर को समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

साथ ही यह भी नहीं कहा गया है कि शराबबन्दी लागू की जाएगी। विरोधी दल के कई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मद्य निषेध लागू किया जाना चाहिये। तत्कालीन मुख्य मन्त्री, उस समय की कांग्रेस सरकार ने नशाबन्दी के बारे में विचार किया था। महाराष्ट्र में नशाबन्दी को लागू किया था। यहां से श्री हरिदेव जोशी ने सहायक सचिव को बम्बई भेजा था, वह यह पता लगा कर आवें कि वहां पर किस प्रकार से नशाबन्दी की गई है। उसने जो वहां पर चर्चा की उससे यह मालूम हुआ कि महाराष्ट्र नशाबन्दी लागू करके पछता रहा है क्योंकि इससे विकास के कार्य रुक रहे हैं। इस बार मालूम हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने वापस दारुबंदी को खोल दिया है। शराब की बिक्री चालू कर दी है। सारे हिन्दुस्तान में शराबबंदी नहीं है। गुजरात और साउथ की एक आध स्टेट में शराब बंदी है। अब राजस्थान के ऊपर यह वार किया जा रहा है। हालांकि मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं, पक्ष में हूं। मुझे आज तक मालूम नहीं है कि दारु कैसी होती है परन्तु फिर भी सोचना पड़ता है विकास के कार्यों के लिए। जो एक्साइज से रेवेन्यू है वह 27 करोड़ रुपये की है और 9 करोड़ रुपया सैल्स टैक्स से प्राप्त होता है। इस प्रकार इससे आय 36 करोड़ रुपये की होती है। इसी प्रकार म्युनिसिपैलिटी की 3 करोड़ की आय है।

(श्री उगमराज मेहता)

कुल इससे 39 करोड़ रुपये की इनकम होती है। केन्द्रीय सरकार इस 39 करोड़ की पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है। वह 25-27 करोड़ रुपये की घाटा पूर्ति करने के लिए तैयार है। फिर भी राज्य सरकार को 12 करोड़ रुपयों का घाटा रहता है। इस 12 करोड़ की पूर्ति के लिए नये टैक्सेज लगाने पड़ेंगे। यह आप कहां से लायेंगे।

एक बार हमने जनता से वायदा किया है सैल्स टैक्स समाप्त करने के लिए। दारुबन्दी का हमने मेनीफेस्टो में नहीं लिखा है। हमने जनता से वायदा किया है सैल्स टैक्स समाप्त करने का। अगर सैल्स टैक्स समाप्त किया जाता है तो इसका घाटा कैसे पूरा किया जाएगा? आप तो यह कह देते हैं कि यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। मैं अपने यह विचार रखूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी, आप सैल्स टैक्स को समाप्त कर सकते हैं। टर्न ओवर टैक्स लगाकर सैल्स टैक्स समाप्त कर सकते हैं। इस बारे में केन्द्रीय सरकार से भी कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आप विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह लें।

दारूबन्दी के बारे में मैं आपने विचार रखूंगा। वित्त मन्त्रीजी ने केन्द्र से पूरी सहायता के अभाव में दारुबन्दी नहीं की है। फिर भी मैं कहूंगा दारु बन्द होनी चाहिये लेकिन मेरा निवेदन है कि राजस्थान की सीमा पर हरियाणा, पंजाब, एम.पी. दिल्ली हैं। पूरी तरह से राजस्थान घिरा हुआ है। अगर ऐसा कर दिया गया तो घर घर इंडस्ट्री चालू हो जायेगी। आप सम्हाल नहीं सकेंगे। दारु को बिल्कुल रोक नहीं सकेंगे। आपने कई स्थानों पर दारु बन्द की है उसका परिणाम हम देख रहे हैं। आपने पाली में बन्द की और उसके पड़ोस ब्यावर में खुली है तो वहां बिक्री दुगुनी हो गई। यह कैसे हुआ? ब्यावर में बिल्कुल थाने के सामने शराब की भट्टियां चालू हैं। मैंने कई बार निवेदन किया कि इसे बन्द किया जावे किन्तु आप रोक नहीं लगा सके। तो यह आपके बूते के बाहर होगा। जल्दबाजी में आप कुछ भी मत करिये। मेरा निवेदन है कि इसको आप 2 या 3 साल में करिये। गांव गांव जाकर प्रचार कीजिये। हमारे सर्वोदयी नेताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप गांव गांव जाइये। प्रचार कीजिये। समझाइये कि इससे हानि है, सब तरह से हानि है, नुकसान है शराब से। इसको बन्द करिये। इसको वे लोग सोचेंगे। गांव के लोग विचार करेंगे। फिर तो यह 2–3 साल में हो जायेगा।

इसके अलावा मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, मन्त्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अन्त्योदय योजना चलाई है, राजस्व योजना चलाई है, काम के बदले अनाज योजना चलाई है इनसे सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान का नाम हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सब की राय लीजिये। कम से कम 1-2 साल तक इसको बन्द रखें और विकास के काम हाथ में लें।

एक सैल्स टैक्स के लिये निवेदन करना चाहूंगा। मेरा यह निवेदन है कि आप कृषि मन्डी का 2 प्रतिशत लगा दीजिये। एक ही बार टैक्स लगाना चाहिए। बार-बार टैक्स लगाते हैं तो डबल मार पड़ती है।

(श्री उगमराज मेहता)

इसके अलावा में भ्रष्टाचार पर आता हूं। माननीय डागाजी ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा। हम वहुत पहले कांग्रेस शासन के बारे में सोचते थे और हर मन्त्री पर रिश्वत का आरोप लगाते थे और सही लगाते थे। मैं आज माननीय डागाजी से पूछना चाहता हूं कि आज कोई भी हमारे जनता पार्टी के मन्त्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाये और सिद्ध करे।

श्री मूलचन्द डागा : थोड़े दिन में रख दूंगा। आप उत्तर देना।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : आज मंत्रिमण्डल के ऊपर इस तरह का कोई भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकता।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कोई उदाहरण मत दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : मैं डॉ० हरिसिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री राजवंशी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं 1973 से 1975 तक के करीब 10 करोड़ रुपयों के। भूतपूर्व वित्त मन्त्री का भी हाथ शामिल है। इसकी जांच करावें।

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

श्री सभापति : उनसे आपको जो कुछ कहना है वह सदन की मेज पर रख दीजिये या हाउस को वता दीजिये। यह गलत परंपरा है।

श्री उगमराम मेहता : माननीय वित्त मंत्री जी ने····

श्री सभापति : माननीय सदयस्य, आप खतम करें अपना भाषण। श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री उगमराज मेहता : माननीय वित्त मंत्री जी ने जो छोटे छोटे कारखानों पर टैक्स लगाया है····

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभानेत्री जी····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सभा नेत्री नहीं होता, सभापति होता है both for man and woman.

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभा पति महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सदन में अपना वजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वजट प्रस्तुत किया है इस तरह का वजट 1952 से लेकर आज दिन तक कभी विधान सभा में पेश नहीं हुआ····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कैसे होता ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कहते हैं कैसे होता। पहले अभिभाषण आपने देखा होता तो अव कटाक्ष नहीं करते····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्राप तो ग्रपने मैन मुद्दे पर ग्राइये। समय चला जायेगा इसलिये····

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सार्वजनिक घोषणा शराब-बन्दी की की थी उसकी पालना नहीं की ग्रौर इस सदन को ग्रांकड़ों में फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि पंचवर्षीय योजनाग्रों में कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया परन्तु हमने दो साल में बजट पेश करके करिश्मा दिखा दिया है। शिक्षा, पशु-पालन, मेडिकल सब के उन्होंने गांवों में विकास के ग्रलग-ग्रलग ग्रांकड़े देकर यह बताने की कोशिश की है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, योजनाग्रों का जो ग्राकार है, वह इतना बड़ा हमने रखा है। पिछले 30 वर्षों में भी कुछ नहीं हुग्रा, ग्रांकड़ों से उन्होंने यह बताने की ग्रौर उसका जनता सरकार के दो सालों से कम्पेरीजन करने की कोशिश की है, परन्तु, सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा जो फाइनेंशियल पोजीशन कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की छोड़ी थी वह वित्तीय स्थिति ग्रब की बजाय बहुत ग्रच्छी थी। ग्रब ग्राप कह रहे हैं कि सातवें वित्त कमीशन ने हमारे साथ ग्रन्याय किया है। उन्होंने कहा कि जो ग्रांकड़े ग्रापने बताये हैं ग्रौर सीमा बढ़ाई है, उसको हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन पापुलेशन के ग्राधार पर हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों में ग्रापसे ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ग्रापने बढ़ा चढ़ा कर ग्रांकड़े बताये हैं, हमारे फार्मूले के विरोध में ग्राप चले, नतीजा यह हुग्रा कि जो ग्रापको स्वयं को मन्जूर है कि सेवन्थ प्लानिंग कमीशन ने ग्रापकी रिकमन्डेशन को नहीं माना ग्रौर राजस्थान को जो पैसा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला ग्रौर राजस्थान के साथ ग्रन्याय हुग्रा है। यह ग्रापने स्पष्ट ग्रपने बजट भाषण में मन्जूर किया है तो पहले यह प्रोपेगेण्डा ग्रापने क्यों किया कि हम ज्यादा बजट मन्जूर करायेंगे ? इस होड़ में घाटे में रह गये। ग्राप उसी पहले वाली हमारी लाइन पर चलते ग्रौर उसी ग्राधार पर ग्रांकड़े रखते तो ऐसा नहीं होता। ग्रापने एक स्टेटिस्टिक्स की किताब देखकर राज्य की स्थिति बता दी। ग्राप उस पर गलत चले गये। राजस्थान में हर साल ग्रकाल पड़ता है, भारत सरकार के सामने ऐसी बात कही है जिससे यह घाटा हुग्रा है। यहाँ पर जो भाषण दे रहे थे ग्रापके साथ के वह भी कह रहे थे कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से वित्तीय साधन लेने में ग्रसमर्थ रही है। यह ग्रापने स्पष्ट रूप से मन्जूर किया है।

तो, माननीय सभापति महोदया, कुल मिला कर बजट के जो प्रस्ताव दिये हैं, इतने टैक्सेशन प्रपोजल्स रखे हैं ग्रौर ग्रापने यह कहा है कि उनसे 7 करोड़ की इनकम होगी। इतने टैक्सेज बढ़ा देने के बाद भी ग्रौर काश्तकारों पर इतने टैक्स लगा देने बाद भी यह ग्रामदनी रही। इसके ऊपर माननीय सदस्यों की प्रतिक्रियाएं ग्राई हैं ग्रौर इनकी ही पार्टी वाले माननीय सदस्यों ने यह चैलेन्ज किया है जनता पार्टी नहीं रहेगी ग्रगर इन कर प्रस्तावों को वापस नहीं लेंगे तो यह वार्निग ग्रापके ही सदस्य देते हैं, हमारी नहीं मानो तो उनकी मानो। जो व्यापारी सैल्स टैक्स की चोरी में हमारे राज्य के ग्रन्दर पकड़े जाते थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ग्रब नहीं होती है। इसी सदन में भैरोंसिहजी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बताया करते थे, सेल्स टैक्स में लूप होल आपने रख छोड़े हैं इनको कर्ब कर दें तो इनकम ज्यादा होगी। उन्हीं के सुझावों के अनुसार पैनल्टी का प्रोवीजन करके उसमें अमेंडमेंट हमारी सरकार ने किया था। आप पिछली प्रोसीडिंग को उठा कर देख लें। आज क्या वजह है कि उस लूप होल को आपने वापस रख लिया। इसका कारण यह है कि उन लोगों ने आपको जिताया है और रोज आपको चन्दा देते हैं। आपके खर्चे को पूरा करते हैं, आपकी आवभगत करते हैं, आपको खूब जिमाते हैं मौके मौके पर। गरीब के पास तो रूखी-सूखी रोटी के टुकड़े हैं वह आपको अच्छी नहीं लगती है। इस कारण से सरे बाजार लूट खसोट हो रही है। सारे गरीब लोग यह चिल्ला रहे हैं। काश्तकार वगैरह बाजार में जायं तो 10 गुना चीजों के भाव बढ़ गये हैं। दाल का भाव बढ़ गया है।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारी सरकार के समय माननीय सदस्य कहते थे कि रोज रोज रेड पड़ती थी और अब लाखों रुपयों की मार पड़ती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं ? आप रेड क्यों नहीं डाल सकते हैं ? अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि लाखों रुपयों की सीमेंट गोदामों में पड़ी हुई है, उनके यहाँ पर रेड क्यों नहीं डालते हो ? यह इसलिए हो रहा है कि आप एक ओर घोषणा करते हैं और दूसरी ओर भाव बढ़ते हैं। वे व्यापारी क्या वाउचर काटते हैं ? जितनी भी रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें हैं वह सब महंगी हो गई हैं। आपके इतने सारे इन्सपेक्टर्स हैं वह चैक क्यों नहीं करते हैं ? वह जानते हैं कि किसी को पकड़ा तो वह उन्हें फंसा देगा। यह जो वास्तविक चीजें हो रही हैं वह इसलिए हो रही है कि वह काम नहीं कर रहे हैं। टैक्स वसूल कौन कर रहा है ? जनता की लूट चल रही है। एक चीज पर टैक्स लगाया और बाजार के अन्दर सारी चीजों के भाव बढ़ा दिये 25 पर्सेन्ट। किस पर टैक्स बढ़ा है किस पर नहीं, इसका कोई ख्याल नहीं। सारी चीजों की रेट्स बढ़ गई हैं इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ? सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है, इसको मोहन धारिया ने भी मन्जूर किया है। सीमेंट के कट्टे किसी व्यापारी के पकड़ लिये कलेक्टर ने। वहाँ पर कट्टे में सीमेंट कम पाई गई। कट्टे में सीमेंट कम क्यों हुई ? यह क्या हो गया ? जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा यह आपका राज्य है।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये वित्त मंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि जो टैक्स प्रपोजल्स आप लाये हैं 7 करोड़ के, उनके बजाय शराब पर लगायें तो उससे 24 करोड़ की इनकम होगी। आपने बताया, शराब बन्दी का एरिया बढ़ा रहे है, लेकिन 60 प्रतिशत शराब की इनकम बढ़ रही है। यह क्या रहस्य है ? शराब, गांजा, भांग, अफीम जो कुछ भी है। आप अफीम की खेती का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं और ओपियम का स्मगलिंग हो रहा है तो वह तो होगा ही। जो चीज पैदा हुई है वह बिकने जायेगी कहाँ पर ? उसकी खपत कहाँ पर होगी ? आज मध्य प्रदेश और चितौड़ और हमारे इलाके के बीच जीपों में खुली

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
अफीम लिये हुए लोग घूमते हैं, लेकिन आपका विभाग क्या कर रहा है? इसमें सब की मिलावट है तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चतुर्वेदीजी सोच रहे हैं कि कुछ करें, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह कोई बजट की स्पीच है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारी सरकार ने, चतुर्वेदीजी, राजस्थान केनाल घोटालों के अन्दर जिन इंजीनियरों को सस्पैण्ड किया था वह आपके राज्य में रिइन्स्टेट हो गये।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री रघनाथ विश्नोई : है कोई जवाब आपके पास? कोई जवाब नहीं है आपके पास?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उनको चार्ज-शीट देने की हिम्मत सरकार की नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान नहर के बड़े-बड़े घोटाले की फाइलें हमारे कांग्रेस के राज्य के अन्दर बनी थीं उनकी इन्क्वायरी करके फाइलों को पूरा करके रखा गया था और इन्क्वायरी की अप्रूवल देनी थी और उनको सस्पैन्ड की कार्यवाही करनी थी। उसके बारे में आपने कहा कि हमने इतनों को सस्पैन्ड कर दिया। तो उसमें आपने क्या किया? आपने केवल दस्तखत ही किये हैं। आपने चपरासी को पकड़ लिया या क्लर्क को पकड़ लिया तो एन्टी करप्शन के हिसाब पर पहुंच गये। मोटी मोटी मुर्गियों को पकड़ो तो आपको मालूम होगा। छोटे-छोटे कुत्तियों के बच्चे पकड़ते हो तो करप्शन मिटने वाला नहीं है। सारे सदन के सदस्य इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले पी. एस. सी. की परीक्षा के पर्चे आफर होने के बारे में कह रहे थे। सभापति महोदया, पहले दिन पेपर्स की कीमत एक हजार थी वह दूसरे दिन 100 की हो गई। उससे उनको मालूम पड़ा कि खुद की कीमत घटने वाली है, थोड़े दिनों में होटलों में जाकर जब पर्चे बिकेंगे। यह कैसे बिके? एक लड़के को पास कराने के लिए टेलीफोन किया गया। किसी एम. एल. ए. को ओब्लाइज करना था इसलिए यह ड्रामा किया गया था। जो लड़के खून पसीना एक करके पढ़े थे उनका क्या हाल होगा? कांग्रेस के राज्य की हिस्ट्री में 30 साल में ऐसा घोटाला नहीं हुआ है। अगर हुए हों तो मंत्रीजी बतायें। माणकचन्दजी जो होशियार वकील हैं वह पूछ रहे थे कि प्रोसीजर बताइये कि किस प्रोसीजर के तहत उन पर कार्यवाही की जाय। तो प्रोसीजर तो राज्य के पास में है। इस प्रकार से सारे लोगों में उच्छृंखलता बढ़ी है क्योंकि सबको मालूम है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब योजना आयोग को घसीटा जा रहा है। मोरारजी भाई परिवार नियोजन के फोटो लगा कर परिवार नियोजन का प्रचार करते हैं, ब्राड-कास्ट करते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी त्रिलोकचन्दजी ब्राडकास्ट करते हैं। भैरों-सिंहजी सैक्रेटेरियेट में आफिसर्स की मिली-जुली मीटिंग कर रहे हैं। व अफिसर लोग उनसे कहते हैं कि आपकी पार्टी सहयोग देगी? तो वह कहते हैं कि पार्टी का मामला नहीं है सरकारी अधिकारियों द्वारा परिवार नियोजन होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, खतम करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आफिसरों ने कहा कि हम बात लोगों से करें तो किस हालत में करें ? वह हमारी शिकायत कर देंगे और हमें फंसा देंगे। इसलिए मेहरबानी करके माफ करो। हमसे यह काम नहीं होगा।

डाक्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं इसके बारे में आप क्या कर रहे है। यह काम इस तरीके से कैसे होगा ? यहां लाखों आदमी अकाल के कारण भूखों मर रहे हैं आप बैठे देख रहे हैं ।

(व्यवधान)

आप क्या फर्मा रहे हैं ?

श्री सभापति : इस प्रकार की बातें मन्त्री महोदय को शोभा नहीं देती हैं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मेरा निवेदन है........

श्री सभापति : No interruption.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I am sorry.

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप चीफ सैक्रेटरी से पूछिये। उन्होंने कहा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदया, मैं अभी समाप्त करता हूं।

शिक्षा विभाग में हर जगह आप की राजनीति चल रही है। विश्व विद्यालय में चतुर्वेदी जी ने कहा था कि राजनीति चलेगी। चतुर्वेदी जी ने यह कहा है। जगह जगह युवा जनता गाड़ियों को पकड़ रही है।

श्री सभापति : भाषण समाप्त करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शिक्षा के क्षेत्र में ललितकिशोर चतुर्वेदी यह कहते हैं कि राजनीति चलेगी। विश्वविद्यालय में राजनीति चलेगी। जगह जगह आर. एस. एस. के ट्रेनिंग सैण्टर ओपन किये गये हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : लोकतन्त्र को ट्रेनिंग देते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन ग्रहण करें। मैं आपका भाषण समाप्त करती हूं। आपने बहुत कह लिया है। अब कुछ भी बाकी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विद्यालयों में आपकी राजनीति चलती है, जिसका सबूत इस किताब का यह फोटो है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक घण्टा बीस मिनट........

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो बजट पेश किया गया है, यह कमर तोड़ बजट है। बिल्कुल बेकार बजट है। आप इसके लिए पार्टी की मीटिंग बुलायें। इस पर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
पुनर्विचार करें। नहीं तो आप जानें आपका काम जाने।

श्री सभापति : श्री जगदीशचन्द शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मेरे नाम से चर्चा की गई है। मेरा नाम लेकर कहा गया है कि मैंने ऐसा कहा है कि विद्यालयों में और विश्वविद्यालय में राजनीति चलेगी। यह मैंने नहीं कहा है। यह बिल्कुल गलत बात कही गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल मैं लाऊंगा, इसी बात पर कल प्रमाण लाऊंगा और बताऊंगा।

श्री सभापति : आप पेश कर दीजिएगा।

श्री हजारीमल सारण।

(अनुपस्थित)

श्री चिरंजीलाल गर्ग।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदया, यह बात निश्चित है कि अन्त्योदय योजना और काम के बदले अनाज योजना बहुत अच्छी है। राजस्व अभियान से अधिकांश लाभ हुआ है लेकिन पूरा पूरा लाभ हुआ हो यह नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से गांवों की तरफ 70 पर्सेन्ट पैसा लगाने की मनोवृत्ति अच्छी है। यह सब होते हुए भी मैं यह समझता हूं कि हमेशा के लिए इन बातों को ढाल नहीं बनाया जा सकता। इस आड़ में जनता को टैक्सों से लादा नहीं जा सकता। पहले भी वित्त आयोग ने 5·20 और 5·8 करोड़ रुपये की सहायता हमको दी और सातवां वित्त आयोग पहले से कुछ ज्यादा भी दे देता तो हम यह कह सकते थे कि कोशिश के बाद भी विकास के लिए कम राशि दी किन्तु सातवें वित्त आयोग ने तो पहले से भी बहुत कम राशि दी। इससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अपना मामला रखने में असफल रही है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार की असफलता का बोझ जनता के ऊपर डाला जाता है। यह अच्छा नहीं है। 600 करोड़ की राशि केन्द्र ने सुरक्षित रख रखी है, उसमें से मिल जायगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति अच्छी नहीं है। यह तो इस प्रकार की बात हुई जैसे बड़े शहरों में पुण्य-सेवा होती है। एक गरीब आदमी पुण्य-सेवा चलाने वालों से एक समय की रोटी मांगे और दया आने पर दे दे, यह अच्छा नहीं लगता। जहां हमारा अधिकार था वहां स्वाभिमान से तथा संघर्ष करके लेना चाहिए था न कि केन्द्र सरकार हम पर दया कर 600 करोड़ में से कुछ दे दे। इस प्रकार दया पर निर्भर रखना अच्छा नहीं। आज जो बजट पेश हुआ है उसमें सिंचाई की दरें बढ़ाई गई हैं। भू-राजस्व डेढ़ा किया गया है उससे गरीब किसान दब गये हैं। केन्द्रीय सरकार का बजट आने से गरीब जनता पर बोझ पड़ा है। उस बजट से प्रभावित जनता के ऊपर राजस्थान के बजट से जले पर नमक छिड़कने वाला प्रभाव पड़ा। राजस्थान के बजट ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है–हिन्दुस्तान की

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

आम जनता गरीब है और जो लोग गांवों में रहते हैं वह शहरों में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके वह अपने पेट को पालते हैं। इधर हम केवल गरीबों की बातें करते रहें और उनको कुछ लाभ नहीं दें तो इस प्रकार से गरीबों का भला नहीं हो सकता है। हम उनका वास्तविक रूप से आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं। यह गरीब जनता चिल्लाती रहेगी, भूखों मरती रहेगी।

मैं समझता हूं कि राजस्थान के उद्योगपति और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके ऊपर कोई भार बढ़ा हो, ऐसी बात इस बजट से कहीं प्रतीत नहीं होती है। छोटे-छोटे लोगों पर टैक्स लगाया जाना कोई उचित नहीं है। जिस प्रकार से बात विकास की की जाती है उस पर मेरा निवेदन है कि राजस्थान का संतुलित विकास किया जाना चाहिए। मैं किसी विशेष जिले या क्षेत्र की बात नहीं करता।

वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट भाषण पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा है कि सातवें वित्त आयोग ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। उसी प्रकार माननीय मुख्य मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन करने जयपुर में आए थे तो उन्होंने मुख्य मन्त्री जी से कहा था कि राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमारे राजस्थान का कहीं कोई राज्यपाल नहीं, एम्बेसेडर नहीं। लेकिन दुःख की बात है कि हम राजस्थान में आज संतुलित विकास का अभाव देखते हैं। अजमेर जिले में हर प्रकार का अभाव है। जो भी काम किया जाता है, जयपुर में और जोधपुर में किया जाता है, कोई कारखाना खुलेगा तो जयपुर में खुलेगा। बाल चिकित्सालय खुला है वह भी जयपुर में ही। जयपुर का विकास हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सन्तुलित विकास होना चाहिए। अजमेर जिला पिछड़ा हुआ जिला है। अजमेर की आबादी पहले सबसे ज्यादा थी किन्तु अब जयपुर और जोधपुर की आबादी अजमेर से ज्यादा हो गई क्योंकि इसका विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अजमेर के विकास की तरफ न तो पिछली सरकार ने ध्यान दिया और न वर्तमान शासन ने। अजमेर जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुख्य मन्त्री जी को और वित्त मन्त्री जी को अन्त्योदय शब्द से स्नेह है तो मैं भी भीख मांगते हुए कहूंगा कि इसको भी अन्त्योदय जिला घोषित किया जाय, इसको अन्त्योदय की श्रेणी में ले लिया जाय जिससे इसका कुछ तो विकास हो सके। वहां पर किसी प्रकार का उद्योग नहीं है, गांवों के अन्दर दुधारु पशुओं का कोई विकास का साधन नहीं है। अगर सिंचाई के कार्य को देखें तो कई भागों में सिंचाई के लिहाज से भी अजमेर जिला पिछड़ रहा है। वहां पर नहरों से सिंचाई नहीं होती। उद्योगों का विकास जितना होना चाहिए उतना वहां पर नहीं हुआ है। गांवों का पिछड़ापन दूर नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि हर प्रकार के उद्योग, जिनका आज शहरों के अन्दर सैन्ट्रलाइजेशन किया जा रहा है, क्यों नहीं गांवों के अन्दर और पंचायत समितियों के केन्द्रों पर खोले जायें जिससे गांवों के लोगों में विश्वास उत्पन्न हो सके,

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

उनकी बेरोजगारी दूर हो सके और लोगों को काम मिल सके। अगर यह ध्यान नहीं रखा गया तो इस प्रकार से सन्तुलित विकास नहीं हो सकता है।

पेयजल की समस्या कितने वर्षों से अजमेर में चली आ रही है। वहाँ पर....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, वे पीने के पानी के लिए तरसते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

शासन को इस पर विचार करना चाहिए। बड़ी दुर्दशा की स्थिति है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि—

श्री सभापति : आप दस मिनट ले चुके हैं, अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, शासन में जो खर्चे हैं उनको कम करने के लिए इस भाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर शासन के फालतू खर्च कम किये जायं तो सम्भव है एक दो साल तक टैक्स ही नहीं लगाना पड़े। आज शिक्षा विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर की अनेक पोस्टें बढ़ाई गई हैं किन्तु शिक्षा के स्तर में, अनुशासन में कोई अन्तर नहीं है। फिर पद क्यों बढ़ाये जाते हैं ? आप देखेंगे कि 1977 में एक स्कूल खोला गया, अच्छा अध्यापक लगाया, उसमें 32 विद्यार्थी आते थे, उसके बाद किसी की सिफारिश से दूसरा रखा गया। उसके परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या शून्य हो गई और मास्टर 5 मिनट आता और अपने गांव जाकर अपना काम किया करता था। वह स्कूल चालू बताया जाता था। इस प्रकार से खर्चा बढ़ाने से कोई काम चलने वाला नहीं है। इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। फालतू खर्चों को कम करना चाहिए, अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो करों का भार जनता पर बढ़ता ही जायगा, इससे काम नहीं चलेगा। जनता को इस प्रकार के करों से मुक्त करना चाहिए। इसके साथ ही जो बजट पेश हुआ है उनकी अधिकांश मांगों का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री उमरावसिंह गूजर।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदया, मेरा नाम था।

श्री सभापति : आपका नाम एक बार पुकारा गया था, आप अनुपस्थित थे, इसलिए फॉरफिट हो गया। आपको बाद में समय दिया जायगा।

श्री उमरावसिंह गूजर।

(अनुपस्थित)

अच्छा। कोटा से आने वाले माननीय दाऊदयाल जी जोशी।

(व्यवधान)

सत्तारूढ़ दल के 4–5 माननीय सदस्य एब्सेन्ट रह गये हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा भी नाम है।

श्री सभापति : मेरे पास लिस्ट में नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय सभापति महोदया, जो बजट की प्रति दी गई है उसके ऊपर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं। यह बजट राजस्थान की प्रगति का द्योतक है। मुझे आज गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने इस वर्ष काम के बदले अनाज की योजना लागू करके निश्चित रूप से प्रमाणित कर दिया है कि राजस्थान की काया पलट हो रही है। आज शायद ही कोई ऐसा अभागा क्षेत्र होगा जहाँ पर काम के बदले अनाज योजना में काम नहीं चल रहा हो। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर चारों ओर प्रगति नजर आती है। जब हम गाँवों के अन्दर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पहले इतनी प्रगति क्यों नहीं हुई ? हमने उनको समझाया कि पिछली सरकार हमारे पर 80 करोड़ का कर्जा छोड़ गई है उसको भी हम चुका रहे हैं और खर्चा भी चला रहे हैं। राजस्थान का विकास भी किया जा रहा है, आज सड़कों पर काम होने लगा है। जयपुर से टोंक जाने वाली सड़क पर डामर नहीं था और छिन्न भिन्न हो रही थी, आज कोटा से टोंक की सड़क पर चारों तरफ ईंट और पत्थर पड़े नजर आ रहे हैं। चारों तरफ आज काम हो रहा है। यह गर्व की बात है कि मेरी सरकार ने पहली बार राजस्थान की काया पलट की है। सरकार खुद गरीब के घर जा पहुंची है। पहली बार कोई जिलाधीश गरीब के घर पर गया है और उससे कहा कि तुम उठो। यह जनता पार्टी का शासन है जिसमें जिलाधीश ने जाकर गरीब के दरवाजे पर आवाज लगाई है कि तेरे लिए यह सरकार आई है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जो गरीब अपने को दयनीय स्थिति में महसूस करता था....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य का पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं जानता हूं वह बेकार है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सदस्य ने कहा, जिलाधीश ने गरीब के घर जाकर कहा कि तुम उठो। क्या वह गरीब से "तुम" कह सकता है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : जिस गरीब को कोई पूछता नहीं था, आज बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अधिकारी गरीब के दरवाजे पर जाता है, पूछता है तेरी बकरी का क्या हाल है ? यह पहला अवसर है। आज से कुछ दिन पहले मैं ओंकार लालजी के क्षेत्र में गया था, वहां पर किसानों से पूछा, पता लगा जिसने 10 बकरियां खरीदी थीं, उसके यहां 10 की 14 बकरियां हो गईं दो महीने में। यह गप्प नहीं है 10 की 14....

श्री माधोसिंह (रेवदर) : तो फिर साल भर में कितनी होगी ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने पूछा कितना दूध देती हैं ? उसने कहा 5 किलो दूध।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वह गरीब अपने आप में विश्वास करने लगा है और आगे बढ़ रहा है। यह चौमुखी विकास राजस्थान के सभी जिलों में हो रहा है। राजस्थान लघु विकास अधिकरण योजना के तहत सारे जिलों में विकास हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं विरोधी बैंचेज से एक भी सदस्य ने किसी मन्त्री के खिलाफ चार्ज नहीं लगाया कि किसी ने अपने लड़के या दूसरे रिश्तेदार को कोई जमीन दी हो। राजस्थान का इतिहास इस बात का साक्षी है, कुडडा बांध पर दीन मोहम्मद श्री मोहनलाल सुखाड़िया के साले का किस ने जमीन दी थी, कन्जर और सांसियों की जमीन किसने ली थी ?

(व्यवधान)

जो भी अलाटमेंट्स हो रहे हैं, कहीं भी कोई अनियमितता है तो बतायें। अगर हुई होगी तो मैं अपने साथियों की जिम्मेदारी मानता हूं। मुझे बड़ा दुःख होता है, एक माननीय सदस्य विरोधी दल के बड़े जोर से कह रहे थे कि यह अन्त्योदय ढकोसला है, आप जाकर देखें....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंसीलाल सारस्वत : सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही का समय आधे घंटे के लिए, 7 बजे तक लिए बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री दाऊदयाल जोशी : बजट भाषण में स्पष्ट रूप से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 10 मिनट आपने ले लिए हैं। कृपया दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : विरोधी पक्ष के सदस्य इस बात का जवाब देंगे कि पिछले 6 साल में राजस्थान में एक भी लघु सिंचाई योजना बनी ? नहीं, नहीं, नहीं। राजस्थान का यह सौभाग्य है, यह पहला अवसर है कि राजस्थान में 107 सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहे हैं....

श्री माधोसिंह (रेवदर) : क्या कोटा को ही सारा राजस्थान समझ बैठे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं सारा राजस्थान।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : हमारे यहां नहीं चल रही है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कोटा ही राजस्थान है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक दूसरे को संबोधित न करें। आसन को ही संबोधित करके जो कुछ आपको कहना है, वह कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : बहुत अच्छा ।

श्री सभापति : कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस बजट में दो बातें मैंने नहीं पाईं । एक तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं....

श्री सभापति : आप धन्यवाद देते रहेंगे या बात भी कहेंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान सम्पूर्ण प्रदेश है । बून्दी ऐसा इलाका है जो बनारस से कम नहीं । बून्दी में संस्कृत अकादमी की स्थापना होनी चाहिए ।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि आज आयुर्वेद के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । हिन्दुस्तान में आज यह प्रमाणित हो गया है कि ड्रग्स के आधार पर जो अन्वेषण हो रहे हैं उनके गलत परिणाम निकल रहे हैं । आदमी सोचने पर विवश है कि वह किस पद्धति से अपना इलाज कराये। आज आयुर्वेद की तरफ लोग जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आयुर्वेद की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मुझे दुःख है कि मेरी सरकार ने आयुर्वेद कालेज की स्थापना एक ही जगह की । एक और कालेज राजस्थान में खोला जाय चाहे वह कहीं भी खोला जाये ।

तीसरी बात नशाबन्दी के बारे में है । राजस्थान के अन्दर चार साल के अन्दर शनैः शनैः शराबबन्दी हो जाये । मैं भी चाहता हूं कि मन्त्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजस्थान के अन्दर शराबबन्दी लागू की जाये ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जिससे कि राजस्थान का नया निर्माण हो । आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह (रेवदर) ।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय सभापति महोदय, 1979-80 का बजट जो वित्त मन्त्रीजी के द्वारा इस सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसको प्रतिक्रियावादी, निर्मम, किसान मजदूर और पिछड़े हुए लोगों के लिए एक अभिशाप समझता हूं । मुझे यह आशा नहीं थी कि ऐसे गांधीवादी वित्त मन्त्री इस तरीके की नौकरशाही के चक्कर में आकर या ऐसे लोगों, जो आपके इर्द-गिर्द रहते हैं, की सलाह पर ऐसा क्रूर बजट इस सदन के अन्दर पेश करेंगे । मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी भी ऐसा बजट कोई वित्त मन्त्री पेश नहीं कर सके इसमें इस तरीके से पिछड़े लोगों और गरीबों के किसी भी पहलू को आपने नहीं छेड़ा है ।

आपने ग्रामीण विकास का ध्येय बताया है कि हम गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं और कहा है कि 70 प्रतिशत हम गांवों में विकास पर पैसा लगायेंगे । मैं वित्त मन्त्रीजी से उम्मीद करता था कि जो लोग शहरों में बसते हैं और जिनकी सैकड़ों बिल्डिंगें हैं टाटा और बिड़ला और अन्य जो आज कल कारखानों के मालिक हैं जिनका रेश्यो एक: हजार का है उसको कम करेंगे । अभी एक माननीय सदस्य ट्रेजरी बैन्चेज से भी

(श्री माधोसिंह)

भी बोल रहें थे कि 1 और 10 का रेश्यो होना चाहिये। यह रेश्यो हमारे गांवों में तो हो सकता है लेकिन शहरों के अन्दर हम यह कभी नही सोच सकते थे कि इतना बड़ा रेश्यो रहेगा। आपने जितने भी टैक्सों के अन्दर छूट दी है सब व्यापारिक वर्ग और शहर के लोगों को दी है। पहले भी बजट आये थे उनमें लग्जरी की चीजों पर टैक्स लगाया था लेकिन राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता दोहरे टैक्स के भार से दब गयी है। इधर तो हमारे भारत के वित्त मन्त्री न जाने वहां के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के चक्कर में आ गये कि उन्होंने भी डाइरेक्ट टैक्स गांव के लोगों पर लगा दिये। डीजल जो हर किसान की आवश्यकता है उसके ऊपर 15 पर्सेन्ट टैक्स बढ़ा दिया। एक तरफ छूट भी दी लेकिन वह कितनी छूट दी? 5 प्रतिशत यूरिया खाद पर। एक तरफ आपने 5 रुपया प्रतिशत छूट दी और दूसरी तरफ 15 पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया। आप सोचिये कि जो लोग लिफ्ट इरिगेशन से छोटी छोटी होल्डिंग्स से विकास की गति को पकड़ रहे थे उनके ऊपर क्या बीतेगी? उधर उन्होंने केरोसिन, बीड़ी, माचिस और कई आम आदमी की जरूरत की चीजों पर टैक्स लगा दिया। इधर आपने भूमि राजस्व, टैक्स, चराई टैक्स, विद्युत टैक्स, सिंचाई टैक्स आदि जितने भी टैक्स लगाये हैं वह सब टैक्स सीधे ग्रामीण समाज के ऊपर पड़ते हैं। यहां तक कि आपने पशुओं तक को नहीं छोड़ा। आप जो 70 प्रतिशत पैसा गांवों के विकास पर लगाना चाहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि वह पैसा आपको पूंजीवालों, करोड़पतियों से खींचना चाहिये था। आपने यह सोचा क्यों नहीं? मैं महसूस करता हूं और मैंने प्रथम सत्र में भी निवेदन किया था कि आज भी एक लाबी इस तरह से कोशिश कर रही है वह आज भी सत्ता में है और पहले भी थी। वह इसलिए सत्ता में रह कर लोगों का ध्यान धनपतियों से दूर ले जाकर बरगलाना चाहते हैं कि गांव वालों के पास ही वोट हैं। मुझे बड़ा दुःख है कि इस सदन के अन्दर बहुमत किसानों का है लेकिन बहुमत होते हुए भी किसान हैल्पलैस है। ट्रेजरी बेन्चेज से खड़े होकर कई किसान माननीय सदस्यों ने आपको याद दिलाया है कि यह इस तरह का क्रूर बजट है जो कि सीधा गरीबों के ऊपर हमला करता है। जो टैक्स आपने लगाये हैं उनके बारे में आप फिर से सोचें। मैं इसके लिए निवेदन करूंगा कि आप सोचें।

आपने अन्त्योदय के बारे में काफी कुछ कहा है। दो पहलू में से एक आपने बताया है कि ग्रामीणों का विकास हो रहा है। हमारे साथी श्री जोशीजी भी अभी कर रहे थे कि अब तो हिन्दुस्तान बिलकुल प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अन्त्योदय के अन्दर एक साल के अन्दर पांच परिवारों को एक ग्राम में से चुनने का लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपके उस परिवार के अन्दर और कितने बच्चे बढ़ गये हैं? उसके साथ ही साथ उस गांव में और कितनी आबादी बढ़ गयी है। कितने बालक हो गये हैं और कितने लोगों को रोजगार चाहिये। आपने कुछ शाला भवनों के बनाने का काम शुरू कर दिया या कोई रास्ता ठीक करने का काम शुरू कर दिया उसके ऊपर आपके कितने मजदूर लगे? ज्यादा से ज्यादा दस मजदूर लगे होंगे। वह भी कितने दिनों के लिए? सिर्फ 15 दिनों

(श्री माधोसिंह)

के लिए जैसा कि गेहूं के वितरण आंकड़ों के द्वारा मालूम होता है। आप सोचिये कि आप 15 दिन का रोजगार देते हैं और दस आदमियों को रोजगार देते हैं और इधर हमारे यहां बेकारी पचास प्रतिशत है। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो दूसरे लोग पीछे रह जाते हैं उनका क्या हाल होगा ? सिर्फ पांच परिवार के पीछे सारे विकास की गति को बढ़ा कर ही अन्त का उदय समझ लिया जाय तो यह ढकोसला है। आप काम के बदले अनाज में एक बिल्डिंग बना देते हैं उससे क्या है ? ग्रामीण लोग आजादी के बाद 32 साल के बाद भी आज घास-फूस की झोंपड़ी में रह रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि उनके मकान पर कभी भी सफेद चूना लगेगा। आज भी 90 प्रतिशत लोग उसी स्थिति में गांवों में रह रहे हैं। मैं समझता था कि आप इस तरह की योजना की बात करेंगे जिससे ग्रामीण लोगों का सामूहिक उत्थान होगा। वह तो बजट में नहीं कर सके, जो भी हमारी पिछली सरकार ने करोड़ों टन इकट्ठा कर दिया था उसको भी आप संभाल नहीं सकते थे। इसलिए वह आपने ग्रामीण लोगों को मजदूरी देने के नाम पर दे दिया। अब आगे अनाज की समस्या हुई तो क्या होगा ? इस बजट के अन्दर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। आप आम आदमी के रोजगार के लिये क्या करने जा रहे हैं, इसमें यह कुछ भी नहीं इंगित किया है। आपने गरीबों पर तो टैक्सों का भार जरूर बढ़ा दिया है।

कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जहां पर सैटिलमेन्ट के 20 साल पूरे हो गये हैं वहां पर यह भू-राजस्व का टैक्स इम्पोज किया जायेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन तहसीलों में जितने किसान थे सब ने कुए खोद लिए और पानी हो गया। क्या जितने भी किसानों की जमीन थी वह सब सिंचाई से सिंचित हो गयी, जिसके लिए आप उसकी बीगोड़ी बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। आज की हालत के विषय में मैं आपसे निवेदन करूं, किसकी तुलना की है। किसी आदमी ने कुआं खोदा उसमें पानी नहीं है, आप उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। एक तरफ नहरी एरिया के अन्दर राजस्थान नहर से सिंचाई होती है, कोटा में चम्बल से होती है और दूसरी तरफ छोटा सा बांध है, जिससे किसान एक पानी दे सकता है, या ज्यादा से ज्यादा दो पानी दे सकता है और उधर बड़े बांधों से वहां का किसान चार, पांच पानी लेता है, तीनों फसलें बोता है किन्तु आपने सबके ऊपर एक समान टैक्स लगा दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, दो मिनट और।

चराई के लिए निवेदन करूं। आपने फर्माया है राजस्थान के अन्दर कहीं कम और कहीं ज्यादा चराई रेट्स थीं। आपसे निवेदन करूं, राजस्थान में चराई रेट्स नहीं थीं। दो, तीन जिले ऐसे हैं जहां भूतपूर्व जागीरदारों ने मुआवजा लिया था वहां पशुओं पर रेवेन्यू टैक्स था। उस रेवेन्यू टैक्स को उन्होंने रेवेन्यू विभाग को न देकर फारेस्ट को दिया। फारेस्ट डिपार्टमेंट इस टैक्स की रेट को बढ़ा कर पूरे राजस्थान में लागू कर रहा है। जहां कहीं टैक्स नहीं है,

(श्री माधोसिंह)

वहां टैक्स लगा कर सबको समान करना चाहते हैं। 96 प्रतिशत लोगों के ऊपर टैक्स नहीं था उन लोगों के ऊपर नए सिरे से लागू किया जा रहा है।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने व्यापारियों के लिये क्या किया है ? एक लाख के लेन देन पर जिनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, उन को रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर दिया है। आपने छोटे उद्योगों को तरक्की देने के लिये, उनको गति देने के लिये, एक भ्रमजाल प्रस्तुत कर दिया है, बाहर से माल नहीं मंगाये, यहां राजस्थान में बना खरीदा जावे, उसे प्रोत्साहन देने के लिए। जो रजिस्ट्रेशन का था उसको छूट दे रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं क्या इससे आप यह समझते हैं कि आपको टैक्स देने वाले हैं ? आपने यह फर्माया कि आपने टैक्स की छूट दी है। इस से क्या होगा ? 1.50 रु० सैंकड़ा ब्याज बैंक और साहूकारी ब्याज है उसको आप 1.25 रुपया कर देंगे, क्या वह मूर्ख हैं आपको रुपया देंगे ? आपके टैक्स का रुपया 1.50 रुपये सैंकड़े में बाजार में लगायेगा ? आपने यह 18 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया। आपका ब्याज गया, आपकी रकम भी गई। इसलिये वित्त मन्त्री महोदय, इसको सोचिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इस तरीके से दोनों को एक साथ ले जाना चाहते हैं....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री माधोसिंह : टैक्स लगाने के लिये आवश्यक नहीं है, टैक्स बढ़ावें, आप उन लोगों से टैक्स लीजिये, जिनके पास पैसा है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री माधोसिंह : एक मिनिट।

आप उन लोगों के लिये सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि जनता पार्टी की सरकार उनके द्वारा आई है आप उनके लिए नहीं सोच सकते क्योंकि उन लोगों ने पैसा दिया है, आपकी मदद की है और आपको और मदद लेनी है इसलिये सीमा निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस तरीके से....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री माधोसिंह : इतना कह कर मैं इस बजट के लिये वित्त मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस पर सोचें और जो आपके प्रस्ताव हैं उन पर विचार कर समाजवादी बजट पास करें, वरना मैं समझूंगा कि शराब के घोटाले के अन्दर, कैबिनेट के अन्दर जो किसान मन्त्री हैं, जो पिछड़े वर्ग के मन्त्री हैं उनको....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

शराब में उलझाये रखा। इसके अन्दर दृष्टि नहीं....

(131)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह : आप से नहीं होगा तो आप किस के ऊपर खड़े होंगे ? इस बजट को वापस सुधार कर राजस्थान की जनता को आराम दीजिये।

श्री सभापति : श्री राम प्रसाद लड्ढा।

समिति का प्रतिवेदक कार्य सलाहकार समिति का बारहवां प्रतिवेदन

श्री सूर्य नारायण चौधरी (संसदीय कार्य मन्त्री) : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं कार्य सलाहकार समिति के 12 व प्रतिवेदन का उपस्थापन करना चाहता हूं।

मैं कार्य सलाहकार समिति के 12 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। जो इस प्रकार है—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 8 मार्च, 1979 को मध्याह्नोत्तर 3-30 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि 16 मार्च, 1979 से 2 अप्रेल, 1979 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के लिये समय का बटवारा निम्न प्रकार किया जाये :

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 1979 शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 1979	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
रविवार, दिनांक 18 मार्च, 1979	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 19 मार्च, 1979 मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 1979 बुधवार, दिनांक, 21 मार्च, 1979 गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 1979	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 1979	1—अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान 2—गैर सरकारी सदस्य कार्य
शनिवार, दिनांक 24 मार्च, 1979	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
रविवार, दिनांक 25 मार्च, 1979	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 1979 मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 1979	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान एवं मुखबंद।
बुधवार, दिनांक 28 मार्च 1979	अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार व मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

श्री सूर्य नारायण चौधरी

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 1979	राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं उसका पारण।
शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 1979	अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार एवं उसका पारण।
शनिवार, दिनांक 31 मार्च, 1979	वित्त विधेयक पर विचार एवं उसका पारण।
रविवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1979	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1979	राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1970 पर विचार एवं उसका पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि कार्य सलाहकार समिति के 12 वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का 12 वां प्रतिवेदन संसदीय मामलात मन्त्री ने प्रस्तुत किया। कौनसी मांगें किस दिन ली जायेंगी इस सम्बन्ध में सदन को अभी भी जानकारी नहीं दी गई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने समय निर्धारित कर दिया। इस समय में किस दिन कौनसी मांग ली जायेगी, इसकी इस सदन को पूर्व में सूचना देनी चाहिये। सूचना नहीं देने के अभाव में माननीय सदस्यों के सामने यह कठिनाई है कि किस डिमाण्ड के कट मोशन प्रस्तुत करें क्योंकि अभी तक हम डार्क में हैं। कुल 49 मांगें हैं, उन 49 में से कौनसी ली जायेगी, इसकी जानकारी नहीं है। पी० ए० सी० के कन्सलटेशन से बजट पेश होते ही उस दिन माननीय सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिये। आज जो कट मोशन प्रस्तुत कर रहे हैं, सब अन्धेरे में कर रहे हैं, मांग आयेगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे कट मोशन्स रिजेक्ट हो जायेंगे।

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता को सूचित करना चाहूंगी कि जब यह सूचना सक्यूलेट हो जायेगी उसके बाद 24 आवर्स का समय होता है तब आप कट मोशन्स

(श्री सभापति

दे सकते हैं। अभी समय है सक्यूँलर में, उसके बाद आप अपने कटौती के प्रस्ताव दे सकते हैं।....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदया, इतने थोड़े समय में ज्यादा कट-मोशन हो जायेंगे तो शार्ट आउट सचिवालय कैसे करेगा? यह सचिवालय रात भर कोशिश करे, तब भी पूरा काम नहीं हो सकेगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप यह बताने की स्थिति में हैं कि कौनसे दिन कौनसी मांग ली जायगी?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस सम्बन्ध में मैं कल निवेदन कर दूंगा।

(विराम)

श्री सभापति : मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगी कि पी० ए० सी० की मीटिंग कल होगी। डिमान्ड्स के बारे में कल निर्णय किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मीटिंग तो आलरेडी हो गई है।

श्री सभापति : डिमान्ड्स के बारे में कल मीटिंग होगी। माननीय सदस्य, सक्यूँलर से आपको पता लग जायगा। काफी समय है अभी, कल पता लग जायगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप यदि 6–7 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें तो मैं आपका नाम पुकारूं। और नहीं बोल पायें तो मैं श्री रतना राम जी का नाम पुकार लूं क्योंकि वे 6–7 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : कल कन्टीन्यू रह जायगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मेरा ख्याल है, आप इतनी जल्दी भाषण समाप्त नहीं कर पायेंगे।

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री रतना राम।

श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) : सभापति महोदया, इन सत्र में वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, वह बजट किसान विरोधी है। किसान वर्ग जो पहले से ही कमजोर वर्ग है उसकी कमर तोड़ दी है इसका स्पष्ट उदाहरण है कि वित्त मंत्री जी ने किसानों पर 25 प्रतिशत लगान की बढ़ोतरी करके काश्तकारों को बिलकुल हताश कर दिया है। जो काश्तकार अपने पसीने की कमाई करता है, अपने खेत में बेरा खोदता है और उत्पादन बढ़ाता है उन काश्तकारों को अनुदान देना तो दूर रहा परन्तु बेरा की जमीन पर जनता पार्टी की सरकार बीगोड़ी बढ़ाना चाहती है। बड़े खेद की बात है कि बेरे से पूरा पानी नहीं मिलता और मिलता है तो कभी खारा पानी मिलता है उस पर सरकार ने लगान की बढोतरी करके काश्तकारों के साथ घोर अन्याय किया है और धोखा दिया है। सैन्ट्रल की

(श्री रतनाराम)

सरकार ने यूरिया में काश्तकारों को मामूली रियायत देकर कोई बड़ा काम नहीं किया। 15 प्रतिशत डीजल के भावों में बढ़ोतरी की है। डीजल काश्तकार के ट्रैक्टर में काम आता है, डीजल काश्तकार की मशीन में काम आता है। इसलिये डीजल के भाव में बढ़ोतरी करके काश्तकारों के साथ घोर अन्याय किया है।

जो सरकार ने यह काम के बदले अनाज की योजना दी है यह भी केवल एक दिखावा मात्र है। इसका गांवों में कोई प्रभाव नहीं है। 35 मजदूरों को 15 दिन के लिये मजदूरी दी उससे कोई लाभ नहीं मिला है। उस काम के बाद सारे मजदूर बेकार हो गये। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, सभापति महोदया, यह अनाज भी हमारी कांग्रेस पार्टी का इकट्ठा किया हुआ था, यह तो हमारी सरकार की दूरदर्शिता थी कि उसने इतना अनाज इकट्ठा कर लिया था।

(व्यवधान)

सरकार ने इस वर्ष इस बजट में बेचारे भेड़, बकरी पालकों को भी नहीं छोड़ा है। पशु पालकों का इन भेड़, बकरियों को चराने से गुजरा हो जाता था। इनमें विशेष कर भील, बावरी, रैबारी आदि जो पशु पालक थे जो उन पर निर्भर करते थे उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया। ये पशु पालक अन्त्योदय की श्रेणी में आते हैं। इन पर यह बड़ा भारी अन्याय किया है।

गाँवों में झोंपड़ी में रहने वाले वर्षों से दीपक घासलेट से जलाते थे। जो पक्के मकान में रहते है उनको तो बिजली मिल जाती है लेकिन उस झोंपड़ों वाले के पास तो केवल उजाले के लिये घासलेट का दिया ही होता है। आप घासलेट पर भी टैक्स लगा कर उसको अब अन्धेरे में रखना चाहते हैं। अब उसको बिना दिये के अन्धेरे में ही रहना पड़ेगा। गांव के लोगों को विश्वास था कि हमें बजट में कुछ राहत मिलेगी लेकिन आपने तो किसी को भी नहीं बख्शा इसलिये कृपा कर जो गरीबों के साथ घोर अन्याय हुआ है उसको दूर कीजिये। इन टैक्सों का विरोध केवल विरोधी दल ने ही नहीं किया है बल्कि आपके सत्ता पक्ष में बैठने वालों ने भी इसका विरोध किया है इसलिये इस टैक्स को वापस ले लें। मुझे आशा ही नहीं परन्तु पूरा विश्वास है कि आप जनता के साथ न्याय करेंगे। मझे यह भी आशा है कि हमारे नेता मुख्य मंत्री महोदय बहुत गम्भीर मुद्रा में विराजमान हैं वे जरूर इस पर विचार करेंगे।

मैं, सभापति महोदया, आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि जालोर जिले में जो जीरे की अच्छी फसल होती है वह जीरा भी अतिवृष्टि के कारण बिगड़ गया है और उसमें भी डांड लग गया, सारे जीरे की फसल उजड़ गई। उसमें डांड की बीमारी की वजह से सारा साफ हो गया है........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री रतना राम : सभापति महोदय, रानीवाड़ा गाँव तहसील भीनमाल से 30

(श्री रतनाराम)

किलोमीटर है। आपने जालौर जिले में सायला, बागोड़ा और भादरजून में तो तहसीलें खोल दी हैं परन्तु जसवन्तपुरा में जहाँ पहले भी तहसील थी वहाँ नहीं खोली। कृपा करके जसवन्तपुरा और रानीवाड़ा में भी तहसील खोलिये। हिन्दुस्तान की सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास सोने का खजाना था किन्तु अब सैन्ट्रल सरकार ने उस सोने को भी बेचकर गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है और हमारे हिन्दुस्तान के साथ में बड़ा भारी धोखा किया है। जो सोना सरकार ने 600–700 रुपये तोले में नीलाम किया वह सोना आज हजार रुपये तोला में बिक रहा है। आज सोने के भाव बराबर बढ़ते जा रहे हैं तो क्या एक गरीब आदमी एक तोला भी सोना खरीद सकता है ? यह भी गरीब आदमियों के साथ आपने घोर अन्याय किया है। इससे काश्तकारों में बड़ी भारी निराशा है। काश्तकारों की महिलायें हीरे-जवाहरात आदि के जेवर तो नहीं पहन सकती थीं किन्तु जो तोला आधा तोला सोना का सुहाग टीका पहनती थी, उसे भी अब आपने खतम कर दिया है....

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9 मार्च, 1979 के प्रात: 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 8-00 बजे शुक्रवार दि० 9 मार्च 79 के म० पू० 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 194 की सूची)

श्री वी० के० गुप्ता, मुख्य, अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना द्वारा माह नवम्बर 1978 से माह फरवरी, 1979 तक किए गये स्थानान्तरणों की विभिन्न अधिकारी/कर्मचारियों की सूची ।

क्रम सं०	पद संख्या	स्थानान्तरण की तिथि
1.	सहायक अभियन्ता (7)	1 का दिनांक 13-11-78 को
		1 का दिनांक 22-11-78 को
		2 का दिनांक 12-12-78 को
		3 का दिनांक 14-12-78 को
2.	कनिष्ठ अभियन्ता (1)	1 का दिनांक 27-12-78 को
3.	वरिष्ठ रेखाकार (1)	1 का दिनांक 24-11-78 को
4.	कनिष्ठ रेखाकार (1)	1 का दिनांक 19-1-79 को
5.	रेखकार (ट्रसर) (1)	1 का दिनांक 20-1-79 को
6.	कार्यालय सहायक (3)	3 का दिनांक 5-12-79 को
7.	वरिष्ठ लिपिक (4)	2 का दिनांक 12-12-78 को
		1 का दिनांक 14-12-78 को
		1 का दिनांक 1-1-79 को
8.	कनिष्ठ लिपिक (5)	1 का दिनांक 23-11-78 को
		2 का दिनांक 3-1-79 को
		1 का दिनांक 10-1-79 को
		1 का दिनांक 11-1-79 को
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (9)	2 का दिनांक 5-1-79 को
		2 का दिनांक 18-1-79 को
		4 का दिनांक 6-2-79 को
		1 का दिनांक 17-2-79 को
	कुल योग :	32

(137)

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं किये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बाछड़ी टैंक (राम सागर) चतुर्भुज पर किया गया कार्य

201. **श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील कोटपूतली में बाछड़ी टैंक (रामसागर) चतुर्भुज का कार्य पिछले वर्ष किया गया था ? यदि हां, तो कितना कार्य किया गया ? क्या यह सही है कि किया हुआ कार्य वर्षा में बह गया ?

(2) क्या इस वर्ष उस टैंक के निर्माण कार्य को हाथ में लिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या कोटपूतली तहसील में पुराने कार्य की मरम्मत के अलावा कोई नया कार्य किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में कराया गया था। उक्त कार्य पर अकाल सहायता के अन्तर्गत 29,000 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें से 7804 रुपये की राशि खर्च की गई। मजदूर नहीं आने से कार्य को बन्द कर दिया गया था।

यह सही नहीं है कि किया हुआ कार्य वर्षा में बह गया। कार्य नाले को छोड़कर बाकी दोनों तरफ कराया गया था।

(2) जी नहीं। यह कार्य सिंचाई विभाग का नहीं होने से हाथ में नहीं लिया गया।

(3) जी हां। कोटपूतली तहसील में एक कार्य पांचू-डोला कराया जा रहा है, एवं कार्य प्रगति पर है। माह जून, 79 तक कार्य के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में बेकार पड़ी ग्लूकोज सलाइन

202. **श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत)–क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में लगभग 40,000 (चालीस हजार) बोतलें ग्लूकोज सलाइन की स्टोर में बिना उपयोग के पड़ी हुई हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों को यह दवाई मोल लानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

उत्तर

जी नहीं। पी. बी. एम. अस्पताल बीकानेर में 8,000 बोतलें सितम्बर, 79 में मैसर्स चन्दोसी केमिकल्स, से रेट कान्टेक्ट के आधार पर क्रय की गई थी। सैम्पल टेस्टिंग कराये जाने हेतु सितम्बर, 78 दिसम्बर, 78 में राजकीय विश्लेषक, राजस्थान जयपुर को क्रमशः 84 व 124 बोतलें भेजी थी जिसकी विश्लेषण रिपोर्ट के अभाव में अभी तक यह बोतलें बिना उपयोग के स्टोर में पड़ीं हुई हैं। माह

138

(श्री चिकित्सा मन्त्री)

नवम्बर, 78 तक पूर्व प्राप्त सलाइन की बोतलें अस्पताल में नियमित सप्लाई होती रहीं। माह दिसम्बर, 78 व जनवरी, 79 में मरीजों को यह दवा अस्पताल में वितरण हेतु उपलब्ध न होने के कारण बाजार से लानी पड़ी। 24 जनवरी, 1979 से अन्य स्रोतों से यह दवा नियमित रूप से वितरित की जा रही है।

बकानी उप तहसील को क्रमोन्नत करने का मामला

203. **श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में बकानी उप तहसील को क्रमोन्नत कर तहसील बनाने में राज्य सरकार क्यों विलम्ब कर रही है ?

(2) बकानी उप तहसील को कब तक क्रमोन्नत कर तहसील बना दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांचौर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को क्रमोन्नत करने का मामला

204. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैय्या रेफरल अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो कब ? तथा अब तक क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) अब उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को कब तक क्रमोन्नत करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस केन्द्र को क्रमोन्नत करने का दिनांक 6-3-74 को आश्वासन दिया गया था परन्तु योजनामद में समुचित वित्तीय प्रावधान के अभाव में क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(2) जन सहयोग द्वारा केन्द्र के भवन निर्माण का ठोस प्रस्ताव आने पर व योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इस केन्द्र को क्रमोन्नत किया जाना सम्भव होगा।

आमेर नेशनल पार्क की योजना

205. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार जयपुर में आमेर नेशनल पार्क की योजना लागू करने का विचार रखती है ?

(2) इस योजना में कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जायेगा व इसकी लागत क्या होगी ?

(3) यह योजना कब तक प्रारम्भ करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(139)

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस योजना में वन खण्ड आमेर 54 में सम्मिलित नाहरगढ, चरण मन्दिर, जयगढ़, आमेर, कूकस, रामसागर, मायला बाग, पापड़ आदि ग्रामों का वन क्षेत्र शामिल किया जायेगा । इस योजना पर लगभग 10 लाख रुपये व्यय होगें ।

(3) इस योजना के वर्ष 1979-80 से प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

राज्य में घोषित किये गये औद्योगिक क्षेत्र

206. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत एक वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ हो गया है ? किन क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ होने की आशा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या नवलगढ़ और मुकन्दगढ को भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिये कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही चल रही है और कब तक इनको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा गत वर्ष में 52 नये ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य हाथ में लिया गया है, इन 52 औद्योगिक क्षेत्रों में से 39 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं । 27 औद्योगिक क्षेत्रों का कब्जा निगम द्वारा लिया जा चुका है । बारह औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 769 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं । ग्यारह औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं । शेष क्षेत्रों में विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु निविदाये आमन्त्रित की जा रही हैं, अथवा निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी हैं एवं कार्य आदेश देने शेष हैं । जल व्यवस्था हेतु जलदायें विभाग में अनुमान प्राप्त हो रहे है एवं कई क्षेत्रों में जल व्यवस्था शुरू करने के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । सड़क एवं पुलिया के निर्माण कार्य कई औद्योगिक क्षेत्रों में प्रारम्भ किये जा चुके हैं । विकास कार्यों/भूमि की अवाप्ति आदि को प्रदर्शित करते हुये विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वर्तमान में निगम द्वारा नवलगढ एवं मुकन्दगढ में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु कोई योजना नहीं है । अगले वर्ष का कार्यक्रम तय होना शेष है ।

सूची

क्र०सं०	जिला का नाम	औ० क्षे० का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई अथवा नहीं	दिसम्बर के अन्त तक कुल खर्चा रु० लाख में	भूमि अवाप्ति की प्रगति	औ० क्षे० के विकास की भौतिक प्रगति	नियोजित भूखण्डोंकी संख्या	आवंटित भूखण्डों कीसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जयपुर	रेनवाल	हाँ	—	66·98 एकड़ सरकारी जमीन चयनित की जाकर जिलाधीश से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	—	—	—
2.	;;	शाहपुरा	हाँ	0·94	भूमि का कब्जा 6-5-78 को को प्राप्त कर लिया गया।	सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है सीमांकन पूर्ण हो चुका है, उच्च जलाशक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	108	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	जयपुर	दौसा	हाँ	—	59·61 एकड़ सरकारी भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	—	—	—
4.	,,	कोटपूतली	हाँ	—	जमीन चयनित की जाकर सरकार से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है।	—	—	—
5.	,,	लालसोट	हाँ	0·41	भूमि का कब्जा दिनांक 4-1-79 को प्राप्त कर लिया गया।	सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।	102	98
6.	,,	दूदू	हाँ	—	भूमि का कब्जा दिनांक 6-2-79 को प्राप्त कर लिया गया।	सड़क निर्माण कार्य हेतु निविदाए आमंत्रित की गई एवं प्राप्त हो गई हैं।	—	—

(141)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	जयपुर	साम्भर	हाँ	—	भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश से अनुरोध किया गया है	—	—	—
8.	,,	बगरू	हाँ	—	भूमि का कब्जा दिनांक 16-10-78 को प्राप्त कर लिया गया।	—	—	—
9.	सीकर	नीम का थाना	हाँ	0·21	भूमि का कब्जा दिनांक 23-6-78 को प्राप्त कर लिया गया।	सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।	128	128
10.	,,	श्री माधोपुर	हाँ	—	भूमि का कब्जा दिनांक 23-9-78 को प्राप्त कर लिया गया।	सड़क एवं पुलियों के निर्माण कार्य हेतु निविदाए आमंत्रित की गई एवं प्राप्त हो गई है।	संशोधित नक्शा बनाया जा रहा है।	62
11.	,,	रींगस	हाँ	0·01	भूमि का कब्जा दिकांक 18-10-78 को प्राप्त कर लिया गया।	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	सीकर	खण्डेला	हाँ	—	भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है।	—	—	—
13.	,,	खाचरियावास	हाँ	0·01	भूमि का कब्जा 22-11-78 को प्राप्त किया गया।	सड़क एवं पुलिया के निर्माण हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई एवं प्राप्त की गई।	—	—
14.	बांसवाड़ा	तलवाड़ा प्रतापपुर	नहीं	—	13.76 एकड़ निजी भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया गया।	—	—	—

143

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	नहीं	—	भूमि का कब्जा 26-8-78 को प्राप्त किया गया ।	—	—	—
16.	डूंगरपुर	सगवाड़ा	नहीं	—	भूमि का कब्जा 29-8-78 को प्राप्त किया गया ।	—	—	—
17.	उदयपुर	देवगढ़	हाँ	—	45·22 एकड़ सरकारी भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है ।	—	—	—
18.	भीलवाड़ा	बिगोद	नहीं	—	भूमि का कब्जा 7-7-78 को प्राप्त कर लिया गया ।	—	—	—
19.	,,	जहाजपुर	हाँ	0·03	53·15 बीघा सरकारी जमीन 22·11 बीघा निजी भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 एवं 4 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है ।	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	अजमेर	केकड़ी	हाँ	—	20·00 एकड़ सरकारी भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है।	—	—	—
21.	झालावाड़	अकलेश	हाँ	—	भूमि का कब्जा 19-12-78 को प्राप्त कर लिया गया।	सड़क निर्माण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाकर प्राप्त करली गई है एवं सार्वजनिक निर्माण हेतु कार्यादेश प्रदान कर दिये गये हैं।	24	10
22.	सवाईमाधोपुर	बजीरपुर	हाँ	—	3041 एकड़ निजी भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है।	—	11	—

145

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	टौंक	मालपुरा	हाँ	—	भूमि का कब्जा 16-12-78 को प्राप्त कर लियागया ।	—	217	72
24.	भरतपुर	बारी	नहीं	—	12·03 निजी भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश से र. ले. रे. एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत औ. क्षे. घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है ।	—		
25.	,,	डीग	हां	—	भूमि का कब्जा 28-10-78 को प्राप्त कर लिया गया है ।			
26.	अलवर	राजगढ़	हां	—	भूमि का चयन अभी हाल ही किया गया है ।	—	—	—
27.	कोटा	रामगंज मण्डी	हां	—	भूमि का कब्जा 22-7-78 को प्राप्त किया गया ।	सड़क निर्माण कार्य 0·60 कि. मी. लम्बाई प्रगति पर है । अनुमान पी. एच. ई. डी. से प्राप्त हो गये हैं । अग्रिम राशि शेष है।	121	3·2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	कोटा	सुमेरगंज मण्डी	हां	—	20·00 एकड़ सरकारी भूमि चयनित की जाकर जिलाधीश से रा. ले. रे. एक की धारा 92 के अन्तर्गत ओ.क्षे. घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है।	सड़क निर्माण कार्य के लिए निविदाएं प्राप्त की जा चुकी है भूमि का कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति की जाएगी।		
29.	सिरोही	शिवगंज	हां	0·03	भूमि का कब्जा 26-5-78 को प्राप्त कर लिया गया।	—	—	—
30.	जालौर	बगरा	हां	—	12·00 एकड़ निजी भूमि चयनित की गई है।	—	47	—
31.	,,	बिशनगढ़	हां	—	सरकारी भूमि चयनित की गई है।	—	47	—
32.	,,	जालौर	हां	—	भूमि का कब्जा 18-10-78 को प्राप्त किया गया।	सड़क एवं पुलिया के निर्माण कार्य निविदायें आमन्त्रित की गई हैं, 70,000 रु० जलदाय विभाग में अग्रिम जमा कराये गये हैं, सर्वेक्षण तथा सीमांकन का कार्य प्रगति पर है।	72	44

147

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	पाली	मारवाड़ जंक्शन	हां	—	भूमि का कब्जा 25-12-78 को प्राप्त किया गया ।	—	26	—
34.	,,	रोहित	नहीं	—	सरकारी भूमि चयनित की गई है ।			
35.	,,	लखनगढ़	नहीं	—	भूमि का कब्जा 26-12-80 को प्राप्त किया गया ।			
36.	,,	बाबरा	नहीं	—	सरकारी भूमि चयनित की गई है ।			
37.	चित्तोड़गढ़	निम्बाहेड़ा	हां	0·07	भूमि का कब्जा 6-6-78 को प्राप्त किया गया ।		124	66
38.	,,	कपासन	हां	0·80	भूमि का कब्जा 12-10-78 को प्राप्त किया गया ।	सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।	103	19
39.	,,	प्रतापगढ़	नहीं	—	भूमि का कब्जा 24-8-78 को प्राप्त किया गया ।			
40.	नागौर	मेड़ता सिटी	हां	—	भूमि का कब्जा 17-5-78 को प्राप्त किया गया ।			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	चूरू	बीदासर	हां	—	भूमि का कब्जा 7-6-78 को प्राप्त किया गया ।			
42.	गंगानगर	पदमपुर	हां	—	सरकारी भूमि चयनित की गई है ।			
43.	झुन्झुनूं	खेतड़ी	हां	—	भूमि का कब्जा 20-12-78 को प्राप्त किया गया ।			
44	बीकानेर	मावासर	नहीं	—	सरकारी भूमि चयनित की गई है ।			
45.	जोधपुर	खींचन	हां	—	भूमि का कब्जा 31-8-78 को प्राप्त किया गया ।	सर्वेक्षण तथा सीमांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है । अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं है, जलयोजना के लिए जलदाय विभाग को अग्रिम राशि देना शेष है । विद्युत व्यवस्था के लिए 18% न्यूनतम गारन्टी की रकम के लिए अनुबन्ध किया जा रहा है ।	33	28

149

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	जोधपुर	फलौदी	हां	0.01	सरकारी भूमि चयनित की गई है ।	. . . . .		
47.	,,	मथानिया	हां	0·33	भूमि का कब्जा 13-9-78 को प्राप्त किया गया ।	भूसमतल करण का कार्य पूरा होने के लगभग है, सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, 1·48 लाख रु. जल व्यवस्था हेतु अग्रिम राशि के रूप में दिये गये हैं, विद्युत व्यवस्था हेतु 18% न्यूनतम गारन्टी की रकम के लिये अनुबन्ध किया जा रहा है ।	112	110
48.	जोधपुर	पाल	नहीं	—	औद्योगिक क्षेत्र को सूची में से हटा दिया गया है ।			
49.	जैसलमेर	जैसलमेर	नहीं	—	सरकारी भूमि चयनित की गई है ।			
50.	बाड़मेर	समदड़ी	हां	—	सरकारी भूमि चयनित की गई है ।			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	बाड़मेर	बीट्ट	हाँ	—	निजी भूमि चयनित की गई है।			
52.	,,	वालोतरा	नहीं	—	निजी भूमि चयनित की गई है।			

प्रशासनिक स्वीकृति 39 औ. क्षे. के लिए की गई भूमि का कब्जा 27 औ. क्षे का प्राप्त करा लिया गया।

कुल औद्योगिक क्षेत्र—52

योग	1357	769
	(नियोजित भूखण्डों की संख्या)	(आवंटित भूखण्डों की संख्या

राजस्थान नहर से माइनर फीडर निकालने की योजना

207. **श्री हरचन्दसिंह** (पीली बंगा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान नहर मुख्य की ग्रार. डी. 185 से ऐटा माइनर निकालने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त माइनर निकालने की योजना को महंगी योजना कह कर नामंजूर कर दिया गया था, जब कि इस माइनर से सिंचाई के अलावा खारा सम्भाग के गांवों को मीठा पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा ?

(3) क्या मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए राज्य सरकार उक्त योजना को जल्दी पूरा करने की सोच रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 165000 (बाईं ओर) से ऐटा वितरिका बनाने की योजना विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार प्रस्तावित नहर ऊंचे टीबों के क्षेत्र में से होकर गुजरती है और इसमें अधिकतम खुदाई नहर के तले तक लगभग 68 फुट आवश्यक है। इसलिए तकनीकी आधार पर इस प्रस्ताव को उचित नहीं माना था।

(3) अब इस योजना का विस्तृत सर्वे करा कर नवीनतम दरों पर लागत निकलवा कर प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं।

विस्तृत सर्वे के बाद योजना तैयार होने पर क्रियान्विति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।

तहसील तिजारा की पड़त भूमि

208. **श्री अयूब खां** (तिजारा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील तिजारा किशनगढ़ व राजगढ़ (अलवर) में अरावली पर्वत की शाखाओं के साथ साथ कटी फटी भूमि पड़ी हुई है? यदि हां, तो राज्य सरकार भूमि संरक्षण विकास विभाग द्वारा इसे कब तक ठीक करा देगी ?

उत्तर

जी, हां। भूमि सुधार करने हेतु निम्न योजनायें बनाई गई है:—

1. ए. आर. डी सी. स्कीम तिजारा, निमराना, कोटकासिम एवं किशनगढ़ बास।

2. निम्न सेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे है:—

(अ) आनन्दपुर तहसील निमराना
(ब) बिन्दरोड तहसील निमराना
(स) काकर कुतीना तहसील निमराना
(द) चांदोली तहसील उमरेन
(य) अकबरपुर एक तहसील उमरेन
(र) अकबरपुर दो तहसील उमरेन

(कृषि मन्त्री)

3. निम्न सेल्फ आफ प्रोजेक्ट शीघ्र ही आरम्भ होने वाले हैं जिनके टेण्डर इत्यादि मांगे जा रहे हैं:—

(अ) कुलका कुन्ड तहसील थानागाजी
(ब) किरोडी कुन्ड तहसील कठूबर
(स) टोडा तहसील कठूबर।

कृषि उपज मंडी सूरजपोल, जयपुर का निर्माण कार्य

209. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या कृषि मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी द्वारा नेशनल हाई वे नं. 8, सूरजपोल दरवाजा, जयपुर में कृषि उपज मण्डी का निर्माण किया जा रहा है ?

(2) क्या इस कृषि उपज मण्डी की जमीन में सूरज गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से एक बस्ती बसी हुई है तथा उक्त बस्ती को बसाने की जिम्मेदारी कृषि उपज मण्डी ने इकरारनामे के द्वारा नगर विकास न्यास, जयपुर से ली थी ? यदि हां, तो यह एग्रीमेन्ट किस तिथि को किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती को एग्रीमेंट के तहत आज तक नहीं बसाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त एग्रीमेंट के तहत उक्त बस्ती को बसाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जहां कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य किया जा रहा है वहां पर एक कच्ची बस्ती बसी हुई है। नगर विकास न्यास व समिति के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के अनुसार कच्ची बस्ती को बसाने की जिम्मेदारी कृषि उपज मण्डी पर डाली गई थी। यह एग्रीमेंट दिनांक 15–7–75 को किया गया था।

(3) कच्ची बस्ती जो जैसे पहले बसी हुई थी अभी उसे वहां से हटाया नहीं गया है। अतः नहीं बसाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) कच्ची बस्ती के लिये स्थान निर्धारित करने हेतु नगर नियोजन कार्यालय एवं नगर विकास न्यास, जयपुर से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। जब भी वहां से कोई वैकल्पिक साइट निर्धारित कर दी जावेगी तथा राज्य सरकार जिस संस्था की बस्ती बसाने के लिए उत्तरदायी ठहरायेगी तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

भरतपुर पक्षी विहार की चिड़ियाओं के बढ़ने पर रोक

210. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फ्रान्स से आये एक पक्षी विशेषज्ञ ने भरतपुर पक्षी विहार की चिड़ियाओं को अत्यधिक बढ़ने से रोकने की सलाह दी है व समय समय पर शूटिंग आयोजन करने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(2) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत के पक्षी विशेषज्ञ डाक्टर सालिम अली की राय ली है ? यदि हां, तो उनकी क्या राय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान हैण्डलूम प्रोजेक्ट बोर्ड द्वारा सूत की खरीद

211. **श्री गोविन्द सहाय** (कठूमर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हैण्डलूम प्रोजेक्ट बोर्ड ने सूत की खरीद में भारी अनियमितता की है ?

(2) क्या बाजार के भावों से अधिक राशि से सूत खरीदा है।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूत की खरीद में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। जिनके सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की गई और राज्य सरकार ने यह मामला ए. सी. डी. को सुपुर्द कर दिया है।

(2) प्राथमिक जांच से ऐसा ही ज्ञात हुआ।

(3) जी हां। जहां जांच कराई गई है जिसके आधार पर मामला ए. सी. डी. में दिया गया है वहां जांच चल रही है। इन परिस्थितियों में इस समय जांच रिपोर्ट को जनहित में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

रानीवाड़ा में नई कृषि मंडी

212. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा में एक अच्छी मण्डी होते हुए भी वहां अभी तक नई कृषि मण्डी कायम नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि भीनमाल में कृषि का सब यार्ड बना रखा है ? अगर हां, तो रानीवाड़ा में पूरी कृषि मण्डी कब तक कायम कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि मण्डी की तरह से कई काश्तकारों को रानीवाड़ा में सुविधा नहीं दी जा रही है, परन्तु कृषि टैक्स वसूल किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय को देखते हुए वहां पृथक से एक कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करना अभी सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। रानीवाड़ा की स्थिति पृथक से कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने की नहीं है। वहां केवल गौण मण्डी ही बन सकती है जो पहले से बनी हुई है।

(कृषि मन्त्री)

(3) रानीवाड़ा में जब तक मण्डी यार्ड बनाने के लिये उपयुक्त भूमि मण्डी समिति के पास उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक वहां पक्के निर्माण कार्य कराना सम्भव नहीं है। तभी वहां प्रकाश व पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है।

पंचायत समिति, इटावा द्वारा समतल की गई भूमि

213. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा में 1968–71 में भू-संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर भूमि समतल की गई थी जिसकी रकम भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गई थी? भूमि समतल किस हिसाब से की गई? उसकी क्या शर्तें थी जो किसानों से की गई थीं?

(2) प्रत्येक किसान पर उस वक्त कुल कितना खर्चा था जो भूमि विकास बैंक से ऋण के रूप में मिला था? किसानों ने कितना रुपया कुल अब तक जमा करा दिया तथा अब व्याज सहित कुल कितनी रकम प्रत्येक को देनी बाकी है? प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, जाति, ग्राम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों की अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाकर उन पर आवश्यकता से अधिक राशि बताकर अनुचित रूप से राशि वसूल की जा रही है?

(4) क्या राज्य सरकार किसानों से सही रकम वसूल की जाय इस हेतु जांच आदेश प्रसारित कर किसानों को राहत पहुंचायेगी।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, इटावा में दिसम्बर 1966 से जून, 73 तक भू-संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर भूमि समतल की गई थी और इस हेतु भी रकम भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गई थी।

(2) भूमि की स्थिति के अनुसार भू-संरक्षण विभाग द्वारा 400 रु० प्रति एकड़ से लेकर 2700 रु० प्रति एकड़ तक की दर से भूमि सुधार कार्य करवाया गया है। भू-संरक्षण विभाग द्वारा तैयार किये गये तकनीकी तकमीनों पर कृषक की सहमति ली जाती थी व काश्तकारों की सहमति से ही भूमि विकास बैंक द्वारा भू-संरक्षण विभाग को कृषक के पक्ष में स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान किया जाता था। ऋण 13 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था जिसमें से प्रथम 3 वर्षों में केवल ब्याज व शेष 10 वर्षों में ऋण व ब्याज दोनों ही वसूल किये जाने की शर्त थी।

(3) सहकारी भूमि विकास बैंक कोटा द्वारा कुल 312 कृषकों को 14·39 लाख रुपये का मूल ऋण दिया गया था जिसमें से 28–2–79 तक ब्याज सहित कुल 5·73 लाख रुपयों की वसूली हो चुकी है और ब्याज सहित कुल शेष राशि 18·71 लाख रुपया बकाया है। प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, जाति, ग्राम सहित सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(सहकारिता मंत्री)

(5) किसानों से सही राशि ही वसूल की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजगढ़ में ए. ईएन. का कार्यालय

214. **श्री समरथलाल** (राजगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) में ए. ईएन. विद्युत के आफिस को स्थापित करने का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

प्रस्ताव की जांच चल रही है। कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

चूरू जिले के अकालग्रस्त ग्राम

215. **श्री हजारी मल सारण** (सरदारशहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले के कितने गांव अकालग्रस्त अथवा अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि घोषित अकालग्रस्त गांवों में सभी प्रकार की वसूलियां चालू हैं। यदि हां, तो क्यों?

(3) चूरू जिले में अब तक कितने और कहां कहां अकाल राहत कार्य चालू किए गए? यदि नहीं, तो क्यों? क्या राज्य सरकार अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या जिला राहत परामर्शदात्री समिति ने राज्य सरकार को अकाल राहत कार्य चालू करने की सिफारिश की है? यदि हां तो कौन कौन से और राज्य सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यान क्यों नहीं दिया?

उत्तर

(1) चूरू जिले के 674 गांवों में अभाव की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन गांवों में जहां एक फसल सावणी ही होती है और फसल में खराबा 8 आने से अधिक है उन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा चुका है। लेकिन जहां दोनों फसलें होती हैं उनको अभावग्रस्त घोषित करने का निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन चार आने से कम रबी फसल जिस ग्राम में होगी उसे अभावग्रस्त घोषित कर दिया जावेगा।

(2) अभावग्रस्त गांवों की वसूलियां स्थगित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

(3) इस जिले में अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्य खोले जाने की आवश्यकता नहीं होने के कारण कोई कार्य राहत में शुरू नहीं किया गया है। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर कार्य शुरू हैं।

(4) खण्ड तीन में बताये गये कारणों के आधार पर परामर्शदात्री समिति द्वारा सुझाये गये कार्यों पर राहत के लिये कार्य शुरू करवाने की कोई आवश्यकता अभी तक

(अकाल सहायता मंत्री)

महसूस नहीं की गई है। राज्य सरकार मार्च 79 के बाद समिति द्वारा बताये गये कार्यों को चालू करने पर विचार कर लेगी।

राज्य में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने की योजना

216. **श्री हरजीराम बुरडक** : (लाडनू) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों की क्या योजना है तथा योजना अनुसार केन्द्रों में क्या क्या कार्य होने चाहिये थे और क्या क्या हो रहे हैं ?

(2) राज्य में कितने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और कब कब कितने कितने और खोले जायेंगे।

(3) अब तक के अनुभव के आधार पर यह योजना कहां तक सफल हुई है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे छोटे कस्बों में लघु, लघुतर एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये जिला उद्योग केन्द्र योजना बनाई गई है। इस व्यापक योजना के अन्तर्गत लघु, लघुतर और कुटीर उद्योगों का विकास शहरों एवं राज्यों को राजधानियों से हटाकर जिला मुख्यालयों की ओर उन्मुख करना है तथा सभी प्रकार की अपेक्षित सुविधायें जैसे उद्योगों का चयन, तकनीकी सहायता, आधारभूत सुविधायें, ऋण व अनुदान, मशीनों आदि की व्यवस्था, विपणन में सहायता जिलों में एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इस नीति के अनुसार जिले में एक ही स्थान पर ये सब सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिये। राजस्थान में भी इन्हीं उद्योगों की पूर्ति के लिये जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जहां उपरोक्त सुविधाओं को एक ही स्थान पर दिये जाने की व्यवस्था कर दी गई है।

(2) राज्य में अब तक 9 स्थानों पर जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं : (1) अलवर, (2) बांसवाड़ा, (3) भीलवाड़ा, (4) चूरू, (5) झालावाड़, (6) जोधपुर, (7) नागौर, (8) टौंक व (9) उदयपुर। भारत सरकार ने 7 जिलों में और जिला उद्योग केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है, जो निम्न प्रकार है:—1. अजमेर, 2. भरतपुर, 3. जयपुर, 4. कोटा, 5. बीकानेर, 6. पाली एवं 7. श्रीगंगानगर। इन्हें शीघ्र खोलने की कार्यवाही की जा रही है शेष 10 जिलों में भी 79-80 में ही जिला उद्योग केन्द्र खोलने का प्रावधान कर दिया गया है।

(3) अब तक के अनुभव के आधार पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में यह योजना सफल सिद्ध हुई है।

सहकारी विभाग की पुरानी बकाया वसूली की योजना

217. **श्री शिवनारायण** (थानागाजी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सहकारी विभाग ने कोई ऐसा योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया है जिससे बहुत

(श्री शिवनारायण)

पुरानी ओवरड्यूज रकमें वसूल हो सकें ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार सहकारी भावना में आम लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकती है ?

उत्तर

जी हां। योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाकर वसूली की जा रही है।

दिनांक 1-7-78 को 2000) रु० से 5000) रु० तक के 596-91 लाख रुपये, 5000) रु० से अधिक की 239-07 लाख रुपये तथा 3 वर्ष से अधिक के 701-41 लाख रुपये—कुल 1537-39 लाख रुपये ओवरड्यू थे। जिनमें से दिनांक 1-7-78 से 31-1-79 तक 2000) रु० से 5000) रु० तक की सीमा वाले 109-47 लाख, 5000) रु० से ऊपर वाले 37-81 लाख तथा 3 वर्ष से अधिक की अवधि वाले 75-86 लाख—कुल 223-14 लाख रुपये ओवरड्यू में वसूल किये गये।

टोंक तहसील म उप-तहसील कार्यालय

218. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी तहसीलें व उप-तहसीलें हैं ?

(2) नई उप-तहसीलें कहां कहां खोली जावेंगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) नई उप-तहसीलें खोलने का राजस्व विभाग ने क्या नियम बनाया है ?

(4) तहसील टोंक बड़ी तहसील है उसमें क्या उप-तहसील खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में 197 तहसील हैं व 37 उप-तहसीलें हैं। हाल ही में 26 उप तहसीलें और स्थापित करने के आदेश दिनांक 26-2-79 को जारी किये हैं।

(2) 26 उप तहसील स्थापित करने के आदेश जारी किये हैं, सूची संलग्न है।

(3) नई उप तहसील खोलने के लिये कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

(4) जी हां इस मामले में कार्यवाही विचाराधीन है।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक— एफ 9(7) राज/ग्रुप-1/78 जयपुर, दिनांक 26-2-79

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 16 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में समर्थ बनाने वाली समस्त

अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित जिलों के अन्तर्गत 26 उप तहसीलें तुरन्त प्रभाव से स्थापित करती है।

प्रस्तावित उप तहसील में निरीक्षक सर्किल कौन से रखे जाएं और पटवार हल्के उसके अनुसार कौन से रखे जाएं, इसका निर्धारण उप खण्ड अधिकारी अपने स्तर पर ही जिलाधीश के परामर्श के पश्चात् कर सकेंगे।

क्र० सं० 1.	नाम जिला 2	नाम तहसील 3	प्रस्तावित उप तहसील 4
1.	अजमेर	अजमेर	1. नसीराबाद
		केकड़ी	2. भिनाय
		ब्यावर	3. रामगढ़
			4. सथाना
2.	अलवर	अलवर	5. बहादुरपुर
3.	बाड़मेर	बाड़मेर	6. गुडामालानी
4.	भरतपुर	भरतपुर	7. कुम्हेर
5.	चित्तोड़गढ़	प्रतापगढ़	8. बसाड़
6.	गंगानगर	गंगानगर	9. हिन्दुमलकोट
			10. चुनावड़
		करनपुर	11. गजसिंहपुर
		पदमपुर	12. बींज बायला
		रायसिंहनगर	13. 17 डी० के०
		नोहर	14. फेफाना
		भादरा	15. छानी बाड़ी
7.	जयपुर	जयपुर	16. कालवाड़
8.	जालौर	जालौर	17. सायला
		आहोर	18. अद्राजून
			19. बागोड़ा
9.	जोधपुर	जोधपुर	20. लूनी
		बिलाड़ा	21. भोपालगढ़

1	2	3	4
10.	नागौर	नागौर	22. खोवसर
		मेड़ता	23. थावला
		डेगाना	24. आंजू
11.	पाली	पाली	25. रोहट
		बाली	26. सुमेरपुर

राज्यपाल के आदेश से
(के० एस० उज्जवल)

प्रतिलिपि प्रेषित है :—

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री।
2. निजी सचिव समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. समस्त शासन सचिव।
4. समस्त जिलाधीश।
5. निदेशक, जन सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक जन गणना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को साधारण राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु।
10. सहायक सचिव, मन्त्री मण्डल सचिवालय को उनके (मंत्री मंडल निर्णय संख्या 417/78 संख्या डी० 443/म०म/78/ दिनांक 25-11-78 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है —

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

अनुभाग अधिकारी

फलासिया क्षेत्र में तालाब निर्माण की योजना

219. **श्री लालूदास (फलासिया)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्तमान में राज्य सरकार की फलासिया विधान सभा क्षेत्र में कितने तालाब बनाने की योजना है एवं उन पर कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है ?

उत्तर

फलासिया क्षेत्र में निम्न योजनाएं प्रस्तावित हैं, इनकी सर्वे की जा रही है व लाभ लागत अनुपात ठीक होने के बाद ही योजनाओं पर विचार किया जायेगा—

1—कोल्वारी

2—कुण्डाल

3—घोड़ामारी

बालोतरा में महिला चिकित्सक का पद

221. **श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बालोतरा नगर में महिला चिकित्सक का पद कब से स्वीकृत है ?

(2) क्या इस पद पर कोई महिला चिकित्सक कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो यह पद वहां कब से रिक्त है ? इतनी लम्बी अवधि तक पद रिक्त रखने के क्या कारण हैं ? कब तक बालोतरा में महिला चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) बालोतरा नगर जिला बाड़मेर में महिला चिकित्सक का पद दिनांक 1-5-78 से स्वीकृत किया गया है।

(2) जी नहीं दिनांक 1-5-78 को पद सृजित होने के बाद दिनांक 14-8-78 से डाक्टर (कुमारी) पुष्पा लोहिया की नई नियुक्ति की गई थी। डा० लोहिया द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप बालोतरा नगर में महिला चिकित्सक के पद के विरुद्ध पुरुष चिकित्सक डा० बद्रीलाल चौधरी सी० ए० ए० को पद स्थापित किया गया जो दिनांक 2-1-79 से कार्य रत है।

लाटरी एजेन्टों पर बकाया राशि

222. **श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़)** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान राज्य लाटरी बन्द करते वक्त लाटरी एजेन्टों की तरफ कितनी राज्य सरकार की राशि बकाया रही ? उसमें से अब तक कितनी वसूल की जा चुकी है ?

उत्तर

राजस्थान राज्य लाटरी दिनांक 1-9-77 को बंद की गई थी उस समय एजेन्टों की तरफ बकाया राशि नहीं थी। बाद में दिनांक 30-11-77 से 27-12-77 तक महालेखाकार राजस्थान ने विभाग के निरीक्षण के दौरान कतिपय लाटरी एजेन्टों को दिये गये इन्सेन्टिव बोनस व कमीशन में कुछ अधिक

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

भुगतान के आक्षेप निकाले जिनके बारे में कार्यवाही की जा रही है।

बाड़मेर नगर में कार्यरत कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

223. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर की जनसंख्या सन् 1971 के बाद में अब बढ़कर 55,000 तक पहुंच गई है ?

(2) क्या यह सही है कि पहले के जिलाधीशों ने बाड़मेर नगर की जनसंख्या को पचास हजार से अधिक मानते हुये राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा, बाड़मेर की आवश्यक मांग, बाड़मेर नगर में राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिलाने हेतु राज्य सरकार को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया था ?

(3) क्या यह सही है कि जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में सन् 71 के बाद में अनेक नये कार्यालयों के खुलने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ने और उसी अनुपात में नये मकानों के न बनने के कारण उन्हें मकानों का किराया अधिक बढ़ जाने के कारण उन्हें मकान किराया भत्ता देना राज्य सरकार के लिये क्या आवश्यक नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर की पिछली जनगणनाओं के हिसाब से सन् 1931 से लेकर सन् 1971 तक जनसंख्या जिस प्रतिशत से बढ़ रही है उसको देखते हुए गणना की सर्वश्रेष्ठ रीति लाग्रेज के अनुसार जनसंख्या 55,231 होती है ?

(5) राज्य के ऐसे कितने जिले के मुख्यालय हैं जहां मकान किराया भत्ता नहीं मिल रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि उन स्थानों में राज्य कर्मचारियों के लिये जिले के मुख्यालयों में अनेक कार्यालयों के बढ़ने के कारण मकान किराया अधिक बढ़ गया है जिसको ये अदा करने की स्थिति में नहीं हैं ?

उत्तर

(1) जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित अंतिम आंकड़ों के आधार पर ही किसी नगर या कस्बे की जनसंख्या मानी जाती है। गत जनगणना 1971 के अनुसार बाड़मेर नगर की जनसंख्या 38,639 है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वर्तमान में मकान किराया भत्ता उन्हीं नगर या कस्बों में देय है जिनकी जनसंख्या गत जनगणना सन् 1971 के अनुसार 50,000 से अधिक है।

(4) जनगणना विभाग भारत सरकार के अधीनस्थ है। वे जनगणना के लिये कौन सी रीति अपनाते हैं राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(5) राज्य के 12 जिलों के मुख्यालय पर मकान किराया भत्ता देय नहीं है।

(श्री वित्त मन्त्री)

(6) इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

राजस्थान नहर के निर्माणाधीन कार्यों पर मारे गये छापे

224. **श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़)** : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान नहर पर केनाल क्षेत्र के निर्माणाधीन कार्यों पर गत वर्ष मारे गये छापों तथा जांच कार्य से कहां कहां अनियमितता पाई गई तथा कहां कहां सीमेंट बैग्स कम पाये गये तथा किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां, गत वर्ष जून, 1978 में राजस्थान नहर परियोजना के सीमेन्ट गोदामों की चैकिंग कराई गई थी। जांच का कार्य तथ्यान्वेषण प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। विस्तृत जांच होने पर ही पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जांच पूर्ण होने पर ही होना सम्भव होगा।

श्रमिक विवाद के कारण बन्द पड़े हुए उद्योग

225. **श्री बंशीलाल सारस्वत(नागौर)** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने उद्योग श्रमिक विवाद के कारण बन्द पड़े हैं अथवा गत वर्ष में बन्द रहे हैं ?

(2) इनमें से कितने उद्योग केवल उद्यमियों या मालिकों की हठधर्मी से बन्द पड़े हुए हैं ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में हड़ताल एवम् तालाबंदी के अतिरिक्त श्रम विवादों के कारण व्यवस्थापकों द्वारा बन्द (close) किये गये उद्योगों की संख्या निम्न प्रकार है—

1979	1
1978	11

(2) चूंकि व्यवस्थापक एवम् श्रमिक दोनों के ही अपनी अपनी बातों पर दृढ़ रहने के कारण विचारों में समझौता नहीं हो सका। अतः यह नहीं बताया जा सकता कि केवल उद्यमियों या मालिकों की हठधर्मी की वजह से कितने उद्योग बन्द रहे।

(3) विभाग के प्रयास से 5 उद्योगों में काम वापस चालू करा दिया गया। चार विवादों में समझौता नहीं होने के कारण विवाद श्रम न्यायालयों को सुपुर्द कर दिया गया। एक विवाद पर श्रमिकों ने व्यवस्थापकों से समझौता कर मुआवजा लेकर विवाद समाप्त किया। एक विवाद पर अभी भी दोनों पक्षों से बात की जा रही है। एक विवाद पर समझौता अधिकारी द्वारा असफलता रिपोर्ट भेजी जा रही है।

चूरू जिले में बढ़ाया गया राजस्व लगान

226. **श्री बहादुरसिंह (नोहर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या जिले में पिछले सैटलमेंट में बढ़ाये गये राजस्व लगान को जो कि (गलत है) नियम विरुद्ध है सरकार कम करने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक तथा कितना, अगर नहीं तो क्यों नहीं?

(2) क्या राज्य सरकार समस्त अलाभकारी जोतों पर से राजस्व लगान माफ करने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

(2) राज्य सरकार ने अलाभकारी जोतों पर राजस्व में छूट देने के लिये पूर्व में ही 6-1-78 को आदेश प्रसारित कर दिये हैं। अब आगे छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

---

(165)

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची)

सम्वत् 2034 की फसल खरीफ के खराबे के कारण प्रभावित ग्रामों की सूची ।

ग्राम तहसील	क्र० सं०	नाम ग्राम
जालौर	1.	देता कलां
	2.	छीपी
	3.	चक वीसलपुर
आहौर	4.	मादरा जून
	5.	गुढा रामा
	6.	मोरी टोकरिया
	7.	वर दरा
	8.	रुन्डमाल की ढाणी
	9.	खेड़ा सावरी
	10.	मुलेवा
	11.	रायथल
भीनमाल	12.	वोरटा
	13.	जैसावास
	14.	रणांला
	15.	दांतबाड़ा
	16.	रानीवाड़ा कलां
	17.	संवाणीया
	18.	रानीवाड़ा खुर्द
	19.	जाखडी
	20.	मेडक खुर्द
	21.	बडगांव
	22.	बांसडा धनजी
	23.	डेरडी
	24.	गुजरवाड़ा
	25.	खेड़ा पुरिया
	26.	दईपुरा
	27.	रुपावटी

ग्राम तहसील	क्र० सं०	नाम ग्राम
सांचौर	28.	गोलसम
	29.	मीरपुरा
	30.	सेवाड़ा
	31.	खाम्बराई
	32.	जालबेरी
	33.	बेलावास चारणान
	34.	मण्डाली
	35.	धोगपुरा

अकाल से प्रभावित ग्रामों की सूची तहसील सांचौर जिला जालौर सन् 1978-79

क्र० सं०	नाम ग्राम	क्र० सं०	नाम ग्राम
1.	ईठादा	19.	रतनपुरा
2.	वमल	20.	गोभी
3.	रामपुरा	21.	रतोड़ा
4.	धरणावास	22.	दूठवा
5.	अणखोल	23.	सेसावा
6.	वोरली	24.	सुराचन्द
7.	तातड़ा	25.	टापी
8.	गुड़ा हेमा	26.	निम्बज
9.	तेतरोल	27.	रायपुर
10.	रणोधर	28.	मेलावास चारणान
11.	चारणीम	29.	खेजडियाली
12.	सीगाड़ा	30.	आकोडिया
13.	पादरडी	31.	रिडका
14.	चितलवाना	32.	मण्डाली
15.	केरिया	33.	जोरादर
16.	होतीगाव	34.	धोगपुरा
17.	अगडावा	35.	पवातड़ा
18.	सिलोसण	36.	भाटकी

(167)

क्र० सं०	नाम ग्राम	क्र० सं०	नाम ग्राम
37.	वालेरा	47.	भादरुण
38.	नलधरा	48.	भाटवास
39.	मुवाना	49.	मेडा खालसा
40.	सुथडी	50.	मरठवा
41.	फोगडवा	51.	गलीफा
42.	वरणवा	52.	ईसरोल
43.	सांकरिया	53.	झाव
44.	पावटा	54.	काछेला
45.	खासरवी	55.	बगसडी
46.	जाणवी		

जिला जालौर में संवत् 2035 में सहायता कार्यों के
प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव की सूची

1. सिंचाई विभाग के माध्यम से :—

1. धीगपुरा क्रास बांध
2. फोगडवा क्रास बांध
3. सांकरिया क्रास बांध
4. केसूरी क्रास बांध
5. सुजा की खाल का एक्सटेन्शन कार्य
6. कपूरिया क्रास बांध
7. रेंजिग ग्राफ वाठन बांध
8. रेंजिग ग्राफ भीनमाल फीडर

सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से :—

1. जी. ग्रार. नोसरा से भावरानी
2. जी. ग्रार. नरसाना से भरवानी
3. जी. ग्रार. भावरानी से वेला
4. जी. ग्रार. वाला से रामा तक
5. भायाजन वाकली थाना मारपा से जिला सीमा तक
6. कानीवाड़ा से हारजी वाया छिपडवाड़ा
7. वोरड़ा बिजली

(168)

8. कवरड़ा से नोसरा
9. एम. ग्रार. बी. टी. जसवन्तपुरा रोड़ से रेवदर
10. एम. ग्रार. बी. टी. मलवाडा से जसवन्तपुरा रोड़
11. भीनमाल–पन्थेरी रोड़
12, भागल सेफ्टा से भीमपुरा मोडरा
13. मोडरा–ढान पन्थेरी रोड़
14. धासेरी कोट कासीता
15. भारुढी मोडरा रोड़ (टबाव से मोडरा पोर्सन)
16. ग्रामली–भावतरा–बक्सर रोड़
17. ग्रामली–चितनवाला रोड़
18. चितलवाड़ा से होतीजन
19. भावेतरा से सूर्यचन्द वेदीया रोड़ (दूथावा तक)
20. सेवारा भाव नादावास तक

जिला जालौर में पेयजल की कमी वाले
ग्रामों की सूची

तहसील सांचौर

1. बालेरा
2. भाटकी
3. सेसावा
4. डूगरी

अपूर्ण कार्यों की सूची

क्रम संख्या	कार्य का नाम
1.	धीगपुरा क्रास बांध
2.	सोफरिया क्रास बांध
3.	केसूरी क्रास बांध
4.	कपूरिया क्रास बांध
5.	ढूठवा प्रथम क्रास बांध (ठीकरिया)
6.	गोभी क्रास बांध

(169)

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची)

राजस्व अभियान वर्ष, 1977 एवं वर्ष, 1978 में निपटाये गये मामलों की संख्या

वर्गीकरण	वर्ष, 1977	वर्ष, 1978	योग
1. खातेदारी अधिकार के निपटाये गये मामले	143416	82010	225426
2. नामान्तरकरण खोलकर स्वीकृत किये गये	577393	412522	989915
3. भूमि आंवटन : (1) नौन कमाण्ड	61184	37635	98819
(2) कमाण्ड	12863	4997	17860
4. नियमन:			
क–अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर बनाये गये मकान एवं वाडों का निपटारा।	31017	25521	56538
ख–सिवायचक, गैरमुमकिन, पड़, अंगोर या वनभूमि पर स्थापित किये गये ग्रामों व ढ़ाणियों का नियमितिकरण किये गये मामलों की संख्या।	575	245	820
5. अतिक्रमण के मामलों का निपटारा।	266539	285920	552459
6. रहन विल कब्ज की भूमि का कब्जा सम्बन्धित काश्तकारान को दिलाने बाबत प्रगति।	3462	2796	6258
7. काश्तकारों की अवाप्त की गई भूमि के लगान की कमी करना (निपटाये गए मामले)	32713	17518	50231
8. कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धी मामलों का निपटारा।	12778	5425	18203
9. ग्रामों की आबादी के लिए भूमि उपलब्ध कराना।	1838	2335	4173
10. बैंकिंग संस्थानों से काश्तकारों को ऋण दिलाने के लिए राजस्व अभिलेखों की प्रतियां एवं बकाया राशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देना।	27095	19300	46395

11. जनता के अभाव अभियोगों का तत्परता से निपटारा करना।	—	27282	27282
12. राजस्थान निर्माण के पश्चात् हड़पी हुई भूमि के सम्बन्ध में जांच।			
(1) जांच के दौरान हड़पी हुई भूमि के पाये गए मामले।	—	201	201
13. पट्रोल पम्प एवं ईट भट्टों के बावत यह शिकायत है कि उनके लिए आवंटित भूमि से ज्यादा पर कब्जा कर लिया गया है, की जाँच करना :			
(1) पैट्रोल पम्प	—	7	7
(2) ईट भट्टे	—	17	17
14. राजकीय विद्यालय को खेल के मैदान के लिए भूमि आवंटन करना।	—	2298	2298
15. कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमांत कृषकों के ऋणभार समाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही।	1131	1575	2706
16. वृद्धावस्था पेन्शन।	18611	18954	37565
17. प्रत्येक ग्राम में आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों का चयन करके उनके आर्थिक विकास का कार्य प्रारम्भ करना।	132777	107212	239989
18. नये अवंटियों को सहकारिता की सदस्यता के फार्म भरवाना।	—	11280	11280
19. जागीर बोण्डों का वितरण करना।	—	5177	5177
20. ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार करना।	4989	—	4989
योग :	1328381	1070227	2398608

विवरण

राजस्व अभियान–वर्ष 1977 एवं वर्ष 1978 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन

1. नौन कमाण्ड :

(क्षेत्रफल एकड़ में)

वर्गीकरण	वर्ष, 1977		वर्ष, 1978		योग	
	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1. अनुसूचित जाति	10810	25241	3602	8297	14412	33538
2. अनुसूचित जनजाति	21081	42007	9687	16048	30768	58055
3. सैनिक	97	411	104	351	201	762
4. अन्य व्यक्ति	29025	54633	14030	36968	43055	91601
5. सागड़ी प्रथा से मुक्त वन्धक-श्रमिक ।	—	—	11	29	11	29
6. अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति ।	—	—	9920	61921	9920	61921
7. योग	61013	122292	37354	123614	98367	245906
8. संस्थाएं	171	591	281	496	452	1087
9. कुल योग	61184	122883	37635	124110	98819	246993

1	2	3	4	5	6	7
2. कमाण्ड क्षेत्र :						
1. अनुसूचित जाति	2139	7859	478	888	2617	8747
2. अनुसूचित जनजाति	5931	9242	1464	1984	7395	11226
3. सैनिक	21	97	13	43	34	140
4. अन्य व्यक्ति	4767	10723	2227	2628	6994	13351
5. सागड़ी प्रथा से मुक्त बन्धक श्रमिक।	—	—	—	—	—	—
6. अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति।	—	—	814	2189	814	2189
7. योग	12858	27921	4996	7732	17854	35653
8. संस्थाएं	5	16	1	2	6	18
9. कुल योग	12863	27937	4997	7734	17860	35671

173

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न सं० 129 की सूची)

तहसील कार्यालय में कार्यरत तहसीलदारों की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	निजीजिला	वर्तमान पद स्थापन का स्थान	कब से
1.	श्री कन्हैयालाल सैनी	अलवर	लीव रिजर्व	28–9–78
2.	श्री प्रवीणप्रसाद गुप्ता	भरतपुर	कोटपुतली	17–12–77
3.	श्री रामगोपाल	सवाई माधोपुर	लालसोट	21–10–78
4.	श्री मांगीराम	हरियाणा	दौसा	4–11–78
5.	श्री मोहनसिंह	सीकर	दूदू	21–7–78
6.	श्री खेमाराम पुरोहित	सिरोही	आमेर	14–6–78
7.	श्री मोहन स्वरूप	भरतपुर	बसवा	9–1–78
8.	श्री गोविन्दसहाय भारद्वाज	अलवर	सिकराय	6–10–77
9.	श्री उदयसिंह	अजमेर	सांभर	20–8–78
10.	श्री सफदर आलम	यू० पी०	बस्सी	11–2–77
11.	श्री देवकीनन्दन गुप्ता	अलवर	चाकसू	29–8–78
12.	श्री बाबूलाल गुप्ता	भरतपुर	जमवारामगढ़	31–3–78
13.	श्री मदनचन्द शर्मा	यू० पी०	सांगानेर	24–12–77
14.	श्री श्यामबिहारी माथुर	सीकर	विराटनगर	3–11–78
15.	श्री योगेन्द्र वर्मा	अलवर	जयपुर	13–6–78
16.	श्री अर्जुनदास	चूरू	फागी	8–3–77
		ए० एस० ओ०		
1.	श्री छेदालाल पाठक	यू०पी०	ए.एस.ओ. जयपुर	21–3–73
2.	श्री के. राम. बिहारी	जयपुर	,, ,,	6–7–77
3.	श्री श्रीराम दाधीच	पाली	,, ,,	12–10–78
		सिंचाई विभाग		
1.	श्री प्रवीणचन्द जैन	जयपुर	सिंचाई विभाग जयपुर	7–9–78
		कृषि भूमि रूपान्तरकरण		
1.	श्री नरेन्द्रदेव शुक्ला	जयपुर	कृषि भूमि रूपान्तरकरण जयपुर	6–12–75
		नगर सुधार न्यास		
1.	श्री ब्रह्मदेव कौशिक	अलवर	नगर सुधार न्यास जयपुर	29–8–78

भूमि अवाप्ति अधिकार

1.	श्री हंगामीलाल	उदयपुर	एल.ए.ओ. जयपुर	21–9–77
2.	श्री रमेशचन्द गौड़	अलवर	,, ,,	9–2–79

पुनर्वास विभाग

1.	श्री देवाराम	गंगानगर	पुनर्वास विभाग जयपुर	28–11–74

भारतीय तेल निगम

1.	श्री हरीनाथ शर्मा	स० माधोपुर	भारतीय तेल निगम जयपुर	26–5–76

मिनरल डवलपमेण्ट कारपोरेशन

1.	श्री ओमप्रकाश अजमेरा	कोटा	आर.आई.एम.डी.सी. जयपुर	21–11–78
2.	श्री चान्दमल जैन	जयपुर	,, ,,	18–1–79

बेरी आयोग

1.	श्री नरपतसिह जोधा	नागौर	बेरी आयोग जयपुर	22–2–79
2.	श्री राजेशकुमार गोयल	झुन्झुनू	,, ,,	8–8–78
3.	श्री बाबूलाल शर्मा	अलवर	,, ,,	16–2–79
4.	श्री शेरसिंह	जालौर	,, ,,	28–8–78
5.	श्री भंवरलाल	भीलवाड़ा	,, ,,	8–8–78
6.	श्री रामआज्ञासिंह	भरतपुर	,, ,,	28–9–78
7.	श्री उदयसिंह	जोधपुर	,, ,,	13–2–79

ए० एफ० एस० ओ०

1.	श्री नूरमोहम्मद	भीलवाड़ा	ए.एफ.एस.ओ. जयपुर	20–1–76

भेड़ व ऊन विभाग जयपुर

1.	श्री बद्रीनारायण	सीकर	भेड़ व ऊन विभाग जयपुर	2–1–79

भण्डार विभाग जयपुर

1.	श्री बेनीराम गुप्ता	भरतपुर	भण्डार विभाग जयपुर	9–2–79

(178)

जयपुर जिले के तहसीलदारों के स्थानान्तरण किये गये उसकी सूची

क्र० सं०	नाम अधिकारी	कहां से	कहां को	मण्डल के आदेश जिनके तहत स्थानान्तरण किया गया के दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री रामदधीच	का० तह० लीवरिजर्व जयपुर	एस० एस ओ० जयपुर	28-9-78
2.	श्री कन्हैयालाल सैनी	ए० एस० ओ० जयपुर	तह० लीवरिजर्व जयपुर	28-9-78
3.	श्री गोविन्दसहाय भारद्वाज	तह० लालसोट	उपपंजीयक नागौर	25-7-78
4.	श्री गोविन्दसहाय भारद्वाज	उपपंजीयक नागोर	का० तह० सिकराय	28-9-78
5.	श्री श्यामबिहारी माथुर	एल० ए० ओ० जयपुर	तहसीलदार दौसा	21-6-78
6.	श्री मांगीराम	तहसीलदार दौसा	तह० बांरा	21-6-78
7.	श्री मांगीराम	तह० बारां	तह० विराटनगर	25-7-78
8.	श्री मांगीराम	तह० विराटनगर	तह० दौसा	28-9-78
9.	श्री श्यामबिहारी माथुर	तह० दौसा	तह० विराटनगर	28-9-78
10.	श्री रामगोपाल	तह० सिकराय	तह० लालसोट	28-9-78
11.	श्री करामतअली	तह० लालसोट	विश्व खाद्य कार्यक्रम बीकानेर	27-10-78
12.	श्री उदलसिंह	तह० दूदू	तह० हिण्डोली	21-6-78
13.	श्री मोहनसिंह	तह० दांता रामगढ़	तह० दूदू	21-6-78
14.	श्री खेमाराम पुरोहित	तह० खारची	तह० आमेर	27-5-78
15.	श्री मोहनस्वरूप	का० तह० कम सहायक भू० प्र० अधि० के० पाटन	तह० बसवा	15-12-77
16.	श्री उदयसिंह	तह० उनियारा	तह० सांभर	25-7-78
17.	श्री सफदरेआलम	तह० बस्सी	तह० आर० आई० एम० डी० सी० जयपुर	21-6-78
18.	श्री सफदरेआलम	आर० आई० एम० डी० सी०	तह० बस्सी	25-7-78
19.	श्री देवकीनन्दन गुप्ता	तह० जमवारामगढ़	तह० चाकसू	25-7-78

1	2	3	4	5
20.	श्री सन्तकुमार	तह० बस्सी	तह० अजमेर	21-6-78
21.	श्री नेताराम फागोट	तह० चाकसू	तह० मेडता	25-7-78
22.	श्री बाबुलाल गुप्ता	तह० जमवारामगढ़	तह० मेडता	21-6-78
23.	श्री बाबुलाल गुप्ता	तह० मेड़ता	तह० जमवारामगढ़	25-7-78
24.	श्री मदनचन्द शर्मा	तह० क्षतिपूर्ति राजस्व मण्डल, अजमेर	तह० सांगानेर	15-12-77
25.	श्री रमेशचन्द दत्तात्रे	तह० विराटनगर	उपपंजीयक भीलवाड़ा	25-7-78
26.	श्री योगेन्द्र वर्मा	उपपंजीयक जयपुर	तह० जयपुर	27-5-78
27.	श्री नेमीराम गुप्ता	एस० ए० ओ जयपुर	मण्डावर निगम जयपुर	18-1-79
28.	श्री बद्रीनारायण	बड़ाना प्रोजेक्ट वासवाड़ा (पद समाप्त पर)	भेड़ व ऊन विभाग जयपुर	2-1-79
29.	श्री आनन्दकुमार	बेरी आयोग जयपुर	उपपंजीयक नागोर	18-10-78
30.	श्री नरपतसिह जोधा	उप पंजीयक अजमेर	बेरी आयोग जयपुर	18-1-79
31.	श्री राजेशकुमार गोयल	सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी अनूपगढ़	बेरी आयोग जयपुर	8-8-78
32.	श्री उदयसिह	तह० जायल	बेरी आयोग जयपुर	13-2-79
33.	श्री चांदमल जैन	नगर सुधार न्यास जयपुर	तह० बामनवास	18-9-78
34.	श्री चांदमल जैन	तह० हिण्डोन	मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन जयपुर	18-1-79
35.	श्री ब्रह्मदत्त कौशिक	एल० ए० औ० कोटा	नगर सुधार न्यास जयपुर	29-8-78
36.	प्रवीणचन्द जैन	अवकाश से लौटने पर	सिपाई विभाग जयपुर	25-7-78

177

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 130 की सूची)

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०

विराट भवन, पृथ्वीराज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

निगम के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों की सूची

1. राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०,
विराट भवन, पृथ्वीराज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राजस्थान)

'सी' टाइप इकाइयां (यूनिट)

1. अधीक्षण अभियन्ता (उत्तरी वृत्त)
राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपो- रेशन लि०
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

2. अधीक्षण अभियन्ता (दक्षिण वृत)
राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
छत्रपुरा, कोटा (राजस्थान)

3. अधीक्षण अभियन्ता (केन्द्रीय वृत)
राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशनलि०
झोटवाड़ा, जयपुर ।

4. कृषि उपकरण फैक्ट्री, झोटवाड़ा- जयपुर–12

5. कृषि सेवा केन्द्र, कार्यालय, झोटवाड़ा- जयपुर–12

'बी' टाइप यूनिट : उप खण्डीय व्यवस्थापक कार्यालय

1. भरतपुर	2. अलवर
3. भीलवाड़ा	4. उदयपुर
5. सीकर	6. जोधपुर
7. श्री गंगानगर	8. पाली

'ए' टाइप यूनिट

1. अजमेर 2. बूंदी 3. सवाई माधोपुर 7. झुनझुनू 8. टौंक 9. बांसवाड़ा

4. सिरोही 5. जालौर 6. नागौर 10. चित्तौड़गढ़

कम्पोस्ट प्लान्ट

1. जोधपुर 2. जयपुर

उपरोक्त सभी इकाइयों में कुल 759 कर्मचारी कार्यरत हैं।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०

फार्म डिवीजन

फार्मस की तालिका

क्र० संख्या	फार्म का नाम
1.	तिनकरोड़ी
2.	मलिकपुर
3.	सेवर
4.	खेमरी
5.	पड़ासोली
6.	फरासिया
7.	माटुन्डा
8.	सुलतानपुर
9.	कवाई
10.	उमेदगंज
11.	घीयावाद
12.	पदमपुर
13.	जेतसर
14.	करनपुर
15.	रायसिंह नगर
16.	सांवू
17.	रसियावास
18.	रामपुरा

(179)

उपरोक्त फार्मों पर 120 कर्मचारी काम करते हैं।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के पास उपलब्ध एवं खराब मशीनों की सूची

1. उपलब्ध मशीनें :—

1. बुलडोजर 71
2. ट्रैक्टर 47
3. सैल्फ पोप्रेह
4. ट्रैक्टर चलित कम्बाईन हारवैसर 3

2. खराब मशीनें :—

1. बुलडोजर 7
2. ट्रैक्टर 8
3. कम्बाईन हारवेसर 2

खराब मशीनों की मरम्मत का कार्य चालू है। इनमें से एक ट्रैक्टर, दो कम्बाईन हारवेस्टर अधिक खराब स्थिति में हैं, जिनकी मरम्मत के लिए भी पूरे प्रयत्न किये जायेंगे।

180

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न सं० 131 का विवरण)

कृषि उपज मण्डी समिति टोंक के पास गत वर्षों में उपलब्ध शेष राशि का विवरण

31-3-75	2·29 लाख रुपये
31-3-76	4·76 लाख रुपये
31-3-77	5·94 लाख रुपये
31-3-78	7·59 लाख रुपये
28-2-79	5·97 लाख रुपये

181

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 136 की सूची)

पं० स० दांतारामगढ़ जिला सीकर के ग्रामों की सूची

क्रम. सं.	ग्राम का नाम	विवरण
1	2	3
1)	बाय	मण्डल के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम में पहले से विद्युतिकृत ।
2)	भारोजा	
3)	चैनपुरा	
4)	चन्देली-का-बास	
5)	दाँता	
6)	धोलासरी	
7)	जालूण्ड	
8)	करड़	
9)	खचरियावास	
10)	खाटु	
11)	कूली	
12)	लोसल	
13)	मंडा	
14)	मुडियाबास	
15)	पचार	
16)	राजपुरा	
17)	रामगढ़	
18)	रूलाना	
19)	शामपुरा	
20)	सुल्याबास	
21)	सुरेरा	
22)	उमाड़ा	
23)	नोसाल	
24)	आलोदा	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में सम्मिलित ।
25)	बाज्याबास	
26)	बल्लुपुरा	
27)	भगवानपुरा	
28)	चक चिहाला	
29)	चक कैलाश	
30)	चक खण्डेलसर	
31)	चक लढाणा	

1	2	3
32)	चक माजीपुरा	
33)	चिहाला	
34)	दलतपुरा	
35)	दाँतला	
36)	घीजपुरा	
37)	धींगपुर	
38)	दूदवा	
39)	डूकिया	
40)	गनोड़ा	
41)	गोरधनपुर	
42)	गोवटी	
43)	हीरवास	
44)	कैलाश	
45)	काटिया	
56)	केरपुरा उर्फ चौरणवास	
47)	खण्डलेसर	
48)	खारियावास	
49)	खातीवास	
50)	खोरा	
51)	कोछोर	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में सम्मिलित ।
52)	लछमनपुरा	
53)	लाडपुरा	
54)	लम्बिया	
55)	मदनी	
56)	माजीपुरा	
57)	मकसूदपुरा	
58)	केरपुरा	
59)	मंडा	
60)	मोहनपुरा	
61)	नाडा (चारनवास)	
62)	नीमावास	
63)	नीमेडा	
64)	रघुनाथपुरा	
65)	रलावता	
66)	रेटा	

1	2	3
67)	रूपगढ़ मय टेहट	
68)	रूपपुरा	
69)	सामेर	
70)	सांवलपुरा	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में सम्मिलित ।
71)	सवाईपुरा	
72)	शामी की ढाणी	
73)	सूरतराम-की-ढाणी	
74)	तम्बाखपुरा	
75)	चक गोपीनाथपुरा	
76)	बनाथला	
77)	भीराना	
78)	खूड	
79)	खानरी	
80)	शीशम	
81)	राजपुरा	
82)	शामी	
83)	बानूडा	
84)	बूच्यासी	
85)	श्रीरामपुरा	मण्डल के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित उस समय के शेष ग्राम ।
86)	पुनयाना	
87)	काकरा	
88)	ढासरोली	
89)	राजपुरा	
90)	गुवारडी	
91)	बरगांव (मुवाना)	
92)	मुरडो का वास	
93)	मेई	
94)	ग्रमानीपुरा	
95)	विजयपुरा	
96)	हरीपुरा	
97)	गुमानपुरा	
98)	जाना	मण्डल के सामान्य विद्युतीकरण में सम्मिलित ।
99)	मंगरासी	

1	2	3
100)	भीमा	
101)	चोरासरा	
102)	सांगलिया	
103)	राड की ढाणी	
104)	भुनकावास	
105)	भगतपुरा	
106)	गोदियावास	अभी भी शेष ग्राम।
107)	खातिवास	
108)	जीलवास	
109)	भांडोली	
110)	चक गोगावास	
111)	गोगावास	
112)	भोठलावास	
112)	चक भारजा	
114)	चक भारजा	
115)	चक मिटाई	

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न 149 की सूची)

विभिन्न राज्यों में बने हुये निगमों की सूची :—

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक स्वतन्त्र राजस्थान खनिज विकास निगम की स्थापना की जायेगी। वित्त वर्ष 1980--81 में इस निगम हेतु 50 लाख रुपया प्रस्तावित की गई है। विभिन्न राज्यों में गठित खनिज विकास निगमों की सूची निम्न प्रकार है :—

1. आंध्र प्रदेश माइनिग कारपोरेशन लिमिटेड।
2. असम एण्ड मेघालय माइनिग डवलपमेन्ट कोरपोरेशन लि०।
3. बिहार स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कोरपोरेशन लि०।
4. चित्र दुर्गा कोपर कम्पनी लि०।
5. दिल्ली स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट कोरपोरेशन।
6. मुराज मिनरल डवलपमेन्ट कोरपोरेशन लि०।
7. हरियाणा मिनरल लि०।
8. हिमाचल प्रदेश मिनरल एन्ड इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट कोरपोरेशन।
9. हुट्टी काल्ट माइन्स कं० लि०।
10. जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल लि०।
11. मध्यप्रदेश स्टेट माइनिग कोरपोरेशन लि०।
12. महाराष्ट्र स्टेट माइनिग कारपोरेशन लि०।
13. मैसूर मिनरल लि०।
14. उड़ीसा माइनिग कोरपोरेशन लि०।
15. राजस्थान स्टेट माइन्स एन्ड मिनरल्स लि०।
16. राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल एन्ड मिनरल डवलपमेन्ट कोरपोरेशन लि०।
17. सिक्कम माइनिग कोरपोरेशन लि०।
18. यू० पी० स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कोरपोरेशन।
19. वैस्ट बंगाल मिनरल डवलपमेन्ट एन्ड टेनिग कारपोरेशन लि०।

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 152 की सूची)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता, अलवर

वर्ष 1977–78 के प्रधान खनिज के खनन पट्टों की सूची — जिला अलवर

क्र. सं.	पट्टेदारी का नाम व पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	खनिज का नाम	खनन पट्टे का विवरण: खान की स्थिति	तहसील	क्षेत्र (हेक्टर में)	खान पट्टे के प्रार. की तिथि	अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री चन्दलाल गुप्ता, टाऊन हाल, अलवर	बैराइटीज	जामरोली	राजगढ़	145–69	5–3–63	से बीस वर्ष	
2.	–एजन–	–एजन–	खेडा	राजगढ़	36–42	30–3–65	से बीस वर्ष	
3.	–एजन–	–एजन–	बास	अलवर	32–37	17–2–65	से बीस वर्ष	
4.	–एजन–	–एजन–	फिरोजपुर	राजगढ़	30–45	11–8–67	से बीस वर्ष	
5.	–एजन–	–एजन–	बालापुर	राजगढ़	99–996	1–5–70	से बीस वर्ष	
6.	श्री काशीराम एण्ड सन्स मनु मार्ग, अलवर	–एजन–	झडोली	अलवर	32–37	24–10–65	से बीस वर्ष	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	सर्वश्री रामनारायण एण्ड ब्रदर्स औद्योगिक क्षेत्र अलवर	–एजन–	खोरा मकरोरा भगत का बास	राजगढ़	69–24	15–2–75	से दस वर्ष	
8.	–एजन–	–एजन–	भाकेड़ा भूरासिद्ध	अलवर	64–75	9–8–60	से बीस वर्ष	
9.	–एजन–	–एजन–	लादिया गूजर	राजगढ़	54–63	12–6–68	से बीस वर्ष	
10.	–एजन–	–एजन–	ठेटरा	राजगढ़	32–37	14–6–60	से बीस वर्ष	
11.	सर्वश्री राजस्थान मिनरल्स टेलर्स	–एजन–	ग्वारा गूजर	राजगढ़	82–37	25–9–63	से बीस वर्ष	
12.	–एजन–	–एजन–	नांगल	राजगढ़	128–09	11–12–65	से बीस वर्ष	
13.	सर्वश्री राम मिनरल्स, अलवर	–एजन–	सेंथल	राजगढ़	179–86	22–7–76	से बीस वर्ष	
14.	सर्वश्री वसुधारा इण्डस्ट्रीज, अलवर	फेल्सूफार क्वार्टज	ततारपुर	मुण्डावर	32–37	5–4–73	से बीस वर्ष	
15.	–एजन–	–एजन–	खैरथल	किशनगढ़	32–37	7–1–76	से बीस वर्ष	
16.	श्री राधेश्याम शर्मा, बानसूर	–एजन–	माऊघर	बानसूरी	32–37	18–2–70	से बीस वर्ष	
17.	सर्वश्री रामनारायण एण्ड ब्रदर्स औद्योगिक क्षेत्र, अलवर	–एजन–	ततारपुर	मुण्डावर	32–37	27–12–77	से दस वर्ष	
18.	श्री मोहन लाल खण्डेलवाल, अलवर	–एजन–	माऊधा	बानसूर	161–87	20–8–76	से दस वर्ष	
19.	सर्व श्री अरावली मिनरल्स ट्रेडर्स	क्वार्टज	नांगल	राजगढ़	32–37	30–11–65	से बीस वर्ष	
20.	श्री रामेश्वर दयाल, भिवाना	क्वार्टज	गेंदवा	तिजारा	129–50	22–12–76	से बीस वर्ष	
21.	श्री श्याम लाल नाहटा, जयपुर	सोपस्टोन	हमीरपुर	बानसूर		28–6–75	से बीस वर्ष	
22.	श्री रवीन्द्र कपूर, नई दिल्ली	सोपस्टोन	कालवाड़	राजगढ़	97–12	20–12–69	से बीस वर्ष	

(187)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	–एजन–	कैलसाईट बैराइटीज	बैरली	राजगढ़	242--81	26–12–72	से बीस वर्ष	
24.	–एजन–	–एजन–	पालपुर	राजगढ़	464–14	9-7–73	से बीस वर्ष	
25.	–एजन–	रेड ओकर	नांगल	राजगढ़	145–69	15–2–72	से बीस वर्ष	
26.	श्री हजारी लाल गुप्ता, अलवर	सोप स्टोन	ढानी गूजरान	थानागाजी	72–84	20--12–68	से बीस वर्ष	
27.	श्री ललितमोहन शर्मा, मो. बीरबल, अलवर	कैलसाइट	रोसडा	अलवर	64–75	6–5–75	से बीस वर्ष	
28.	–एजन–	सोपस्टोन कैलसाइट	सीरावास	अलवर	32–37	29–4–77	से बीस वर्ष	
29.	श्री दयाराम गुप्ता, स्टेशन रोड, राजगढ़	चायना क्ले	बसवा गेट	राजगढ़	32–37	14--11--67	से बीस वर्ष	
30.	सर्वश्री हिन्दुस्तान कोपर लि. खो दरीबा (राजगढ़)	कोपर	दरीबा	राजगढ़	914-07	17–10–71	से बीस वर्ष	
31.	श्री किशोरीलाल पोदार, मोती लाल अटल रोड, जयपुर	डोलोमाईट	मल्लाना	राजगढ़	194–25	23–10–70	से बीस वर्ष	
32.	सर्व श्री रामनारायण एण्ड ब्रदर्स औद्योगिक क्षेत्र, अलवर	–एजन–	गिधीरी	थानागाजी	99–14	1–11–60	से बीस वर्ष	
33.	श्री कैलाश चन्द गुप्ता, नांगलवानी थानागाजी जिला, अलवर	–एजन–	नीझर	थानागाजी	48–56	16–8–67	से बीस वर्ष	
34.	सर्वश्री ईश्वर इण्डस्ट्रीज, अलवर	फायरक्ले	रायखो	अलवर	259–00	28–12–72	से बीस वर्ष	
35.	सर्वश्री काशीराम एण्ड सन्स,	स्लेटस्टोन	महतावास	बहरोड	18–10	1–1–62	से बीस वर्ष	

(189)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	श्री गोपीचन्द यादव, ग्राम कायसा	–एजन–	कायसा	वहरोड़	72–84	1–1–62	से बीस वर्ष	
37.	श्री युधीष्ठर देव शर्मा, नारनौल	यलो एण्ड रेड तसींग ओकर		वहरोड़	582–74	13–10–75	से बीस वर्ष	
38.	सर्वश्री कोठारी एण्ड इण्डस्ट्रीज एण्ड के., कमला	एसबसटस क्वार्टज	जगन्नाथपुरा	थानागाजी		3–1–76	से बीस वर्ष	
39.		सोपस्टोन	वैराबास	थानागाजी	32–37	19–8–62	से बीस वर्ष	
40.	–एजन–	सोपस्टोन	नांगल हैडी	थानागाजी	40–47	20–8–74	से बीस वर्ष	
41.	–एजन–	सोपस्टोन	नांगल हैडी	थानागाजी	32–34	8–7–64	से बीस वर्ष	
42.	सर्वश्री वसुन्धरा इण्डस्ट्रीज तिलक	चाईनाक्ले, फायरक्ले, सिलिका सेंड	हुदाली	अलवर		26–11–76	से बीस वर्ष	
43.	श्री राजेश शर्मा, अलवर	क्वार्टज	अंगारी	थानागाजी	48–56	1–6–77	से बीस वर्ष	
44.	श्री राजेश शर्मा, अलवर	पायरोक्लाईट	बेदला	लक्ष्मणगढ़	259–00	30–7–77	से बीस वर्ष	
45.	श्रीमती शांती शर्मा, द्वारा पंडित हरिनारायण एडवोकेट, अलवर	फायर क्ले	ऊंटवाल	रामगढ़	145–69	11–7–77	से बीस वर्ष	
46.	श्री राजीव मोहन गुप्ता, राजगढ़ (अलवर)	सिलिकासेण्ड	राजगढ़	राजगढ़		3–6–77	से बीस वर्ष	
47.	श्री अरुण कुमार गोपालिया, राजगढ़ (अलवर)	क्वार्टज	हरनेर	थानागाजी	48–56	21–12–76	से बीस वर्ष	
48.	श्री महेश चन्द गुप्ता, थानागाजी, (अलवर)	क्वार्टज	गुड़ाह	थानागाजी	148–50	29–9–77	से बीस वर्ष	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	श्री सोहनलाल चैचानी, सब्जी मण्डी, राजगढ़	सिलिकासेण्ड	सुरेरे	राजगढ़	259–00	14–12–77	से बीस वर्ष	
50.	श्री विजेन्द्र शर्मा, मादरी त. थानागाजी (अलवर)	बैराईटीज	झाडोली	अलवर		31–12–77	से बीस वर्ष	
51.	,, ,,	बैराईटीज	राताखुर्द	अलवर		31–12–77	से बीस वर्ष	
52.	श्री रमेश दत्त शर्मा, द्वारा शर्मा इलेक्ट्रीकल्स कं. अलवर	,,	रिंगसपुरा	अलवर		17–8–77	से बीस वर्ष	
53.	सर्वश्री रामनारायण एण्ड ब्रदर्स औद्योगिक क्षेत्र, अलवर	,,	औरंगाबाद	अलवर		11–10–76	से बीस वर्ष	
54.	श्री राधेश्याम महाजन	क्वार्टज	दलालपुरा	राजगढ़	32–37	12–12–74	से बीस वर्ष	
55.	सर्वश्री दीपक मिनरल्स, अलवर	फायर क्ले	बागौर	तिजारा	145–69	16–12–75	से बीस वर्ष	

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न सं० 155 की सूची)

केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची मय उनके पदाधिकारियों के नाम व उनमें समिति की बकाया ऋण राशि

क्र० सं०	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति		नाम पदाधिकारी	बकाया ऋण राशि	दिनांक बकाया राशि	विशेष विवरण
1	2		3	4	5	6
1.	बेहांवग्राम	अध्यक्ष	श्री नाथूलाल अ.	3912·00	20–10–77	
		मंत्री	श्री रमेशचन्द	7520·20	20–6–77	
2.	सूनगर	अध्यक्ष	श्री घन्नालाल	5941·00	22–7–78	
		मंत्री	श्री ओंकारलाल	9268·00	9–8–78	
3.	करवाला	अध्यक्ष	—			प्रशासक नियुक्त है।
		मंत्री	—			
4.	चतावा	अध्यक्ष	—			
		मंत्री	—			
5.	लेसरदा	अध्यक्ष	श्री रामनारायण मीना	3496·00	30–4–77	
		मंत्री	श्री गोपाललाल नागर	3000·00	24–6–78	
6.	भामजा	अध्यक्ष	श्री भीमराज पालीवाल	7000·00	30–6–78	
		मंत्री	श्री सोहनलाल जैन	2900·00	31–7–77	

1	2	3	4	5	6
7.	अरनेठा	अध्यक्ष श्री रामकिशन शर्मा	3000·00	15–7–78	
		मंत्री श्री गोविन्द लाल जी	3940·00	15–7–78	
8.	जेथल	अध्यक्ष श्री जगन्नाथ नागर	4200·00	30–6–78	
		मंत्री श्री राधेश्याम	7719·90	26-6–77	
9.	भीया	अध्यक्ष			प्रशासक नियुक्त।
		मंत्री			
10.	अलकासा	अध्यक्ष श्री केसरीलाल मीना	8968·00	5–7–78	
		मंत्री श्री प्रभुलाल मीना			बकाया नहीं है।
11.	जालोदा	अध्यक्ष श्री मुकुट बिहारी शर्मा	5410·00	5–7–78	
		मंत्री श्री सावना नाई	1700·00	3–7–78	
12.	रडी	अध्यक्ष श्री राजेश्वर मीना	6700·00	29–6–78	
		मंत्री श्री मोहनलाल बेरवा	7500·00	29–6–78	
13.	कांग्रेस	अध्यक्ष श्री नाथूलाल शर्मा	7464·95	12–7–78	
		मंत्री श्री रामनारायण	3223·70	5–8–78	
14.	हिंगोनिया	अध्यक्ष श्री मांगीलाल मीना	6604·00	1–7–78	
		मंत्री श्री रामनिवास जी	5001·00	2–7–77	
15.	बालापुरा	अध्यक्ष श्री लक्ष्मणजी मीना	3700·00	3–4–78	
		मंत्री श्री बाबूलाल मीना	10038·00	28–6–77	
16.	आजन्दा	अध्यक्ष श्री कल्याण जी	2032·95	10–12–77	
		मंत्री श्री छीतरलालजी	200·00	1–9–78	

1	2	3		4	5	6
17.	सारसला	अध्यक्ष	श्री गोपाल सिंह जी	1500·00	7–7–78	
		मंत्री	श्री हरदेवजी	4180·00	21–9–78	
18.	रोटेवा	अध्यक्ष	श्री रामजीवन शर्मा	3140·00	25–7–78	
		मंत्री	श्री कन्हैयालाल	5961·80	25–7–76	
19.	पापड़ी	अध्यक्ष	श्री मथुरालाल	4250·00	31–3–78	
				2250·00	23–9–78	
				2500·00		
		मंत्री	श्री रामनारायण	4904·00	31–3–78	
				3925·00	8–11–77	
				4000·00	27–4–77	
20.	उतराना	अध्यक्ष	श्री रामनिवास	2550·00	27–4–77	
				2000·00	3–7–77	
		मंत्री	श्री किशोर	2000·00	3–7–77	
21.	काकरा	अध्यक्ष	श्री रामनाथ			
		मंत्री	श्री कुन्दीलाल	1500·00	26–7–77	
22.	बड़ा खेडा					समिति में प्रशासक है।
23.	जड़ावली	अध्यक्ष	श्री कालूलाल	2500·00	28–6–78	
		मंत्री	श्री लड्डूलाल	7700·00	31–3–76	
24.	घाट का बराना					समिति में प्रशासक है।

(193)

1	2	3	4	5	6
25.	लबान	अध्यक्ष श्री रामप्रसाद	5600·00	29–3–78	
		मंत्री श्री प्रभूलाल	4400·00	25–11–78	
			2900·00	15–7–78	
26.	कोटा खुर्द	अध्यक्ष श्री कस्तूर चन्द	7900·00	25–11–78	
		मंत्री श्री नन्दलाल	5214·00	18–3–78	
			1900·00	27–4–77	
27.	खेडा बोरदा	अध्यक्ष श्री देवचन्द	4662·00	18–3–78	
			5600·00	3–7–77	
		मंत्री श्री रामकिशन	2700·00	18–3–78	
28.	फौलाई	अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद	3800·00	16–11–78	
			2500·00	29–6–78	
		मंत्री श्री मोती शंकर	1500·00	29–6–78	
29.	गेन्डोली	अध्यक्ष श्री सोहनलाल जैन	2500·00	16–7–78	
		मंत्री श्री गोरधनलाल	2500·00	16–7–78	
			1000.00	27–4–77	
30.	गेनोजी	अध्यक्ष श्री रघुनाथ	2800·00	22–3–78	
		मंत्री श्री भंवरलाल	1200·00	22–3–78	
			500·00	29–11–78	

(195)

1	2	3	4	5	6
31.	घावनका	अध्यक्ष श्री दुर्गाशंकर	2770·00	6–3–78	
	नोताडा		2000·00	8–7–78	
		मंत्री श्री हरकचन्द जैन	1500·00	26–7–78	
32.	खेडियाड	अध्यक्ष श्री केशरीलाल	5170·00	8–3–78	
			1500·00	4–7–78	
		मंत्री श्री श्योजीपुरी	1000·00	3–7–78	
33.	आलीजी	अध्यक्ष श्री रतनलाल	4000·00	24–11–78	
	बराना	मंत्री श्री मोतीलाल	2500·00	16–7–78	